ISSN: 3139-5260
BJAR (https://bjar.in) | April-June | 2026 | Volume-2 | Issue-2

BUNDELKHAND JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

An International Open Access,
Quarterly Peer Reviewed,
Referred Journal of Academic Research

बुन्देलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च

Bundelkhand Journal of Academic Research

अकादमिक शोध का त्रैमासिक पीयर रीव्यूड, ओपन एक्सेस, रेफर्ड, द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी)
अंतर्राष्ट्रीय जर्नल
A Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English)
International Journal of Academic Research

Year: 2026 **Quarter: April-June** **Volume: 02**

प्रधान संपादक
Editor-in-Chief
डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'
Dr. Gajendra Singh 'Madhusudan'
E-mail: gayatripublication2025@gmail.com

4

प्रबंध संपादक
Managing Editor
बृजेन्द्र सिंह
Brijendra Singh
E-mail: gayatri.kbs@gmail.com

Published by:
Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan,
Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201

In collaboration with:
Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi,
Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर का संपादक मंडल
(Editorial Board of the BJAR)

Dr. Ajay Singh, Professor, Department of Management & Information Systems, College of Business Administration, University of Hail: **Saudi Arabia,** E-mail: a.singh@uoh.edu.sa

Dr. Sunil Kumar, Professor (Sociology), Department of Sociology, Kurukshetra University, Thanesar: **Haryana.**
E-mail: sksoc@kuk.ac.in

Dr. Andrew T. Kugedera, Agriculture and Research, Morgenster Teachers College Morgenster, Masvingo: **Zimbabwe**
E-mail: kugederaandrew48@gmail.com

Dr. N. K. Gupta, Professor & Director (PM&E), Department of Basic Science, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: nkgupta.pphy@sknau.ac.in

Dr. Mukesh Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: mukeshkumar@gtgdc.org

Dr. Atul Kumar Kushwaha, Assistant Professor, Department of Chemistry, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: atulkk2008@gtgdc.org

Dr. Rachit Jaiswal, Assistant Professor, Department of Commerce, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: rachitjaiswal@gtgdc.org

Mr. Ram Lakhan Research Scholar, Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan (GSPS), Krishna Nagar, Atarra (Banda): **Uttar Pradesh**.
E-mail: potteras9125@gmail.com

Dr. Sanjaya Acharya, Professor, Department of Economics, Tribhuvan University Kirtipur; Kathmandu: **Nepal.**
E-mail: sanjaya.acharya@cdec.tu.edu.np

Dr. Bhupendra Kumar, Professor, Amity Business School, Amity University, Gwalior: **Madhya Pradesh.**
E-mail: bkumar@gwa.amity.edu

Dr. Shambhu Nath Singh, Professor, Institute of Economics & Finance, Bundelkhand University Jhansi; **Uttar Pradesh.** E-mail: drsnsingh@bujhansi.ac.in

Dr. Rajesh Kumar Pal, Principal, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.rajeshkumar@gtgdc.org

Dr. Amit Kumar Singh, Assistant Professor, Department of Sociology, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: amitkumarsingh@gtgdc.org

Dr. Sonu Jain, Assistant Professor (Agricultural Economics), S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: sonujain.ageco@sknau.ac.in

Dr. Siddhant Chaturvedi, Assistant Professor, Department of Botany, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: siddhantau1@gtgdc.org

Dr. Amit Kumar Yadav, Assistant Professor (Sociology), Government Degree College Pahi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh**.
E-mail: sch.amitkum58@bujhansi.ac.in

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर के विशेषज्ञ (Experts of the BJAR)

Dr. C. B. Singh, Professor, Department of Economics & Finance, Former Dean of Arts Faculty, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.** E-mail: dr.cbsingh195@bujhansi.ac.in

Dr. Girdhari Lal Meena, Professor, Department of Agricultural Economics, College of Agriculture, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur: **Rajasthan.** E-mail: glm57@rediffmail.com

Dr. Rakesh Rana, Professor, Department of Sociology, Mahanand Mission Harijan College, Gaziabad, Chaudhary Charan Singh University, Meerut: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ranarakesh@gmail.com

Dr. B. S. Badhola, Assistant Professor, (Agriculture Extension Education), S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: bsbadhola.ext@sknau.ac.in

Dr. Sheela Kharkwal, Assistant Professor, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: sheela.ageco@sknau.ac.in

Dr. Krishna Kumari, Assistant Professor, Department of Psychology, Rajkiya Mahavidyalay Agra cantt, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: kkumarigdc21@gmail.com

Dr. Dinesh Meena, Assistant Professor, Department of Commerce, Sri Aurobindo College, Malviya Nagar, New Delhi, Delhi University: **New Delhi.**
E-mail: dmeena_comm@aurobindo.du.ac.in

Dr. Vinay Kumar Patel, Assistant Professor (History), Department of History, Government Girls PG College Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: vinay.net2012@gmail.com

Dr. Subhita Kumawat, Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: subhita.ageco@sknau.ac.in

Dr. Uma Ratan Yadav, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: uryadav69@gmail.com

Dr. Hari Singh, Professor, Department of Agricultural Economics, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur: **Rajasthan**.
E-mail: singhhari71@gmail.com

Dr. Onkar Nath Mishra, Assistant Professor (Sr. Grade), Department of Economics, Bhupendra Narayan Mandal University, Madhepura, **Bihar.**
E-mail: aavirmishra@gmail.com

Dr. Mithilesh Kumar Singh, Assistant Professor (Sociology), Savitri Bai Fule Government College Chakia, Chandauli: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.mithileshkumarsingh@gmail.com

Dr. Prahlad Singh, Assistant Professor, Department of Mathematics, Rajkiya Mahavidyalay Agra cantt, Agra: **Uttar Pradesh.**
E-mail: prahladanora9@gmail.com

Dr. Ajay Singh, Assistant Professor (English), Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.** E-mail: ajaysingh@gtgdc.org

Dr. Shyam Singh Gaur, Assistant Professor, Deptt. of Education & Humanities, Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Chitrakoot: **Madhya Pradesh.**
E-mail: shyamsinghedu3@gmail.com

Dr. Dharmendra Singh, Assistant Professor, Department of Zoology, Government Degree College Sirathu, Kaushambi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: dr.dharmendrasingh67@gmail.com

Dr. Pratibha Manohar, Assistant Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, Sri Karan Narendra Agriculture University Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: pratibha.maths@sknau.ac.in

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर के सलाहकार (Advisors of the BJAR)

Dr. Kiran Gaur, Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-Jaipur: **Rajasthan.** E-mail: kirangaur.stats@sknau.ac.in

Durgesh kumar Shukla, Principal & Professor, Government Degree College, Manikpur, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: durgeshshukla70707@gmail.com

Dr Vinod Kumar, Principal & Associate Professor, Government Model Degree College Piparahari, Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvinodkumar786@gmail.com

Dr. Manjri Damele, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.** E-mail: manjridamele@gmail.com

Dr. Gajendra Nath, Principal, Rajarshi Purushottam Das Tandon Government Post Graduate, Lalitpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: gajendranath11@gmail.com

Dr. Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Department of Statistics, Mathematics & Computer Science, S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University Jobner-Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: mksharma.stats@sknau.ac.in

Dr. Virendra Pratap Chaurasia, Assistant Professor, Department of Economics, Government Degree College Kalpi, Jalaun: **Uttar Pradesh.**
E-mail: virendraauphd@gmail.com

Dr. Maneesh Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, D.D.U. Gorakhpur University Gorakhpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: maneeshkumar61@gmail.com

Dr. Brijendra Singh Boudh, Professor, Department of Economics, Bundelkhand Degree College Jhansi, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh**.
E-mail: dr.bsboudha1999@gmail.com

Dr. Vinay Kumar Chaudhary, Professor & Principal, Government Degree College, Mathura: **Uttar Pradesh.**
E-mail: vkc2014eng@gmail.com

Dr. Ramesh Singh, Assistant Professor (Botany), B.R. Ambedkar Girls Government PG College, Fatehpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: rameshgdcbotany1980@gmail.com

Dr. Sandeep Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government Degree College Sirathu, Kaushambi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: sandeepsps@gmail.com

Dr. Sachendra Kumar, Principal, Fundi Singh Launa Government Post Graduate College, Jalaun: **Uttar Pradesh.**
E-mail: sachendra877@gmail.com

Dr. Ravindra Singh Shekhawat, Senior Scientist, Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Indian Institute of Wheat and Barley Research (IIWBR), Karnal: **Haryana.**
E-mail: ravindra.shekhawat@icar.org.in

Dr. Jay Prakash Singh, Assistant Professor, Department of History, Government Girls PG College Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: jayprakash7619@gmail.com

Dr. Ashutosh Kumar Shukla, Assistant Professor (Political Science), Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: ashutoshshukla0907@gmail.com

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research
BJAR
2025

बीजेएआर के समीक्षक (Reviewers of the BJAR)

Dr. Mahendra Singh, Assistant Professor (Economics), Veerabhumi Government PG College Bhatipura, Mahoba: **Uttar Pradesh.**
E-mail: mahendrasinghalld1990@gmail.com

Dr. Brijesh Kumar Pal, Assistant Professor (Hindi), Dr. B.R. Ambedkar Girls Government PG College, Fatehpur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: brijeshjaishree@gmail.com

Dr. Sanju Kumawat, Assistant Professor, Department of Agriculture, University School of Agriculture Science, Rayat Bahra University, Mohali: **Punjab.**
E-mail: sanju.19117@rayatbahrauniversity.edu.in

Dr. Deepak Gupta, Assistant Professor, Department of Genetics & Plant Breeding, Pulses, Pearlmittet, College of Agriculture, Fatehpur Shekhawati, Sikar, **Rajasthan.**
E-mail: deepakgupta.pbg@sknau.ac.in

Dr. Vinod Kumar, Assistant Professor, Library Science, Dr. S. R. Ranganathan Institute of Library and Information Science, Bundelkhand University, Jhansi: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvinoddlis79@gmail.com

Dr. Shiv Kumar, Assistant Professor, Department of Economics, Government Girls Post Graduate College, Banda: **Uttar Pradesh.**
E-mail: shivkumar25678@rediffmail.com

Dr. Ramesh Chand Asiwal, Assistant Professor (Economics), S.K.N. College of Agriculture, Sri Karan Narendra Agriculture University (SKNAU) Jobner- Jaipur: **Rajasthan.**
E-mail: rcasiwalageco.coalalsot@sknau.ac.in

Dr. Sandeep Kumar Pundir, Assistant Professor, Department of Physics, University of Lucknow: **Uttar Pradesh.**
E-mail: pundir_s@lkouniv.ac.in

Dr. Shelly Gupta, Assistant Professor (Law), Vaish College of Law, Rohtak, Maharishi Dayanand University, Rohtak: **Haryana.**
E-mail: shellysushil@gmail.com

Dr. Anand Kumar, Assistant Professor, Department of Computer Science, Jagadguru Rambhadracharya Divyang State University, Sitapur, Chitrakoot: **Uttar Pradesh.**
E-mail: anand_smsvns@yahoo.co.in

Dr. Devendra Nath Giri, Assistant Professor, Department of History, Smt. Indira Gandhi Government PG College Lalganj, Mirzapur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: giridevendranath@gmail.com

Dr. Amita Singh, Assistant Professor, Department of Sanskrit, Savitri Bai Fule Government College Chakia, Chandauli: **Uttar Pradesh.**
E-mail: singhamita1984@gmail.com

Dr. Veer Pratap Singh, Assistant Professor (Botany), Maharani Lal Kunwari (MLK) PG College, Balrampur: **Uttar Pradesh.**
E-mail: drvpsingh1984@gmail.com

Dr. Ram Chiranjeev, Assistant Professor (Sociology), Chaudhary Mahadeo Prasad (CMP) Degree College, Prayagraj, University of Allahabad, **Uttar Pradesh.**
E-mail: chiranjivpal75@gmail.com

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research

बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर)

Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR)

वर्ष: 02	त्रैमासिक: अप्रैल-जून, 2026	वॉल्यूम-2	अंक-2
Year: 02	**Quarterly: April-June, 2026**	**Volume-2**	**Issue-2**

अकादमिक शोध का त्रैमासिक पीयर रीव्यूड, ओपन एक्सेस, रेफर्ड, द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) अंतर्राष्ट्रीय जर्नल

(A Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English) International Journal of Academic Research)

प्रारंभिक वर्ष: 2025 **The Starting Year:** 2025

प्रकाशन: सुरेन्द्र कुमार (महासचिव), गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश।

Publisher: Surendra Kumar (General Secretary), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201

मुद्रक: गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश।

Printer: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh.

टिप्पणी: सभी प्रकार के भुगतान 'बीजेएआर' अतर्रा के नाम से देय है।

Note: All payments are payable in the name of 'BJAR' Atarra.

2. बीजेएआर के प्रधान संपादक और संपादक के पद मानद और अवैतनिक हैं। जबकि प्रबंध संपादक का वैतनिक है।

The positions of Editor-in-Chief and Editors of BJAR are honorary and unpaid, while the Managing Editor is paid.

हमसे संपर्क करें (कार्यालय):

: सुरेन्द्र कुमार, प्रकाशक, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, 226, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश: 210201

दूरभाष: +918750184716 ई-मेल: gayatripublication2025@gmail.com

: बृजेन्द्र सिंह, प्रबंध निदेशक, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, 226, कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश: 210201

दूरभाष:+918423141082 ई-मेल: gayatri.kbs@gmail.com

Contact Us (Office):

: Surendra Kumar, Publisher, Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh: 210201.
Telephone: +91-8750184716, Email: gayatripublication2025@gmail.com

: Brijendra Singh, Managing Director, Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), Uttar Pradesh: 210201
Telephone: +91-8423141082 Email: gayatri.kbs@gmail.com

सुरेन्द्र कुमार (महासचिव, गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, कृष्णा नगर, अतर्रा, बांदा) मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी द्वारा गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान से मुद्रित करवाकर प्रकाशित। प्रबंध संपादक: बृजेन्द्र सिंह, बुंदेलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), कृष्णा नगर, अतर्रा (बांदा), उत्तर प्रदेश: 210201

Note: The views expressed in the published articles are their writers own. The agreement of the Editorial Board or the Shodh Pratisthan is not necessary Disputes, if any shall be decided by the court at Atarra (Banda), Uttar Pradesh.

Bundelkhand Journal of Academic Research

वर्ष: 02	त्रैमासिक: अप्रैल-जून, 2026	वॉल्यूम-2	अंक-2
Year: 02	Quarterly: April-June, 2026	Volume-2	Issue-2

अनुक्रमणिका (Table of Contents)

01. चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन — 1-23
डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन', डॉ. अमित कुमार यादव

02. विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्यों का अवलोकन — 24-30
बृजेश कुमार पाल, धर्मकीर्ति कुशवाहा

03. भारत के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रदर्शन का अध्ययन — 31-41
डॉ. मुकेश कुमार

04. सिकंदरा स्थित सम्राट अकबर के मकबरे के स्थापत्य का ऐतिहासिक विश्लेषण — 42-47
डॉ. विनय कुमार पटेल

05. भारत में तीन तलाक की स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण — 48-52
डॉ. अमित कुमार सिंह, डॉ. रवीश कुमार सिंह, डॉ. दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव

06. उत्तर प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणात्मक अध्ययन — 53-58
डॉ. वीरेन्द्र प्रताप चौरसिया

07. चित्रकूट जिले के गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन — 59-78
डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन', राम लखन

08. A Comparative and Growth-Based Classification Matrix of Primary Agricultural Credit Societies at the State Level: An Empirical Study — 79-86
Rachit Jaiswal, Dr Abhilash Kumar Srivastava

09. Effect of Integrated Nutrient Management on Productivity and Profitability of Maize (Zea mays L.) Under Irrigated Conditions of Punjab — 87-92
Malvi Katoch, Sanju Kumawat

10. Constraint Faced by Sorghum Grower in Ajmer district of Rajasthan — 93-97
Narendra Yadav, Sonu Jain

11. A Review on Preservatives Present in Packaged Food Items — 98-105
Dr. Atul Kumar Kushwaha

12. The Prospects for the Development of IPRs in Indian Knowledge Systems — 106-113
Mr. Saurabh Sunil Mali

13. Combined Effect of Nano Urea and Sulphur on Growth, Development and Yield of Mustard — 114-119
Randhir, Sanju Kumawat

14. Constraints faced by Soyabean cultivators in Jhalwar district of Rajasthan — 120-124
Amit Kumar Kasotiya, Sonu Jain, Shivraj Kumawat

Published by: Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan, 226, Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with: Goswami Tulsidas Govt. Post Graduate College Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

Bundelkhand Journal of Academic Research

चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'[1], डॉ. अमित कुमार यादव[2]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** संघटक राजकीय महाविद्यालय पाही, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** gajendrashodh1988@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21787217

सारांश

महिला सशक्तिकरण हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास का एक मापदंड है। यह समावेशी एवं सतत विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अधिकारों में समानता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। बुंदेलखंड के ग्रामीण बहुल जिला चित्रकूट में सरकारी योजनाओं ने जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव और प्रभाव दिखाया है। अध्ययन में पाया गया कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं के आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है और उन्हें आत्म–निर्भरता मिली है, जिससे परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका मजबूत हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय महिलाओं को वित्तीय सहायता मिलने से वे दैनिक जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हुई हैं। इससे संकटग्रस्त परिवारों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति कुछ हद तक स्थिर हुई है। आजीविका के अवसर बढ़ने और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं में सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी है। चित्रकूट एक आकांक्षी एवं मुख्यतः ग्रामीण जिला है, जहाँ गरीबी, अशिक्षा और सीमित रोजगार अवसर जैसी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 29 मार्च, 2026	**स्वीकृत:** 16 अप्रैल, 2026	**प्रकाशित:** 30 जून, 2026
	सारणी: 36	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 24
	मुख्य शब्द: सशक्तिकरण, समावेशन, एसएचजी, सुरक्षा, निर्णय क्षमता, वित्तीय, विकास।		

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा कानूनी रूप से सक्षम बनाया जाता है, ताकि वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें, अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें, समाज में पुरुषों के समान अवसर एवं सम्मान प्राप्त कर सकें। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं की निर्णय–निर्माण क्षमता, संसाधनों पर नियंत्रण तथा समान अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करना है।

भारत सरकार ने वर्ष 2001 में पहली आधिकारिक राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति की घोषणा की थी, जिसे बाद में बदलती सामाजिक–आर्थिक स्थितियों के अनुसार 'महिलाओं के कल्याण' से बढ़ाकर 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' के दृष्टिकोण में ढाला गया है। भारत की महिला सशक्तिकरण नीति केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं को सुरक्षा, संसाधन और स्वतंत्रता देकर राष्ट्र निर्माण में समान भागीदार बनाने का एक विजन है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रयास समाज, अर्थव्यवस्था, कानून और शिक्षा के हर स्तर पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी बनाने के बजाय विकास प्रक्रिया की अगुआ बनाने की दिशा में कई अहम कदम उठाए गए हैं। देश में 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक

महिलाएँ जुड़ी हुई हैं। इनमें से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को 'लखपति दीदी' (वार्षिक आय 1 लाख रुपए या अधिक) बनाया जा चुका है। मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋणों में लगभग 68 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएँ हैं। इससे जमीनी स्तर पर महिला उद्यमिता को काफी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 70 प्रतिशत से अधिक घर पूरी तरह या संयुक्त रूप से महिलाओं के नाम पर आवंटित किए गए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना ने बाल–लिंगानुपात सुधारने, बालिकाओं के नामांकन एवं शिक्षा को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई है। बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में सुकन्या समृद्धि योजना एक बेहद लोकप्रिय छोटी बचत योजना है। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए सवेतन मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए पहले से ही 33 से 50 प्रतिशत तक आरक्षण का प्रावधान लागू है। वन स्टॉप सेंटर के तहत हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, पुलिस और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाती है। देश में महिला हितैषी प्रयासों का परिणाम है कि महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) जो 2017–18 में लगभग 23.3 प्रतिशत थी, वह 2023–24 तक बढ़कर 41.7 प्रतिशत हो गई है।

इस तरह महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के विकास का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति और सतत विकास की आधारशिला है। जब महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समान अवसर और निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, तब परिवार, समाज और राष्ट्र का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देना आवश्यक है।

1.1. महिला सशक्तिकरण के आयामः महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समान अधिकार और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। इसके प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं:

1. शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं सामाजिक सम्मान की प्राप्ति से महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण।
2. रोजगार, स्वरोजगार, आय के साधनों और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण।
3. स्थानीय निकायों एवं राजनीतिक संस्थाओं में भागीदारी से महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण।
4. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास एवं डिजिटल साक्षरता से महिलाओं का शैक्षिक सशक्तिकरण।
5. संविधान एवं कानूनों द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रभावी उपयोग से महिलाओं का कानूनी सशक्तिकरण।
6. आत्मविश्वास, आत्मसम्मान एवं नेतृत्व क्षमता के विकास से महिलाओं का मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण।

1.2. महिला सशक्तिकरण का औचित्यः महिला सशक्तिकरण से महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत होती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती हैं। यह लैंगिक समानता लाने, गरीबी दूर करने और एक स्वस्थ, विकसित समाज के निर्माण के लिए बेहद आवश्यक है। इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है और परिवार एवं समाज का समग्र विकास होता है। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। वित्तीय स्वतंत्रता उनके जीवन स्तर में सुधार लाती है। इससे गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी आती है। शिक्षित और सशक्त महिलाएं अपने स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा और परिवार के कल्याण पर बेहतर ध्यान देती हैं, जिससे संपूर्ण समाज का विकास होता है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में सुधार से अंततः सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेषकर एसडीजी–5 (लैंगिक समानता) की प्राप्ति में सहायता मिलती है।

1.3. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु योजनाएं: चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु संचालित एवं अध्ययन में शामिल प्रमुख सरकारी योजनाएं निम्न प्रकार हैं:

1.3.1. **दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम)** ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित भारत सरकार की एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करके, उन्हें कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और आजीविका के साधन प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।

1.3.2. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)** भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 1 मई 2016 को शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करना है ताकि उन्हें पारंपरिक अस्वच्छ ईंधन (जैसे लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले) के धुएं से मुक्ति मिल सके। कनेक्शन के साथ पहला रिफिल सिलेंडर और एक गैस चूल्हा मुफ्त दिया जाता है। चित्रकूट में पीएमयूवाई के कुल 129,915 लाभार्थी हैं, जिन्हें योजना के विभिन्न चरणों के तहत आच्छादित किया गया है।

1.3.3. **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)** भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना है। इसके तहत पहले जीवित बच्चे के जन्म पर 5000 रुपए और दूसरी संतान बालिका होने पर 6000 रुपए की वित्तीय सहायता गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को दी

जाती है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई करना, उचित पोषण और आराम सुनिश्चित करना है। चित्रकूट में पीएमएमवीवाई से अब तक 25,000 से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। योजना में लक्ष्य के सापेक्ष 106 प्रतिशत उपलब्धि के साथ चित्रकूट जिले का प्रदेश में पहला स्थान है। चित्रकूट में योजना के संचालन का प्रदर्शन काफी उत्कृष्ट रहा है।

1.3.4. **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)** भारत सरकार की एक राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन योजना है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक, विशेषकर गरीब एवं वंचित वर्ग को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना और उन्हें बैंकिंग, बीमा, पेंशन तथा ऋण जैसी वित्तीय सेवाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ। चित्रकूट जिले में पीएमजेडीवाई के खाताधारकों की संख्या 3.12 लाख है और कुल लाभार्थियों में महिलाओं की भागीदारी 55 प्रतिशत से अधिक है।

1.3.5. **प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)** भारत सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान उपलब्ध कराना है। इसमें पक्के मकान के साथ–साथ उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, बिजली की सुविधा और नल से जल जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी एकीकृत किया जाता है।

1.3.6. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)** भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो सूक्ष्म उद्यमों को बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपये तक का लोन प्रदान करती है। यह ऋण बिना गारंटी के शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों के तहत विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के साथ–साथ कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी उपलब्ध है। चित्रकूट जिले में पीएमएमवाई के तहत अब तक 50 हजार से अधिक लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन लाभार्थियों में महिला उद्यमियों और वंचित वर्गों की भागीदारी 70 प्रतिशत है।

1.4. अध्ययन के उद्देश्यः प्रस्तुत शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर योजनाओं का प्रभाव हो रहा है और यदि हो रहा है तो महिलाओं के जीवन–स्तर में कितना सुधार हुआ है? इसलिए प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

1. चित्रकूट में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना।
2. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करना।
3. महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन करना।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन में निहित चुनौतियों की पहचान एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

2. साहित्य की समीक्षा : शोध साहित्य की समीक्षा किसी विशेष शोध विषय पर पहले से प्रकाशित पुस्तकों, लेखों और शोध–पत्रों का आलोचनात्मक विश्लेषण है। इसका उद्देश्य स्रोतों का सारांश देना, उनके निष्कर्षों का मूल्यांकन करना और वर्तमान शोध में मौजूद अंतरालों की पहचान करके अपने शोध के लिए आधार तैयार करना है, क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधित विषय पर पूर्व में क्या अध्ययन हुए हैं, उनकी प्रमुख प्राप्तियां क्या हैं और किन क्षेत्रों में अभी भी शोध की आवश्यकता है।

महिलाओं से संबंधित शोध साहित्य से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है, लेकिन विकास के विभिन्न स्तरों में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। लैंगिक भेदभाव, अशिक्षा एवं कम साक्षरता, घरेलू हिंसा, आर्थिक निर्भरता, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा, रोजगार के सीमित अवसर, सामाजिक रूढ़ियाँ एवं पितृसत्तात्मक व्यवस्था जैसी चुनौतियां योजनाओं के सशक्तिकरण के प्रभाव को कमजोर करती हैं (दीनदयाल शोध संस्थान)।

चित्रकूट उत्तर प्रदेश का एक आकांक्षी एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा जिला है, यहाँ की सामाजिक–आर्थिक स्थिति, जल–संकट, भौगोलिक चुनौतियाँ और पारंपरिक ढाँचा महिलाओं की स्थिति को सीधे प्रभावित करते हैं। परिणामस्वरूप महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा वित्तीय संसाधनों तक पहुँच अपेक्षाकृत सीमित रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताएँ तथा सीमित रोजगार अवसर महिलाओं के सशक्तिकरण में प्रमुख बाधाएँ हैं (पावनी एवं कुमार, 2025)।

महिला स्वावलंबन पर सकारात्मक नतीजों के बावजूद चित्रकूट के कई दुर्गम और ग्रामीण इलाकों में कुछ सीमाएं हैं। जिले में योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी है और ग्रामीण इलाकों में महिलाएं आज भी परंपराओं और प्रथाओं से जुड़ी हैं, जिसके चलते दूर–दराज के गांवों में डिजिटल साक्षरता और योजनाओं की पूरी जानकारी न होने से आवेदन प्रक्रिया कठिन होती है। कौशल विकास की पहुंच बढाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में ट्रेनिंग सेंटरों और स्किल डेवलपमेंट की मोबाइल यूनिट्स की जरूरत है (ग्रामीण विकास पत्रिका, 2023)।

अध्ययन दर्शाते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने महिलाओं में सूक्ष्म बचत, बैंक ऋण तक पहुँच और लघु उद्यमशीलता (जैसे हस्तशिल्प, कृषि प्रसंस्करण) को बढ़ाया है। चित्रकूट जैसे कृषि–प्रधान

और पिछड़े जिलों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद महिलाओं की पारिवारिक आय में 15 से 20 प्रतिशत तक सुधार दर्ज किया गया है। अनेक शोधों में स्वयं सहायता समूहों को ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बताया गया है। एसएचजी के माध्यम से महिलाओं में बचत की आदत, ऋण प्राप्त करने की क्षमता, लघु उद्यम स्थापना तथा निर्णय लेने का आत्मविश्वास बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में एसएचजी और एनआरएलएम के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा में सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। हालांकि वित्तीय साक्षरता की कमी, डिजिटल भुगतान में झिझक और विपणन के साधनों तक सीधी पहुँच न होना मुख्य बाधाएँ बनी हुई हैं (पांडे एवं शुक्ला, 2026)।

रिचा नागर (2000) ने चित्रकूट में महिलाओं के जमीनी स्तर के आंदोलनों का अध्ययन करते हुए बताया कि सामूहिक संगठन, महिला शिक्षा और सामाजिक संवाद ने महिलाओं में आत्मविश्वास तथा अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय एवं अन्य शोधों में भी महिलाओं के कानूनी अधिकारों, जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

शोध अध्ययन बताते हैं कि स्थानीय निकायों में आरक्षण से महिला प्रतिनिधियों (सरपंच/वार्ड सदस्य) की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन अधिकांशतः 'पति–सरपंच' की प्रथा प्रभावी है, जहाँ वास्तविक शक्तियाँ परिवार के पुरुष सदस्यों के पास रहती हैं। यद्यपि धीरे–धीरे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और गैर–सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप से महिला प्रतिनिधियों की स्वायत्तता में वृद्धि हो रही है। बालिका शिक्षा योजनाओं से चित्रकूट के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रॉपआउट दर में कमी आई है। हालाँकि, उच्च शिक्षा और तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों तक भौगोलिक पहुँच कम होना अभी भी एक चुनौती है।

अध्ययन बताते हैं कि चित्रकूट के पठारी क्षेत्रों में पानी जुटाने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं पर होती है। जल जीवन मिशन के प्रभाव पर अध्ययन बताते हैं कि घर नल योजना से महिलाओं के समय और शारीरिक श्रम की बचत हुई है, जिसे वे आय–उत्पादक गतिविधियों में लगा पा रही हैं। इसी तरह बुंदेलखंड से होने वाले मौसमी पलायन के कारण घर की देखरेख और खेती की जिम्मेदारी महिलाओं पर रहती है, जिसे शोध साहित्य में 'कृषि का महिलाकरण' कहा गया है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और जननी सुरक्षा योजना ने महिलाओं के स्वास्थ्य संकेतकों में सकारात्मक बदलाव लाया है। हालांकि कई अध्ययनों में पाया गया है कि चित्रकूट की ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। गरीबी, परिवहन की कमी, सामाजिक प्रतिबंध, बाल विवाह तथा योजनाओं की सीमित जानकारी जैसी समस्याएँ उनकी भागीदारी को प्रभावित करती हैं।

2.1. शोध अंतरालः उपर्युक्त शोध साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि चित्रकूट जिले के पाठा क्षेत्र और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में अंतर्विभागीय योजनाओं के संयुक्त या समन्वित प्रभाव पर जमीनी अध्ययनों की कमी है। विशेष रूप से यह अध्ययन करने की आवश्यकता है कि क्या सरकारी योजनाओं से निर्गत आर्थिक लाभ महिलाओं में वास्तविक निर्णय लेने की स्वतंत्रता में बदलाव ला पाए हैं या नहीं। उपलब्ध शोध साहित्य से स्पष्ट होता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर अनेक अध्ययन हुए हैं, जबकि चित्रकूट जिले के संदर्भ में शोध अपेक्षाकृत सीमित हैं। अधिकांश अध्ययन शिक्षा, कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों या किसी एक कार्यक्रम तक सीमित हैं। योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का समग्र मूल्यांकन अभी भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।

शोध साहित्य से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश अध्ययन किसी एक समय बिंदु पर आधारित हैं। योजनाओं से महिलाओं की आय, आत्मनिर्भरता, सामाजिक भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता में दीर्घकालिक परिवर्तन का अध्ययन अपेक्षाकृत कम है। चित्रकूट जिले की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु साक्ष्य–आधारित नीतिगत सुझाव देने वाले अध्ययन बहुत कम उपलब्ध हैं। जिले में विशेष रूप से विभिन्न सरकारी योजनाओं के संयुक्त प्रभाव का व्यापक, क्षेत्रीय एवं तुलनात्मक अध्ययन अपेक्षाकृत कम है। विशेषकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति, निर्णय क्षमता, सामाजिक सहभागिता और योजनाओं के वास्तविक लाभ के बीच संबंधों का विश्लेषण भी आवश्यक है।

उपर्युक्त शोध अंतरालों के आधार पर 'चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन' अत्यंत प्रासंगिक है। यह अध्ययन न केवल विभिन्न सरकारी योजनाओं के वास्तविक प्रभाव का मूल्यांकन करेगा, बल्कि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं निर्णयात्मक स्थिति में आए परिवर्तनों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। साथ ही, यह योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं की पहचान कर भविष्य की नीति–निर्माण प्रक्रिया के लिए उपयोगी सुझाव प्रदान करेगा। इसलिए प्रस्तुत शोध में चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

3. अनुसंधान पद्धति : उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट जिला भौगोलिक रूप से पथरीला, सूखा प्रवण और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। जिले में महिलाएं आज भी परंपराओं और प्रथाओं से जुड़ी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए उनका सशक्तिकरण बढ़ रहा है। इसलिए, चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर योजनाओं के मात्रात्मक और गुणात्मक बदलाव का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। यह अध्ययन वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अनुसंधान पर आधारित है। हालांकि यह पूर्णतः प्राथमिक आंकड़ों के विश्लेषण तक सीमित है।

3.1. लक्षित जनसंख्याः चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए लक्षित जनसंख्या का चयन शोध के उद्देश्यों पर निर्भर है। अध्ययन में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्तकर्ता महिलाओं को शामिल किया गया है। अध्ययन में जिले के ग्रामीण और शहरी परिवार दोनों शामिल हैं। अध्ययन में चित्रकूट जिले की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएँ शामिल हैं, विशेष रूप से वे महिलाएँ जो विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी हैं।

3.2. नमूने का आकारः प्रस्तुत शोध अध्ययन में जिले के विभिन्न विकास खंडों से कुल 65 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण में शामिल किया गया है। उत्तरदाताओं के नमूने में ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है, जो कम से कम 3 अथवा 3 से अधिक योजनाओं की लाभार्थी हैं। यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन के लिए 90 लाभार्थियों को प्रश्नावली वितरित की गई थी, लेकिन विश्लेषण योग्य केवल 65 लाभार्थियों की प्रश्नावलियां थी, जिसके कारण 65 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण में शामिल किया गया है।

3.3. नमूनाकरण विधिः प्रस्तुत अध्ययन के लिए खुले प्रश्नों वाली एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसमें जनसांख्यिकी, भूमि स्वामित्व, आय के स्रोत, प्राप्त योजनाओं के लाभ और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसके अलावा समूह केंद्रित चर्चा भी की गई है। शोध को सटीक बनाने के लिए जिले के विभिन्न विकास खंडों से स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का उपयोग करके उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। नमूना चयन के लिए बहुस्तरीय नमूनाकरण एवं उद्देश्यपूर्ण विधि को अपनाया गया है। इस तरह बहुस्तरीय नमूनाकरण (मल्टीस्टेज सैंपलिंग) के विभिन्न चरणों में स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन और उद्देश्यपूर्ण विधि दोनों को मिला कर आंकड़ों का संकलन किया गया है।

3.4. अध्ययन की आवश्यकताः चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि यह जिला सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत पिछड़ा और ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। अध्ययन से यह स्पष्ट होगा कि योजनाओं के कारण महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय, निर्णय लेने की क्षमता तथा सामाजिक भागीदारी में कितना सुधार हुआ है। कई बार योजनाओं का लाभ सभी पात्र महिलाओं तक नहीं पहुँच पाता है। अध्ययन से क्रियान्वयन में आने वाली समस्याएँ, जागरूकता की कमी, प्रशासनिक बाधाएँ तथा सामाजिक अवरोधों की पहचान की जा सकती है। चित्रकूट की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वित्तीय संसाधनों और सामाजिक समानता से संबंधित जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनका वास्तविक स्वरूप अध्ययन से सामने आएगा। यह अध्ययन लैंगिक समानता (एसडीजी–5), गरीबी उन्मूलन (एसडीजी–1), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (एसडीजी–4) तथा गरिमापूर्ण रोजगार (एसडीजी–8) जैसे सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने में सहायक होगा। चित्रकूट जैसे ग्रामीण बहुल जिले में महिलाओं का सशक्तिकरण परिवार, समुदाय और स्थानीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास का आधार है। इसलिए योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन स्थानीय विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्ययन के आधार पर ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं, जिनसे महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सम्मान में वृद्धि हो सके। अध्ययन के निष्कर्ष सरकार एवं नीति–निर्माताओं को योजनाओं में आवश्यक सुधार करने और नई रणनीतियाँ बनाने में उपयोगी होंगे।

3.5. अध्ययन का क्षेत्रः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र का चित्रकूट जिला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जितना समृद्ध है, आर्थिक रूप से यह लंबे समय से उतनी ही गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। चित्रकूट की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, धार्मिक पर्यटन और हस्तशिल्प पर निर्भर है। जिले का मुख्य आधार कृषि है। जिले में कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और मौसमी रोजगार, महिलाओं की औसत आय अपेक्षाकृत कम होना, भूमि, पूंजी और आधुनिक तकनीक तक सीमित पहुँच, बाजार और विपणन सुविधाओं का अभाव, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण की कमी, घरेलू कार्यों का अधिक बोझ आदि के कारण नियमित आय, समृद्धि और रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं।

जनगणना, 2011 के अनुसार, चित्रकूट जिले की कुल आबादी 9.92 लाख थी, जिसमें पुरुषों की आबादी 5.28 लाख और महिलाओं की आबादी 4.64 लाख थी। ग्रामीण आबादी 8.95 लाख (90.29 प्रतिशत) और शहरी आबादी 96 हजार (9.71 प्रतिशत) थी। चित्रकूट उत्तर प्रदेश का एक मुख्यतः ग्रामीण एवं आकांक्षी जिला है। यहाँ की अधिकांश महिलाएँ कृषि, पशुपालन, वनोपज संग्रह, मनरेगा तथा असंगठित क्षेत्र के कार्यों पर निर्भर हैं। अधिकांश महिलाएँ खेती,

खेतिहर मजदूरी, पशुपालन तथा कृषि से जुड़े कार्यों में लगी हैं। अनेक महिलाएँ पारिवारिक कृषि कार्यों में योगदान देती हैं, लेकिन भूमि का स्वामित्व प्रायः पुरुषों के नाम होने के कारण उनकी आर्थिक निर्णय क्षमता सीमित रहती है। ग्रामीण महिलाओं की आय मुख्यतः कृषि मजदूरी, मनरेगा, डेयरी, बकरी पालन और छोटे घरेलू व्यवसायों से होती है। रोजगार के अवसर सीमित होने के कारण कई परिवार गरीबी रेखा के आसपास जीवनयापन करते हैं। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में चित्रकूट जिले की महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है।

4. आंकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचन : प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन आदि से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रस्तुत विश्लेषण का उद्देश्य यह बताना है कि एकत्रित आँकड़े शोध के उद्देश्यों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं पर्यावरण से प्रभावित होता है। सभी उत्तरदाताओं की किसी योजना के प्रति राय समान नहीं हो सकती। लिंग, आयु, जाति, धार्मिक विश्वास, संस्कृति, शिक्षा आदि चिंतन एव बोध के स्तर पर प्रभाव डालते हैं। उत्तरदाता जिस सामाजिक–आर्थिक संदर्भ समूह में रह रहे होते हैं, उसका प्रभाव उनकी सामाजिक–आर्थिक परिस्थितयों पर भी पड़ता है।

सारणी–1 सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को दर्शाती है। इसमें कुल उत्तरदाताओं के आंकड़ों को चार प्रमुख सामाजिक श्रेणियों में विभाजित कर उनकी आवृत्ति और प्रतिशत के आधार पर विश्लेषण किया गया है। सरकारी योजनाओं के 65 लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण स्थानीयता, जाति, धर्म और शैक्षिक स्थिति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में 55.38 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ और 44.62 प्रतिशत शहरी महिलाएँ हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है। यह दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक महिलाओं तक पहुँच रहा है।

जातीय संरचना के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के 41.54 प्रतिशत उत्तरदाता जो कि सर्वाधिक हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति के 33.85 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के 24.62 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों तक पहुँच रहा है, जो सामाजिक समावेशन की दिशा में सकारात्मक संकेत है। धार्मिक आधार पर 75.38 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू और 24.62 प्रतिशत उत्तरदाता मुस्लिम एवं अन्य धर्मों से संबंधित हैं। स्पष्ट है कि अध्ययन में हिन्दू समुदाय का प्रतिनिधित्व अधिक है, जबकि अन्य धर्मों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम है।

शैक्षिक स्तर के अनुसार 30.77 प्रतिशत उत्तरदाता प्राथमिक शिक्षित हैं, जो सर्वाधिक हैं। इसके बाद 29.23 प्रतिशत अशिक्षित, 24.62 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षित और 15.38 प्रतिशत उच्च शिक्षित उत्तरदाता हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश लाभार्थियों का शैक्षिक स्तर निम्न या मध्यम है तथा उच्च शिक्षित महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

सारणी-1: सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण

सामाजिक पृष्ठभूमि	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
स्थानीय संरचना	ग्रामीण महिलाएं	36	55.38
	शहरी महिलाएं	29	44.62
जाति संरचना	सामान्य वर्ग	16	24.62
	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	41.54
	अनुसूचित जाति	22	33.85
धार्मिक संरचना	हिन्दू	49	75.38
	मुस्लिम व अन्य	16	24.62
शैक्षिक स्थिति	अशिक्षित	19	29.23
	प्राथमिक शिक्षित	20	30.77
	माध्यमिक शिक्षित	16	24.62
	उच्च शिक्षित	10	15.38
	कुल उत्तरदाता	**65**	**100**

सारणी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्ययन में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में ग्रामीण महिलाओं, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं और हिन्दू समुदाय का प्रतिनिधित्व अधिक है। साथ ही अधिकांश लाभार्थी प्राथमिक शिक्षित अथवा अशिक्षित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं तक पहुँच रही हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि योजनाएँ वंचित वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में सार्थक भूमिका निभा रही हैं।

4.1. चित्रकूट में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाओं के प्रभाव : चित्रकूट जिले की 65 महिला उत्तरदाताओं के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव के आकलन को सारणी–2 में प्रस्तुत किया गया है। सारणी में प्रत्येक प्रश्न के लिए समग्र सहमति, अनिश्चित और समग्र असहमति की आवृत्ति और प्रतिशत दिए गए हैं। सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं में से 50.77 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, जबकि 30.77 प्रतिशत असहमत तथा 18.46

प्रतिशत अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाओं ने योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है।

सारणी के दूसरे प्रश्न में कुल उत्तरदाताओं में से 52.31 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं की पहुँच प्रभावी ढंग से हुई है, जबकि 32.31 प्रतिशत असहमत और 15.38 प्रतिशत अनिश्चित थीं। इससे योजनाओं की पहुँच अपेक्षाकृत संतोषजनक प्रतीत होती है। इसी तरह, कुल उत्तरदाताओं में से 47.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि सरकारी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण में सहायता मिली है, जबकि 29.23 प्रतिशत असहमत और 23.08 प्रतिशत अनिश्चित रहे हैं। यह दर्शाता है कि योजनाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण में सकारात्मक योगदान दिया है।

सारणी-2: लिकर्ट स्केल पर सरकारी योजनाओं के महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव का आकलन

प्रभाव कारक प्रश्न	इकाई	समग्र सहमति	अनिश्चित	समग्र असहमति	कुल योग
क्या सरकारी योजनाओं से चित्रकूट की महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर हुआ है?	आवृत्ति	33	12	20	65
	प्रतिशत	50.77	18.46	30.77	100
क्या सरकारी योजनाएँ लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुँच रही हैं?	आवृत्ति	34	10	21	65
	प्रतिशत	52.31	15.38	32.31	100
क्या सरकारी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण में करने में सहायता मिली है?	आवृत्ति	31	15	19	65
	प्रतिशत	47.69	23.08	29.23	100
क्या महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं?	आवृत्ति	30	13	22	65
	प्रतिशत	46.15	20.00	33.85	100
क्या सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और लाभार्थी चयन में पारदर्शिता है?	आवृत्ति	26	16	23	65
	प्रतिशत	40.00	24.62	35.38	100
क्या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आजीविका के साधनों में विविधता आई है?	आवृत्ति	32	09	24	65
	प्रतिशत	49.23	13.85	36.92	100
क्या स्वयं सहायता समूहों ने चित्रकूट की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है?	आवृत्ति	35	12	18	65
	प्रतिशत	53.85	18.46	27.69	100
क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं की बीमारियों या स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आई है?	आवृत्ति	33	10	22	65
	प्रतिशत	50.77	15.38	33.85	100
क्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर और संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है?	आवृत्ति	36	10	19	65
	प्रतिशत	55.38	15.38	29.23	100
क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना से महिलाओं का वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है?	आवृत्ति	37	08	20	65
	प्रतिशत	56.92	12.31	30.77	100
क्या प्रधानमंत्री आवास योजना से महिलाओं की गरिमा और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है?	आवृत्ति	30	13	22	65
	प्रतिशत	46.15	20.00	33.85	100
क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से महिलाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है?	आवृत्ति	29	15	21	65
	प्रतिशत	44.62	23.08	32.31	100

सारणी के चौथे प्रश्न में कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि महिला सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं, जबकि 33.85 प्रतिशत असहमत और 20.00 प्रतिशत अनिश्चित हैं। यह संकेत देता है कि सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन के संबंध में उत्तरदाताओं की संतुष्टि अपेक्षाकृत कम है। इसी प्रकार, कुल उत्तरदाताओं में से केवल 40.00 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और लाभार्थी चयन में पारदर्शिता है, जबकि 35.38 प्रतिशत असहमत और 24.62 प्रतिशत अनिश्चित थीं। इससे पता चलता है कि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और लाभार्थी चयन में पारदर्शिता का स्तर बहुत कम है, जिसमें काफी सुधार की आवश्यकता है।

सारणी के छठवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से आजीविका के साधनों में विविधता आई है और इस संबंध में कुल उत्तरदाताओं में से 49.23 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि आजीविका मिशन से आजीविका के साधनों में विविधता आई है, जबकि 36.92 प्रतिशत असहमत और 13.85

प्रतिशत अनिश्चित थीं। इससे योजना का प्रभाव सकारात्मक दिखाई देता है। इसी तरह, कुल उत्तरदाताओं में से 53.85 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है, जबकि 27.69 प्रतिशत असहमत और 18.46 प्रतिशत अनिश्चित थीं। इससे स्पष्ट है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बने हैं।

सारणी के आठवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से महिलाओं की बीमारियों या स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आई है और इस संबंध में कुल उत्तरदाताओं में से 50.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि उज्ज्वला योजना से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जबकि 33.85 प्रतिशत असहमत और 15.38 प्रतिशत अनिश्चित हैं। इससे योजना के स्वास्थ्य संबंधी सकारात्मक प्रभाव का संकेत मिलता है। इसी प्रकार कुल उत्तरदाताओं में से 55.38 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं प्रसव पूर्व देखभाल में वृद्धि हुई है, जो उच्चतम सहमति प्रतिशतों में से एक है। जबकि 29.23 प्रतिशत असहमत और 15.38 प्रतिशत अनिश्चित हैं। इससे योजना की प्रभावशीलता स्पष्ट होती है।

सारणी के दसवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना से महिलाओं का वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है और इस संबंध में कुल उत्तरदाताओं में से सर्वाधिक 56.92 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री जन–धन योजना से महिलाओं की वित्तीय समावेशन एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, जबकि 30.77 प्रतिशत असहमत और 12.31 प्रतिशत अनिश्चित थीं। इससे यह योजना महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। इसी प्रकार कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से महिलाओं की गरिमा और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, जबकि 33.85 प्रतिशत असहमत और 20.00 प्रतिशत अनिश्चित थीं। इससे योजना का प्रभाव मध्यम स्तर का दिखाई देता है।

सारणी के बारहवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से महिलाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है और इस संबंध में कुल उत्तरदाताओं में से 44.62 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है कि योजना से महिलाओं में स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिला है, जबकि 32.31 प्रतिशत असहमत और 23.08 प्रतिशत अनिश्चित थीं। यह दर्शाता है कि स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है, किन्तु इसकी प्रगति और प्रदर्शन सुधारने की आवश्यकता है।

इस तरह सारणी–2 के समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि चित्रकूट जिले में महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित सरकारी योजनाओं का प्रभाव सकारात्मक रहा है। सारणी के अधिकांश प्रश्नों पर लगभग 46 प्रतिशत से 57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री जन–धन योजना (56.92 प्रतिशत), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (55.38 प्रतिशत), स्वयं सहायता समूह (53.85 प्रतिशत) तथा सरकारी योजनाओं की पहुँच (52.31 प्रतिशत) को महिलाओं ने अधिक प्रभावी माना है। दूसरी ओर, पारदर्शिता, स्वरोजगार एवं उद्यमिता, योजनाओं के प्रति प्रदर्शन जैसे क्षेत्रों में सहमति का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है और असहमति का स्तर उल्लेखनीय है। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, किन्तु इनके प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता, प्रदर्शन, पारदर्शिता, लाभार्थी चयन तथा उद्यमिता संवर्धन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

4.2. महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं का आर्थिक प्रभाव : महिलाओं के सशक्तिकरण में विभिन्न सरकारी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का आकलन सारणी–3 से 20 तक प्रस्तुत किया गया है, जिनके तहत योजनाओं के आर्थिक प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण किया गया है।

सारणी-3: महिलाओं की आय पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की मासिक आय में वृद्धि हुई है?	हां	32	49.23
	नहीं	25	38.46
	अनिश्चित	08	12.31
	कुल योग	65	100

सारणी-4: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं का महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है?	हां	39	60.00
	नहीं	16	24.62
	अनिश्चित	10	15.38
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–3 एवं सारणी–4 में महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सरकारी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। सारणी–3 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 49.23 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं के कारण उनकी मासिक आय में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 38.46 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि 12.31 प्रतिशत उत्तरदाता प्रभाव के प्रति अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के कारण अपनी आय में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव

किया है। हालांकि, एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसे योजनाओं का प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ। यह स्थिति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, लाभार्थियों तक पहुँच और आजीविका के अवसरों में सुधार की आवश्यकता को इंगित करती है।

सारणी–4 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 60.00 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। वहीं 24.62 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की, जबकि 15.38 प्रतिशत महिलाओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। यह दर्शाता है कि अधिकांश महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त होना अनुभव किया है। आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ केवल आय में वृद्धि नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता, बचत, ऋण सुविधा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि से भी है।

सारणी-5: आर्थिक निर्णयों में भागीदारी की स्थिति

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या योजनाओं से परिवार के आर्थिक निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है?	हां	31	47.69
	नहीं	21	32.31
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

सारणी-6: महिलाओं के कौशल विकास पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या योजनाओं के तहत प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण से महिलाओं के कौशल में वृद्धि हुई	हां	34	52.31
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	12	18.46
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–5 एवं सारणी–6 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के आर्थिक निर्णयों में भागीदारी तथा कौशल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–5 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 47.69 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं के कारण परिवार के आर्थिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। इसके विपरीत 32.31 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं से उनकी भागीदारी में कोई वृद्धि नहीं हुई, जबकि 20.00 प्रतिशत महिलाएँ इस विषय में अनिश्चित रहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से परिवार के आर्थिक निर्णयों में अपनी भूमिका को अधिक सशक्त एवं प्रभावी माना है। यह दर्शाता है कि योजनाओं ने महिलाओं में आत्मविश्वास, आर्थिक जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ावा दिया है। हालांकि, लगभग एक–तिहाई महिलाओं ने इस प्रकार का कोई परिवर्तन अनुभव नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है।

सारणी–6 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 52.31 प्रतिशत ने बताया कि योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण से उनके कौशल में वृद्धि हुई है। वहीं 29.23 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि उनके कौशल में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जबकि 18.46 प्रतिशत महिलाएँ इस संबंध में अनिश्चित रहीं हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के अंतर्गत दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उपयोगी माना और उनके माध्यम से अपने व्यावसायिक कौशल में सुधार का अनुभव किया। कौशल विकास के परिणामस्वरूप महिलाओं की रोजगार क्षमता, स्वरोजगार के अवसर और आय अर्जित करने की संभावनाओं में वृद्धि हुई होगी। फिर भी, कुछ महिलाओं तक प्रशिक्षण का प्रभाव अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सका, जिससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता, नियमितता और पहुँच में सुधार की आवश्यकता महसूस होती है।

सारणी-7: महिलाओं में आत्मनिर्भरता की स्थिति

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या योजनाओं के लाभ से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है?	हां	30	46.15
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	16	24.62
	कुल योग	65	100

सारणी-8: महिलाओं के गरीबी निवारण पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से महिलाओं को गरीबी कम करने में सहायता मिली है?	हां	37	56.92
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	10	15.38
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–7 एवं सारणी–8 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के आत्मनिर्भरता तथा गरीबी निवारण पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–7 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं के लाभ से उनकी आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 29.23 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं से उनकी आत्मनिर्भरता में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जबकि 24.62 प्रतिशत महिलाओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है। योजनाओं से प्राप्त आर्थिक सहायता, स्वरोजगार के अवसर, प्रशिक्षण एवं वित्तीय संसाधनों तक पहुँच ने महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया है। हालांकि, कुछ महिलाओं ने इसका अपेक्षित लाभ

अनुभव नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं की पहुँच एवं प्रभावशीलता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

सारणी–8 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 56.92 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं के लाभ से उन्हें गरीबी कम करने में सहायता मिली है। वहीं 27.69 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 15.38 प्रतिशत महिलाएँ प्रभाव के प्रति अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सरकारी योजनाओं को गरीबी निवारण के लिए प्रभावी माना है। योजनाओं के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार, वित्तीय सहायता, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव और आय के नए स्रोत उपलब्ध होने से महिलाओं एवं उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। फिर भी, लगभग एक–चौथाई महिलाओं ने गरीबी में कोई विशेष कमी अनुभव नहीं की है, जो यह दर्शाता है कि योजनाओं के लाभों का समान एवं व्यापक वितरण अभी भी एक चुनौती है।

सारणी-9: औपचारिक वित्तीय प्रणाली पर विश्वास

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या वित्तीय समर्थन वाली योजनाओं से महिलाओं का आत्म-सम्मान और औपचारिक वित्तीय प्रणाली पर विश्वास बढ़ा है?	हां	31	47.69
	नहीं	22	33.85
	अनिश्चित	12	18.46
	कुल योग	65	100

सारणी-10: महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से प्रत्यक्ष और परोक्ष सब्सिडी मिलने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है?	हां	36	55.38
	नहीं	16	24.62
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–9 एवं सारणी–10 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के औपचारिक वित्तीय प्रणाली पर विश्वास तथा महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–9 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 47.69 प्रतिशत ने बताया कि वित्तीय समर्थन वाली सरकारी योजनाओं के कारण उनका आत्मसम्मान तथा औपचारिक वित्तीय प्रणाली पर विश्वास बढ़ा है। इसके विपरीत 33.85 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं से उनके विश्वास में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जबकि 18.46 प्रतिशत महिलाओं की प्रतिक्रिया अनिश्चित रही है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से औपचारिक वित्तीय संस्थाओं के प्रति अधिक विश्वास विकसित किया है। इससे महिलाओं में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग, बचत की प्रवृत्ति, ऋण सुविधाओं तक पहुँच और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला है। हालांकि, लगभग एक–तिहाई महिलाओं ने इस प्रकार का कोई परिवर्तन अनुभव नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि वित्तीय साक्षरता एवं योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

सारणी–10 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 55.38 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं से प्राप्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सब्सिडी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं 24.62 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 20.00 प्रतिशत महिलाएँ इस विषय में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सरकारी योजनाओं को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में प्रभावी माना है। योजनाओं के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता, सब्सिडी, स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास एवं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव ने महिलाओं की आय, बचत और जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी, कुछ महिलाओं को इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ, जो योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों तक समुचित पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को इंगित करता है।

सारणी-11: रोजगार के अवसर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनने से महिलाओं के प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर बढ़े हैं?	हां	34	52.31
	नहीं	21	32.31
	अनिश्चित	10	15.38
	कुल योग	65	100

सारणी-12: सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या वित्तीय समर्थन वाली योजनाओं के लाभ से महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि हुई है?	हां	37	56.92
	नहीं	17	26.15
	अनिश्चित	11	16.92
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–11 एवं सारणी–12 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के रोजगार के अवसरों तथा सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–11 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 52.31 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनने से उनके प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 32.31 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं से रोजगार के अवसरों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जबकि 15.38 प्रतिशत महिलाओं की प्रतिक्रिया अनिश्चित रही है। इससे स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि का अनुभव किया है। योजनाओं के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव, ऋण एवं वित्तीय सहायता तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने से महिलाओं के लिए आय के नए स्रोत विकसित हुए

हैं। हालांकि, लगभग एक–तिहाई महिलाओं ने रोजगार के अवसरों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन अनुभव नहीं किया, जो योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों तक उनकी समुचित पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

सारणी–12 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 56.92 प्रतिशत ने माना कि वित्तीय समर्थन वाली सरकारी योजनाओं के लाभ से उनकी सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि हुई है। वहीं 26.15 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 16.92 प्रतिशत महिलाएँ इस संबंध में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सरकारी योजनाओं को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में प्रभावी माना है। योजनाओं के माध्यम से नियमित बचत, बीमा, बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ और आर्थिक जोखिमों से निपटने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इससे महिलाओं के जीवन स्तर, आत्मविश्वास और भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना में सकारात्मक परिवर्तन आया है। फिर भी, कुछ महिलाओं तक इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं पहुँच सका, जो योजनाओं की पहुँच, जागरूकता एवं प्रभावी क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता को इंगित करता है।

सारणी-13: वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की भूमिका

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या अपना बैंक खाता होने से परिवार के वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है?	हां	30	46.15
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	16	24.62
	कुल योग	65	100

सारणी-14: बैंकिंग सेवाओं के उपयोग पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या जन धन खाता खुलने से महिलाओं में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग बढ़ा है?	हां	33	50.77
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–13 एवं सारणी–14 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के वित्तीय निर्णयों में महिलाओं की भूमिका तथा बैंकिंग सेवाओं के उपयोग पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–13 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत ने बताया कि अपना बैंक खाता होने से परिवार के वित्तीय निर्णयों में उनकी भूमिका बढ़ी है। इसके विपरीत 29.23 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि बैंक खाता होने के बावजूद उनकी भूमिका में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, जबकि 24.62 प्रतिशत महिलाओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधी महिलाओं ने बैंक खाता होने के कारण परिवार के आर्थिक एवं वित्तीय निर्णयों में अपनी भागीदारी बढ़ने का अनुभव किया है। बैंक खाते के माध्यम से महिलाओं को अपनी आय एवं बचत पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हुआ है, जिससे उनमें आत्मविश्वास, आर्थिक स्वतंत्रता तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। हालांकि, लगभग एक–तिहाई महिलाओं ने इस प्रकार का कोई परिवर्तन अनुभव नहीं किया, जो यह संकेत देता है कि केवल बैंक खाता होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वित्तीय साक्षरता एवं परिवार में महिलाओं की निर्णयात्मक भूमिका को भी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

सारणी–14 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 50.77 प्रतिशत ने बताया कि जन–धन खाता खुलने के बाद उनके द्वारा बैंकिंग सेवाओं का उपयोग बढ़ा है। वहीं 29.23 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 20.00 प्रतिशत महिलाएँ इस विषय में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने जन–धन योजना के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं जैसे बचत, धन जमा एवं निकासी, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डिजिटल भुगतान और अन्य वित्तीय सुविधाओं का अधिक उपयोग करना प्रारम्भ किया। इससे महिलाओं का औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जुड़ाव बढ़ा और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन मिला है। फिर भी, कुछ महिलाओं द्वारा बैंकिंग सेवाओं का सीमित उपयोग यह संकेत देता है कि वित्तीय जागरूकता, डिजिटल साक्षरता एवं बैंकिंग सुविधाओं की सहज उपलब्धता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

सारणी-15: औपचारिक बचत की आदत पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या जन धन खाता से महिलाओं की औपचारिक बचत करने की आदत में सुधार हुआ है?	हां	37	56.92
	नहीं	17	26.15
	अनिश्चित	11	16.92
	कुल योग	65	100

सारणी-16: महिलाओं के वित्तीय समावेशन पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या योजनाओं का लाभार्थी बनने से महिलाओं का वित्तीय समावेशन हुआ है?	हां	35	53.85
	नहीं	16	24.62
	अनिश्चित	14	21.54
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–15 एवं सारणी–16 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के औपचारिक बचत की आदत तथा वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–15 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 56.92 प्रतिशत ने बताया कि जन–धन खाता खुलने के बाद उनकी औपचारिक रूप से बचत करने की आदत में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 26.15 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि उनकी बचत करने की आदत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि 16.92 प्रतिशत महिलाओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे

स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने जन–धन योजना के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने के बाद नियमित बचत की प्रवृत्ति विकसित की है। बैंक खाते की उपलब्धता ने महिलाओं को सुरक्षित बचत करने, धन का बेहतर प्रबंधन करने तथा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए आर्थिक संसाधन संचित करने हेतु प्रेरित किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सरकारी सहायता राशि और अन्य वित्तीय सुविधाओं ने भी औपचारिक बचत की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। हालांकि, कुछ महिलाओं में बचत की आदत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ, जो वित्तीय जागरूकता एवं आय के सीमित स्रोतों जैसी चुनौतियों की ओर संकेत करता है।

सारणी–16 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 53.85 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं का लाभार्थी बनने से उनका वित्तीय समावेशन हुआ है। वहीं 24.62 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 21. 54 प्रतिशत महिलाएँ इस संबंध में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक महिलाओं का औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ाव बढ़ा है। बैंक खाते, सरकारी अनुदान, ऋण सुविधाओं, बीमा योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा डिजिटल बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच ने महिलाओं को वित्तीय मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, वित्तीय सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है। हालांकि, कुछ महिलाओं तक इन सुविधाओं का पूर्ण लाभ नहीं पहुँच पाया है, जो वित्तीय साक्षरता, डिजिटल जागरूकता एवं योजनाओं की प्रभावी पहुँच में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

सारणी-17: लाभार्थियों के उपभोग स्तर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या योजनाओं के लाभ से महिलाओं के उपभोग स्तर में सुधार हुआ है?	हां	38	58.46
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	09	13.85
	कुल योग	65	100

सारणी-18: बचत और बीमा में वृद्धि पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं की बचत और बीमा में वृद्धि हुई है?	हां	32	49.23
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	15	23.08
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–17 एवं सारणी–18 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के उपभोग स्तर तथा बचत एवं बीमा पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। सारणी–17 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 58.46 प्रतिशत महिलाओं ने बताया कि सरकारी योजनाओं के लाभ से उनके उपभोग स्तर में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 27.69 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं से उनके उपभोग स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, जबकि 13.85 प्रतिशत महिलाओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के कारण अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता में वृद्धि का अनुभव किया है। योजनाओं से प्राप्त आर्थिक सहायता, स्वरोजगार के अवसर, डीबीटी और आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप महिलाओं के भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक उपभोग संबंधी व्ययों में सुधार हुआ है। यद्यपि कुछ महिलाओं ने इस प्रकार का कोई परिवर्तन अनुभव नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के लाभों का समान वितरण तथा प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी आवश्यक है।

सारणी–18 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 49.23 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से उनकी बचत तथा बीमा से जुड़ाव में वृद्धि हुई है। वहीं 27.69 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 23.08 प्रतिशत महिलाएँ इस संबंध में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से बचत करने तथा बीमा योजनाओं से जुड़ने की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव किया है। बैंक खाते, स्वयं सहायता समूह, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा योजनाओं तक पहुँच ने महिलाओं में भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ किया है। हालांकि, अपेक्षाकृत अधिक संख्या में महिलाओं का अनिश्चित रहना यह संकेत देता है कि बीमा योजनाओं के प्रति जागरूकता तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

सारणी-19: वित्तीय समझ और बाजार पहुंच पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की वित्तीय समझ और बाजार पहुंच में वृद्धि हुई है?	हां	29	44.62
	नहीं	20	30.77
	अनिश्चित	16	24.62
	कुल योग	65	100

सारणी-20: अनौपचारिक ऋण की कमी पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या वित्तीय समर्थन वाली योजनाओं के लाभ से महिलाओं की अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हुई है?	हां	31	47.69
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	15	23.08
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–19 एवं सारणी–20 की व्याख्या महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सरकारी योजनाओं के वित्तीय समझ एवं बाजार तक पहुँच तथा अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रदर्शित

करती हैं। सारणी–19 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 44.62 प्रतिशत ने बताया कि सरकारी योजनाओं के कारण उनकी वित्तीय समझ तथा बाजार तक पहुँच में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 30.77 प्रतिशत महिलाओं का मत है कि योजनाओं से इस क्षेत्र में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, जबकि 24.62 प्रतिशत महिलाओं की प्रतिक्रिया अनिश्चित है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय ज्ञान, बाजार की जानकारी तथा अपने उत्पादों एवं सेवाओं के विपणन के अवसरों में सुधार का अनुभव किया है। योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता, कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ाव तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने से महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है। हालांकि, लगभग एक–तिहाई महिलाओं ने इस प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन अनुभव नहीं किया, जबकि एक उल्लेखनीय वर्ग अनिश्चित रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि वित्तीय शिक्षा, बाजार संपर्क तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

सारणी–20 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 47.69 प्रतिशत ने माना कि वित्तीय समर्थन वाली सरकारी योजनाओं के लाभ से उनकी अनौपचारिक ऋण (जैसे साहूकार या निजी उधार) पर निर्भरता में कमी आई है। वहीं 29.23 प्रतिशत महिलाओं ने इससे असहमति व्यक्त की है, जबकि 23.08 प्रतिशत महिलाएँ इस संबंध में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि लगभग आधी महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से बैंकिंग सुविधाओं, स्वयं सहायता समूहों, रियायती ऋण और अन्य औपचारिक वित्तीय स्रोतों तक पहुँच प्राप्त की, जिससे उन्हें अनौपचारिक ऋण पर कम निर्भर रहना पड़ा। इससे महिलाओं पर उच्च ब्याज दरों का आर्थिक बोझ कम हुआ तथा उनकी वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। हालांकि, कुछ महिलाओं तक औपचारिक ऋण सुविधाओं का अपेक्षित लाभ नहीं पहुँच पाया, जो वित्तीय समावेशन एवं ऋण सुविधाओं की पहुँच को व्यापक बनाने की आवश्यकता को दर्शाता है।

4.3. महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं का सामाजिक प्रभाव : महिलाओं के सशक्तिकरण में विभिन्न सरकारी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन सारणी–21 से 36 तक प्रस्तुत किया गया है, जिनके तहत योजनाओं के सामाजिक प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण किया गया है।

सारणी-21: परिवार और समाज में सम्मान पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से परिवार और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है?	हां	30	46.15
	नहीं	20	30.77
	अनिश्चित	15	23.08
	कुल योग	65	100

सारणी-22: सामाजिक सशक्तिकरण पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ा है?	हां	33	50.77
	नहीं	21	32.31
	अनिश्चित	11	16.92
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–21 एवं सारणी–22 में महिलाओं के सशक्तिकरण में सरकारी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन करती हैं। इनमें परिवार एवं समाज में सम्मान तथा सामाजिक सशक्तिकरण पर योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। सारणी–21 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं से परिवार और समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। इसके विपरीत 30.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का सम्मान बढ़ाने में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 23.08 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश (46.15 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का विश्वास है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा और पारिवारिक सम्मान में सकारात्मक वृद्धि की है। यद्यपि लगभग एक–तिहाई उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, फिर भी सकारात्मक मत रखने वालों का प्रतिशत अधिक होने से यह कहा जा सकता है कि योजनाओं ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सारणी–22 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 50.77 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ा है। जबकि 32.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त 16.92 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम मानते हैं। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक

भागीदारी, निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास तथा सामाजिक पहचान में वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ उत्तरदाता अभी भी इन योजनाओं के प्रभाव को पर्याप्त नहीं मानते, फिर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया का प्रतिशत अधिक है।

सारणी-23: महिलाओं के जीवन स्तर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है?	हां	32	49.23
	नहीं	23	35.38
	अनिश्चित	10	15.38
	कुल योग	65	100

सारणी-24: महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं में सामाजिक सुरक्षा का स्तर बढ़ा है?	हां	31	47.69
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	15	23.08
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–23 एवं सारणी–24 में महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार तथा सामाजिक सुरक्षा पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। सारणी–23 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 49.23 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 35. 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं से जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वहीं 15.38 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि उत्तरदाताओं के एक उल्लेखनीय प्रतिशत ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं का लाभ सभी महिलाओं तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है।

सारणी–24 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 47.69 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा का स्तर बढ़ा है। जबकि 29.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त 23.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया अनिश्चित है। यह दर्शाता है कि अधिकांश उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने में प्रभावी मानते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता, सामाजिक संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएँ तथा विभिन्न कल्याणकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ है, जिससे उनके जीवन में सुरक्षा की भावना विकसित हुई है। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को पर्याप्त नहीं माना तथा कुछ अपनी स्पष्ट राय व्यक्त नहीं कर सके।

सारणी-25: लैंगिक भेदभाव पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव का स्तर घटा है?	हां	28	43.08
	नहीं	23	35.38
	अनिश्चित	14	21.54
	कुल योग	65	100

सारणी-26: घरेलू निर्णयों में भूमिका पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है?	हां	34	52.31
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–25 एवं सारणी–26 में महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव में कमी तथा घरेलू निर्णयों में उनकी भूमिका पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। सारणी–25 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 43.08 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव का स्तर घटा है। इसके विपरीत 35.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का इस दिशा में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 21.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया अनिश्चित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश (43.08 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा लैंगिक असमानता को कम करने में योगदान दिया है। यद्यपि असहमति व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत भी उल्लेखनीय है, फिर भी सकारात्मक मत रखने वालों की संख्या अधिक होने से यह कहा जा सकता है कि योजनाओं ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सारणी–26 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 52.31 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। जबकि 27.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में अनिश्चित रहे हैं। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता और पारिवारिक भागीदारी को सुदृढ़ करने में प्रभावी मानते हैं। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास तथा जागरूकता बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप वे परिवार के आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक निर्णयों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। हालांकि

कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को पर्याप्त नहीं माना, जिससे यह संकेत मिलता है कि सामाजिक परंपराओं और रूढ़िवादी सोच के कारण अभी भी कई परिवारों में महिलाओं की निर्णयात्मक भूमिका सीमित है।

सारणी-27: स्वास्थ्य और पोषण पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हुआ है?	हां	35	53.85
	नहीं	16	24.62
	अनिश्चित	14	21.54
	कुल योग	65	100

सारणी-28: महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है?	हां	30	46.15
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	17	26.15
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–27 एवं सारणी–28 में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय को दर्शाया गया है। सारणी–27 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 53.85 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 24.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। वहीं 21.54 प्रतिशत उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया अनिश्चित रही है। इससे स्पष्ट होता है कि आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान और अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण संबंधी सुविधाएँ तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण प्राप्त हुआ है। परिणामस्वरूप महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर में सुधार तथा पोषण संबंधी जागरूकता में वृद्धि हुई है। यद्यपि कुछ उत्तरदाताओं ने योजनाओं के प्रभाव से असहमति व्यक्त की या स्पष्ट राय नहीं दी है, फिर भी सकारात्मक मत रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है।

सारणी–28 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। जबकि 27.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त 26.15 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में अनिश्चित हैं। यह दर्शाता है कि अधिकांश उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक मानते हैं। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, आर्थिक सहायता और सामाजिक भागीदारी के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे परिवार एवं समाज में उनकी पहचान, सम्मान तथा आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में अपेक्षित सुधार अभी नहीं हुआ है और कुछ उत्तरदाता निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके हैं।

सारणी-29: महिलाओं की डिजिटल साक्षरता पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हुई है?	हां	29	44.62
	नहीं	20	30.77
	अनिश्चित	16	24.62
	कुल योग	65	100

सारणी-30: सामाजिक गतिविधियों पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है?	हां	31	47.69
	नहीं	21	32.31
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–29 एवं सारणी–30 में महिलाओं की डिजिटल साक्षरता तथा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय को दर्शाया गया है। सारणी–29 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 44.62 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं की डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 30.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का डिजिटल साक्षरता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 24.62 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं में डिजिटल ज्ञान एवं तकनीकी जागरूकता बढ़ने की पुष्टि की है। उनका मानना है कि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों तथा बैंकिंग एवं ऑनलाइन सेवाओं के बढ़ते उपयोग के कारण महिलाएँ मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान तथा ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने लगी हैं। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को पर्याप्त नहीं माना और कुछ निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके, फिर भी सकारात्मक मत रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है।

सारणी–30 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 47.69 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है। जबकि 32.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की। इसके अतिरिक्त 20.00 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। यह दर्शाता है कि अधिकांश उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं की सामाजिक सहभागिता बढ़ाने में प्रभावी मानते हैं। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों, ग्राम सभाओं, सामाजिक संगठनों, सामुदायिक कार्यक्रमों तथा स्थानीय विकास गतिविधियों में भागीदारी बढ़ी है। इससे उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का

विकास हुआ है। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं का मत है कि सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँची है और स्पष्ट राय नहीं दे सके हैं।

सारणी-31: सामाजिक गतिशीलता पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं में आत्मनिर्भरता और सामाजिक गतिशीलता का स्तर बढ़ा है?	हां	32	49.23
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	14	21.54
	कुल योग	65	100

सारणी-32: महिलाओं के व्यवहार परिवर्तन पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की पुरानी सोच में सकारात्मक बदलाव लाया है?	हां	34	52.31
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–31 एवं सारणी–32 में महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता एवं आत्मनिर्भरता तथा व्यवहार एवं सामाजिक सोच में परिवर्तन पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय दर्शायी गई है। सारणी–31 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 49.23 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं में आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक गतिशीलता का स्तर बढ़ा है। इसके विपरीत 29.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का सामाजिक गतिशीलता में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। वहीं 21.54 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और आर्थिक सहायता के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर बनी हैं और सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों में उनकी सक्रियता बढ़ी है। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को पर्याप्त नहीं माना और कुछ ने स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है, फिर भी सकारात्मक मत रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है।

सारणी–32 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 52.31 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं की पुरानी सोच एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आया है। जबकि 27.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त 20.00 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं के व्यवहार, दृष्टिकोण एवं सामाजिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने में प्रभावी मानते हैं। योजनाओं के माध्यम से महिलाओं में शिक्षा, जागरूकता, अधिकारों के प्रति समझ, आत्मविश्वास तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास हुआ है। परिणामस्वरूप वे पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक, आर्थिक एवं पारिवारिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने लगी हैं। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को सीमित माना और कुछ निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके हैं।

सारणी-33: निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है?	हां	30	46.15
	नहीं	18	27.69
	अनिश्चित	17	26.15
	कुल योग	65	100

सारणी-34: मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बेहतर हुई है?	हां	36	55.38
	नहीं	16	24.62
	अनिश्चित	13	20.00
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–33 एवं सारणी–34 में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय को दर्शाया गया है। सारणी–33 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। इसके विपरीत 27.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का महिलाओं की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 26.15 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक अवसर और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ने का अवसर मिलने के कारण वे परिवार, समुदाय तथा स्थानीय स्तर के निर्णयों में पहले की अपेक्षा अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यद्यपि कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया और कुछ स्पष्ट राय नहीं दे सके हैं, फिर भी सकारात्मक मत रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं की निर्णय क्षमता एवं नेतृत्व कौशल को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

सारणी–34 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 55.38 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं की मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार हुआ है। जबकि 24.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इससे असहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त 20.00 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। यह दर्शाता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और पहुँच बढ़ाने में प्रभावी

मानते हैं। जननी सुरक्षा योजना, मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, आंगनवाड़ी सेवाएँ तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि के माध्यम से महिलाओं को प्रसव पूर्व एवं प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सेवाएँ, टीकाकरण, पोषण सहायता तथा स्वास्थ्य परामर्श जैसी सुविधाएँ अधिक सुलभ हुई हैं। परिणामस्वरूप मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में वृद्धि हुई है। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं ने इसको पर्याप्त नहीं माना या स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है, फिर भी सकारात्मक मत रखने वालों का प्रतिशत सबसे अधिक है।

सारणी-35: महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या पीएमएवाई के तहत पक्के घर का मालिकाना हक मिलने से महिलाओं का जीवन गरिमापूर्ण हुआ है?	हां	33	50.77
	नहीं	20	30.77
	अनिश्चित	12	18.46
	कुल योग	65	100

सारणी-36: बुनियादी सुविधाओं पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है?	हां	30	46.15
	नहीं	19	29.23
	अनिश्चित	16	24.62
	कुल योग	65	100

उपर्युक्त सारणी–35 एवं सारणी–36 में पीएमएवाई के अंतर्गत महिलाओं को आवासीय स्वामित्व मिलने से उनके जीवन में गरिमा तथा महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय दर्शायी गई है। सारणी–35 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 50.77 प्रतिशत का मत है कि पीएमएवाई के अंतर्गत पक्के घर का स्वामित्व मिलने से महिलाओं का जीवन अधिक गरिमापूर्ण हुआ है। इसके विपरीत 30.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि इस योजना का महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, वहीं 18.46 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि आवासीय स्वामित्व ने महिलाओं के आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा तथा पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। स्वयं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में आवास प्राप्त होने से महिलाओं में स्वामित्व की भावना विकसित हुई है, जिससे उनका सामाजिक दर्जा एवं निर्णय क्षमता भी सुदृढ़ हुई है। यद्यपि कुछ उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया और कुछ ने स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है, फिर भी सकारात्मक मत रखने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक है।

सारणी–36 के अनुसार, कुल उत्तरदाताओं में से 46.15 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 29.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं का महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है, वहीं 24.62 प्रतिशत ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। यह दर्शाता है कि अधिकांश उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे स्वच्छ पेयजल, शौचालय, बिजली, आवास, स्वच्छ ईंधन, स्वास्थ्य सेवाएँ आदि आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने में प्रभावी मानते हैं। इन सुविधाओं के विस्तार से महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा दैनिक कार्यों में सुविधा आई है। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं का मानना है कि इन योजनाओं का लाभ अभी सभी पात्र महिलाओं तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है, जबकि कुछ उत्तरदाता इस विषय में निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके हैं।

5. परिणाम एवं परिचर्चा : प्रस्तुत शोध अध्ययन में चित्रकूट जिले के विभिन्न विकास खंडों से कुल 65 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण में शामिल किया गया है। उत्तरदाताओं के नमूने में ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया है, जो कम से कम 3 अथवा 3 से अधिक योजनाओं की लाभार्थी हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में ग्रामीण महिलाओं, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के उत्तरदाताओं और हिन्दू समुदाय का प्रतिनिधित्व अधिक है। अधिकांश लाभार्थी प्राथमिक शिक्षित अथवा अशिक्षित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ मुख्यतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत कमजोर और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं तक पहुँच रही हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि योजनाएँ वंचित वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में सार्थक भूमिका निभा रही हैं।

अध्ययन (सारणी–3 एवं सारणी–4) से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं का महिलाओं के आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जहाँ लगभग 49.23 प्रतिशत महिलाओं ने आय में वृद्धि की पुष्टि की, वहीं 60.00 प्रतिशत महिलाओं ने स्वयं को आर्थिक रूप से सशक्त महसूस किया। इससे यह कहा जा सकता है कि योजनाओं ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी, कुछ महिलाओं तक इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं पहुँच पाया है। इसलिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, जागरूकता बढ़ाने तथा पात्र महिलाओं तक लाभ पहुँचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यह इस उद्देश्य की पुष्टि करता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सारणी–5 एवं सारणी–6 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में सकारात्मक भूमिका निभाई है। जहाँ 47.69 प्रतिशत महिलाओं ने परिवार के आर्थिक निर्णयों में अपनी भागीदारी बढ़ने की पुष्टि की, वहीं 52.31 प्रतिशत महिलाओं ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अपने कौशल में वृद्धि का अनुभव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं प्रदान कर रही हैं, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की क्षमता, आत्मनिर्भरता तथा कौशल विकास के माध्यम से सशक्त भी बना रही हैं। फिर भी, जिन महिलाओं तक इन योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव नहीं पहुँच पाया है, उनके लिए योजनाओं की पहुँच, प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

सारणी–7 एवं सारणी–8 से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के आत्मनिर्भरता विकास एवं गरीबी निवारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ 46.15 प्रतिशत महिलाओं ने आत्मनिर्भरता में वृद्धि की पुष्टि की, वहीं 56.92 प्रतिशत महिलाओं ने माना कि योजनाओं से उन्हें गरीबी कम करने में सहायता मिली। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। फिर भी, सभी पात्र महिलाओं तक योजनाओं का समान लाभ सुनिश्चित करने, जागरूकता बढ़ाने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं का समग्र सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण सुदृढ़ हो सके।

सारणी–9 एवं सारणी–10 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के वित्तीय समावेशन तथा आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ 47.69 प्रतिशत महिलाओं ने औपचारिक वित्तीय प्रणाली पर अपने विश्वास में वृद्धि की पुष्टि की, वहीं 55.38 प्रतिशत महिलाओं ने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सरकारी सहायता के कारण अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार अनुभव किया। इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, वित्तीय संस्थाओं से जोड़ने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। तथापि, जिन महिलाओं तक योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं पहुँच पाया है, उनके लिए वित्तीय साक्षरता, जागरूकता कार्यक्रमों, योजनाओं की पारदर्शिता तथा प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण अधिक व्यापक, समावेशी एवं स्थायी रूप से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सारणी–11 एवं सारणी–12 से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के रोजगार सृजन तथा सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ 52.31 प्रतिशत महिलाओं ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की पुष्टि की, वहीं 56.92 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा में सुधार का अनुभव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें रोजगार, स्वरोजगार, वित्तीय स्थिरता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर उनके समग्र सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। तथापि, पात्र महिलाओं तक योजनाओं का समान एवं प्रभावी लाभ पहुँचाने, जागरूकता बढ़ाने, कौशल प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने और तथा योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं का सतत एवं समावेशी आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

सारणी–13 एवं सारणी–14 से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं, विशेषकर प्रधानमंत्री जन–धन योजना एवं अन्य वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों ने महिलाओं की वित्तीय निर्णयों में भागीदारी तथा बैंकिंग सेवाओं के उपयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ 46.15 प्रतिशत महिलाओं ने परिवार के वित्तीय निर्णयों में अपनी भूमिका बढ़ने की पुष्टि की, वहीं 50.77 प्रतिशत महिलाओं ने बैंकिंग सेवाओं के उपयोग में वृद्धि का अनुभव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़कर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता तथा वित्तीय सशक्तिकरण को सुदृढ़ कर रही हैं। तथापि, सभी महिलाओं तक योजनाओं का प्रभावी लाभ पहुँचाने के लिए वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, बैंकिंग सेवाओं की पहुँच का विस्तार करना तथा योजनाओं के प्रति जागरूकता में वृद्धि करना आवश्यक है। इससे महिलाओं का समावेशी एवं सतत आर्थिक सशक्तिकरण अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सारणी–15 एवं सारणी–16 से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं में औपचारिक बचत की आदत विकसित करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ 56.92 प्रतिशत महिलाओं ने जन–धन खाते के माध्यम से नियमित बचत की आदत में सुधार की पुष्टि की, वहीं 53.85 प्रतिशत महिलाओं ने सरकारी योजनाओं के कारण वित्तीय मुख्यधारा से जुड़ने का अनुभव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, बचत, ऋण, बीमा और अन्य वित्तीय सुविधाओं से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण को सुदृढ़ कर रही हैं। फिर भी, जिन महिलाओं तक इन योजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं पहुँच पाया है, उनके लिए वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता, जागरूकता कार्यक्रमों तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, जिससे महिलाओं का समावेशी, स्थायी एवं व्यापक आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

सारणी–17 एवं सारणी–18 से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के उपभोग स्तर, बचत की प्रवृत्ति तथा बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं से जुड़ाव को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ 58.46 प्रतिशत महिलाओं ने अपने उपभोग स्तर में सुधार की पुष्टि की, वहीं 49.23 प्रतिशत महिलाओं ने बचत एवं बीमा में वृद्धि का अनुभव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं की आय, वित्तीय सुरक्षा तथा जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने के साथ–साथ उन्हें भविष्य के आर्थिक जोखिमों से निपटने के लिए भी सक्षम बना रही हैं। तथापि, सभी पात्र महिलाओं तक योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुँचाने के लिए वित्तीय एवं बीमा संबंधी जागरूकता बढ़ाना, योजनाओं की पहुँच का विस्तार करना तथा उनके प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इससे महिलाओं का समग्र आर्थिक सशक्तिकरण अधिक प्रभावी एवं स्थायी रूप से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सारणी–19 एवं सारणी–20 से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की वित्तीय समझ, बाजार तक पहुँच तथा अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ 44.62 प्रतिशत महिलाओं ने वित्तीय समझ एवं बाजार पहुँच में वृद्धि की पुष्टि की, वहीं 47.69 प्रतिशत महिलाओं ने अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी का अनुभव किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़कर, वित्तीय साक्षरता बढ़ाकर तथा सुलभ ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत बना रही हैं। फिर भी, अधिकाधिक पात्र महिलाओं तक योजनाओं का समान एवं प्रभावी लाभ पहुँचाने के लिए वित्तीय जागरूकता, बाजार संपर्क, संस्थागत ऋण की उपलब्धता तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इससे महिलाओं का समावेशी, आत्मनिर्भर एवं सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

सारणी–21 एवं सारणी–22 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के परिवार एवं समाज में सम्मान और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ाने में सकारात्मक योगदान दिया है। क्रमशः 46.15 प्रतिशत और 50.77 प्रतिशत महिलाओं ने इन योजनाओं के अनुकूल प्रभाव को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने, उनके आत्मसम्मान एवं सामाजिक पहचान को बढ़ाने तथा समाज में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं की असहमति एवं अनिश्चितता यह संकेत देती है कि योजनाओं के प्रभाव को व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता, क्रियान्वयन तथा लाभों की पहुँच में सुधार की आवश्यकता है।

सारणी–23 एवं सारणी–24 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का महिलाओं के जीवन स्तर तथा सामाजिक सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्रमशः 49.23 प्रतिशत तथा 47.69 प्रतिशत महिलाओं ने योजनाओं के अनुकूल प्रभाव को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फिर भी, असहमति और अनिश्चितता व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं की संख्या यह संकेत देती है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन, जागरूकता तथा लाभों की पहुँच को मजबूत करने की आवश्यकता है।

सारणी–25 एवं सारणी–26 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। 43.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि योजनाओं से महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव में कमी आई है, जबकि 52.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार घरेलू निर्णयों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं में समानता, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता तथा सामाजिक सम्मान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हालांकि कुछ उत्तरदाताओं की असहमति एवं अनिश्चितता यह दर्शाती है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक जागरूकता, लैंगिक संवेदनशीलता तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सारणी–27 एवं सारणी–28 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 53.85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार और 46.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं के समग्र सामाजिक विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा, आत्मसम्मान तथा समाज में उनकी गरिमापूर्ण स्थिति को सुदृढ़ करने में प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। तथापि, असहमति एवं अनिश्चितता व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं की उपस्थिति यह संकेत देती है कि योजनाओं की पहुँच, प्रभावी क्रियान्वयन तथा जन–जागरूकता को अधिक सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक पात्र महिला तक समान रूप से पहुँच सके।

सारणी–29 एवं सारणी–30 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की डिजिटल साक्षरता और सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 44.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने डिजिटल साक्षरता में वृद्धि तथा 47.69 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की बढ़ी हुई भागीदारी को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने, उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और सामाजिक जीवन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फिर भी, असहमति एवं अनिश्चितता व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं की उपस्थिति यह संकेत देती है कि योजनाओं की पहुँच, डिजिटल प्रशिक्षण, जन–जागरूकता तथा प्रभावी क्रियान्वयन को अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक पात्र महिला इन योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके।

सारणी–31 एवं सारणी–32 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की आत्मनिर्भरता, सामाजिक गतिशीलता तथा व्यवहार एवं सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सार्थक भूमिका निभाई है। 49.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिलाओं की सामाजिक गतिशीलता एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि और 52.31 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यवहार एवं पारंपरिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं को केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि सामाजिक एवं मानसिक रूप से भी सशक्त बना रही हैं। फिर भी, असहमति एवं अनिश्चितता व्यक्त करने वाले उत्तरदाताओं की उपस्थिति यह संकेत देती है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं स्थायी बनाने के लिए जागरूकता, प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामाजिक दृष्टिकोण में निरंतर सुधार की आवश्यकता है।

सारणी–33 एवं सारणी–34 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 46.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निर्णय निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने तथा 55.38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच को स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण, नेतृत्व क्षमता, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा परिवार के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। तथापि, असहमति और अनिश्चितता वाले उत्तरदाताओं की उपस्थिति यह संकेत देती है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं समावेशी बनाने के लिए जागरूकता, सेवाओं की गुणवत्ता, प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं की पहुँच को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

सारणी–35 एवं सारणी–36 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 50.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से महिलाओं के जीवन में गरिमा एवं सम्मान बढ़ने की पुष्टि की, जबकि 46.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महिलाओं के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि को स्वीकार किया। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएँ महिलाओं के जीवन स्तर, सामाजिक सुरक्षा, आत्मसम्मान और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। तथापि, असहमति एवं अनिश्चितता वाले उत्तरदाताओं की उपस्थिति यह संकेत देती है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं समावेशी बनाने के लिए उनके प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जागरूकता और लाभों की समान पहुँच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चित्रकूट जिले में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अध्ययन के दौरान प्राप्त आँकड़ों से यह ज्ञात हुआ कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने सरकारी योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। आर्थिक दृष्टि से स्वयं सहायता समूहों, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अन्य रोजगारपरक योजनाओं ने महिलाओं की आय में वृद्धि, बचत की प्रवृत्ति, स्वरोजगार के अवसर एवं

आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। महिलाओं की बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच, वित्तीय निर्णयों में भागीदारी तथा आर्थिक सुरक्षा में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।

सामाजिक दृष्टि से अध्ययन में पाया गया कि सरकारी योजनाओं के कारण महिलाओं के परिवार एवं समाज में सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, निर्णय निर्माण में भागीदारी, सामाजिक गतिशीलता तथा सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता में वृद्धि हुई है। महिलाओं की डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी जागरूकता, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासीय स्वामित्व मिलने से महिलाओं के आत्मसम्मान एवं गरिमापूर्ण जीवन में भी वृद्धि हुई है। इस तरह चित्रकूट जिले में संचालित सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मातृ एवं बाल कल्याण जैसी योजनाएं महिलाओं के जीवन स्तर, आत्मविश्वास और निर्णय–निर्माण क्षमता में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

यद्यपि अधिकांश उत्तरदाताओं ने योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। इसके बावजूद उल्लेखनीय संख्या में असहमति या अनिश्चितता की अभिव्यक्ति से स्पष्ट होता है कि योजनाओं का लाभ सभी पात्र महिलाओं तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। जागरूकता की कमी, शिक्षा का निम्न स्तर, प्रशासनिक जटिलताएँ, डिजिटल संसाधनों का सीमित उपयोग, सामाजिक बाधाएँ, क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ और सामाजिक रूढ़ियाँ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख बाधाएँ हैं। इन बाधाओं और योजनाओं में निहित कमियों को दूर कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से चित्रकूट जिले में महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

इसके लिए आवश्यक है कि सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए, ताकि प्रत्येक पात्र महिला को योजनाओं की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। ग्राम स्तर पर नियमित जागरूकता शिविर एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे महिलाओं में अधिकारों एवं योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़े। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार किया जाए, जिससे महिलाएँ ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान तथा सरकारी पोर्टलों का प्रभावी उपयोग कर सकें। जिले के स्वयं सहायता समूहों को तकनीकी, वित्तीय एवं विपणन सहायता प्रदान कर उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने की भी आवश्यकता है।

महिलाओं के लिए कौशल विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण को स्थानीय आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप विकसित किया जाए। बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं तक महिलाओं की सरल एवं शीघ्र पहुँच सुनिश्चित की जाए तथा ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सरल बनाया जाए। स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करते हुए दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाई जाए। महिलाओं को बाजार, ई–कॉमर्स एवं उद्यमिता से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण एवं विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाए। सरकारी योजनाओं के नियमित मूल्यांकन एवं सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि योजनाओं के वास्तविक लाभार्थियों तक लाभ पहुँच सके। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, इसलिए सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्थानीय समुदाय के बीच समन्वय बढ़ाकर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाए।

जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए दोतरफा प्रयासों की आवश्यकता है, जैसे कि एक ओर ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं उद्यमिता के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन पर बल दिया जाना चाहिए अर्थात महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं रोजगार से संबंधित योजनाओं को एकीकृत दृष्टिकोण से लागू किया जाए, जिससे समग्र सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। पंचायत स्तर पर महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। लैंगिक समानता एवं महिला अधिकारों से संबंधित जन–जागरूकता अभियान चलाकर सामाजिक रूढ़ियों एवं भेदभाव को कम करने का प्रयास किया जा सकता है।

चित्रकूट भौगोलिक रूप से पठारी और आर्थिक रूप से आकांक्षी जिला होने के कारण सरकारी योजनाओं को महिला सशक्तिकरण का केवल कल्याणकारी उपक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का बड़ा जरिया बनाना चाहिए। चित्रकूट जिले में सरकारी योजनाओं के प्रति धारणा को महज 'लाभार्थी को लाभांवित' से बदलकर 'महिलाओं को परिवर्तन की एजेंट' बनाने की दिशा में मजबूत नींव रखनी चाहिए। जब एक महिला आर्थिक रूप से सक्षम बनती है तो उसे अपने अधिकारों अथवा सक्षमता का ज्ञान होता है, जिससे अंततः उसका परिवार गरीबी और सामाजिक पिछड़ेपन से बाहर निकलता है।

कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि चित्रकूट जिले में सरकारी योजनाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। इन योजनाओं ने महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य,

शिक्षा, निर्णय क्षमता तथा जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये योजनाएं जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी सिद्ध हुई हैं, किन्तु इनके अधिक व्यापक, समावेशी एवं स्थायी प्रभाव के लिए योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी एवं जन–जागरूकता को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध निगरानी, व्यापक जन–जागरूकता और सभी पात्र महिलाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित की जाए, तो भविष्य में ये योजनाएँ महिलाओं के समग्र एवं सतत् सशक्तिकरण के लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होंगी। यह अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि सरकारी योजनाएँ केवल कल्याणकारी कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन एवं समावेशी विकास का सशक्त माध्यम हैं।

स्रोत एवं संदर्भः

1. पांडे, अर्चना एवं शुक्ला, एम.एस. (2026)। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और ग्रामीण महिला आर्थिक सशक्तिकरणरू साहित्य की एक आलोचनात्मक समीक्षा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च (आईजेएमआर), 12(4), अप्रैल–2026। https://doi.org/10.36713/epra27299
2. कुमार, वैभव एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। चित्रकूट जिले में ग्रामीण मजदूरों के जीवन पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 20–34। https://doi.org/10.5281/zenodo.21424970
3. कुमार, प्रतीक एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 40–51। https://doi.org/10.5281/zenodo.21425148
4. लखन, राम एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में फिनटेक की भूमिका का अध्ययन (चित्रकूट जिले के विशेष संदर्भ में)। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वाल्यूम–1, अंक–1, जुलाई–सितंबर 2025, पृष्ठ 36–46। https://doi.org/10.5281/zenodo.21316892
5. शर्मा, पी. एवं वर्मा, आर. (2022)। बुंदेलखंड में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिकारू चित्रकूट जिले का एक विशेष अध्ययन। भारतीय सामाजिक शोध पत्रिका, 14(2), 45–58।
6. द्विवेदी, एम. (2021)। बुंदेलखंड की ग्रामीण महिलाएँ और स्थानीय स्वशासनः चित्रकूट क्षेत्र का समाजशास्त्रीय विश्लेषण (अप्रकाशित शोध–प्रबंध)। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. Pawni, & Kumar, D. (2025). Barriers to education and skill development among rural women in Chitrakoot (UP): An empirical study. International Journal for Multidisciplinary Research, 7(4), 1–9. https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i04.53771
8. Tripathi, S. (2025). Barriers to education and skill development among rural women in Chitrakoot (UP): An empirical study. International Journal for Multidisciplinary Research, 7(4), 1–9.
9. Lall, A., & Sharma, R. (2023). An assessment of parity in higher education in Bundelkhand region of Uttar Pradesh. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 10(5), 234–241.
10. Yadav, P., & Singh, V. (2021). Impact of self-help groups (SHGs) on rural women empowerment in Chitrakoot district of Uttar Pradesh. Indian Journal of Social Work, 82(3), 311–326.
11. International Institute for Population Sciences (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21: International Institute for Population Sciences (IIPS) & Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.
12. NITI Aayog (2021). National Multidimensional Poverty Index: Baseline report based on NFHS-4 (2015–16). Government of India.
13. Thakur, D. J., & Sharma, D. (2020). The Upliftment in Status of Women Empowerment in 20th century: A study of Bundelkhand Region, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, India. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 1575–1586. https://doi.org/10.61841/dsb7c265
14. Padmaja, R., Kavitha, K., Pramanik, S., Duche, V. D., Singh, Y. U., Whitbread, A. M., Singh, R., Garg, K. K., & Leder, S. (2020). Gender Transformative Impacts from watershed interventions: Insights from a mixed-methods study in the Bundelkhand region of India. Transactions of the ASABE, 63(1), 153–163.
15. Srivastava, S., & Mishra, A. K. (2019). Socio-Economic Conditions and Status of Rural Women in Bundelkhand: Issues and challenges. Journal of Rural Development, 38(2), 145–160.
16. Gupta, S., & Singh, S. (2019). Status of women empowerment in agriculture: A reality of Bundelkhand region of Uttar Pradesh. Indian Journal of Extension Education, 55(3), 42–48.
17. Singh, A. P., & Bhatt, S. (2018). Status of women in Bundelkhand: A social work perspective. Journal of Social Welfare and Management, 10(2), 145–152.

18. Centre for Women's Development Studies (2019). Gender dynamics and rural governance in drought-prone regions of Uttar Pradesh. CWDS Publications.
19. National Commission for Women. (2018). Socio-economic impact of drought on women in Bundelkhand region: A field report. Government of India.
20. Singh, R. K. (2014). Women Empowerment and Panchayati Raj: A study of women representatives in Bundelkhand region of Uttar Pradesh. Indian Social Institute.
21. Narula, M. (2009). Education, Gender, Access and Participation to Elementary Education in Bundelkhand region of U.P. National University of Educational Planning and Administration (NUEPA).
22. Kumar, N. P. (2008). Trends and Determinants of Female Work Participation in Uttar Pradesh (Working Paper No. 192). Giri Institute of Development Studies.
23. Nagar, R. (2000). Mujhe Jawab Do! (Answer me!): Women's grass-roots activism and social spaces in Chitrakoot (India). Gender, Place & Culture, 7(4), 341–362. https://doi.org/10.1080/713668879

=====

आलेख उद्धरित करें :	मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह एवं यादव, अमित कुमार (2026)। चित्रकूट जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–2, अप्रैल–जून, 2026, पृष्ठ 01–23। https://doi.org/10.5281/zenodo.21787217

Bundelkhand Journal of Academic Research

विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्यों का अवलोकन

बृजेश कुमार पाल[1], धर्मकीर्ति कुशवाहा[2],

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (हिन्दी),** डॉ. बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।
2. **शोधार्थिनी (राजनीति विज्ञान),** गायत्री शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (जीएसपीएस), अतर्रा, बांदा, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** brijeshjaishree@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21787366

सारांश

किसी राष्ट्र का निर्माण केवल पत्थरों, पुलों और इमारतों से नहीं, बल्कि नागरिकों के चरित्र और आचरण से होता है। यदि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है, तो 'कर्तव्य बोध' को शिक्षा प्रणाली और जन–जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब हर नागरिक अपने कर्तव्य को राष्ट्र निर्माण का योगदान समझेगा, तभी विकसित भारत का सपना साकार होगा। किसी सभ्य एवं समृद्ध राष्ट्र की पहचान उसके सशक्त नागरिकों से होती है। नागरिक सशक्तिकरण का आधार अधिकारों की जागरूकता और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा है जो कि किसी भी देश के विकसित होने की अनिवार्य शर्त है। भारत एक ऐसी भूमि रही है जहां धर्म की व्याख्या व्यापक परिप्रेक्ष्य में की गई है। मातृ धर्म, पितृ धर्म, राष्ट्र धर्म किसी देश के नागरिक कर्तव्यों के लिए महत्वपूर्ण आदर्श है। नागरिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद भाग–4क के अनुच्छेद–51ए में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों तक ही सीमित नहीं है, वरन हम सब भारतीयों के लिए सामाजिक एवं नैतिक दायित्व के रूप में इन्हें देखा जाना चाहिए। प्रस्तुत शोध पत्र में हम यह पड़ताल करेंगे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मोर्चे पर नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता विकसित भारत के लक्ष्य में किस तरह योगदान दे सकती है। साथ ही यह भी खोजने का प्रयास किया जाएगा की नागरिक कर्तव्यों में कौन से तत्व बाधक हैं और उन्हें दूर करके समस्त भारतीय नागरिकों में सामूहिक एकता का भाव किस तरह पैदा किया जा सकता है। इसलिए यह शोध पत्र विकसित भारत के लक्ष्य के लिए नागरिक कर्तव्य के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं, नागरिक संगठनों तथा विभिन्न राष्ट निर्माण संस्थाओं के प्रयासों पर केंद्रित है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 14 अप्रैल, 2026 **स्वीकृत:** 28 अप्रैल, 2026 **प्रकाशित:** 30 जून, 2026

सारणी: 03 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 10

मुख्य शब्द: नागरिक कर्तव्य, विकसित भारत, एकता, सामाजिक न्याय, मूल अधिकार।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि :

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।।

ईशावास्य उपनिषद के इस दूसरे मंत्र से लेकर के आज की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था तक अनवरत एक मनुष्य के रूप में हमारे कर्तव्यों को महत्व दिया जाता रहा है। प्राचीन भारत में नागरिक कर्तव्यों की अवधारणा को आधुनिक 'अधिकार–केंद्रित' दृष्टिकोण की तुलना में 'कर्तव्य–केंद्रित' संरचना के रूप में देखा जाता है। प्राचीन भारतीय समाज में नागरिकों के कर्तव्य केवल कानून तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे नैतिक जीवन, सामाजिक समरसता और धार्मिक दर्शन का अभिन्न अंग थे। प्राचीन भारत में नागरिक कर्तव्य 'धर्म' की व्यापक अवधारणा पर आधारित थे। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पद्धति नहीं, बल्कि 'सदाचार, नैतिक दायित्व और कर्तव्य' था। ये ऐसे कर्तव्य थे जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य थे जैसे सत्य, अहिंसा, दया, दान, पवित्रता, जीवों के प्रति करुणा आदि। कौटिल्य (चाणक्य) द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राज्य के प्रति नागरिकों के व्यावहारिक और कानूनी कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। नागरिकों का मुख्य कर्तव्य था कि वे अपनी उपज या व्यापार का उचित भाग टैक्स के रूप में राज्य को दें, जिससे सुरक्षा और लोक कल्याणकारी कार्य हो सकें। पुलों, सड़कों, जलाशयों और वनों को नुकसान न पहुँचाना प्रत्येक नागरिक का

दायित्व था। राज्य के विरुद्ध होने वाले अपराधों या देशद्रोह की सूचना प्रशासन को देना नागरिक कर्तव्य माना जाता था।

धर्मशास्त्र और मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए असहायों, भिक्षुओं और अतिथियों की सहायता करना प्रत्येक गृहस्थ का अनिवार्य कर्तव्य था। माता–पिता, वृद्धों और बच्चों का भरण–पोषण करना कानून और धर्म दोनों के तहत अनिवार्य था। वैशाली के लिच्छवि, शाक्य, और यौधेय जैसे प्राचीन भारतीय गणराज्यों (गणसंघों) में नागरिकों के नागरिक दायित्व बहुत सक्रिय थे। अधिकांश गणराज्यों के पास स्थायी विशाल सेना नहीं होती थी। आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक सक्षम नागरिक को अस्त्र–शस्त्र उठाकर राज्य की रक्षा करनी होती थी। गणसंघों के नागरिकों की सभाओं में उपस्थिति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेना उनका नागरिक कर्तव्य था।

इस तरह भारतीय जीवन पद्धति में 'अधिकार' से अधिक 'कर्तव्य' को प्रधानता दी गई है। भारतीय जीवन पद्धति में नागरिक कर्तव्यों से तात्पर्य केवल संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद–51ए, में उल्लिखित कर्तव्यों से नहीं है वरन कहीं अधिक विस्तृत है जो धर्म शास्त्रों से विकसित और स्वस्थ परंपराओं से पोषित है। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋण की अवधारणा बताई गई है जोकि कर्तव्यों से मेल खाती है (तैत्तिरीय संहिताः6.3.10.5)। भारत में कर्तव्य की अवधारणा 'ऋण' (पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण) की उस अवधारणा से प्रेरित हैं, जो व्यक्ति को समाज और प्रकृति के प्रति उत्तरदायी बनाती है। ऋग्वेद से लेकर भगवद्गीता तक, 'कर्मण्येवाधिकारस्ते' का सिद्धांत फल की इच्छा के बिना कर्तव्य पालन पर जोर देता है। हम नागरिक कर्तव्यों की दृष्टि से यदि किसी देश को विकसित बनाने का लक्ष्य तय करते हैं तो सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी विकसित देश का पैमाना क्या हो? किसी विकसित देश के मानक क्या हों, इसे एक निश्चित तथ्य के रूप में बता पाना संभव नहीं, क्योंकि विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। क्या केवल तकनीक और आर्थिक समृद्धि से कोई देश विकसित देश कहा जा सकता है? ऐसा ज्ञान–विज्ञान जो मानवता का रक्षक न हो, केवल उपभोग संस्कृति की उपज मात्र हो सकता है। विज्ञान–तकनीक के लाभ किसान, श्रमिक जैसे वर्गों तथा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक अगर नहीं पहुंचते तो कोई देश कैसे विकसित हो सकता है। भारत सरकार का विजन सबका साथ सबका विकास है। ऐसे में सबके प्रयासों से ही भारत को विकसित देश बनाया जा सकता है। अतः सभी को अपने कर्तव्य के प्रति अत्यधिक जागरूक रहने की आवश्यकता है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नागरिक कर्तव्य जागरूकता कार्यक्रम (2020), शैक्षिक पाठ्यक्रमों में कर्तव्यों का एकीकरण, संविधान दिवस समारोहों और मीडिया प्रसारणों द्वारा प्रसार करने जैसी पहलों के साथ–साथ कानूनी, शैक्षिक और सार्वजनिक पहल की गई हैं। ये प्रयास इस बात को स्वीकार करते हैं कि लोकतंत्र तभी सही मायने में पनप सकता है जब नागरिक अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों, दोनों पर अमल करें।

1.1. अध्ययन की आवश्यकताः विकसित भारत (समृद्ध, स्वावलंबी और सशक्त भारत) का सपना केवल सरकार की नीतियों, बड़ी–बड़ी योजनाओं या आर्थिक घोषणाओं से पूरा नहीं हो सकता। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति उसके नागरिकों के व्यवहार, सोच और प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्यों के अध्ययन और उनके पालन की अत्यंत आवश्यकता है।

1.2. अध्ययन के उद्देश्यः विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्यों के अध्ययन का उद्देश्य 'उत्कृष्ट नागरिक' तैयार करना है। जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होता है, तभी एक अनुशासित, सुरक्षित और सशक्त 'विकसित भारत' का निर्माण संभव हो पाता है। नागरिक कर्तव्यों का अवलोकन करने और उनका गहराई से अध्ययन करने के पीछे केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि एक जागरूक, अनुशासित और सशक्त समाज का निर्माण करना होता है।

2. विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्य : लोकतंत्र में हम अक्सर अपने 'अधिकारों' के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन 'कर्तव्यों' को भूल जाते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकारों की मांग समाज में अराजकता और स्वार्थ को जन्म देती है। जब नागरिक अपने कर्तव्यों को समझते हैं, तभी समाज में अधिकारों का वास्तविक संरक्षण संभव हो पाता है। केवल मतदान करने तक नागरिक की भूमिका सीमित नहीं होती। नागरिक कर्तव्यों का अध्ययन व्यक्ति को एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाता है, जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करता है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, वायु) को संरक्षित करता है। कानून और व्यवस्था का सम्मान करता है। इसलिए विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्यों की निम्नांकित भूमिकाओं को देखने का प्रयास कर रहे हैं।

2.1. विकसित भारत की रूपरेखा में सांस्कृतिक मूल्यः प्राचीनकाल से ही भारतीय मनीषा, ज्ञान विज्ञान, दर्शन प्रकृति और सापेक्ष और मानवतावादी रही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे पुरुषार्थ के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अपने कर्तव्य और जीवन लक्ष्य सुनिश्चित थे परन्तु आज के भारत का स्वरूप अलग है। आज भारत वैश्विक विचारों और जीवन

पद्धति से प्रभावित है। स्वाभाविक है कि विश्व की विकास धारा से विच्छिन्न होकर नहीं रहा जा सकता, लेकिन क्या विकसित भारत का मॉडल अमेरिका, यूरोप या देशों जैसा हो या भारतीय संस्कृति के अनुरूप विकसित भारत का कोई अपना मॉडल खींचा जा सकता है। प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता के अनुसार जरूरतें अलग–अलग होती हैं। इसलिए प्रत्येक देश के विकास का मॉडल अलग–अलग होता है। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता तथा समावेशी जीवन मूल्यों को लेकर चलती रही है। प्रत्येक देश का विकास उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भौगोलिक परिस्थितियों से तय होता है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण विशेषता रही है। भारत के विकास का मॉडल 'एकरूपता' पर नहीं, बल्कि 'एकता' पर आधारित है। समावेशी जीवन मूल्य यहां की पहचान है। जहाँ पश्चिमी मॉडल अक्सर व्यक्तिवाद पर केंद्रित होता है, वहीं भारतीय मॉडल 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'सर्वे भवंतु सुखिनः' की भावना से प्रेरित है। संस्कृति–आधारित प्रगति विकसित भारत के लक्ष्य का केंद्रीय तत्व होना चाहिए। भारत को एक ऐसा विकसित राष्ट्र बनना है जहाँ स्मार्ट शहरों के साथ–साथ जीवंत और आत्मनिर्भर गाँव (ग्राम स्वराज) भी हों। हमारी विविधता ही हमारी वह शक्ति है जो नवाचार को जन्म देती है।

2.2. नागरिक कर्तव्यों के विभिन्न आयामों का महत्वः राष्ट्रवाद की भावना और अखंडता का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य है। अनुच्छेद–51ए, के तहत देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जब नागरिक जाति, धर्म और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं, तभी निवेश और विकास के लिए स्थिर वातावरण बनता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार नागरिक कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अनुच्छेद–51ए (एच) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना के विकास पर जोर देता है। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनना होगा। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे अंधविश्वासों को त्यागकर तार्किक सोच अपनाएं और अनुसंधान (आरएंडडी) में योगदान दें। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की अवधारणा आज सर्वाधिक प्रासंगिक अधारणा है। विकसित भारत का अर्थ केवल कंक्रीट के निर्माण नहीं, बल्कि एक हरित राष्ट्र है। वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों की रक्षा करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। जलवायु परिवर्तन के दौर में नागरिकों द्वारा जीवनशैली में बदलाव ही भविष्य की पीढ़ी के लिए संसाधनों को सुरक्षित रख सकता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा भारतीय नागरिक का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकारी संपत्ति को देश के धरोहर मानते हुए प्रत्येक नागरिक को उसके सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए। अक्सर विरोध प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है। यह विकसित राष्ट्र की मानसिकता के विपरीत है। सार्वजनिक संपत्ति (सड़कें, ट्रेन, स्मारक) नागरिकों के कर के पैसे से बनी है। इसकी रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना एक सभ्य समाज की पहचान है। हमारे देश में नागरिक कर्तव्यों के माध्यम से संरचनात्मक परिवर्तन के अनेक सफल उदाहरण देखे जा सकते है। जो भारत के नागरिकों के भविष्य के लिए पथ प्रदर्शक का काम करते है। विकसित भारत का लक्ष्य केवल राजकीय घोषणाओं से नहीं, बल्कि समाज के 'सामूहिक व्यवहार परिवर्तन' से ही संभव है। स्वच्छ भारत अभियान और पोलियो टीकाकरण की सफलता इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब सरकारी नीतियां नागरिकों के स्वतः स्फूर्त कर्तव्यों से जुड़ती हैं, तभी वे राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेती हैं। इसी क्रम में डिजिटल इंडिया का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ करोड़ों नागरिकों ने वित्तीय पारदर्शिता को अपना कर्तव्य मानकर यूपीआइ और डिजिटल भुगतान को वैश्विक स्तर पर सफल बनाया। साथ ही, महाराष्ट्र के हिवरे बाजार जैसे गाँवों में जल संरक्षण के लिए किया गया 'श्रमदान' और कोविड–19 के दौरान नागरिकों द्वारा निभाई गई स्वैच्छिक सहायता की भावना यह स्पष्ट करती है कि सरकारी तंत्र केवल एक सहायक ढांचा प्रदान कर सकता है, लेकिन उसमें प्राण फूंकने का कार्य नागरिक कर्तव्य ही करते हैं। अतः स्पष्ट है कि नीतियां केवल मार्ग प्रशस्त करती हैं, परंतु राष्ट्र का वास्तविक रूपांतरण तब होता है, जब नागरिक सुविधाओं के उपभोक्ता बनने के बजाय विकास के सक्रिय भागीदार बनते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं संवैधानिक मूल्यों का पालन अपनी जीवनशैली में समाहित कर लेते हैं।

2.3. समावेशी विकास की अवधारणा में नागरिक कर्तव्यों की भूमिकाः समावेशी विकास का अर्थ केवल आर्थिक विकास दर को बढ़ाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति (गरीब, वंचित, महिला, किसान और पिछड़े वर्ग) तक पहुँचे। समावेशी विकास केवल सरकार की नीतियों या बजट आवंटन से संभव नहीं हो सकता। इसके लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–51ए और सामान्य नागरिक चेतना, समावेशी विकास को गति देने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं।

भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक विकास का लाभ सुभेद्य वर्गों तक न पहुंच जाए। दलित, आदिवासी, विमुक्त घुमंतू समुदाय, ट्रांसजेंडर महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित और सशक्त न हों। भारत में लगातार मानव विकास बढ़ रहा है, परंतु अभी भी इसमें सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट, 2025 में भारत मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में लगातार ऊपर चढ़ रहा है और 193 देशों में 130वें स्थान पर है। इस स्तर पर नागरिक कर्तव्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक समरसता

लाने का प्रयास करे। भेदभाव और ऊंचनीच की मानसिकता को दूर कर आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने से ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित की जा सकती है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं तथा किसी वर्ग के सम्मान के विरुद्ध हैं। सबका सम्मान और सद्भाव अनिवार्य नागरिक कर्तव्य होना चाहिए। भारत को वित्तीय समावेशन, जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ अंतरण अत्यधिक तीव्र और समावेशी बनाया जाए। भारत के प्रधानमंत्री का कहना है कि "आर्थिक विकास को केवल कुछ शहरों और कुछ नागरिकों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। विकास सर्वांगीण और समावेशी होना चाहिए।"

क्षेत्र	नागरिक कर्तव्य	समावेशी विकास पर प्रभाव
शिक्षा व कौशल	बच्चों को स्कूल भेजना व कौशल विकास	गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि
सामाजिक	महिलाओं का सम्मान और भाईचारा	जेंडर समानता और सामाजिक न्याय
आर्थिक	कर अनुपालन और सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षा	कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता
पर्यावरण	जल, जंगल और स्वच्छता का ध्यान रखना	जलवायु परिवर्तन से गरीबों की सुरक्षा
सदाचार	ईमानदारी, सार्वजनिक स्वच्छता	भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी समाज

यदि 'अधिकार' नागरिकों को सशक्त बनाते हैं, तो 'कर्तव्य' एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ उन अधिकारों का लाभ समाज का हर व्यक्ति उठा सके। समावेशी विकास केवल 'सरकार का काम' नहीं है, बल्कि यह 'नागरिकों की साझा जिम्मेदारी' है। जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो विकास की प्रक्रिया 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' के राष्ट्रीय लक्ष्य को सही अर्थों में प्राप्त करती है।

2.4. विज्ञान, तकनीक का विकास में नागरिक कर्तव्यों की भूमिका: विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति केवल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं या सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी देश में तकनीकी और वैज्ञानिक क्रांति तभी सफल और टिकाऊ हो सकती है जब नागरिक अपने कर्तव्यों को समझें और निभाएं। नागरिक केवल तकनीक के 'उपभोक्ता' नहीं हैं, बल्कि वे इसके 'संवर्धक और रक्षक' भी हैं।

धर्म और शास्त्र जहां एक तरफ व्यक्ति को स्वस्थ जीवन पद्धति जीने के लिए प्रेरित करते हैं वही अनेक रूढ़ियों और परंपराओं को भी जन्म दे सकते है। अतः आवश्यक है कि भारतीय नागरिकों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो।आज के दौर में विज्ञान और तकनीकी का विकास अनिवार्य हकीकत हैं, लेकिन तकनीक का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि 'अंत्योदय' होना चाहिए। "विकास तब तक अधूरा है, जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक उसका लाभ न पहुंचे।" यदि हाशिए के समाज (दलित, आदिवासी, पिछड़े और गरीब) की जीवन गुणवत्ता को विकास का पैमाना माना जाए, तो भारत के सामने चुनौती बड़ी है। नागरिक कर्तव्य यहाँ यह सुनिश्चित करने में है कि तकनीकी साक्षरता और डिजिटल क्रांति का लाभ केवल शहरी मध्यम वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि एक किसान और मजदूर भी इसका उपयोग अपनी प्रगति के लिए कर सके।

क्षेत्र	नागरिक कर्तव्यों वैज्ञानिक विकास पर प्रभाव
विचार और चिंतन	वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कसंगत सोच और अंधविश्वास से दूरी।
डिजिटल व्यवहार	साइबर सुरक्षा बनाए रखना, डेटा प्राइवेसी का सम्मान, फेक न्यूज न फैलाना।
पर्यावरण	ई-वेस्ट का सही निस्तारण और ईको-फ्रेंडली तकनीकों का प्रयोग।
सामाजिक योगदान	डिजिटल साक्षरता फैलाना और स्वदेशी शोध/स्टार्टअप का समर्थन करना।
शिक्षा	बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कर संपूर्ण साक्षर और कुशल कार्यबल बनाना।

हमारे मौलिक कर्तव्यों में 'वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास' शामिल है। विकसित भारत बनने के लिए देश के नागरिकों में अंधविश्वास से परे हटकर तर्कसंगत, अनुसंधान–आधारित और नवोन्मेषी सोच का होना आवश्यक है। इस तरह विज्ञान और तकनीक समाज को साधन प्रदान करते हैं, लेकिन यह नागरिकों का विवेक और कर्तव्य तय करता है कि वे साधन प्रगति का कारण बनेंगे या पतन का। जब नागरिक जिम्मेदारी से तकनीक का प्रयोग करते हैं और वैज्ञानिक सोच को जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तभी कोई राष्ट्र एक सच्चा 'ज्ञान–आधारित समाज' बन पाता है।

2.5. उपभोक्ता संस्कृति में नागरिक कर्तव्यों की भूमिका: आज के तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण और बाजारीकरण के दौर में, उपभोक्ता संस्कृति हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई है। यह संस्कृति मुख्य रूप से अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग पर जोर देती है। हालांकि, जब उपभोक्ता संस्कृति पर कोई नियंत्रण नहीं होता, तो यह पर्यावरण क्षरण, सामाजिक असमानता और संसाधनों की बर्बादी का कारण बन सकती है। यहीं पर नागरिक कर्तव्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्य हमारी उपभोक्ता आदतों को दिशा देते हैं।

संविधान और नैतिकता, दोनों ही हमें पर्यावरण की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपते हैं। उपभोक्ता संस्कृति अक्सर 'यूज एंड थ्रो' की आदत को बढ़ावा देती है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, यह हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को चुनें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा दें। उपभोक्ता संस्कृति में अक्सर लोग विदेशी और महंगे ब्रांड्स के पीछे भागते हैं, जिससे देश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना एक नागरिक का कर्तव्य है। स्थानीय कारीगरों, किसानों और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देकर हम देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। सस्ती वस्तुओं की चाह में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि उन उत्पादों को कैसे बनाया गया है। कई बार इनके पीछे बाल श्रम, मजदूरों का शोषण या जानवरों पर क्रूरता शामिल होती है। जबकि मानवाधिकारों का सम्मान करना एक अहम नागरिक कर्तव्य है। हमें उन ब्रांड्स या कंपनियों का बहिष्कार करना चाहिए जो अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें चुनना चाहिए जो फेयर ट्रेड और श्रम कानूनों का पालन करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून हमें कई अधिकार देते हैं (जैसे सही जानकारी, गुणवत्ता की गारंटी), लेकिन इसके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हैं। उदाहरण के लिए, बिल मांगना ताकि करों की चोरी न हो, कालाबाजारी को बढ़ावा न देना और झूठे विज्ञापनों या खराब उत्पादों के खिलाफ आवाज उठाना। टैक्स देना राष्ट्र निर्माण के लिए एक बुनियादी नागरिक कर्तव्य है।

उपभोक्तावाद अक्सर दिखावे को जन्म देता है, जहां लोग जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदते हैं, जिससे संसाधनों की कमी हो जाती है। जबकि समाज के प्रति सहानुभूति रखना और संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग करना, भोजन, पानी, बिजली और ईंधन की बर्बादी को रोकना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। कुल मिलाकर उपभोक्ता संस्कृति अपने आप में बुरी नहीं है, लेकिन जब इसे नागरिक कर्तव्यों की कसौटी पर परखा जाता है, तो यह 'अंधे उपभोग' से बदलकर 'जिम्मेदार उपभोग' में बदल जाती है। एक अच्छा उपभोक्ता वही है जो पहले एक अच्छा और जागरूक नागरिक हो।

2.6. पर्यावरण संरक्षण में नागरिक कर्तव्यों की भूमिका: पर्यावरण संरक्षण किसी एक सरकार, संस्था या कानून की जिम्मेदारी नहीं हैय यह हर नागरिक के सहयोग से ही संभव है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी दैनिक आदतों में सुधार करता है, तो उसका सामूहिक प्रभाव पूरे समाज और पृथ्वी पर दिखाई देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए (जी) में भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 'प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।' यहाँ पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों कर्तव्यों की भूमिका से आशय है कि बिजली की फिजूलखर्ची रोकना, एलईडी बल्बों का उपयोग करना और जहाँ संभव हो सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना, पानी की बर्बादी रोकना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना, नल खुला न छोड़ना, प्लास्टिक और डिस्पोजेबल वस्तुओं का न्यूनतम उपयोग, सिंगल–यूज प्लास्टिक पर रोक कर कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करना, पुरानी वस्तुओं को फेंकने के बजाय उनका दोबारा इस्तेमाल करना, सूखे और गीले कचरे को अलग–अलग रखना ताकि उनका सही निस्तारण हो सके। केवल पेड़ लगाना ही नहीं, बल्कि उनकी देखभाल करना भी नागरिक कर्तव्य है।

वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों को नुकसान न पहुँचाना, कम दूरी तय करने के लिए पैदल चलने या साइकिल का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग को प्राथमिकता देना ताकि कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण कम हो। अपने परिवार, पड़ोसियों और दोस्तों को पर्यावरण–अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक करना, स्थानीय अभियानों जैसे स्वच्छता अभियानों, पौधरोपण कार्यक्रमों और नदियोंध्तालाबों की सफाई में सक्रिय योगदान देना आदि कर्तव्यों का निर्वहन कर हम जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। कहने का आशय कि पर्यावरण संरक्षण में नागरिक कर्तव्य केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारे स्वयं के अस्तित्व और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की नींव हैं। "छोटा कदम, बड़ा बदलाव" के सिद्धांत को अपनाकर ही हम एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं।

2.7. आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में नागरिक कर्तव्यों की भूमिका: किसी भी देश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के निर्माण में केवल सरकार की नीतियां ही काफी नहीं होतींय बल्कि नागरिकों की भागीदारी और उनके कर्तव्य इसमें सबसे अहम नींव का काम करते हैं। जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ–साथ अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं, तो देश की संपत्ति और संसाधन सुरक्षित रहते हैं और उनका कुशल उपयोग होता है। कहने का आशय कि आर्थिक प्रगति का सीधा संबंध देश के राजस्व, व्यापार और अनुशासित कार्य संस्कृति से है। उदाहरण के लिए, कर नागरिकों का सबसे प्राथमिक आर्थिक कर्तव्य है। जब नागरिक ईमानदारी से आयकर, जीएसटी और स्थानीय कर चुकाते हैं, तभी सरकार के पास सड़कें, अस्पताल, स्कूल और नई तकनीक विकसित करने का फंड बनता है। कैश लेनदेन के बजाय डिजिटल भुगतान अपनाना, बिल मांगना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा न देना देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। स्वदेशी या स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता देना स्थानीय उद्योगों, कारीगरों और एमएसएमई क्षेत्र को जीवंत रखता है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।

अपने काम को ईमानदारी और दक्षता से करना, कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना और नए कौशल सीखना देश की कुल उत्पादकता को बढ़ाता है।

नागरिक कर्तव्य	आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव
ईमानदार टैक्स भुगतान	नए इंफ्रास्ट्रक्चर (हाईवे, मेट्रो, एम्स) के लिए सीधा बजट मिलना।
सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा	तोड़-फोड़ और मरम्मत पर होने वाले सरकारी फिजूलखर्च में कमी।
स्वच्छता बनाए रखना	स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च कम होना और पर्यटन आय में बढ़ोतरी।
डिजिटल लेनदेन अपनाना	अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन।
पर्यावरण का संवर्धन	टिकाऊ एवं स्वच्छ भारत हेतु जल संरक्षण, प्लास्टिक का सीमित उपयोग
अर्थव्यवस्था का संवर्धन	मजबूत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था हेतु कर निष्ठा, डिजिटल लेनदेन, स्वदेशी को बढ़ावा

सरकार बुनियादी ढांचा तैयार तो कर सकती है, लेकिन उसकी सुरक्षा और रखरखाव का जिम्मा नागरिकों का होता है, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–51ए (आई) में भी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना नागरिक का मूल कर्तव्य बताया गया है। ट्रेनों, बसों, पार्कों, सड़कों और ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान न पहुंचाना और साफ रखना सरकार का करोड़ों रुपया मरम्मत में खर्च होने से बचाता है। कचरे को डस्टबिन में डालना, गीले और सूखे कचरे को अलग करना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना शहरों को स्वच्छ बनाता है। इससे नगर निगम का खर्च घटता है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बिजली की चोरी न करना, पानी की बर्बादी रोकना और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना ऊर्जा संकट को टालता है और बुनियादी ढांचे पर अनावश्यक दबाव कम करता है। सड़क पर अनुशासन बनाए रखने से दुर्घटनाएं कम होती हैं, ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती और माल ढुलाई में लगने वाला समय और ईंधन दोनों बचते हैं। इस तरह बुनियादी ढांचा और आर्थिक विकास किसी भी देश की 'इमारत' हैं, तो नागरिकों के कर्तव्य उसकी 'नींव' होते हैं। जब प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझता है, तो सरकारी पूंजी का अधिकतम लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचता है।

3. नागरिक कर्तव्यों के पालन में चुनौतियां और बाधाएं: हम जानते हैं कि नागरिक कर्तव्य केवल संविधान में उल्लेखित प्रावधानों तक सीमित नहीं है बल्कि यह नैतिक दायित्व भी है। नागरिक कर्तव्यों का पालन किसी भी लोकतांत्रिक और समृद्ध समाज की नींव होता है। हालाँकि, व्यावहारिक जीवन में नागरिकों द्वारा इन कर्तव्यों का सही ढंग से पालन न कर पाने के पीछे कई सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक बाधाएँ हैं। उदाहरण के लिए:

3.1. अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन का अभाव: बहुधा नागरिक अपने अधिकारों (जैसे स्वतंत्रता, समानता, मुफ्त सुविधाएँ) के प्रति तो जागरूक रहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों (जैसे स्वच्छता रखना, कर चुकाना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना) को भूल जाते हैं।

3.2. नागरिक उदासीनता: 'मुझे क्या फर्क पड़ता है' वाली मानसिकता से ग्रसित अधिकांश लोग सोचते हैं कि अकेले उनके नियम मानने या न मानने से देश में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस सोच के कारण सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाना, यातायात नियमों का उल्लंघन करना और मतदान न करना आम बात बन जाती है।

3.3. जागरूकता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी: संवैधानिक प्रावधानों से अनभिज्ञता भी कर्तव्यों के कुशल निर्वहन में बाधा का काम करती है। कई नागरिकों को अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में प्राथमिक जानकारी ही नहीं होती। हमारी शिक्षा प्रणाली में अक्सर किताबों तक सीमित ज्ञान दिया जाता है, जबकि नागरिक बोध और नैतिक मूल्यों का व्यावहारिक पाठ कम मिलता है।

3.4. गरीबी और सामाजिक–आर्थिक विषमता: अत्यधिक गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे व्यक्ति के लिए दैनिक आजीविका कमाना प्राथमिक होता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय या सामाजिक कर्तव्यों पर ध्यान देना उनके लिए द्वितीयक हो जाता है।

3.5. संकीर्ण मानसिकता: राष्ट्रहित पर स्थानीय हित हावी होना हमारे समाज में निहित संकीर्ण मानसिकता का परिचायक रहा है। जब व्यक्ति की निष्ठा अपने देश के स्थान पर अपनी जाति, धर्म या क्षेत्र तक सीमित हो जाती है, तो समाज में सौहार्द और बंधुत्व (जो कि एक प्रमुख नागरिक कर्तव्य है) का ढांचा कमजोर पड़ता है।

3.6. कठोर कानूनी प्रवर्तन की कमी: भारत में मौलिक कर्तव्य ग़ैर–न्यायिकश हैं, यानी इनके उल्लंघन पर सीधे अदालत द्वारा सजा नहीं दी जा सकती (जब तक कि उनके लिए अलग से कोई कानून न हो, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम)। इसके चलते लोग इनका पालन गंभीरता से नहीं करते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव: उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में हम अक्सर अपने 'अधिकारों' के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, लेकिन 'कर्तव्यों' को भूल जाते हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो

पहलू हैं। बिना कर्तव्यों के अधिकारों की मांग समाज में अराजकता और स्वार्थ को जन्म देती है। जब नागरिक अपने कर्तव्यों को समझते हैं, तभी समाज में अधिकारों का वास्तविक संरक्षण संभव हो पाता है। केवल मतदान करने तक नागरिक की भूमिका सीमित नहीं होती। नागरिक कर्तव्यों का अध्ययन व्यक्ति को एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाता है, जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करता है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल, वायु) को संरक्षित करता है। कानून और व्यवस्था का सम्मान करता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–51ए में भाईचारे, विविधता के सम्मान और भारत की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा पर बल दिया गया है। जब नागरिक अपने इन कर्तव्यों को समझते हैं, तो जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के नाम पर होने वाले भेदभाव और टकराव में कमी आती है, जो विकसित भारत के लिए अनिवार्य है। देश की अर्थव्यवस्था केवल टैक्स देने से नहीं, बल्कि संसाधनों के अनुशासित उपयोग से भी मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, स्वच्छता बनाए रखना, बिजली और पानी की बचत करना, सार्वजनिक परिवहन और संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाना आदि सभी छोटी–छोटी आदतें देश के अरबों रुपये बचाती हैं, जिन्हें विकास कार्यों में लगाया जा सकता है।

नागरिक कर्तव्यों को सिखाने की जिम्मेदारी केवल परिवार और समाज संस्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि प्राथमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम में नागरिक बोध को अनिवार्य बनाया जाए। इसी तरह पाठ्यपुस्तकों और गतिविधियों के माध्यम से बचपन से ही स्वच्छता, यातायात नियम और सार्वजनिक संपत्ति के सम्मान की आदत डालना, कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों और समुदायों को प्रोत्साहित करना, सार्वजनिक नियमों पर स्पष्ट और निष्पक्ष रूप से कानून लागू करना, मीडिया और डिजिटल माध्यमों से नागरिक बोध का प्रसार करने के भी प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। इसके प्रोत्साहन हेतु अनुकरणीय कर्तव्य पालन करने वाले नागरिकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। आधुनिक डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में नागरिक कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक सचेत होना चाहिए। सोशल मीडिया के दौर में अनुचित सामग्री का उपयोग न करना तथा भ्रामक खबरों को न फैलाना और डिजिटल शिष्टाचार बनाए रखना भी एक नया कर्तव्य बनना चाहिए।

कुल मिलाकर 'विकसित भारत@2047' केवल एक सरकारी परियोजना नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का साझा स्वप्न है। जब एक नागरिक सड़क पर कचरा नहीं फेंकता, बिजली की बचत करता है, यातायात नियमों का पालन करता है या अपनी कार्यक्षमता का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र को देता है, तो वह विकसित भारत की नींव में एक ईंट रख रहा होता है। अधिकार हमें 'लेना' सिखाते हैं, जबकि कर्तव्य हमें 'देना' सिखाते हैं। एक विकसित समाज वही है जहाँ 'मैं' से पहले 'हम' और 'हम' से पहले 'राष्ट्र' की भावना हो। यदि हम अपने कर्तव्यों को अपनी जीवनशैली बना लें, तो भारत को एक समृद्ध विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. योगी सत्यभूषण (संपादक, 1966)। मनुस्मृति, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।
2. भारत का संविधान (1976). द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया (आर्टिकल–51ए फंडामेंटल ड्यूटीज). मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,1976. पब्लिकेशन्स डिवीजन.
3. कश्यप, सुभाष सी. (2019). हमारा संविधानः भारत के संविधान और संवैधानिक कानून का परिचय (6एडिशन). नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया.
4. संविधान समीक्षा राष्ट्रीय आयोग रिपोर्ट (2002). Report of the National Commission to Review the Working of the Constitution (Vol. 1). Ministry of Law and Justice, Government of India.
5. Verma, J. S., Anand, A. S., & Venkatachaliah, M. N. (1999). Report of the committee to operationalise suggestions for teaching fundamental duties to citizens. Ministry of Human Resource Development, Government of India.
6. Austin, G. (1999). Working a democratic constitution: A history of the Indian experience. Oxford University Press.
7. Sorabjee, S. J. (2002). Fundamental duties for citizens: Importance and enforcement. Journal of the Indian Law Institute, 44(3), 310–318.
8. NCERT. (2020). National Curriculum Framework and Fundamental Duties. National Council of Educational Research and Training.
9. https://www.undp.org/india/press-releases/indias-human-development-continues-make-progress-ranks-130-out-193-countries
10. https://www.globalhungerindex.org/india.html

आलेख उद्धरित करें :	पाल, बृजेश कुमार एवं कुशवाहा, धर्मकीर्ति (2026)। विकसित भारत की आधारशिला के रूप में नागरिक कर्तव्यों का अवलोकन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–2, अप्रैल–जून, 2026, पृष्ठ 24–30। https://doi.org/10.5281/zenodo.21787366

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रदर्शन का अध्ययन

डॉ. मुकेश कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश

(**Corresponding Author:** mukeshkumaralld@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21787693

सारांश

भारत विविधता और प्रगति का एक फलता–फूलता संगम है और 1.4 अरब से अधिक आबादी के साथ, यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जैसे ही हम 2024–25 के गतिशील वर्ष में प्रवेश करते हैं, भारत की सकल धरेलु उत्पाद 4 ट्रिलियन अमेरिकी डालर को पार करने के लिए तैयार है, जिससे वैश्विक स्तर पर पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। सकल धरेलु उत्पाद मे असाधारण वृद्धि, जिसका इस वर्ष 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है, चीन को भी पीछे छोड़ देती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार, यह भारत के लिए 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस आर्थिक उत्थान को रणनीतिक सुधारों से बल मिल रहा है, जो भारत को निवेश के लिए एक सुरक्षित और आकर्षक स्थान में बदल रहे हैं। हाल के वर्षो में सरकार के अनेक उदारवादी पहलो में विदेशी निवेश पर लगी पाबंदियों को उदार बनाना, श्रम और दिवालियापन कानूनों का आधुनिकीकरण करना, और राष्ट्रीय वस्तु एवं सेवा कर लागू करना शामिल है, इन प्रयासो और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता ने भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए एक आशाजनक गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत में निवेश का माहौल काफी बेहतर हुआ है। वित्त वर्ष 2022 में, भारत ने 83.6 बिलियन अमेरिकी डालर का रिकॉर्ड विदेशी निवेश आकर्षित किया, जो निवेशकों के लिए इसकी आकर्षण क्षमता का एक प्रमाण है। देश अब 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'(व्यापार करने में आसानी) सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में गर्व से खड़ा है। पिछले 25 वर्षों में, कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 953.14 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुँच गया है, जिसमें से लगभग 65 प्रशितत हिस्सा पिछले 9 वर्षों मे प्राप्त हुआ। भारत में आर्थिक विकास को बढ़ाने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने अहम भूमिका निभाई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मतलब है किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में विदेशी संस्थाओं, जैसे कंपनियों या लोगों द्वारा किया गया निवेश। इस शोध पत्र मे यह अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन से पता चलता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आर्थिक विकास के बीच धनात्मक संबंध है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 21 अप्रैल, 2026 **स्वीकृत:** 04 मई, 2026 **प्रकाशित:** 30 जून, 2026

सारणी: 05 **चित्र एवं ग्राफ:** 01 **स्रोत एवं संदर्भ:** 17

मुख्य शब्द: आर्थिक विकास, एफडीआई, जीडीपी, सार्वजनिक–निजी भागीदारी।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : किसी फर्म या व्यक्ति द्वारा एक देश से दूसरे देश में किए गए निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा जाता है। इसमें किसी विदेशी देश में कंपनी की एक्टिविटी शुरू करना या एसेट्स खरीदना शामिल है, जिसका मकसद निवेश की गई कंपनी पर कंट्रोल या बड़ा असर पाना होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निवेशक को किसी विदेशी देश में अपने निवेश पर ओनरशिप और कंट्रोल रखने की इजाजत देता है। यह पूरी तरह से ओन्ड सब्सिडियरी बनाने, लोकल पार्टनर्स के साथ जॉइंट वेंचर बनाने, या किसी मौजूदा कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के रूप में हो सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहचान आमतौर पर लॉन्ग–टर्म निवेश से होती है, क्योंकि निवेशक अपने रिसोर्स और एक्सपर्टीज को विदेशी मार्केट में लगाते हैं। यह लॉन्ग–टर्म नजरिया होस्ट देश में स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद कर सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होस्ट देश में पूँजी तकनीक और स्किल्स लाता है।

विदेशी निवेशक अक्सर एडवांस्ड प्रोडक्शन टेक्नीक, मैनेजेरियल प्रैक्टिस और टेक्निकल जानकारी लाते हैं जो लोकल इंडस्ट्रीज में प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बना सकती हैं। नॉलेज और टेक्नोलॉजी के इस

ट्रांसफर का घरेलू अर्थव्यवस्था पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए होस्ट देश में रोजगार के मौके बनाए जा सकते हैं। जैसे–जैसे विदेशी कंपनियाँ अपना काम शुरू करती हैं या अपने मौजूदा बिजनेस को बढ़ाती हैं, वे लोकल वर्कफोर्स के लिए नौकरियाँ पैदा करती हैं। इससे बेरोजगारी दर कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होस्ट देश में आर्थिक विकास और तरक्की में मदद कर सकता है। विदेशी पूजी, तकनीक और स्किल्स के आने से निवेश को बढ़ावा मिल सकता है, उत्पादन क्षमता और उत्पादकता बढ़ सकती है। इससे आउटपुट बढ़ सकता है। इससे निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ाने मदद होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होस्ट देशों को ग्लोबल मार्केट और सप्लाई चेन तक पहुँच दे सकता है। विदेशी निवेशक के पास अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मार्केटिंग एक्सपर्टीज और इंटरनेशनल कनेक्शन होते हैं, जो लोकल बिजनेस को अपनी पहुँच बढ़ाने और ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा लेने में मदद कर सकते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होस्ट देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद कर सकता है। विदेशी निवेशक इनमें निवेश कर सकते ह। दूरसंचार, परिवहन, ऊर्जा और शहरी विकास जैसे क्षेत्र, जो समग्र बुनियादी ढांचे में सुधार कर सकते हैं और आर्थिक गतिविधियों को सहायता प्रदान कर सकते हैं।

1.2 अध्ययन के उद्देश्य:

1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह और भारत की आर्थिक वृद्धि के बीच के संबंध की जाँच करना।
2. भारत में देश–वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह का पता लगाना।
3. भारत में क्षेत्र–वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को मापना।

2. साहित्य की समीक्षा : माथा और मथियाझगन (2005) ने अपने अध्ययन मे पाया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह का आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। अब्दुल हामिद सुकर (2007) ने पाया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आर्थिक विकास पर नगण्य रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एलेना पेलिनेस्कु और मैग्डालेना राडुलेस्कु (2009) ने पाया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विकसित और विकासशील, दोनों तरह के देशों के आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह और प्रति व्यक्ति सकल धरेलु उत्पाद वृद्धि के बीच का संबंध प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण पाया गया है। भव्या मल्होत्रा (2014) ने पाया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर वास्तव में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह कई ऐसे लाभ लाता है जो भारत के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। इसके अलावा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह घरेलू पूंजी की पूर्ति करने, प्रौद्योगिकी और कौशल हस्तांतरण, रोजगार सृजन और नौकरी के अवसर, तथा ज्ञान और कौशल वृद्धि में सहायता करता है।

कार्लोस एनसिनास फेरर और अन्य (2015) ने अपने अध्ययन मे पाया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह सकल धरेलु उत्पाद की वृद्धि को काफी हद तक प्रभावित करता है। खामिस हरेब और अन्य (2015) ने पाया कि मुद्रास्फीति का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका अर्थ है कि मुद्रास्फीति की दरों में होने वाले बदलाव, देखी गई सीमा के भीतर, विदेशी निवेशकों के मेजबान देश में निवेश करने के निर्णय को प्रभावित करते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। नलैंडू मामिंगी और करीम मार्टिन (2018) ने पाया कि बुनियादी ढांचे के विकास, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और घरेलू निवेश के बीच का संबंध विभिन्न देशों, क्षेत्रों और आर्थिक संदर्भों में अलग–अलग हो सकता है। भावना कुन्नप्पिल्ली शंकरन (2019) ने पाया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स के शेयरों की कीमतों को बढ़ाता है। वालिद अली (2019) ने निर्धारित किया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह के आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नवीन कुमार शर्मा और अन्य (2019) ने पाया कि भारत के दो मुख्य शेयर बाजार सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं। उन्होंने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह भारतीय शेयर बाजार के रुझान को निर्धारित करता है।

सुसिक और अन्य, (2019) ने यह निर्धारित किया कि विदेशी पूंजी के प्रवाह को आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता माना जाता है और इसका आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। विदेशी पूंजी के विभिन्न रूपों, जैसे कि विदेशी निवेशकों के साथ संयुक्त उद्यम और मुक्त क्षेत्रों में निवेश, की निगरानी और जांच से यह पता चला है कि अर्थव्यवस्था में व्यापक आर्थिक कारकों पर इसके कितने विविध और अनुकूल प्रभाव पड़ते हैं। जिन वांग और अन्य, (2019) ने पाया कि शेयर बाजार का विकास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह से काफी हद तक प्रभावित होता है।

सास्वता चौधरी और अन्य, (2020) ने पाया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्षेत्र–वार प्रवाह समग्र आर्थिक विकास में सहायता करता है। लीना बकावदाह और ताहर तायाची, (2021) ने पाया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का वास्तव में प्रतिभूति बाजारों की उन्नति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिकियान वांग, (2021) ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और शेयर बाजार सूचकांक के बीच नकारात्मक सहसंबंध पाया। अभय प्रताप सिंह और अन्य, (2022) ने पाया

कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में विदेशी कंपनियों द्वारा मेजबान देश में पूंजी का प्रत्यक्ष निवेश शामिल होता है। पूंजी का यह प्रवाह उत्पादक संपत्तियों, जैसे कि कारखानों, में निवेश बढ़ाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है। पूंजी निवेश में वृद्धि से उत्पादकता, रोजगार सृजन और समग्र आर्थिक विस्तार के उच्च स्तर प्राप्त हो सकते हैं। मोहम्मद जैन खान और राणा जहरा मसूद (2022) ने पाया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश किसी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अक्सर अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे विकास का इंजन कहा जाता है। साई रोहित कुमार रेड्डी बोब्बा (2022) ने यह बताया कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारतीय शेयर बाजारों के विकास और अस्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

2.1. अनुसंधान अंतरालः भारत के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव से संबंधित मौजूदा साहित्य के बावजूद, इसमें कई ऐसे अनुसंधान अंतराल हो सकते हैं जिनकी आगे अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में देश–वार और क्षेत्र–वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह की जाँच करके, तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सकल धरेलु उत्पाद की वृद्धि पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव का विश्लेषण करके, इस अनुसंधान अंतराल को भरना है। यह अध्ययन इस बात को स्वीकार करता है कि भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से इन पहलुओं पर केंद्रित मौजूदा अध्ययनों की संख्या सीमित है।

3. अनुसंधान पद्धति : इस अध्ययन का उद्देश्य 2000–01 से 2025–26 की 25 वर्ष की अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारत के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के परिणामों का मूल्यांकन करना है। इस अध्ययन में एक वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन का उपयोग किया जाएगा, और इसका मुख्य आधार द्वितीयक आकड़ों के विश्लेषण पर होगा। द्वितीयक आकड़ों को मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्टों, व अन्य सरकारी दस्तावेजों, अकादमिक लेखों और 2000–01 से 2025–26 के वर्षों के दौरान वित्तीय संस्थानों द्वारा तैयार की गई प्रतिष्ठित रिपोर्टों से एकत्र किया गया है।

3.1. समस्या का विवरणः भारत के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दिलचस्पी का विषय है। हालाँकि, इस बात पर आम सहमति है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान दे सकता है, फिर भी वह विशिष्ट प्रकृति, परिमाण और वे माध्यम जिनके द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, अभी भी शोध के विषय बने हुए हैं। इसलिए, इस अध्ययन में जिस समस्या का समाधान किया जाना है, वह है भारत के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बीच संबंध की जाँच और विश्लेषण करना। यह अध्ययन निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए किया गया हैः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत के आर्थिक विकास के बीच क्या संबंध है? क्या भारत में आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है?

3.2. अध्ययन का दायराः यह अध्ययन मॉरीशस, सिंगापुर, अमेरिका, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी, युनाइटेड किगंडम आइलैंड, सयुक्त अरब अमीरात और साइप्रस जैसे चुनिंदा देशों से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को मापता है। इसके अलावा, इस अध्ययन में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र–वार प्रवाह का भी अध्ययन किया गया है।

3.3. अध्ययन का महत्वः भारत के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव का अध्ययन नीति–निर्माताओं, निवेशकों और शोधकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आर्थिक विकास, क्षेत्रीय विकास और समग्र आर्थिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष नीतिगत निर्णयों को सूचित कर विदेशी निवेश को आकर्षित कर भारत के सतत आर्थिक विकास में योगदान दे सकते हैं। भारत के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव का अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है। भारत के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव को समझने से नीति–निर्माताओं को विदेशी निवेश को आकर्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ बनाने में मदद मिलती है। उन क्षेत्रों और देशों की पहचान करके जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, नीति–निर्माता उन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित नीतियाँ विकसित कर सकते हैं।

यह अध्ययन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को बढ़ाने और आर्थिक विकास पर उनके सकारात्मक प्रभाव के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। मेजबान देशों में आर्थिक विकास को गति देने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव का आकलन करने से यह समझने में मदद मिलती है कि विदेशी निवेश विकास के विभिन्न पहलुओं में कैसे योगदान देता है, जैसे कि पूंजी निवेश बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना, प्रौद्योगिकी और ज्ञान का हस्तांतरण करना और उत्पादकता को बढ़ावा देना। यह ज्ञान नीति–निर्माताओं को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने में मार्गदर्शन कर सकता है, ताकि इसके विकासात्मक लाभों को अधिकतम किया जा सके। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र–वार विश्लेषण पर अध्ययन का फोकस उन विशिष्ट उद्योगों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता

है जो विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं। उच्च प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह वाले क्षेत्रों और आर्थिक विकास पर उनके प्रभाव की पहचान करने से नीति–निर्माताओं को निवेश को प्राथमिकता देने और उन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए लक्षित नीतियाँ लागू करने में मदद मिलती है। इससे अर्थव्यवस्था के आगे के विकास और विविधीकरण के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद करता है।

भारत के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव का एक व्यापक अध्ययन निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है। जब संभावित निवेशकों के पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आर्थिक विकास के बीच सकारात्मक संबंध के बारे में शोध–समर्थित जानकारी उपलब्ध होती है, तो इससे भारत में निवेश करने की उनकी इच्छा बढ़ सकती है। इससे विदेशी पूंजी का अधिक प्रवाह हो सकता है, जो आर्थिक विकास और प्रगति को गति प्रदान कर सकता है। विभिन्न देशों और क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव की तुलना करना बहुमूल्य मानदंड और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अन्य देशों की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक विकास के लिए उसका लाभ उठाने में भारत कैसा प्रदर्शन करता है, इसकी जांच करके, नीति–निर्माता सर्वोत्तम प्रथाओं और सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। तुलनात्मक विश्लेषण उन अद्वितीय कारकों को समझने में भी मदद कर सकता है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण में योगदान करते हैं। यह अध्ययन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आर्थिक विकास से संबंधित मौजूदा अकादमिक शोध के भंडार में योगदान देता है। यह ऐसे अनुभवजन्य प्रमाण और मात्रात्मक विश्लेषण प्रदान करता है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत की आर्थिक वृद्धि के बीच के संबंध की समझ को और अधिक समृद्ध कर सकते हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष उन शोधकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों और विद्वानों के लिए एक मूल्यवान संदर्भ के रूप में काम आ सकते हैं, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और इसके प्रभावों का अध्ययन करने में रुचि रखते हैं।

3.4. अध्ययन की सीमाएँ : द्वितीयक आकड़ों पर आधारित कोई अध्ययन करते समय, कई ऐसी सीमाएँ होती हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। द्वितीयक आकड़ों के स्रोतों की विश्वसनीयता और सटीकता अलग–अलग हो सकती है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि वेबसाइटों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से इकट्ठा किया गया आकड़ां प्रतिष्ठित और आधिकारिक स्रोतों से लिया गया हो। आकड़ों में गलतियाँ, विसंगतियाँ या पूर्वाग्रह हो सकते हैं, जो अध्ययन के निष्कर्षों की वैधता पर असर डाल सकते हैं। आकड़ों की उपलब्धता एक सीमित करने वाला कारक हो सकती है। जिन स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है, उनके आधार पर आकड़ों की व्यापकता और गहराई में सीमाएँ हो सकती हैं। कुछ खास चर या समय की खास अवधियों के लिए आकड़ों सीमित या अधूरा हो सकता है, जिससे विश्लेषण या निष्कर्षों के सामान्यीकरण में रुकावट आ सकती है। द्वितीयक आकड़ों के स्रोतों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह या व्यक्तिपरक व्याख्याएँ हो सकती हैं। वेबसाइटों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों से इकट्ठा किया गया आकड़ों मूल स्रोतों के दृष्टिकोण या एजेंडे को दर्शा सकता है। शोधकर्ताओं को आकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, और उन संभावित पूर्वाग्रहों पर विचार करना चाहिए जिन्होंने इसके संग्रह या रिपोर्टिंग को प्रभावित किया हो।

4. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह और आर्थिक विकास : भारत की अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आर्थिक वृद्धि दर का संबंध महत्वपूर्ण और प्रायः सकारात्मक रहा है। वर्ष 2000–01 से 2007–08 के बीच भारत ने उच्च आर्थिक वृद्धि का अनुभव किया, जहां आर्थिक वृद्धि दर लगभग 7 प्रतिशत से 9 प्रतिशत के बीच रही। इसी अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी लगातार बढ़कर लगभग 3 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह स्पष्ट संकेत देता है कि जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और नीतिगत स्थिरता रहती है, तो विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और वे अधिक निवेश करते हैं। वर्ष 2008–09 में वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। आर्थिक वृद्धि दर घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी गिरकर 1.48 प्रतिशत रह गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि वैश्विक परिस्थितियां भी भारत में निवेश और विकास को प्रभावित करती हैं। हालांकि, 2009–10 और 2010–11 में अर्थव्यवस्था ने तेजी से सुधार किया, और 2010–11 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3.62 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि आर्थिक वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत रही।

वर्ष 2011–12 से 2013–14 के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट आई और यह 5 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच रही। इस दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी अपेक्षाकृत कम (लगभग 1.3 व 1.5 प्रतिशत रहा। इसका कारण नीतिगत अनिश्चितता, भ्रष्टाचार के आरोप और वैश्विक आर्थिक सुस्ती मानी जा सकती है। इसके बाद 2014–15 से 2016–17 के बीच सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों जैसे मेक इन इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण आर्थिक वृद्धि दर फिर से 7–8 प्रतिशत तक पहुंच गई और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी 3 प्रतिशत से अधिक हो गया। वर्ष 2019–20 और विशेष रूप से 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। 2020–21 में आर्थिक वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत तक गिर गई, जो एक गंभीर आर्थिक संकुचन को दर्शाती

है। इस दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी घटकर 1.03 प्रतिशत रह गया। हालांकि, 2021–22 में अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत तथा मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.41 प्रतिशत तक पहुंच गया। जैसा कि सारणी–1 से स्पष्ट है।

सारणी–1: पिछले 25 वित्तीय वर्षो मे एफडीआइ और जीडीपी वृद्धि दर (2000–01 से 2025–26)

वित्तीय वर्ष	*एफडीआइ (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में शुद्ध अंतर्प्रवाह)*	*जीडीपी वृद्धि दर (वार्षिक प्रतिशत)*
2000-01	*0.77*	*4.0*
2001-02	*1.06*	*4.9*
2002-03	*1.01*	*3.9*
2003-04	*0.61*	*7.9*
2004-05	*0.77*	*7.50*
2005-06	*0.89*	*9.30*
2006-07	*2.13*	*9.30*
2007-08	*2.07*	*9.30*
2008-09	*3.62*	*6.70*
2009-10	*2.65*	*8.50*
2010-11	*1.64*	*8.40*
2011-12	*2.00*	*6.20*
2012-13	*1.31*	*5.50*
2013-14	*1.52*	*6.70*
2014-15	*1.70*	*7.40*
2015-16	*2.09*	*8.00*
2016-17	*1.94*	*8.30*
2017-18	*1.51*	*7.00*
2018-19	*1.56*	*6.70*
2019-20	*1.78*	*4.20*
2020-21	*2.41*	*-7.3*
2021-22	*1.41*	*7.00*
2022-23	*1.49*	*6.90*
2023-24	*0.77*	*7.50*
2024-25	*0.71*	*6.5*
2025-26	*0.17*	*7.4*

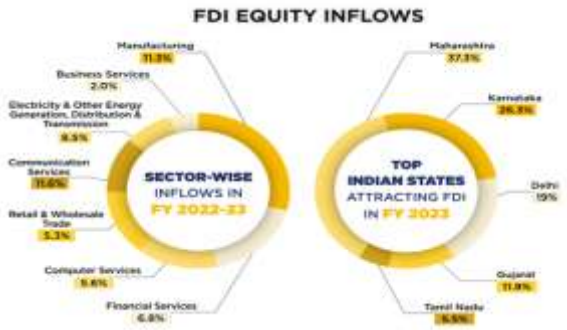
Sources: https://apiardata.com, World Bank.

हाल के वर्षों (2023–24 से 2025–26) में एक अलग प्रवृत्ति देखने को मिलती है। आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत के बीच स्थिर बनी हुई है, लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय गिरावट आई है और यह 0.10 प्रतिशत से 0.28 प्रतिशत के बीच रह गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि अब भारत की आर्थिक वृद्धि केवल विदेशी निवेश पर निर्भर नहीं है, बल्कि घरेलू निवेश, सरकारी व्यय और आंतरिक मांग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अंततः, यह कहा जा सकता है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और आर्थिक वृद्धि दर के बीच सामान्यतः सकारात्मक संबंध है, लेकिन यह पूर्णतः निर्भरता नहीं दर्शाता। हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था अधिक आत्मनिर्भर और विविध स्रोतों पर आधारित होती जा रही है, जो इसकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत है।

5.1. भारत में वर्ष–वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक विकास और उन्नति का एक महत्वपूर्ण चालक रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने विभिन्न देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारी प्रवाह आकर्षित किया है। नीचे दी गई तालिका 2000 और 2025 के बीच भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह का एक अवलोकन प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2000–01 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मात्र 4,029 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो बढ़कर 2024–25 में 80,615 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया। प्रारंभिक वर्षों (2000–05) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्तर कम और अस्थिर रहा, जिसका मुख्य कारण नीतिगत स्पष्टता की कमी और आर्थिक सुधारों का प्रारंभिक चरण था। 2005–08 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तीव्र वृद्धि हुई, विशेषकर 2006–07 में 155 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो भारत की मजबूत आर्थिक स्थिति, उदारीकरण नीतियों और वैश्विक निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।





भारत में 2000–01 से 2025–26 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में दीर्घकालीन रूप से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जैसा कि सारणी से स्पष्ट है।

सारणी–2: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह (वित्तीय वर्ष 2000–01 से 2025–26) (मिलियन डालर में)

क्र0 सं.0	*वित्तीय वर्ष*	*कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह*	*पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अमेरिकी डालर में)*	*विदेशी संस्थागत निवेशको द्वारा शुद्ध निवेश*
1	*2000-01*	*4,029*	*00.00*	*1,847*
2	*2001-02*	*6,130*	*(+) 52 %*	*1,505*
3	*2002-03*	*5,035*	*(-) 18 %*	*377*
4	*2003-04*	*4,322*	*(-) 14 %*	*10,918*
5	*2004-05*	*6,051*	*(+) 40 %*	*8,686*
6	*2005-06*	*8,961*	*(+) 48 %*	*9,926*
7	*2006-07*	*22,826*	*(+) 155 %*	*3,225*
8	*2007-08*	*34,843*	*(+) 53 %*	*20,328*
9	*2008-09*	*41,873*	*(+) 20 %*	*-15,017*
10	*2009-10*	*37,745*	*(-) 10 %*	*29,048*
11	*2010-11*	*34,847*	*(-) 08 %*	*29,422*
12	*2011-12*	*46,556*	*(+) 34 %*	*16,812*
13	*2012-13*	*34,298*	*(-) 26%*	*27,582*
14	*2013-14*	*36,046*	*(+) 5%*	*5,009*
15	*2014-15*	*45,148*	*(+) 25%*	*40,923*
16	*2015-16*	*55,559*	*(+) 23%*	*-4,016*
17	*2016-17*	*60,220*	*(+) 8%*	*7,735*
18	*2017-18*	*60,974*	*(+) 1%*	*22,165*
19	*2018-19*	*62,001*	*(+) 2%*	*-2,225*
20	*2019-20*	*74,391*	*(+) 20%*	*552*
21	*2020-21*	*81,973*	*(+) 10%*	*38,725*
22	*2021-22*	*84,835*	*(+) 3%*	*-14,071*
23	*2022-23*	*71,355*	*(-) 16%*	*-4,828*
24	*2023-24*	*71,279*	*(-) 0%*	*44,626*
25	*2024-25*	*80,615*	*(+) 13%*	*3,283*
26	*2025-26 दिसम्बर 2025*	*73,314*	*……..*	*-2,912*
कुल योग (अप्रैल, 2000 से दिसम्बर, 2025 तक)		***1,145,226***	**.....**	***279,625***

Source: Department for Promotion of Industry and Internal Trade, quarterly fact sheet. Fact sheet on foreign direct investment (FDI) inflow. From April, 2000 to December, 2025

हालांकि, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और अगले कुछ वर्षों में उतार–चढ़ाव देखने को मिला। 2014–15 के बाद "मेक इन इंडिया", "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" जैसे सुधारों के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पुनः स्थिर और निरंतर वृद्धि हुई। 2019–20 से 2021–22 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने उच्च स्तर प्राप्त किया, यहाँ तक कि कोविड–19 महामारी के दौरान भी भारत ने मजबूत निवेश आकर्षित किया। हालांकि, 2022–23 में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण गिरावट आई, लेकिन 2024–25 में पुनः सुधार देखा गया। दूसरी ओर विदेशी संस्थागत निवेशक निवेश अत्यधिक अस्थिर रहा और कई वर्षों

में नकारात्मक भी रहा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिक स्थायी और दीर्घकालीन निवेश का स्रोत है। समग्र रूप से, यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक उभरता हुआ और आकर्षक निवेश गंतव्य बन चुका है।

5.2. वर्ष–वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह : भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह 2000–01 से लगातार परिवर्तनशील लेकिन दीर्घकाल में वृद्धि की दिशा में रहा है। प्रारंभिक वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अपेक्षाकृत कम था, जैसे 2000–01 में केवल 2,463 मिलियन अमेतिकी डालर था। 2001–02 में इसमें 65 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, लेकिन 2002–03 और 2003–04 में गिरावट देखी गई, जो वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव दर्शाती है। 2004–05 से 2007–08 के बीच प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में तेज वृद्धि हुई, विशेष रूप से 2006–07 (125 प्रतिशत) और 2007–08 मे 97 प्रतिशत है। यह अवधि भारत में आर्थिक उदारीकरण, निवेश अनुकूल नीतियों और तेज आर्थिक विकास का परिणाम थी। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2009–10 और 2010–11 में गिरावट आई। 2011–12 में फिर से 64 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन 2012–13 में पुनः कमी आई। 2014–15 के बाद भारत सरकार द्वारा "मेक इन इंडिया", सुधारात्मक नीतियों और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" में सुधार के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में लगातार वृद्धि हुई, और 2019–20 तक यह 49,977 मिलियन अमेतिकी डालर तक पहुँच गया। जैसा कि सारणी से स्पष्ट है। कोविड–19 महामारी के बावजूद 2020–21 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 59,636 मिलियन अमेतिकी डालर तक बढ़ा, जो भारत की निवेश आकर्षण क्षमता को दर्शाता है।

सारणी–3: वित्तीय वर्ष–वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह (मिलियन डालर में)

क्र. सं.	*वित्तीय वर्ष*	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह की राशि		पिछले वर्ष की तुलना में: वृद्धि (अमेरिकी डालर में)
		(करोड़ रू.में)	(मिलियन अमेरिकी डालर में)	
1	*2000-01*	*10,733*	*2,463*	-------
2	*2001-02*	*18,654*	*4,065*	*(+) 65 %*
3	*2002-03*	*12,871*	*2,705*	*(-) 33 %*
4	*2003-04*	*10,064*	*2,188*	*(-) 19 %*
5	*2004-05*	*14,653*	*3,219*	*(+) 47 %*
6	*2005-06*	*24,584*	*5,540*	*(+) 72 %*
7	*2006-07*	*56,390*	*12,492*	*(+) 125 %*
8	*2007-08*	*98,642*	*24,575*	*(+) 97 %*
9	*2008-09*	*1,42,829*	*31,396*	*(+) 28 %*
10	*2009-10*	*1,23,120*	*25,834*	*(-) 18 %*
11	*2010-11*	*97,320*	*21,383*	*(-) 17 %*
12	*2011-12*	*1,65,146*	*35,121*	*(+) 64 %*
13	*2012-13*	*1,21,907*	*22,423*	*(-) 36 %*
14	*2013-14*	*1,47,518*	*24,299*	*(+) 8%*
15	*2014-15*	*1,81,682*	*29,737*	*(+) 22%*
16	*2015-16*	*2,62,322*	*40,001*	*(+) 35%*
17	*2016-17*	*2,91,696*	*43,478*	*(+) 9%*
18	*2017-18*	*2,88,889*	*44,857*	*(+) 3%*
19	*2018-19*	*3,09,867*	*44,366*	*(-) 1%*
20	*2019–20*	*3,53,557*	*49,977*	*(+) 13%*
21	*2020-21*	*4,42,569*	*59,636*	*(+) 19%*
22	*2021-22*	*4,37,188*	*58,773*	*(-) 1%*
23	*2022-23*	*3,67,435*	*46,034*	*(-) 22%*
24	*2023-24*	*3,67,899*	*44,423*	*(-)3%*
25	*2024-25*	*4,21,929*	*50,018*	*(+)13%*
26	*2025-26 दिस. 2025 तक*	*4,16,709*	*47,874*	---------
कुल योग (अप्रैल, 2000 से दिस., 2025 तक)		***51,86,173***	***776,877***	

Source: Department for Promotion of Industry and Internal Trade, quarterly fact sheet. Fact sheet on foreign direct investment (FDI) inflow. From April, 2000 to September, 2025

हालांकि 2021–22 से 2023–24 के बीच थोड़ी गिरावट देखी गई, जिसका कारण वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक मंदी रहा। 2024–25 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पुनः बढ़कर 50,018 मिलियन अमेरिकी डालर हो गया, जो सुधार

की दिशा को दिखाता है। कुल मिलाकर, अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2025 तक भारत में लगभग 776.8 बिलियन अमेरिकी डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, जो भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

5.3 देश–वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाहः यह सारणी अप्रैल 2000 से जून 2025 तक भारत में विभिन्न देशों से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी इनफ्लो का विस्तृत देशवार विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में विदेशी निवेश कुछ प्रमुख देशों में अत्यधिक केंद्रित है, जबकि अन्य देशों का योगदान अपेक्षाकृत कम है। सबसे अधिक निवेश मॉरीशस (24.79 प्रतिशत) और सिंगापुर (23.82 प्रतिशत) से आया है। इन दोनों देशों का संयुक्त योगदान लगभग 48 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का बड़ा हिस्सा इन्हीं के माध्यम से आता है। इसका मुख्य कारण इन देशों के साथ भारत के अनुकूल दोहरे कराधान से बचाव का समझौता तथा आसान निवेश संरचना है, जिससे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इन देशों के जरिए भारत में निवेश करती हैं। तीसरे स्थान पर सयुक्त राज्य अमेरिका (10.10 प्रतिशत) है, जो भारत में प्रत्यक्ष निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। इसके बाद नीदरलैंड के (7.16 प्रतिशत) और जापान (6.13 प्रतिशत) आते हैं, जो विशेष रूप से औद्योगिक, विनिर्माण और तकनीकी क्षेत्रों में निवेश के लिए जाने जाते हैं।

सारणी–4: 2000 से जून 2025 तक देश–वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह

क्र. सं.	*देश का नाम*	*प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह की राशि*		*कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह में से प्रतिशत (अमेरिकी डालर में)*
		(करोड़ रू.में)	*(मिलियन अमेरिकी डालर में)*	
1	*मॉरीशस*	*13,72,320.00*	*192,537.99*	*24.79*
2	*सिंगापुर*	*11,34,883.99*	*185,020.61*	*23.82*
3	*सयुक्त राज्य अमेरिका*	*5,60,989.78*	*78,459.07*	*10.10*
4	*नीदरलैंड*	*3,82,994.63*	*55,600.22*	*7.16*
5	*जापान*	*3,11,506.76*	*47,596.3*	*6.13*
6	*यूनाइटेड किंगडम*	*2,17,258.62*	*36,712.29*	*4.73*
7	*सयुक्त अरब अमीरात*	*1,88,976.12*	*25,301.69*	*3.26*
8	*आइलैंड्स*	*1,28,119.62*	*17,608.96*	*2.27*
9	*साइप्रस*	*1,01,680.23*	*16,060.13*	*2.07*
10	*जर्मनी*	*95,262.73*	*15,504.95*	*2.00*
11	*फ्रांस*	*78,094.23*	*12,019.83*	*1.55*
12	*स्विट्जरलैंड*	*76,356.46*	*11,259.11*	*1.45*
13	*दक्षिण कोरिया*	*48,335.79*	*7,004.71*	*0.90*
14	*लक्जमबर्ग*	*39,991.64*	*5,652.15*	*0.73*
15	*हांगकांग*	*31,095.99*	*4,897.08*	*0.63*
16	*स्पेन*	*31,039.77*	*4,326.00*	*0.56*
17	*कनाडा*	*27,363.82*	*4,324.44*	*0.56*
18	*बेल्जियम*	*30,187.85*	*4,199.45*	*0.54*
19	*इटली*	*22,619.94*	*3,657.24*	*0.47*
20	*सऊदी अरब*	*24,412.74*	*3,300.22*	*0.42*

Source: Department for Promotion of Industry and Internal Trade, quarterly fact sheet. Fact sheet on foreign direct investment (FDI) inflow. From April, 2000 to September, 2025

यूरोपीय देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम (4.73 प्रतिशत), जर्मनी (2.27 प्रतिशत), फ्रांस (1.59 प्रतिशत) और स्विट्जरलैंड (1.46 प्रतिशत) का भी भारत में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा, सयुक्त अरब अमीरात मे (3.19 प्रतिशत) खाड़ी क्षेत्र का प्रमुख निवेशक है, जो व्यापार और अवसंरचना क्षेत्रों में निवेश करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आइलैंड्स (2.27 प्रतिशत) और साइप्रस (2.07 प्रतिशत) जैसे टैक्स हेवन देशों से भी पर्याप्त निवेश आया है, जो अक्सर "रूटिंग" या "राउंड–ट्रिपिंग" के माध्यम से होता है। अन्य देशों जैसे दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, हांगकांग,स्पेन, कनाडा,बेल्जियम, इटली और सऊदी अरब का योगदान अपेक्षाकृत कम (1 प्रतिशत से भी नीचे) है, लेकिन ये भी भारत के विविध क्षेत्रों में निवेश को दर्शाते हैं। समग्र रूप से, यह तालिका बताती है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह मुख्यतः वित्तीय केंद्रों और विकसित अर्थव्यवस्थाओं से आता है। साथ ही, यह भारत की वैश्विक निवेश आकर्षण क्षमता, स्थिर आर्थिक नीतियों और बढ़ते बाजार के महत्व को भी उजागर करता है।

5.4 **क्षेत्र–वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाहः** यह तालिका अप्रैल 2000 से जून 2025 तक भारत में क्षेत्र वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी इनफ्लो को दर्शाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में विदेशी निवेश किन–किन

क्षेत्रों में अधिक केंद्रित है और कौन–से सेक्टर निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक रहे हैं। सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा क्षेत्र (16.38 प्रतिशत) में आया है, जिसमें बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं, आउटसोर्सिंग आदि शामिल हैं। यह भारत की सेवा–आधारित अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर (15.63 प्रतिशत) दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो भारत के सुचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेक्टर की वैश्विक पहचान और विकास को दिखाता है। तीसरे स्थान पर व्यापार (6.56 प्रतिशत) है, जो भारत के बढ़ते उपभोक्ता बाजार और व्यापारिक गतिविधियों को दर्शाता है। इसके बाद दूरसंचार (5.17 प्रतिशत) और वाहन उद्योग (5.11 प्रतिशत) आते हैं, जिनमें भारी विदेशी निवेश हुआ है।

सारणी–5: 2000 से दिसंबर 2025 तक क्षेत्र–वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह

क्र. सं.	*क्षेत्र का नाम*	*प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह की राशि*		*कुल का प्रतिशत*
		(करोड़ रू.में)	*(मिलियन डालर में)*	
1	*सेवा क्षेत्र*	*8,39,104.87*	*127,266.33*	*16.38*
2	*कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर*	*8,77,696.95*	*121,399.55*	*15.63*
3	*व्यापार*	*3,63,784.44*	*50,934.59*	*6.56*
4	*दूरसंचार*	*2,42,038.10*	*40,181.13*	*5.17*
5	*वाहन उद्योग*	*2,64,455.69*	*39,681.66*	*5.11*
6	*निर्माण (बुनियादी ढांचा) गतिविधियां*	*2,76,849.20*	*38,265.46*	*4.93*
7	*निर्माण विकास: टाउनशिप, आवास, निर्मित बुनियादी ढांचा और निर्माण–विकास परियोजनाएं*	*1,38,088.81*	*27,400.55*	*3.53*
8	*दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स*	*1,54,388.59*	*24,812.83*	*3.19*
9	*रसायन (उर्वरकों के अलावा)*	*1,81,978.36*	*24,436.43*	*3.15*
10	*गैर–पारंपरिक ऊर्जा*	*1,48,954.31*	*23,961.66*	*3.08*
11	*विद्युत*	*1,24,277.69*	*20,093.09*	*2.59*
12	*होटल और पर्यटन*	*1,19,407.30*	*19,142.67*	*2.46*
13	*धातु उद्योग*	*1,21,232.71*	*18,930.76*	*2.44*
14	*विद्युत उपकरण*	*1,10,459.97*	*15,856.23*	*2.04*
15	*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग*	*92,264.15*	*13,844.54*	*1.78*
16	*अस्पताल और निदान केंद्र*	*90,215.67*	*12,726.93*	*1.64*
17	*सूचना और प्रसारण (प्रिंट मीडिया सहित)*	*82,201.29*	*12,455.88*	*1.6*
18	*शिक्षा*	*78,403.13*	*11,276.51*	*1.45*
19	*परामर्श सेवाएं*	*81,316.97*	*11,039.62*	*1.42*
20	*पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*	*62,345.21*	*8,603.36*	*1.11*

Source: Department for Promotion of Industry and Internal Trade, quarterly fact sheet. Fact sheet on foreign direct investment (fdi) inflow. From April, 2000 to September, 2025

यह भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी और ऑटोमोबाइल निर्माण के तेजी से विस्तार को इंगित करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े क्षेत्रों में भी अच्छा निवेश देखने को मिलता है। निर्माण (बुनियादी ढांचा) गतिविधियां (4.93 प्रतिशत) और निर्माण विकास (3.53 प्रतिशत) यह दर्शाते हैं कि भारत में शहरीकरण, हाउसिंग और बुनियादी ढांचे के विकास में विदेशी निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स (3.19 प्रतिशत), रसायन (उर्वरकों के अलावा) से (3.15 प्रतिशत) और गैर–पारंपरिक ऊर्जा (3.08 प्रतिशत) जैसे क्षेत्र भी महत्वपूर्ण हैं। खासकर नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ता निवेश भारत की सतत विकास की दिशा को दर्शाता है। ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों जैसे विद्युत (2.59 प्रतिशत), धातु उद्योग मे (2.04 प्रतिशत) और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (1.11 प्रतिशत) में भी निवेश हुआ है, जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं। वहीं होटल और पर्यटन (2.46 प्रतिशत), अस्पताल और निदान केंद्र (1.64 प्रतिशत) और शिक्षा (1.45 प्रतिशत) जैसे सामाजिक और सेवा क्षेत्र भी निवेश आकर्षित कर रहे हैं। समग्र रूप से, यह तालिका दिखाती है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मुख्य फोकस सेवा, सुचना प्रौद्योगिकी, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग, ऊर्जा और सामाजिक क्षेत्रों में भी संतुलित निवेश हो रहा है। यह भारत की विविध और तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, जो वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।

इन सुझावों का उद्देश्य एक ऐसा अनुकूल माहौल बनाना है, जो निवेश को बढ़ावा दे, बाधाओं को कम करे और विदेशी निवेशकों में विश्वास जगाए। इन उपायों को लागू करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, नियामक

निकायों और हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है, ताकि निवेश के लिए एक अनुकूल माहौल बनाया जा सके और भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि भारत के आर्थिक विकास मे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्थिक विकास को गति देने, उत्पादकता बढ़ाने और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक अहम भूमिका निभाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह भारतीय अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त निवेश पूंजी लाता है। यह निवेश पूंजी में वृद्धि में योगदान देता है। पूंजी निर्माण, जो आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। वर्तमान मे उद्योगों के विस्तार, नए व्यवसायों की स्थापना और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करता है, ये सभी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं और सकल धरेलु उत्पाद में योगदान करते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अपने साथ विदेशी कंपनियों से उन्नत तकनीक, प्रबंधकीय विशेषज्ञता और बेहतरीन कार्यप्रणालियाँ लाता है। तकनीक का यह हस्तांतरण और ज्ञान का प्रसार उत्पादकता बढ़ा सकता है, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है, और घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है। बेहतर उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता से उच्च आर्थिक उत्पादन और टिकाऊ आर्थिक विकास हो सकता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह से प्राप्तकर्ता देश में रोजगार सृजन और रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत में अपना परिचालन स्थापित करने या उसका विस्तार करने वाली विदेशी कंपनियाँ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करती हैं, जिससे बेरोजगारी दर कम होती है और जीवन स्तर में सुधार होता है। रोजगार के बढ़ते स्तर से उपभोक्ता खर्च बढ़ता है और समग्र आर्थिक विकास होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्यात और व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। विदेशी कंपनियाँ अक्सर भारत में निर्यात–उन्मुख उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करती हैं, और देश के कुशल कार्यबल तथा लागत संबंधी लाभों का फायदा उठाती हैं। इससे निर्यात बढ़ सकता है, विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ सकती है, और व्यापार घाटा कम हो सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आयात प्रतिस्थापन में भी योगदान दे सकता है, क्योंकि घरेलू उत्पादन आयात की जगह ले लेता है, जिससे व्यापार संतुलन में और सुधार होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बुनियादी ढांचे के विकास में मदद कर सकता है, विशेष रूप से परिवहन, ऊर्जा और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में। बेहतर बुनियादी ढांचा न केवल व्यावसायिक कार्यों को आसान बनाता है, बल्कि अतिरिक्त निवेश को भी आकर्षित करता है, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है, और समग्र आर्थिक विकास को मजबूत करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभाव की सीमा और उसका पैमाना विभिन्न कारकों के आधार पर अलग–अलग हो सकता है, जिनमें निवेश की गुणवत्ता, नीतिगत माहौल, संस्थागत ढांचा और अर्थव्यवस्था की अवशोषण क्षमता शामिल हैं। सहायक नीतियों को लागू करना, एक अनुकूल व्यावसायिक माहौल बनाना, और उच्च–गुणवत्ता वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करना, भारत के आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने की कुंजी है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने के लिए, कई रणनीतियाँ और उपाय लागू किए जा सकते हैं।

- ❖ नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और सरल बनाएँ, विनियामक बोझ कम करें, और व्यावसायिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाएँ। ऐसे सुधार लागू करके एक व्यवसाय–अनुकूल माहौल बनाना, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए भारत में अपना व्यवसाय स्थापित करना और चलाना आसान हो जाए, लाल फीताशाही को खत्म करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को काफी हद तक आकर्षित कर सकता है।
- ❖ परिवहन, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी सहित बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश करें। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढाँचा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यावसायिक कार्यों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करता है और कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं को सक्षम बनाता है।
- ❖ विदेशी निवेशकों को निश्चितता प्रदान करने के लिए पारदर्शी और स्थिर कर नीतियाँ लागू करें। कर दरों को युक्तिसंगत बनाएँ और कर अनुपालन में आने वाली जटिलताओं को कम करें। इसके अतिरिक्त, विदेशी निवेशकों में विश्वास जगाने के लिए निवेश नीतियों में निरंतरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करें।
- ❖ शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करें ताकि एक कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके जो विदेशी निवेशकों की मांगों को पूरा कर सके। नवाचार और प्रौद्योगिकी–संचालित विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों तथा उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें।
- ❖ उच्च विकास क्षमता वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करें और उन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से तैयार की गई नीतियाँ और प्रोत्साहन विकसित करें। विनिर्माण, बुनियादी ढाँचा, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर लाभ, अनुदान और सब्सिडी जैसे क्षेत्र–विशिष्ट प्रोत्साहन प्रदान करें।

- ❖ विदेशी निवेशकों के हितों की रक्षा करने तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा सुनिश्चित करें। प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करें और बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करने तथा उनकी रक्षा करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करें।

बुनियादी ढाँचे के विकास परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाने हेतु सार्वजनिक–निजी भागीदारी के माध्यम से सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें। सार्वजनिक–निजी भागीदारी आकर्षक निवेश के अवसर पैदा करने में मदद कर सकती है और विदेशी निवेशकों के लिए एक स्थिर ढाँचा प्रदान कर सकती है।

स्रोत एवं संदर्भः

1. अब्दुलहामिद सुकर(2007). आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रभावः उप–सहारा अफ्रीका का मामला, साउथ वेस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू, 61–73 (2007)
2. अभय प्रताप सिंह आदि, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, 10 (8), 360–364 (2022
3. भावना कुन्नप्पिल्ली शंकरन, जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च, 6 (1), 461–468 (2019)
4. भव्य मल्होत्रा, ग्लोबल जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 4 (1), 17–23 (2014)
5. कार्लोस एनसिनास फेरर आदि, प्रोसीडिया इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, 24, 198–207 (2015)
6. एलेना पेलिनेस्कु और मैग्डालेना राडुलेस्कु, रोमानियन जर्नल ऑफ इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, 4, 153–169 (2009)
7. खमीस हरेब आदि, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इनोवेशन, 12 (3), 132–141 (2015)
8. लीना बकावदाह और ताहर तायची, पालार्च्स जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इजिप्ट, 18 (13), 493–498 (2021)
9. माथा और मथियाजहागन,"भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभावः एक क्षेत्रीय स्तर का विश्लेषण" (इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज वर्किंग पेपर, 2005) 1–23.
10. मोहम्मद जैन खान और राणा जहरा मसूद, Amity Journal of Management,10 (1),40–42 (2022)
11. नाजेह बौचौचा और वालिद अली, "आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभावः ट्यूनीशिया से साक्ष्य", Journal of Smart Economic Growth,4 (3), 23–46 (2019)
12. नवीन कुमार शर्मा और अन्य, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 6 (6),36–42 (2019)
13. नलैंडू मामिंगी और करीम मार्टिन, "विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विकासः Organisation of Eastern Caribbean States के देशों से साक्ष्य", (Cepal Review) 2018) 80–98.
14. साई रोहित कुमार रेड्डी बोब्बा, International Journal of Creative Research Thoughts, 10 (2), 904–911 (2022)
15. सस्वता चौधरी और अन्य, Review of Market Integration,12(1), 51–69(2020)
16. https://www.dpiit.gov.in
17. Reserve Bank of India. (2023). Annual Report 2022–23. Mumbai.

=====

आलेख उद्धरित करें :	कुमार, मुकेश (2026)। भारत के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रदर्शन का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–2, अप्रैल–जून, 2026, पृष्ठ 31–41। https://doi.org/10.5281/zenodo.21787693

Bundelkhand Journal of Academic Research

सिकंदरा स्थित सम्राट अकबर के मकबरे के स्थापत्य का ऐतिहासिक विश्लेषण

डॉ. विनय कुमार पटेल
असिस्टेंट प्रोफेसर (इतिहास), राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदा, उत्तर प्रदेश।
(**Corresponding Author:** vinay.net2012@gmail.com)
https://doi.org/10.5281/zenodo.21787817

सारांश

भारतीय इतिहास में मुगल काल को राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक विकास, सांस्कृतिक समन्वय और स्थापत्य कला के उत्कर्ष का युग माना जाता है। मुगल शासकों ने अपनी सत्ता, धार्मिक दृष्टिकोण, कला–प्रेम और सांस्कृतिक चेतना को केवल प्रशासनिक संस्थाओं के माध्यम से ही नहीं, बल्कि भव्य स्थापत्य स्मारकों के निर्माण द्वारा भी अभिव्यक्त किया। इन स्मारकों में महल, किले, मस्जिदें, उद्यान और मकबरे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मुगल स्थापत्य कला ने भारतीय, फारसी, मध्य एशियाई और स्थानीय क्षेत्रीय कला परंपराओं के समन्वय से एक नवीन स्थापत्य शैली को जन्म दिया, जिसकी विश्व स्तर पर विशिष्ट पहचान बनी। सिकंदरा (आगरा) स्थित अकबर का मकबरा मुगल स्थापत्यकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्मारक है। इसका निर्माण सम्राट अकबर ने अपने जीवनकाल में प्रारंभ करवाया था। उसने अपनी अंतिम विश्राम स्थली के लिए आगरा के निकट सिकंदरा क्षेत्र का चयन किया। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य, शांत वातावरण और राजकीय महत्व के कारण उपयुक्त माना गया। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 ई. में होने के बाद उसके उत्तराधिकारी नूरुद्दीन मुहम्मद जहाँगीर ने निर्माण कार्य को पूरा करवाया। इस प्रकार यह स्मारक अकबर और जहाँगीर दोनों के काल की स्थापत्य परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है।

आलेख सूचना			
	प्राप्त: 28 अप्रैल, 2026	**स्वीकृत:** 17 मई, 2026	**प्रकाशित:** 30 जून, 2026
	सारणी: 00	**चित्र एवं ग्राफ:** 07	**स्रोत एवं संदर्भ:** 11
	मुख्य शब्द: मकबरा, सिकंदरा, अकबर, स्थापत्य, मीनार, बहिष्ताबाद, सांस्कृतिक समन्वय।		

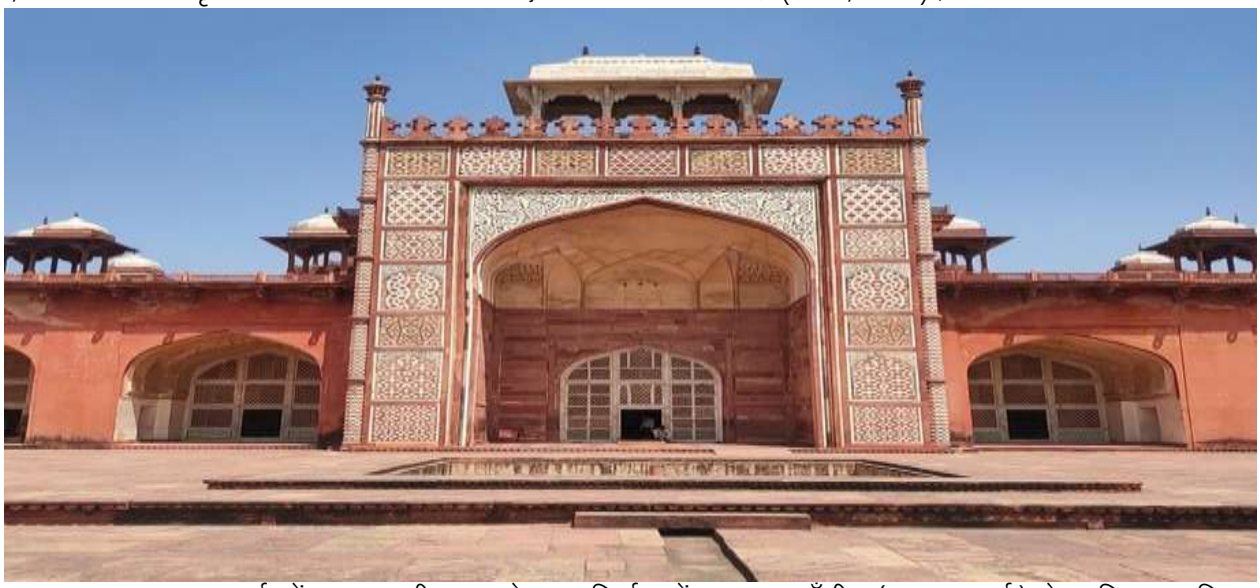
परिचय एवं पृष्ठभूमि: उत्तर प्रदेश के आगरा में सिकंदरा स्थित सम्राट अकबर का मकबरा मुगल स्थापत्य कला का एक बेजोड़ नमूना है। यह इमारत केवल एक समाधि स्थल नहीं है, बल्कि अकबर की सर्वधर्म समभाव (सुलह–ए–कुल) की विचारधारा और उसकी सांस्कृतिक दृष्टि का वास्तुकलात्मक प्रतिबिंब है। अकबर का मकबरा पारंपरिक मुगल वास्तुकला से कई मायनों में अलग और विशिष्ट है। अधिकांश मुगल मकबरों (जैसे हुमायूँ का मकबरा या ताजमहल) पर एक विशाल केंद्रीय गुंबद होता है, लेकिन अकबर के मकबरे में कोई विशाल गुंबद नहीं है। यह बौद्ध विहारों की शैली से प्रेरित एक पिरामिडनुमा इमारत है। यह मकबरा एक विशाल वर्गाकार चारबाग के केंद्र में स्थित है। बाग को पानी की नहरों और रास्तों द्वारा चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जो इस्लामी स्थापत्य में 'पैराडाइज (जन्नत)' की अवधारणा को दर्शाते हैं। सिकंदरा स्थित यह मकबरा मुगल वास्तुकला के विकास के उस संक्रमणकालीन चरण को दर्शाता है, जहाँ लाल बलुआ पत्थर के विशाल निर्माण (अकबर कालीन) से सफेद संगमरमर की सूक्ष्म पच्चीकारी (शाहजहाँ कालीन) की ओर यात्रा शुरू हो रही थी।

मकबरे की स्थापत्य का विश्लेषण: मुगल सम्राट अकबर का चरित्र मिश्रित था, लेकिन उसका व्यक्तित्व विशिष्ट था। सम्राट अकबर (1556–1605 ई.) भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। वह केवल एक शक्तिशाली विजेता और कुशल प्रशासक ही नहीं था, बल्कि कला, स्थापत्य, साहित्य और संस्कृति का महान संरक्षक भी था। सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने राजनीतिक विस्तार के साथ–साथ सांस्कृतिक विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया। उसने भारतीय समाज की विविधताओं को समझते हुए एक समन्वयवादी नीति अपनाई, जिसे सुलह–ए–कुल के नाम से जाना जाता है। उसकी यही व्यापक दृष्टि उसके द्वारा निर्मित स्थापत्य स्मारकों में भी

दिखाई देती है। फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और सिकंदरा का मकबरा उसकी स्थापत्य दृष्टि और सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उदाहरण हैं। सम्राट अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा से 4 मील पश्चिम में सिकंदरा नामक गाँव में 119 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है (कोच, 1991)। यह मकबरा एक विशाल बगीचे के बीच में स्थित है, जो 4 ऊँची, युद्ध–प्राचीर वाली दीवारों से घिरा है। प्रत्येक दीवार के मध्य में 70 फिट ऊँचा एक भव्य प्रवेश द्वार है। पश्चिम की ओर स्थित मुख्य द्वार पर फारसी में एक शिलालेख है, जिसमें लिखा है कि, इस मकबरे का निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था।

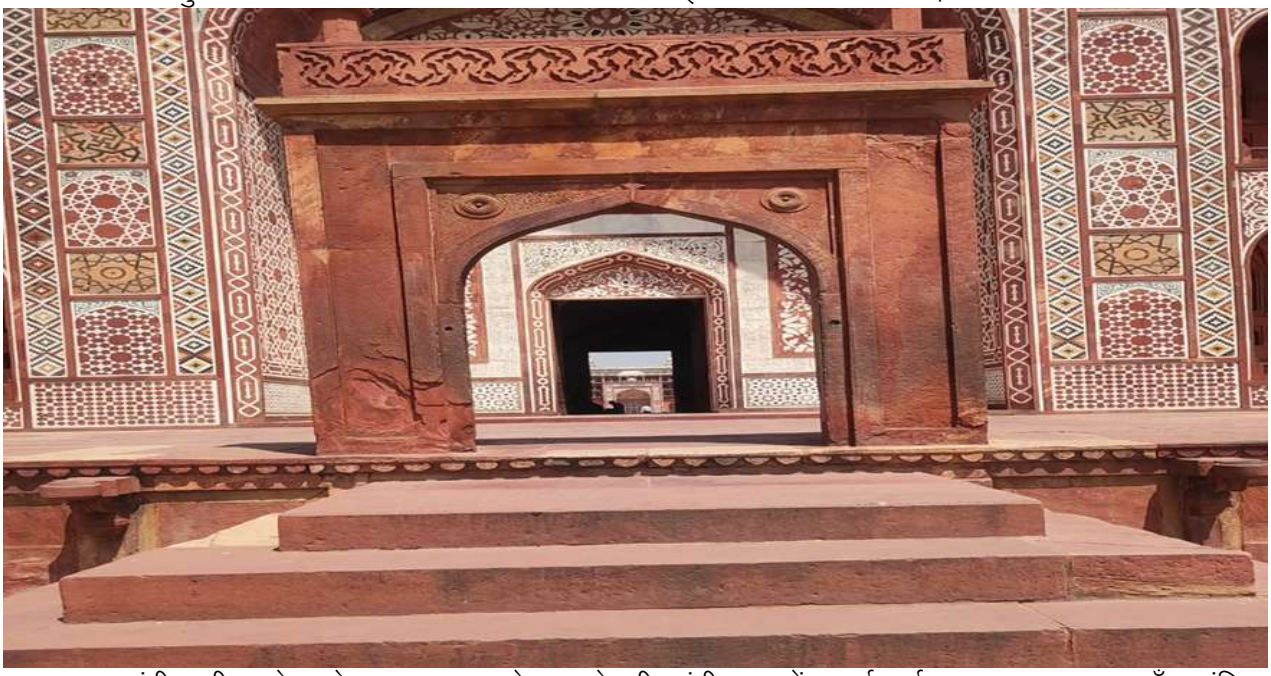


अकबर का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा से 4 मील पश्चिम में सिकंदरा नामक गाँव में 119 एकड़ के क्षेत्र में स्थित है। स्वयं अकबर ने अपने मकबरे का डिजाइन बनाया लेकिन पूर्ण नहीं करवा सका। अकबर का मकबरा हिंदुस्तान में मुगलों की संस्कृति और इतिहास को दर्शाती वास्तुकला की विभिन्न शैलियों के सम्मिश्रण का एक आदर्श उदाहरण है। यह मकबरा दिल्ली–आगरा मार्ग पर एक विशाल चारदीवारी वाले बगीचे में स्थित आंतरिक वास्तुकला का प्रतीक है। अकबर के मकबरे में हिंदू, ईसाई, इस्लामी, जैन और बौद्ध वास्तुकला शैलियों का एक उत्कृष्ट मिश्रण है, जो विभिन्न संस्कृतियों की सकारात्मकता का एक प्रतिष्ठित मिश्रण है (हॉवेल, 1904)।



अक्टूबर 1605 ई. में अकबर की मृत्यु के बाद निर्माण में सम्राट जहाँगीर (1605–27 ई.) ने व्यक्तिगत रुचि का प्रदर्शन किया। 1613 ई.की घटनाओं का निर्माण देते हुए तुजुक–ए–जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि "मैं अपने पिता के मकबरे को देखने गए। जब हमें इस पवित्र यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ,तब हमने कब्रिस्तान पर बनी इमारत देखी परन्तु वह हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं लगी। हमारी इच्छा थी कि, राहगीर उसे देखकर यह कहें कि ऐसी इमारत हमने संसार में और कहीं नहीं देखी है। इसका कारण यह था कि जिस समय यह बन रही थी उस समय दुर्भाग्य से खुसरू की घटना घटी थी और हम लाहौर चले गए तथा कारीगरों ने उसे अपने मन के अनुसार बना

डाला। फलतः सारा धन भी व्यय हो गया और तीन–चार वर्ष इसे बनने में लग गए। हमने आज्ञा दी कि अनुभवी कारीगर अन्य अनुभवी लोगों की सम्मति से निश्चित ढंग पर कई स्थानों पर नीवें डालें।"



जहांगीर की आदेश के बाद अकबर के मकबरे की ऊंची इमारतें बनाई गई। यह मकबरा एक पाँच मंजिला स्मारक है जो पिरामिड जैसा दिखता है (माली, 2017)। इसमें चार द्वार हैं और मुख्य प्रवेश द्वार दक्षिणी द्वार है। मकबरे के चारों ओर अति सुंदर बाग लगाया गया तथा एक विशाल एवं ऊंचा दरवाजा सफेद पत्थर की मीनारों सहित बनाया गया। इस ऊंची इमारत पर 15 लाख रुपए खर्च हुए जो ईरान के पचास हजार तुमान और तूरान के 45 हजार खानी के बराबर होते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने इसका नाम "बहिष्ताबाद" रखा था (कोच, 1991)।

अकबर के मकबरे के स्थापत्य कला की अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहली मुख्य विशेषता यह है कि अकबर का मकबरा एक परंपरागत इमारत नहीं है। इसका तात्पर्य है कि, इसकी शैली अन्य इमारतों की शैली से भिन्न है। इसके निर्माण में कई नई चीजों का समावेश किया गया है। अकबर के मकबरे की दूसरी विशेषता यह है कि, इस पर गुंबद का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि उपरी मंजिल समतल है।



अकबर के मकबरे की तीसरी विशेषता यह है कि मकबरे के निर्माण कला में प्रथम बार मीनार का प्रयोग किया गया था। दक्षिणी द्वार पर चार मीनारें हैं। ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने दक्षिण अभियान (1599 ई.) के दौरान चार मीनारों से प्रभावित हुआ था। इसके पहले केवल मस्जिद में ही मीनार को बनाया जाता था। अकबर के मकबरे की चौथी विशेषता यह है कि मकबरों की बनावट बौद्ध विहार जैसी है और इसका आकार पिरामिड के जैसा है (राधेश्याम, 2018)।

अकबर के मकबरे की एक अन्य विशेषता यह है कि अकबर का मकबरा एक विस्तृत एवं सुनियोजित उद्यान के मध्य में स्थित है। इस बाग की परिधि डेढ़ मील है और इसके चारों ओर दीवार घिरी हुई है। इसके चारों ओर प्रवेश द्वार हैं और सभी द्वार वैभवशाली हैं लेकिन इसका मुख्य प्रवेश–द्वार दक्षिण में सर्वाधिक आकर्षक है जिस पर संगमरमर का जड़ाऊ कार्य किया गया है। इसके प्रत्येक प्रवेश द्वार पर फारसी की पंक्तियां खुद ही हुई हैं, यह पंक्तियां अकबर के जीवन पर प्रकाश डालती हैं। इसके चारों ओर तथा चारों कोनों पर संगमरमर की एक–एक ऊँची मीनार है। प्रवेश द्वार पर कुशलतापूर्वक की गई पच्चीकारी इसकी शोभा बढ़ाती है। भूतल पर अकबर की वास्तविक कब्र संगमरमर की बनी हुई है जो कि एक पतली गैलरी के द्वारा पहुंचा जाता है। जबकि पहली मंजिल पर बनी कब नकली है तथा उन पर विभिन्न प्रकार के फूलों पत्तियां बनाए गए हैं। यहाँ पर ईश्वर के 99 नामों के साथ कब्र के सिरहाने 'अल्लाह–उ–अकबर' और पैरों की तरफ "जल्ले जलाल हूँ" के साथ हिंदू स्वास्तिक एवं ईसाईयों का क्रास भी अंकित है (हॉवेल, 1904)। कला विशेषज्ञ पर्सी ब्राउन के अनुसार "अब तक इस प्रकार की एक भी मीनार भारतीय स्थापत्य कला में प्रयुक्त हुई दिखाई नहीं देती है।"



सम्राट अकबर का मकबरा पांच मंजिली इमारत है जिसमें प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल की अपेक्षा आकार में छोटी होती गई है। सबसे निचली मंजिल का आकार 325 X 325 फिट है। चौकोर आकार वाली दूसरी मंजिल पहली मंजिल की तुलना में आकार में छोटी है। प्रत्येक कोने पर आठ अष्टकोणीय स्तंभों पर आधारित 5.18 मीटर व्यास वाली आठ स्तंभयुक्त समाधियाँ दिखाई देंगी। प्रत्येक कोने पर कुल 23 खंड बने हैं। अकबर के मकबरे की तीसरी मंजिल दूसरी मंजिल से भी छोटी है। तीसरी मंजिल पर चार समाधियाँ हैं जिनकी माप दूसरी मंजिल की समाधियों के समान है। समाधियों में नीले, पीले और हरे रंग की टाइलों का इस्तेमाल किया गया है। फर्श के किनारों पर जालियाँ लगी रेलिंग हैं जिन पर त्रिभुज, तारा, स्वस्तिक आदि विभिन्न ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हैं।



अकबर के मकबरे की चौथी मंजिल (27.16 मीटर) चौकोर आकार की है और इसके चारों ओर मेहराब एवं खंभों पर समाधि स्थल हैं। इस मंजिल में एक गुप्त मंजिल है। गुप्त मंजिल में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी लगी हैं और फिर एक संकरे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इस गुप्त मंजिल में पाँच गलियारे हैं जो एक–दूसरे को समकोण पर काटते हैं। सबसे ऊपरी मंजिल सबसे छोटी (21.34 मीटर) है जो संगमरमर से बनी है। इस मंजिल के चारों तरफ 27.16 X 2.74 मीटर मठ के समान आकृति हैं (हॉवेल, 1904)। इसे दूर से देखने पर यह बौद्ध बिहार की तरह प्रतीत होता है।

यूरोपीय कला विशेषज्ञ फर्गुसन का कहना है कि "मकबरे की ऊपरी मंजिल की डिजाइन में सिरे पर एक गुम्बद की व्यवस्था अवश्य रही होगी। इस गुम्बद के बिना यह स्मारक दबा हुआ एवं अर्थहीन सा लगता है.....इमारत की ऊँचाई अब कोने के मण्डपों से 100 फुट से कुछ ही अधिक है। अगर केन्द्रीय गुम्बद 20–40 फुट और ऊँचा होता तो यह नीचे के आधार से उचित अनुपात में होता। यह मकबरा जैसी बारीक बनावट का है, वैसा ही सुंदर एवं आनुपातिक बनाने के लिए केन्द्रीय कक्ष बड़ा बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अगर यह ऐसा बना होता तो भारतीय मकबरों में इसे ताज के बाद, दूसरा स्थान दिया जाता।'' क्लाविद् पर्सी ब्राउन ने फर्ग्यूसन से असहमति व्यक्त करते हुए लिखा है कि ''यह मकबरा ऊपर की मंजिल सहित जैसा बना है, वैसा पूर्ण है। इसकी खुली हई छत और सुरुचिपूर्ण बनावट इस इमारत के लिए उपयुक्त ही है।"



मुगल सम्राट अकबर के मकबरे में अकबर के अतिरिक्त कई अन्य लोगों की समाधि स्थल भी है। मुगल सम्राट जहाँगीर के भाई एवं अकबर के तीसरे पुत्र दानियाल मिर्जा को यहीं दफनाया गया है। अकबर की पुत्री शक्र–उन–निसा बेगम को भी यहीं दफनाया गया है। अकबर की सबसे बड़ी पुत्री खानम सुल्तान बेगम को भी यहीं दफनाया गया। मुगल सम्राट औरंगजेब की सबसे बड़ी संतान जेब–उन–निसा बेगम को भी यहीं दफनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी लेखिका फ्लोरा एनी वेबस्टर स्टील को भी यहीं दफनाया गया था (हॉवेल, 1904)।

मुगल सम्राट औरंगजेब (1658–1707 ई.) के समय जाटों के विद्रोह का नेतृत्व जाट राजाराम (1680–86 ई.) ने किया, जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। उसने कई अन्य राजाओं के साथ मिलकर आगरा किले पर हमला किया और कीमती पत्थर, धातुएँ, आभूषण आदि लूट लिए। उसने अकबर के मकबरे पर भी हमला किया और उसे लूट लिया। विदेशी यात्री निकालो मनूची के अनुसार, उसने सिकंदरा में सम्राट अकबर की हड्डियाँ खोदकर जलाकर मकबरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। चूँकि जाटों ने अकबर के मकबरे को लूटकर क्षतिग्रस्त कर दिया था, इस कारण भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन (1898–1905 ई.) ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904 के तहत 1905 ई. में अकबर के मकबरे की मरम्मत और संरक्षण के लिए जीर्णोद्धार किया।

अकबर के मकबरे में जो गैर परंपरागत शैली का प्रयोग किया गया है, यही इसकी प्रमुख विशेषता है (अहमद, 2016)। इसमें न पूर्ण रूप से इस्लामी शैली न तो हिंदू शैली और न तो पूर्ण रूप से बौद्ध शैली का प्रयोग किया गया है, बल्कि तीनों का समिश्रण दिखाई देता है। यह निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति का मकबरा है जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। सिकंदरा में स्थित सम्राट अकबर का मकबरा केवल ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत का अमूल्य अंग है। आज भी यह देश–विदेश के पर्यटकों, इतिहासकारों, स्थापत्य विशेषज्ञों तथा शोधार्थियों के लिए आकर्षण और अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा

इसके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु पर्यावरणीय प्रभाव, प्रदूषण तथा बढ़ते पर्यटन के कारण इसके संरक्षण की चुनौती निरंतर बनी हुई है। अतः इस धरोहर के संरक्षण के लिए आधुनिक वैज्ञानिक उपायों के साथ–साथ जन–जागरूकता और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी आवश्यक है (प्रसाद, 2011)।

निष्कर्ष : निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सिकंदरा स्थित सम्राट अकबर का मकबरा भारतीय इतिहास, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक समन्वय का अनुपम प्रतीक है। यह स्मारक न केवल मुगल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है, बल्कि सम्राट अकबर की उदार विचारधारा और भारतीय संस्कृति की बहुलतावादी परंपरा का भी सशक्त प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसका संरक्षण और गहन अध्ययन हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय विरासत को समझने एवं सुरक्षित रखने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है[11]।

स्रोत एवं संदर्भः

1. कोच, एबे (1991). मुगल आर्किटेक्चर, दिल्ली, 1991, पृष्ठ–70
2. हॉवेल, ई. (1904). आगरा एंड दी ताज, बम्बई 1904, पृष्ठ–98
3. माली, डॉ नारायण (2017). मध्यकालीन भारत का इतिहास, जयपुर, 2017, पृष्ठ–747
4. कोच, एबे (1991). मुगल आर्किटेक्चर, दिल्ली, 1991, पृष्ठ–70
5. प्रो. राधेश्याम (2018). मध्यकालीन प्रशासन, समाज एवं संस्कृति, इलाहाबाद 2018, पृष्ठ–365
6. हॉवेल, ई. (1904). आगरा एंड दी ताज, बम्बई 1904, पृष्ठ–98
7. हॉवेल, ई. (1904). आगरा एंड दी ताज, बम्बई 1904, पृष्ठ–98
8. हॉवेल, ई. (1904). आगरा एंड दी ताज, बम्बई 1904, पृष्ठ 98–99
9. अहमद, इम्तियाज (2016). मध्यकालीन भारत, पटना, 2016, पृष्ठ–513
10. प्रसाद, ईश्वरी (2011). मध्यकालीन भारत का संक्षिप्त इतिहास, लखनऊ, 2011, पृष्ठ–41
11. स्वयं के द्वारा सिकंदरा में जाकर गहन सर्वेक्षण और अध्ययन किया गया।

=====

आलेख उद्धरित करें :	पटेल, विनय कुमार (2026)। सिकंदरा स्थित सम्राट अकबर के मकबरे के स्थापत्य का ऐतिहासिक विश्लेषण। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–2, अप्रैल–जून, 2026, पृष्ठ 42–47। https://doi.org/10.5281/zenodo.21787817

Bundelkhand Journal of Academic Research

भारत में तीन तलाक की स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. अमित कुमार सिंह[1], डॉ. रवीश कुमार सिंह[2], डॉ. दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव[3]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट।
2. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** राजकीय महाविद्यालय महादेवा, उमरिया, बस्ती।
3. **असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र),** पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय सैदपुर, गाजीपुर।

(**Corresponding Author:** amitkumarsingh472@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21787965

सारांश

यह शोध पत्र भारत में 'तीन तलाक (तलाक–ए–बिद्दत)' की प्रथा का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। अध्ययन में तीन तलाक की ऐतिहासिकता, सामाजिक असर, जेंडर से जुड़े नजरिए और कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई है। सामाजिक परिवर्तन की गति देश, काल और परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होती रही है। संस्कृति एक गतिशील तथ्य है और वर्तमान में इस्लामी संस्कृति भी परंपरा से आधुनिकता अर्थात संक्रमणकाल से गुजर रही है। इस्लामी संस्कृति में संरचनात्मक परिवर्तन, रूपांतरण और आधुनिकता के प्रसार के परिणामस्वरूप कहीं न कहीं दबाव भी अनुभव किये जा रहे हैं। इस शोध पत्र में इस्लामी संस्कृति में महिलाओं के जीवन, परिवार के रिश्तों और व्यापक सामाजिक–आर्थिक नतीजों की चर्चा की गई है। साथ ही जेंडर से जुड़े नजरिए की भी जांच की गई है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों, इस्लामिक पारिवारिक कानून के भीतर वर्तमान में चल रही नारीवादी चर्चाओं और इंटरसेक्शनैलिटी (अलग–अलग सामाजिक पहचानों के आपसी असर) पर जोर दिया गया है। भारत में मुस्लिम महिलाओं में अभी भी शिक्षा की प्रगति बहुत धीमी है क्योंकि लड़कियों को केवल साक्षर बनाने तथा प्राथमिक और उच्च शिक्षा तक ही यह समाज सचेत दिखाई पड़ता है। इस्लाम की कुछ रूढ़िगत धारणाएं शिक्षा के साथ ही आर्थिक प्रगति, रोजगार तथा राजनीति में सामान्यतः महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करती। पर्दा प्रथा, कम उम्र में विवाह, तीन तलाक आदि कुप्रथाओं के कारण मुस्लिम महिलाओं का शोषण आंतरिक एवं वाह्य दोनों ही स्तरों पर दिखाई पड़ता है। दूसरी ओर 20 वीं शताब्दी में मुस्लिम महिलाओं के जीवन में अनेक परिवर्तन देखने को भी मिलने लगे हैं। आधुनिक समय में मुस्लिम महिलाएं शरीयत के अनुसार की शिक्षा या धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा को ग्रहण कर अपनी स्थिति को बदलने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रही हैं। परिवार और समाज के स्तर पर धीरे–धीरे मुस्लिम महिलाओं ने अपने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास को उन्नत करना प्रारंभ कर दिया है।

आलेख सूचना

प्राप्त: 02 मई, 2026 **स्वीकृत:** 23 मई, 2026 **प्रकाशित:** 30 जून, 2026

सारणी: 00 **चित्र एवं ग्राफ:** 00 **स्रोत एवं संदर्भ:** 15

मुख्य शब्द: इस्लाम, मुस्लिम विवाह, विवाह विच्छेद, तीन तलाक, आधुनिकता, कानून।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : कुरान में स्पष्ट लिखा है कि मानव अधिकारों के आधार पर स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है जन्म के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता, इस्लाम में यह भी बताया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही जीवन की एक ही सीढ़ी पर खड़े हैं। मुस्लिम समाज में विवाह या निकाह आपसी शांति, प्रेम और करुणा पर आधारित है। महिला को विवाह प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। इस्लामिक कानून के मुताबिक महिला को उसकी मर्जी के बिना किसी से शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस्लाम में पति परामर्श और दया के ढांचे के भीतर परिवार का रखरखाव करने, सुरक्षा करने और परिवार के नेतृत्व के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। पति और पत्नी की भूमिका की पारस्परिकता और पूरक प्रकृति का अर्थ किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे की अधीनता नहीं है। एक मुस्लिम जनश्रुति के अनुसार विवाह–विच्छेद कानून सम्मत तो है, परन्तु ईश्वर इसे पसन्द नहीं करता। तलाक सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुनः विचार करने और तलाक को नियंत्रित करने के

उद्देश्य से ही 'इद्दत' की अवधि पर इतना जोर दिया गया है। वर्तमान परिवर्तन की प्रवृत्तियों से मुस्लिम समुदाय भी अब अछूता नहीं है। मुस्लिम समुदाय में निकाह के साथ–साथ तलाक के संदर्भ में विगत कुछ वर्षों से कुछ न कुछ बदलाव के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं जिनके परिणामस्वरुप अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इस्लाम धर्म की जटिल रूढ़िवादी और सामान्यतः अपरिवर्तनशील परंपराओं और प्रथाओं के कारण तीन तलाक के मामले वर्तमान में और अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। तीन तलाक की बढ़ती संख्या के कारण पारिवारिक विघटन की समस्या, महिलाओं की वैवाहिक स्थिति में उत्तरोत्तर गिरावट, मानसिक आर्थिक एवं भावनात्मक समस्या के साथ–साथ बच्चों के पालन पोषण एवं जीवन निर्वाह की अनेक समस्याओं में वृद्धि दिखाई पड़ रही है।

1.1. मुस्लिमों में विवाह विच्छेदः मुस्लिम विवाह एक समझौता है न कि धार्मिक संस्कार। इस्लाम में इस समझौते को समाप्त करने की व्यवस्था भी की गई है और विवाह–विच्छेद को न्यायसंगत माना गया है। मुस्लिम समाज में अन्य समाजों की तुलना में विवाह–विच्छेद की प्रक्रिया अत्यन्त सरल है। इस्लामी कानून के तहत विवाह–विच्छेद का अधिकार सामान्यतः पुरुषों को ही दिया गया है। पुरुष बिना अदालत की सहायता के कभी भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। 'खुला' नामक विवाह–विच्छेद में स्त्री मेहर की राशि को लौटा कर विवाह–विच्छेद की माँग तो कर सकती है, परन्तु इसके लिए भी पति का तैयार होना भी आवश्यक है। मुस्लिमों में विवाह विच्छेद के दो रूप प्रचलित हैं: 1. बिना अदालत की सहायता के अर्थात परंपरागत या प्रथागत विवाह विच्छेद 2. अदालत की सहायता से अर्थात कानूनी तरीके से। मुस्लिम समाज में साधारणतः बिना अदालत की सहायता के अर्थात परंपरागत या प्रथागत विवाह विच्छेद होते हैं, तलाक के प्रथागत स्वरूप निम्न हैं:

1.1.1.(अ) तलाक–ए–अहसनः तलाक के इस प्रकार के पति पत्नी के 'तुहर (मासिक धर्म)' के समय एक बार तलाक की घोषणा कर देता है। इसके बाद 'इद्दत' की अवधि में वह पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित नहीं करता और इस अवधि के समाप्त होने पर तलाक हो जाता है। 'इद्दत' तलाक की घोषणा के बाद चार मासिक धर्मों के बीच की अवधि को कहते हैं। यह अवधि प्रायः तीन महीने की होती है।

(ब) तलाक–ए–हसनः तलाक के इस प्रकार में पति को तीन तुहरों के अवसर पर तलाक की घोषणा को दोहराना पड़ता है। इन तीनों तुहरों की अवधि के बीच वह स्त्री के साथ सहवास भी नहीं करता। इस अवधि के बाद तलाक पूर्ण हो जाता है ।

(स) तलाक–उल–बिद्दतः किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर पति, पत्नी या उसके किसी गवाह की अनुपस्थिति में भी तलाक की एक बार स्पष्ट घोषणा कर देता है और तलाक हो जाता है। कभी–कभी एक ही मासिक धर्म के अवसर पर थोड़े–थोड़े समय के बाद तलाक की तीन बार घोषणा की जाती है और फिर तलाक पूर्ण हो जाता है। तुहर के अवसर पर तलाक की घोषणा का उद्देश्य यही है कि यह ज्ञात हो जाए कि तलाक के समय स्त्री गर्भवती तो नहीं है।

1.1.2. इलाः जब पति कसम खाकर चार महीने या इससे अधिक समय तक पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध नहीं रखने की प्रतिज्ञा करता है, तो इसे 'इला' कहते हैं। इस अवधि के पश्चात् विवाह–विच्छेद हो जाता है। यदि इस काल में वह पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध कर लेता है तो इला टूट जाता है और ऐसी दशा में विवाह–विच्छेद नहीं होता है।

1.1.3. जिहरः जिहर का तात्पर्य है गैर कानूनी तुलना के द्वारा विवाह विच्छेद। यदि पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसी स्त्री सम्बन्धी से करता है, जिसके साथ विवाह सम्बन्ध वर्जित है, तो पत्नी ऐसी तुलना के लिए पति को प्रायश्चित करने को कहती है। पति यदि प्रायश्चित नहीं करता, तो ऐसी दशा में पत्नी अदालत में विवाह–विच्छेद की माँग कर सकती है।

1.1.4. खुलाः यह पारस्परिक सहमति से लिया जाने वाला तलाक है। खुला विवाह–विच्छेद का वह प्रकार है, जिसमें पत्नी पति से विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना करती है और पति के वैवाहिक अधिकारों की समाप्ति के बदले में प्रतिफल के रूप में प्राप्त मेहर को वापस लौटाकर क्षतिपूर्ति का वादा करती है।

1.1.5. मुबारतः यह विवाह–विच्छेद पति–पत्नी की पारस्परिक सहमति के आधार पर होता है। इसमें दोनों ओर से तलाक की इच्छा प्रकट की जाती है। 'खुला' में पत्नी पति को कुछ धन देती है, परन्तु यहाँ उसे कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे विवाह विच्छेद के लिए पत्नी को 'इद्दत' करना होता है और पति को इस अवधि में उसे अपने घर ही रखना पड़ता है।

1.1.6. लियानः पति द्वारा पत्नी पर व्यभिचार के आरोप के आधार पर पत्नी तलाक ले सकती है। लियान इसमें पति, पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है। पत्नी इस आरोप का खण्डन करती है और अदालत से प्रार्थना करती है कि या तो पति अपने इस आरोप को वापस ले या खुदा को हाजिर नाजिर समझकर घोषणा करे कि यह आरोप सत्य है।

1.1.7. तलाक–ए–तफवीजः इसमें पति द्वारा पत्नी को विवाह के समय दिए गए अधिकारों के आधार पर पत्नी तलाक लेती है। यह प्रत्यायोजित तलाक का एक रूप है। यह माँग विवाह के समय पति द्वारा पत्नी को दिए गए अधिकार के आधार पर की जाती है।

2. तलाक–उल–बिद्दत या तीन तलाकः विभिन्न धर्मों और समुदायों में वैध तथा मान्य तलाक की वैधानिक प्रक्रिया तथा परम्परागत प्रथाओं का अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि मुस्लिम समाज में प्रचलित तीन तलाक की प्रथा सबसे अधिक महिला–विरोधी प्रथा है। तीन तलाक का यह अन्यायपूर्ण तरीका महिला हितों के प्रतिकूल है, जिसमें तलाक शब्द को एक ही समय में तीन बार उच्चारित करने पर विवाह–विच्छेद हो जाता है और पत्नी को तुरंत पति का घर छोड़ना पड़ता है। 'शायरा बानो बनाम भारत संघ' मामले पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 में एक अहम फैसले में तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके 'तीन तलाक' की प्रथा को चुनौती दी थी क्योंकि उनके पति ने इसी तरीके से उन्हें तलाक दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि तीन तलाक भारतीय संविधान के तहत मिले उनके मौलिक अधिकारों तथा समानता और भेदभाव न होने के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि तीन तलाक मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह भारतीय संविधान में निहित लैंगिक समानता और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इस फैसले के बाद भारत सरकार द्वारा 30 जुलाई 2019 को 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019' लागू किया गया, जिसके तहत 1 अगस्त 2019 से भारत में तीन तलाक की प्रथा को अपराध बना दिया गया।

3. तीन तलाक की संवैधानिकताः भारत में तीन तलाक की संवैधानिकता कानूनी बहसों और ऐतिहासिक फैसलों का विषय रही है। इस प्रथा से जुड़ी चर्चाओं में कई संवैधानिक प्रावधानों का हवाला दिया जाता है, जो समानता, भेदभाव न करने और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित चिंताओं की व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद–14 में कानून के समक्ष समानता के आधार पर यह तर्क दिया जाता रहा कि तीन तलाक की प्रथा मूल रूप से भेदभावपूर्ण है, खासकर महिलाओं के खिलाफ, क्योंकि यह पति को एकतरफा और तुरंत शादी खत्म करने की अनुमति देती है। तीन तलाक प्रथा को कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि यह तलाक के संदर्भ में पुरुषों और महिलाओं को अलग–अलग अधिकार और शक्तियां देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद–15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है, इस अनुच्छेद के आधार पर यह तर्क दिया जाता रहा कि तीन तलाक अपनी प्रकृति से ही महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करता है, खासकर तब जब महिलाओं के पास शादी खत्म करने का ऐसा ही एकतरफा अधिकार नहीं होता। जबकि संविधान के अनुच्छेद–21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का अधिकार, के आधार पर यह तर्क दिया जाता रहा कि तीन तलाक की प्रथा में खासकर जब इसे अचानक बोला जाता है, यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, विशेष रूप से गरिमा और स्वायत्तता के साथ जीने के अधिकार का। तीन तलाक के माध्यम से शादी का अचानक खत्म होना महिलाओं के लिए गंभीर भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम पैदा करता है। जिससे उनके जीवन और गरिमा के अधिकार पर बुरा असर पड़ता है। वहीं अनुच्छेद–25 में सभी व्यक्तियों को अंतरात्मा की स्वतन्त्रता और धर्म को स्वतत्र रूप से मानने, उसका आचरण करने तथा प्रचार करने के मौलिक अधिकार, के आधार पर यह तर्क दिया जाता रहा कि तीन तलाक जैसी धार्मिक प्रथाएं लैंगिक समानता और मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों के साथ टकराव में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक और संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला करार दिया। कोर्ट ने कहा कि तीन तलाक को कानूनी मान्यता नहीं है और इसे इस्लामी कानून का जरूरी हिस्सा नहीं माना जा सकता। इस फैसले ने लैंगिक समानता के सिद्धांत को पुनः स्थापित किया और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की।

4. तलाक में वृद्धि के कारणः इस्लाम में विवाह के एक सामाजिक समझौते के कारण पुरुष द्वारा कभी भी अपनी पत्नी को मौखिक रूप से भी तलाक देने का प्रचलन समाज में मान्य रहा। पारिवारिक समस्या के रूप में विवाह विच्छेद की समस्या अनेक कारकों से प्रभावित दिखाई पड़ती है। एक समय में कोर्ट के द्वारा तलाक, न्यायिक पृथक्करण और गुजारा भत्ता जैसी प्रवृतियाँ नगरीय समाज में उच्च वर्ग और तथाकथित आधुनिक लोगों तक ही सीमित रही, पर आज यह संदर्श पूरी तरह बदल चुका है क्योंकि पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण से तलाक एक सामान्य व्यवहार की तरह मध्यम वर्ग, छोटे शहरों तथा कस्बों में भी दिखाई पड़ने लगा है। एक ओर जहां आधुनिक होती युवा पीढ़ी की बदलती मानसिकता ने धर्म और परिवार की पुरानी प्रथाओं और परंपरागत मान्यताओं को रूढ़िगत मानते हुए दरकिनार कर दिया है, वहीं विवाह या जीवनसाथी के चुनाव को अपना व्यक्तिगत अधिकार मानना प्रारंभ कर दिया है। अब यह अवधारणा बल पकड़ने लगी कि दांपत्य जीवन में बढ़ रहे तनाव, घुटन और असामंजस्य के जीवन से निकल कर नए जीवन–साथी का चुनाव कर लिया जाए या भविष्य में वैवाहिक बंधन से स्वतंत्र रहकर अकेले ही जीवन व्यतीत किया जाए। इसी मानसिकता ने वर्तमान में विवाह विच्छेद या तलाक की दर में तीव्र वृद्धि की है। भारतीय समाज में तलाक की बढ़ती हुई दर पर एकमतता इस बात पर दिखाई पड़ती है कि परिवार को संगठित बनाए रखने वाले परंपरागत मूल्यों में होने वाला परिवर्तन तलाक की वर्तमान मूल समस्या का प्रमुख कारण

है। युवा पीढ़ी आधुनिकता के दौर में स्वभाव से ही स्वतंत्र है और कानूनी माहौल से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति उसके नजरिए में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। नगरों के साथ ही अब ग्रामीण समुदाय में भी विवाहित मुस्लिम महिलाएं घरेलू हिंसा और पारिवारिक दबाव का खुलकर विरोध करने लगी हैं। शिक्षित और कामकाजी वर्ग के पुरुष तथा महिलाओं में सबसे अधिक तलाक के मामले इस दशा का परिणाम है जिनमें विवाह से पूर्व या विवाह के पश्चात यौन संबंध पारस्परिक असंतुष्टि का कारण बनते हैं। कुछ सर्वेक्षणों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में तलाक की सबसे अधिक दर बड़े महानगरों तथा मेट्रो शहरों में है। सह शिक्षा और रोजगार से संबंधित यात्रा के दौरान भी पुरुष और महिला के पारस्परिक आकर्षण से युवा पीढ़ी द्वारा परिवार की सहमति के बिना भी प्रेम विवाह होने लगे हैं। विषम स्थिति तब पैदा होती है जब विवाह से पहले प्रेम के क्षणों में किया जाने वाला समर्पण विवाह उपरांत पैदा होने वाली समस्याओं, आकांक्षाओं और इच्छाओं के आगे घुटने टेक देता है। जिसका परिणाम अंततः तलाक के रूप में दिखाई पड़ता है। तलाक का एक मुख्य कारण परिवार के नियंत्रण में तेजी से गिरावट आना भी है जहां एकाकी परिवारों में स्वयं माता–पिता के पास अपनी संतानों के लिए अब समय नहीं है वहीं मध्यम दर्जे के नगरों में स्वयं युवा पीढ़ी अपने परिवार में हस्तक्षेप को अनावश्यक मानने लगी है।

पत्नी और पति के बीच विवाद और तनाव की स्थिति में नगरों में स्थापित वैवाहिक सलाह केंद्र अथवा महिला उत्पीड़न की रोकथाम के लिए बनाए गए विशेष केन्द्रों की शरण लिया जाता है और परिवार के बुजुर्ग लोगों का कोई हस्तक्षेप स्वीकार न होने से सुलह की जगह तलाक की संभावना और भी बढ़ जाती है। आधुनिकता और भौतिकतावादी समाज के नए संदर्भ में नए तकनीकी उपकरणों की सहायता से महिलाओं ने घरेलू कार्य अब बहुत सरल और कम समय में होने लग गए हैं, जिससे बचे समय का वह स्वतंत्र रूप से आजीविका उपार्जित करने से आर्थिक सशक्तिकरण का भाव उत्पन्न हो गया है और वह अपने पारिवारिक दांपत्य जीवन में असफलता और घरेलू हिंसा का विरोध करने लगी है और अपनी स्वतंत्र पहचान के प्रति जागरूक हो गई है जिससे तलाक की नई स्थितियां पैदा होने लगी हैं। अनेक सर्वे में अब यह भी माना जाने लगा है कि पत्नी के माता–पिता का अवांछित हस्तक्षेप भी तलाक की एक बढ़ती हुई समस्या का मुख्य कारण है। पति पत्नी के छोटे से विवाद में यदि उनके माता–पिता हस्तक्षेप करते हैं तो सामान्यतः अधिकांश मामलों में मामूली गलतफहमी से आरंभ होकर बात तलाक तक पहुंच जाती है। मुस्लिम समुदाय में इन कारणों के अतिरिक्त अनेक दूसरी दशाएं भी तलाक की बढ़ती हुई दर के लिए उत्तरदायी हैं।

5. चुनौतियां: अनेक रूढ़िवादी समूहों और धार्मिक नेताओं द्वारा कोर्ट के दखल का विरोध किया और यह तर्क दिया कि यह कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ और धार्मिक प्रथाओं में दखलंदाजी है और धार्मिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर फैसले के संभावित असर को लेकर भी चिंताएँ जताई गईं। विधायी हस्तक्षेप के बावजूद तीन तलाक को अपराध बनाने को लेकर बहस जारी है। मुख्य बहसों में से एक तीन तलाक को अपराध बनाने की संवैधानिक वैधता के इर्द–गिर्द घूमती है कि तलाक जैसे नागरिक मामले को अपराध बनाना पर्सनल लॉ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि इस कदम से धार्मिक मामलों में राज्य का दखल बढ़ जाएगा जिससे धार्मिक समुदायों की स्वायत्तता कम हो सकती है। तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने की व्यावहारिक प्रभावशीलता को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं।

तर्क यह दिया जाता है कि आपराधिक सजा लागू करने से शायद यह प्रथा प्रभावी ढंग से न रुके और इसके बजाय यह गुप्त रूप से भी जारी रह सकती है, जिससे आगे आने वाले समय में इसे सुलझाना और मुश्किल हो जाए। ये वर्ग मुस्लिम समुदायों में लैंगिक भेदभाव की जड़ तक जाने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक सुधारों के महत्व पर जोर देता हैं। वहीं दूसरी ओर तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में मानने वाले समर्थकों का तर्क है कि इससे उन मुस्लिम महिलाओं को जरूरी सुरक्षा मिलती है जो इसके जरिए मनमाने ढंग से तलाक और परित्याग का शिकार होती हैं। उनका कहना है कि इस प्रथा को अपराध घोषित करने से लैंगिक भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश जाता है और पीड़ित महिलाओं को कानूनी रास्ता मिलता है। हालाँकि तर्क यह भी दिया जाता है कि केवल इसे अपराध घोषित करने से उन व्यापक सामाजिक–आर्थिक कारकों का समाधान नहीं हो सकता जो मुस्लिम समुदायों में महिलाओं की कमजोर स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। तर्क यह भी दिया जाता है कि कानूनी सुधारों के साथ–साथ धार्मिक विद्वानों और समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करके चिंताओं को दूर करने और समझ बढ़ाने के प्रयास भी करने चाहिए। एक सहयोगी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देना है जो कानूनी सिद्धांतों और धार्मिक भावनाओं दोनों का ही सम्मान करे।

तीन तलाक की बहस में ऐतिहासिक, कानूनी, संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलू सभी शामिल रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप न्यायिक हस्तक्षेप और विधायी सुधार दोनों ही हुए। कानूनी दखल और विधायी सुधार द्वारा धार्मिक रीति–रिवाजों का सम्मान करने और मौलिक अधिकारों खासकर लिंग समानता और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित किया है, पर वर्तमान में हो रही बहसें इस बात पर जोर देती हैं कि एक विविध, जटिल

और अनेकता वाले समाज में व्यक्तिगत कानूनों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में शामिल जटिलताओं पर भी ध्यान देने की महती आवश्यकता है। भारत में तीन तलाक पर न्यायिक और विधायी रोक, संवैधानिक ढांचे के भीतर कानूनी सुधारों, धार्मिक रीति–रिवाजों और लिंग न्याय से जुड़ी व्यापक चुनौतियों और उनसे निपटने के उपाय भी सुझाता है, पर जैसे–जैसे देश में इन जटिल और व्यापक मुद्दों से निपटा जा रहा है, यह जरूरी हो जाता है कि सभी वर्ग को शामिल कर बातचीत को बढ़ावा, जागरूकता, धार्मिक स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के बीच व्यापक संतुलन साधे जाएँ, जिससे एक ऐसा समावेशी समाज बन सके जो अपने राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए समानता, गरिमापूर्ण जीवन और उनके लिए न्याय प्रदान कर सके।

निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त विश्लेषण से हम यह कह सकते हैं कि पिछले वर्षों में मुस्लिम महिलाओं पर अनेक अध्ययन हुए हैं जो उनके प्रभावशाली आयाम, उनके हकों के साथ–साथ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रभाव, तलाक, बहु विवाह और इन प्रथाओं में सुधार लाने पर केंद्रित दिखाई पड़ते हैं। इन अध्ययनों में मुस्लिम महिलाओं के हक, व्यक्तिगत कानून, पहचान और लिंग के साथ–साथ जेंडर के सवाल को भी विशेष रूप से सतह पर और समाज के सम्मुख लाया गया है। भारतीय मुस्लिम महिलाओं पर मौजूद साहित्य में मुख्यतः तीन अवधारणा देखने को मिलती हैं पहली में अधिकांशतया मुस्लिम महिलाओं को नजरअंदाज किया गया, दूसरी में मुस्लिम महिलाओं को व्यक्तिगत कानून के संकुचित दायरे में रखकर देखा गया। यह विचार शरीयत और उनके प्रति पूर्वाग्रह से लिए गए कानून व धार्मिक परंपराओं को शामिल करते थे, जिसमें महिलाओं के स्थान को दोयम दर्जा दिया गया और मुस्लिम समाज भी पुरुषवादी या पितृसत्तात्मक समाज दिखाई पड़ता है। तीसरी अवधारणा यह है कि सभी महिलाओं की समस्याएं एक बराबर नहीं होती है इसलिए विकास के फायदे सभी तक समान रूप से नहीं पहुंच पाए और मुस्लिम महिलाओं के पहचान के सवाल भी अलग–अलग दिखाई पड़ते है।

आजादी के सात दशकों के पश्चात भी भारतीय मुस्लिम महिलाएं शिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन और राजनीतिक रूप से हाशिये पर खड़ी दिखाई पड़ती है। सच्चर कमीशन (2007) की रिपोर्ट में इसको खास तौर पर उजागर किया है। कानूनी सुधार पर बहस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ उनके अधिकारों और इस्लाम से जुड़ी बहसों में भागीदारी की आवश्यकता है। जिससे मुस्लिम महिलाएं अपने हक को पुनर्स्थापित कर सके, साथ ही मुस्लिम महिलाएं देश के धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील समूहों के साथ अपनी सामान्य और भागीदारी युक्त अवसरों को हासिल करने के लिए एक मंच प्राप्त करने का प्रयास कर सकें। वर्तमान में अधिकांशतया मुस्लिम महिलाएं शिक्षा तथा रोजगार प्राप्त कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं और अनेक अन्य क्षेत्रों में कार्य भी कर रही हैं। इसलिए मुस्लिम महिलाओं में पारिवारिक, सामाजिक, संस्थागत और संरचनात्मक परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं।

स्रोत एवं संदर्भः

1. गुप्ता, मोतीलाल (2019)। मुस्लिम विवाह एवं परिवार (भारत में समाज)। राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 18 वां संस्करण, जयपुर।
2. सिंह, जे.पी. (2019)। वैवाहिक प्रथा एवं तलाक (आधुनिक भारत का समाज)। रावत पब्लिकेशन, पहला संस्करण, नई दिल्ली।
3. दिनकर, रामधारी सिंह (2018)। इस्लाम धर्म (संस्कृति के चार अध्याय), लोक भारती प्रकाशन, तीसरा संस्करण, नई दिल्ली।
4. जोशी, गोपा (2015)। भारत में स्त्री असमानता। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
5. परमार, शुभ्रा (2015)। परिवार में जेंडर संबंध रू उपभोग के पैटर्न, संपत्ति का अधिकार (नारीवादी सिद्धांत और व्यवहार) ओरियंट ब्लैकस्वान प्रा.लि., पहला संस्करण, हैदराबाद।
6. वोल्सटनक्राफ्ट, मेरी (2014)। स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन। राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
7. सिन्हा, मनोज (2012)। बदलती सामाजिक संरचना (समकालीन भारत एक परिचय)। ओरियंट ब्लैकस्वान प्रा०लि०, हैदराबाद।
8. इंजीनियर, असगर अली (2008)। द राइट्स आफ वीमेन इन इस्लाम। स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा. लि., दिल्ली।
9. दुबे, श्यामाचरण (2008)। परंपरा, इतिहास बोध और संस्कृति। राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
10. आहूजा, राम (2005)। मुस्लिम एवं ईसाई विवाह (भारतीय सामाजिक व्यवस्था)। रावत पब्लिकेशन, तृतीय संस्करण, नई दिल्ली।
11. इंजीनियर, असगर अली (2003)। इस्लाम वुमेन एंड जेंडर जस्टिस। ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
12. बुवा, सिमोन द (2002)। स्त्री उपेक्षिता। हिन्दी बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली।
13. अहमद, इम्तियाज (1982)। कास्ट एंड सोशल स्ट्रक्चर अमोंग द मुस्लिम, नई दिल्ली।
14. Tomar, Ekta (2023). A case study on triple talaq and status of women in India. Shodhkosh: Journal of Visual and Performing Arts, January-June 2023, 4(1), P.1101–1108.
15. Pandey Swasti. Umair, Reshma (2024). Triple talaq in India: A comprehensive analysis of legal, social, and gender perspectives. IJCRT, Vol 12, Issue 4 April 2024, P.i966- i977.

आलेख उद्धरित करें :	सिंह, अमित कुमार, सिंह, रवीश कुमार एवं श्रीवास्तव, दुर्गेश कुमार (2026)। भारत में तीन तलाक की स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–2, अप्रैल–जून, 2026, पृष्ठ 48–52। https://doi.org/10.5281/zenodo.21787965

Bundelkhand Journal of Academic Research

उत्तर प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. वीरेन्द्र प्रताप चौरसिया
असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र), राजकीय डिग्री कॉलेज कालपी, जालौन, उत्तर प्रदेश।
(**Corresponding Author:** virendraauphd@gmail.com)
https://doi.org/10.5281/zenodo.21790001

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में उत्तर प्रदेश के राज्य सहयोगी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) के वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन दक्षता का अध्ययन किया गया है। शोध पत्र मुख्य रूप से सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय संकेतकों जैसे–एनपीए अनुपात, वसूली दर, लाभप्रदता और बाजार हिस्सेदारी का मुख्य रूप से अध्ययन करता है। इस अध्ययन में वर्ष 2010 से 2025 तक के द्वितीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, जिनका संकलन इंडियास्टैट से किया किया है जो मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), नाबार्ड और नाफ्सकॉब के आँकड़ो पर आधारित है। आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि, उत्तर प्रदेश के एससीएआरडीबी में वर्ष 2024 में एनपीए का स्तर 76.2 प्रतिशत है, जो चिंताजनक स्थिति का परिचायक है, जबकि इसी दौरान वसूली दर मात्र 27.7 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। इसके अतिरिक्त, कृषि ऋण प्रवाह में सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय हिस्सेदारी जो 2012 में 18 प्रतिशत थी वह कम होकर 2025 में 9 प्रतिशत के स्तर पर आ गई है, जो वाणिज्यिक बैंकों के बढ़ते वर्चस्व और सहकारी संस्थाओं के श्संरचनात्मक हाशिएश की स्थित को दर्शाती है। शोध से प्राप्त निष्कर्ष में एक विरोधाभास भी देखने को मिलता, जहाँ उत्तर प्रदेश का अल्पकालिक सहकारी ढांचा (राज्य सहकारी बैंकय एसटीसीबी एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकय डीसीसीबी) लाभप्रदता और निम्न एनपीए के साथ सुदृढ़ हो रहा है, वहीं दीर्घकालिक ऋण संरचना (एससीएआरडीबी) अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, यह शोध पत्र सुझाव देता है कि दीर्घकालिक सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने के लिए कठोर वसूली तंत्र, व्यावसायिक प्रबंधन और तकनीकी एकीकरण की आवश्यकता है। बिना इन सुधारों के, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में पूंजी निर्माण और कृषि विविधीकरण सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी।

प्राप्त: 06 मई, 2026	**स्वीकृत:** 25 मई, 2026	**प्रकाशित:** 30 जून, 2026
सारणी: 06	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 12
मुख्य शब्द:	सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश, एनपीए, कृषि ऋण, एससीएआरडीबी, वसूली दर।	

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, कृषि क्षेत्र वर्ष 2024–25 में जीएसडीपी में 24.9 प्रतिशत योगदान के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। साथ ही, वर्ष 2024–25 में 737.4 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन के साथ देश का अग्रणी राज्य होने के कारण, यह प्रदेश व देश की विशाल जनसंख्या का भरण–पोषण करने के साथ–साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है (आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26)। वर्तमान समय में भी प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका और रोजगार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था की विशिष्टता इसकी जोत संरचना में है, 2010–11 के आंकड़ों के अनुसार, कुल परिचालन जोत में सीमांत (79.5 प्रतिशत) और लघु किसानों (13 प्रतिशत) की संयुक्त हिस्सेदारी लगभग 92.5 प्रतिशत है। यह जोत संरचना स्पष्ट करती है कि राज्य की कृषि व्यवस्था मुख्य रूप से छोटे किसानों पर आधारित है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पता चलता है कि इन लघु और सीमांत किसानों के सामने एक मुख्य समस्या पूंजी की अनुपलब्धता रही है। स्वतंत्रता पूर्व और उसके बाद भी एक लंबे समय तक भारतीय किसान ऋण के लिए मुख्य रूप से साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहे हैं, जो इन किसानों से दिये गए ऋण पर ऊँची ब्याज दर

वसूलते थे, जिससे एक बार ऋण लेने के बाद चुका न पाने के कारण अधिकांश किसान 'कर्ज के जाल' में फंस जाते थे। हालाँकि, स्वतन्त्रता के बाद सरकार द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठाए गए, लेकिन वाणिज्यिक बैंक अपनी "हाई स्ट्रीट" प्रकृति और कठोर मानकों के कारण छोटे किसानों तक पहुँचने में सफल नहीं हो सके। वाणिज्यिक बैंकों के इस ऐतिहासिक पूर्वाग्रह ने ग्रामीण वित्तीय समावेशन में एक बड़ा अंतर पैदा किया है।

इस शून्यता को भरने में सहकारी बैंक ग्रामीण ऋण प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरे हैं। इन्हें भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की 'जीवन रेखा' माना जाता है क्योंकि इनका नेटवर्क जमीनी स्तर तक फैला हुआ है। सेवा के सिद्धांत पर आधारित ये बैंक छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों को साहूकारों के शोषण से बचाकर कम ब्याज दर पर समय पर ऋण उपलब्ध कराकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इस शोध पत्र में उत्तर प्रदेश के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन दक्षता का अध्ययन किया जाएगा है।

1.1. भारत में कृषि ऋण प्रवाह में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी: भारतीय कृषि ऋण प्रणाली में सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी में ऐतिहासिक रूप से भारी गिरावट दर्ज की गई है। 1970 के दशक में जहाँ कुल कृषि ऋण वितरण में सहकारी बैंकों का योगदान 80 प्रतिशत से अधिक था, वहीं हाल के वर्षों में यह घटकर 20 प्रतिशत से भी नीचे आ गया है। इस संरचनात्मक गिरावट के मुख्य कारणों में इन बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति, सीमित पूंजी आधार, कुप्रबंधन और वाणिज्यिक बैंकों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी पिछड़ापन, उच्च गैर–निष्पादित संपत्तियां और अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप भी इस पतन के अन्य प्रमुख कारक रहे हैं।

सारणी-1: भारत में कृषि ऋण प्रवाह में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यवसायिक बैंकों की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

वर्ष	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	व्यवसायिक बैंक
2012-2013	18	11	-
2013-2014	17	12	-
2014-2015	16.4	12.1	71.5
2015-2016	16.7	13	70.2
2016-2017	13.4	11.6	75
2017-2018	12.9	12.1	74.9
2018-2019	12.1	11.9	76
2019-2020	11.3	11.9	76.8
2020-2021	12.1	12.1	75.8
2021-2022	13.1	11	75.9
2022-2023	11	11.2	77.8
2023-2024	9.5	11.1	79.4
2024-2025	9	10.8	80.2

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

प्रस्तुत आंकड़ों का विश्लेषण भारतीय कृषि ऋण बाजार में हुए संरचनात्मक बदलाव को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। तालिका यह दर्शाती है कि सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी में निरंतर और तीव्र गिरावट आई है। वर्ष 2012–13 में जहाँ सहकारी बैंकों का योगदान 18 प्रतिशत था, वह वर्ष 2024–25 में घटकर मात्र 9 प्रतिशत रह गया है। यह 50 प्रतिशत की सीधी गिरावट सहकारी ढांचे के अस्तित्व पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। इसके विपरीत, व्यवसायिक बैंकों ने अपनी स्थिति को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया है। 2014–15 में उनकी हिस्सेदारी 71.5 प्रतिशत थी, जो 2024–25 में बढ़कर 80.2 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गई है। यह वृद्धि उनकी बेहतर तकनीक, व्यापक नेटवर्क और आक्रामक ऋण वितरण का परिणाम है। वहीं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थिति लगभग स्थिर है, जो पिछले एक दशक से 11–12 प्रतिशत के बीच ही सिमटे हुए हैं।

1.2. उत्तर प्रदेश में सहकारी साख का ढांचा: उत्तर प्रदेश में अल्पकालिक ऋण के लिए एक सुदृढ़ संघीय त्रि–स्तरीय (3-Tier) ढांचा कार्यरत है:

1.2.1. **शीर्ष स्तर (State Level):** उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, जो राज्य की सर्वोच्च वित्तीय संस्था है।

1.2.2. **जिला स्तर (District Level):** जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में ये बैंक प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में अपनी शाखाओं के माध्यम से सक्रिय हैं।

1.2.3. ग्राम स्तर (Village Level): प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), जो सीधे किसानों से जुड़ी हैं और ऋण प्रणाली की आधारशिला हैं। विश्व बैंक और एनसीईआर के अनुसार, भारत में लगभग 30 प्रतिशत माइक्रो क्रेडिट इन्हीं पैक्स के माध्यम से वितरित किया जाता है।

1.3. समस्या का कथन: पिछले कुछ दशकों में, विशेषकर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, भारतीय कृषि ऋण परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आया है। यदि हम सहकारी बैंकों के दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि, जहाँ कुल कृषि ऋण में सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय हिस्सेदारी 2012–13 में 18 प्रतिशत थी वहीं 2024–25 में घटकर मात्र 9 प्रतिशत रह गई है। उत्तर प्रदेश में यह समस्या और भी जटिल है, जहाँ एक ओर राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) लाभ के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर दीर्घकालिक ऋण संरचना (एससीएआरडीबी) 76.2 प्रतिशत जैसे अत्यधिक उच्च एनपीए और 27.7 प्रतिशत की निम्न वसूली दर के कारण अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। ऋण अनुशासन में कमी, बढ़ता राजनीतिक हस्तक्षेप और वाणिज्यिक बैंकों से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा ने सहकारी बैंकिंग की प्रासंगिकता पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

1.4. शोध के उद्देश्य: प्रस्तुत शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति और उनकी लाभप्रदता की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना।
2. कृषि ऋण प्रवाह में सहकारी बैंकों की घटती हिस्सेदारी के कारणों की पड़ताल करना।
3. राज्य में एनपीए और ऋण वसूली के तुलनात्मक स्तर का मूल्यांकन करना।
4. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के डिजिटल रूपांतरण और तकनीकी उन्नयन की वर्तमान प्रगति का अध्ययन करना।

2. शोध प्रविधि: प्रस्तुत अध्ययन मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। आंकड़ों का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, नाफ्सकॉब की वार्षिक रिपोर्टों और लोकसभा के अभिलेखों से किया गया है। अध्ययन की अवधि मुख्य रूप से 2010 से 2025 तक की है, जिससे दीर्घकालिक प्रवृत्तियों और मौजूदा बदलावों का सटीक विश्लेषण किया जा सके। आंकड़ों की व्याख्या के लिए सांख्यिकीय विधियों और तुलनात्मक विश्लेषण का प्रयोग किया गया है।

3. डेटा विश्लेषण और व्याख्या:

3.1. उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन: भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2017 से 2024 के मध्य उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) की वित्तीय स्थिति में उच्चावचन और संरचनात्मक अस्थिरता की स्थिति परिलक्षित होती है। नीचे दी गई तालिका उत्तर प्रदेश और अखिल भारतीय स्तर पर एनपीए और वसूली दर की तुलनात्मक स्थिति को दर्शाती है:

सारणी-2: उत्तर प्रदेश और भारत में एससीएआरडीबी के प्रमुख वित्तीय संकेतक

वर्ष (मार्च अंत)	उत्तर प्रदेश (NPA %)	भारत का औसत (NPA %)	उत्तर प्रदेश (Recovery %)	भारत (Recovery %)
2017	39.6	23.6	30.5	48.4
2018	44.1	25.0	25.3	46.1
2019	38.4	26.5	27.1	43.1
2020	72.1	33.0	25.5	47.1
2021	83.7	33.1	29.1	40.8
2022	80.2	36.1	29.1	42.8
2023	81.9	36.5	29.1	44.8
2024	76.2	38.3	27.7	40.8

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रकाशन एवं रिपोर्ट्स।

उपर्युक्त तालिका–2 के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के एससीएआरडीबी के एनपीए में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। एनपीए की दर यह दर वर्ष 2017 में 39.6 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2021 में तेजी से बढ़कर 83.7 प्रतिशत के चिंताजनक स्तर पर पहुँच गया। यद्यपि 2024 (अनंतिम आंकड़ों) में इसमें मामूली गिरावट आई और यह 76.2 प्रतिशत दर्ज किया गया, फिर भी यह अत्यधिक उच्च बना हुआ है। इसके विपरीत, अखिल भारतीय स्तर पर एनपीए अनुपात तुलनात्मक रूप से मध्यम रहा, जो 2017 में 23.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 38.3 प्रतिशत तक पहुँचा। वसूली निष्पादन के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश की स्थिति राष्ट्रीय मानकों की तुलना में लगातार दयनीय बनी हुई है। समीक्षाधीन अवधि (2017–2024) के दौरान राज्य में वसूली दर 25 से 30 प्रतिशत के बीच ही सीमित रही, जबकि

राष्ट्रीय औसत 40 से 48 प्रतिशत के बीच रहा है। उच्च एनपीए और निम्न वसूली दर के बीच का यह विलोम संबंध (Inverse Relationship) राज्य में 'साख अनुशासन' (Credit Discipline) को लागू करने में विफलता को प्रदर्शित करता है। यद्यपि 2021–2023 के दौरान कुछ सीमांत सुधार देखे गए, किंतु वसूली दक्षता अभी भी राष्ट्रीय बेंचमार्क तक पहुँचने में असमर्थ रही है, जो संस्था की वित्तीय स्थिरता के लिए एक प्रमुख बाधा है।

3.2. शाखा नेटवर्क और लाभप्रदता: उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) एक 'एकात्मक संरचना' का अनुसरण करते हैं। तालिका–3 के आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि समीक्षाधीन अवधि (2018–2024) के दौरान बैंक की शाखाओं की संख्या 323 पर स्थिर बनी रही। शाखा विस्तार में यह स्थिरता (Stagnation) बैंक की संस्थागत पहुंच और ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने में सीमित वृद्धि को इंगित करती है।

सारणी-3: उत्तर प्रदेश एससीएआरडीबी का शाखा नेटवर्क और लाभप्रदता (लाख रु. में)

वर्ष (मार्च अंत)	शाखाओं की संख्या	लाभ (+) / हानि (-) (लाख रु. में)	टिप्पणी
2018	323	+192	सीमांत लाभ
2019	323	-8,451	भारी घाटा
2020	323	+9,770	तीव्र वापसी
2021	323	+2,323	लाभ में गिरावट
2024 (अनंतिम)	323	+9,831	स्थिर लाभप्रदता

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण लाभप्रदता में भारी अस्थिरता और विरोधाभास को उजागर करता है। जहाँ 2019 में 8,451 लाख रुपये का घाटा था, वहीं 2024 में लाभ 9,831 लाख रुपये पहुँच गया। हालांकि, 76.2 प्रतिशत के उच्च एनपीए के साथ यह लाभ असंगत है, जो वास्तविक परिचालन मजबूती के बजाय सरकारी सहायता या लेखांकन समायोजन जैसे कृत्रिम सुधारों का संकेत देता है।

3.3. उत्तर प्रदेश में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण: प्राथमिक कृषि ऋण समितियां सहकारी ढांचे की आधारशिला हैं। नाबार्ड और लोकसभा के अभिलेखों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण उत्तर प्रदेश में पैक्स के कंप्यूटरीकरण परियोजना की प्रगति और वित्तीय आवंटन की स्थिति को दर्शाता है।

सारणी-4 : उत्तर प्रदेश में पैक्स कंप्यूटरीकरण हेतु निधियों का आवंटन एवं उपयोग (करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि	जारी राशि	उपयोग राशि
2022-23	11.28	11.28	0.00
2023-24	43.87	42.30	24.10
2024-25	50.88	0.00	-

स्रोत: लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1181 (दिनांक 03.12.2024) एवं प्रश्न संख्या 1487 (दिनांक 09.12.2025), भारत सरकार।

उत्तर प्रदेश में पैक्स के कंप्यूटरीकरण हेतु आंकड़ों का विश्लेषण प्रारंभिक जड़ता और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को उजागर करता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में शत–प्रतिशत आवंटन के बावजूद शून्य उपयोग प्रशासनिक शिथिलता को दर्शाता है, हालांकि 2023–24 में 57 प्रतिशत निधि के उपयोग ने सुधार के संकेत दिए हैं। इसके बावजूद, 2024–25 में उच्च आवंटन के बाद भी फंड जारी होने में देरी श्प्रशासनिक बाधाओंश और श्सीमित कार्यान्वयन क्षमताश की पुष्टि करती है। निष्कर्षतः, पैक्स का डिजिटल रूपांतरण पारदर्शिता और वसूली प्रदर्शन के लिए अनिवार्य है, किंतु निधियों का विलंबित उपयोग इस सुधार प्रक्रिया को बाधित कर रहा है, जिसके लिए तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है।

3.4. उत्तर प्रदेश में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति: अल्पकालिक सहकारी साख संरचना के अंतर्गत जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 के नवीनतम अनंतिम आंकड़ों का विश्लेषण उत्तर प्रदेश में इन बैंकों के संतोषजनक प्रदर्शन और वित्तीय स्थिरता को प्रदर्शित करता है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के आंकड़े उत्तर प्रदेश के सभी 50 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में पूर्ण लाभप्रदता और 18,564 लाख रू. का संचयी लाभ दर्शाते हैं, जो कुशल परिचालन प्रबंधन का परिचायक है। 5.8 प्रतिशत का निम्न एनपीए और 81.2 प्रतिशत की उच्च वसूली दर राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन की पुष्टि करती है, जिससे बैंकों का नकदी प्रवाह और ऋण पुनर्चक्रण मजबूत हुआ है। तुलनात्मक रूप से, ये अल्पकालिक ऋण संस्थान राज्य–स्तरीय

दीर्घकालिक संस्थानों (एससीएआरडीबी) की अपेक्षा अधिक वित्तीय अनुशासन और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। निष्कर्षतः, जिला स्तर पर प्रभावी ऋण मूल्यांकन ने इन बैंकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।

सारणी-5: उत्तर प्रदेश बनाम भारत: डीसीसीबी के प्रमुख वित्तीय संकेतक (2024-25)

क्षेत्र / मानक	डीसीसीबी की संख्या	लाभार्जन करने वाले बैंकों की संख्या	कुल लाभ (लाख रु.)	एनपीए अनुपात (%)	वसूली दर (%)
उत्तर प्रदेश	50	50	18,564	5.8%	81.2%
अखिल भारत	351	301	3,66,986	8.7%	76.4%

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक, 2024-25।

3.5. कृषि ऋण वसूली और मांग का विश्लेषण: नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड (नाफ्सकॉब) से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण उत्तर प्रदेश में सहकारी ऋणों की प्रकृति और उनकी केंद्रित प्रवृत्तियों को उजागर करता है।

सारणी-6: उत्तर प्रदेश में सहकारी बैंकों की ऋण वसूली का वर्गीकरण (लाख रु.)

ऋण श्रेणी	कृषि वसूली	गैर-कृषि वसूली	कुल वसूली
अल्पकालिक	4,62,006	29,640	4,91,646
मध्यम-कालिक	0	0	0
अन्य	-	-	498
कुल योग	**4,62,006**	**29,640**	**4,92,144**

स्रोत: नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड (नाफ्सकॉब), 2023-24।

उत्तर प्रदेश की सहकारी ऋण संरचना के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यहाँ ऋण वसूली मुख्य रूप से अल्पकालिक कृषि ऋणों तक सीमित है, जो कुल वसूली का लगभग 94 प्रतिशत (4,62,006 लाख रुपये) है। गैर–कृषि वसूली का अत्यंत न्यून होना और मध्यम–कालिक ऋणों की वसूली का शून्य होना ग्रामीण साख विविधीकरण के अभाव को दर्शाता है। ऋण की मांग और वसूली का यह असंतुलित स्वरूप इंगित करता है कि ये बैंक केवल मौसमी फसल ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने तक सिमट गए हैं। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में श्पूंजी निर्माणश और श्आर्थिक विविधीकरणश को बाधित करती है। सतत विकास हेतु इन बैंकों को पारंपरिक फसल ऋण प्रदाता की छवि से बाहर निकलकर एक बहुआयामी वित्तीय संस्थान के रूप में विकसित होना अनिवार्य है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : प्रस्तुत शोध पत्र का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) वर्तमान में एक गंभीर वित्तीय संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। प्रमुख वित्तीय संकेतकों का अध्ययन करने पर प्राप्त निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि जहाँ शीर्ष स्तर पर श्राज्य सहकारी बैंकश (एसटीसीबी) लाभप्रदता और एनपीए प्रबंधन में सफल रहा है, वहीं दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने वाले एससीएआरडीबी संरचनात्मक विफलता के कगार पर हैं। विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश के एससीएआरडीबी में एनपीए का स्तर (76.2 प्रतिशत) राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुना है, जो ऋण मूल्यांकन और परिसंपत्ति प्रबंधन की प्रभावशीलता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। इसके अतिरिक्त, 27.7 प्रतिशत की अत्यंत न्यून वसूली दर यह सिद्ध करती है कि राज्य में दीर्घकालिक कृषि निवेश हेतु ऋण अनुशासन का अभाव है। यद्यपि 2018 के बाद लाभप्रदता के आंकड़ों में कृत्रिम सुधार देखा गया है, किंतु उच्च एनपीए के साथ इसकी असंगतता यह संकेत देती है कि यह सुधार वास्तविक परिचालन दक्षता के बजाय सरकारी पुनर्पूंजीकरण और बजटीय सहायता का परिणाम अधिक है।

उत्तर प्रदेश में कृषि ऋण के प्रवाह में सहकारी बैंकों की घटती बाजार हिस्सेदारी (जो राष्ट्रीय स्तर पर 18 प्रतिशत से गिरकर 9 प्रतिशत रह गई है) यह चेतावनी देती है कि इन संस्थानों को तत्काल तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है। पैक्स (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण में देखी गई श्प्रारंभिक जड़ताश और निधियों का विलंबित उपयोग डिजिटल रूपांतरण की गति को बाधित कर रहा है। यदि इन बैंकों को ग्रामीण उत्तर प्रदेश की श्जीवन रेखाश के रूप में पुनर्जीवित करना है, तो अल्पकालिक जिला सहकारी बैंकों के सफल मॉडल को अपनाते हुए दीर्घकालिक ऋण तंत्र में भी कठोर वसूली प्रक्रिया, तकनीकी पारदर्शिता और व्यावसायिक प्रबंधन को अनिवार्य रूप से

लागू करना होगा। बिना इन मूलभूत परिवर्तनों के, वाणिज्यिक बैंकों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच सहकारी साख संरचना की प्रासंगिकता बनाए रखना एक कठिन चुनौती होगी।

स्रोत एवं संदर्भः

1. Agarwal, S. (2019). Role of cooperative bank in rural credit. Remarking: An Analysation, 3(11), E-4–E-9.
2. Chaudhari, V. M., & Farmer, M. (2022). An empirical study of structure and performance of state co-operative agriculture and rural development banks and affiliated primary cooperative agriculture and rural development banks in India. Gujarat Journal of Extension Education, 33(1), 41–52. https://doi.org/10.56572/gjoee.2022.33.1.0010
3. Kanchan. (2016). Role of cooperative banks in agricultural finance: The case study of Punjab. International Education & Research Journal, 2(11).
4. Mishra, A. (2019). Banking reform and agriculture financing through banks in Uttar Pradesh. Contemporary Social Sciences, 28(1), 192–205.
5. Prasad, R. K., Rizvi, A. Z., Srivastava, N. K., & Kumar, S. (2020). Promoting business through co-operative marketing: An empirical study in Uttar Pradesh. International Journal of All Research Education and Scientific Methods (IJARESM), 8(12), 989–1008.
6. Rajesh, U., & Kalluraya, S. (2024). The role of credit co-operative institutions in agriculture: A review. TIJER - International Research Journal, 11(1), 280–286.
7. Sahni, M. (2019). Agriculture credit by cooperative bank in India: An analysis. International Journal of Engineering Development and Research (IJEDR).
8. Singh, A. (2020). Role of cooperative banks in agricultural development. International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology (IARJSET), 7(6), 45–49. https://doi.org/10.17148/IARJSET.2020.7605
9. Soni, A. K., & Saluja, H. P. S. (2012). Role of cooperative bank in agricultural credit: A study based on Chhattisgarh. Abhinav National Monthly Refereed Journal of Research in Commerce & Management, 1(10), 106–112.
10. The Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973.
11. Uma Devi, R., & Govt, S. R. K. (2012). The role of credit co-operatives in the agricultural development of Andhra Pradesh, India. International Journal of Cooperative Studies, 1(2), 55–64.
12. Zaidi, S., & Tiwari, M. (2018). Agricultural credit issues and its growth in Uttar Pradesh. International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT).

=====

आलेख उद्धरित करें :	चौरसिया, वीरेन्द्र प्रताप (2026)। उत्तर प्रदेश में सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषणात्मक अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–2, अप्रैल–जून, 2026, पृष्ठ 53–58। https://doi.org/10.5281/zenodo.21790001

Bundelkhand Journal of Academic Research

चित्रकूट जिले के गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन

डॉ. गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'[1], राम लखन[2]

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।
2. **शोधार्थी (एमए अर्थशास्त्र),** गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश।

(**Corresponding Author:** gajendrashodh1988@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21790094

सारांश

चित्रकूट बुंदेलखंड का एक ऐसा जिला है जो भौगोलिक चुनौतियों के कारण आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है। नीति आयोग द्वारा इसे आकांक्षी जिला घोषित किया गया, जिसके बाद से यहाँ गरीबी निवारण और बुनियादी विकास के लिए सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई है। गरीबी वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास जीवन निर्वाह का एक बुनियादी स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन या संसाधन नहीं होते हैं। गरीबी निवारण या गरीबी उन्मूलन आर्थिक और मानवीय उपायों का एक समूह है, जिसका उद्देश्य लोगों को स्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकालना है। गरीबी निवारण एक जटिल समस्या है जिसके लिए समंवित और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। गरीबी उन्मूलन के लिये भारत 'क्रमिक दृष्टिकोण' अपना रहा है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और आजीविका संवर्धन को शामिल किया गया है। चूंकि वर्ष 2030 तक दुनिया से सभी लोगों के लिए चरम गरीबी का उन्मूलन सतत विकास लक्ष्यों का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए, प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं ने चित्रकूट को 'गरीबी के टैग' से बाहर निकालने में कोई अहम भूमिका निभाई है और बुनियादी सुविधाओं के स्तर पर यहाँ की गरीबी को किस हद तक कम किया है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में चित्रकूट जिले के गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

आलेख सूचना			
प्राप्त: 20 मई, 2026	**स्वीकृत:** 30 मई, 2026	**प्रकाशित:** 30 जून, 2026
सारणी: 32	**चित्र एवं ग्राफ:** 00	**स्रोत एवं संदर्भ:** 19
मुख्य शब्द:	गरीबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा, सशक्तिकरण, बुनियादी सुविधाएं, चित्रकूट।	

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि : भारत में गरीबी उन्मूलन (गरीबी हटाओ) का आधिकारिक रूप से सूत्रपात पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) के दौरान किया गया था। इस अवधारणा का मुख्य लक्ष्य आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और बुनियादी जरूरतों (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) को पूरा करना था। देश में तब से अब तक गरीबी निवारण के प्रयास अनवरत जारी हैं। हालांकि देश के कई क्षेत्रों में गरीबी अभी भी एक बडी चुनौती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र का चित्रकूट जिला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जितना समृद्ध है, आर्थिक रूप से यह लंबे समय से उतनी ही गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। हालांकि, हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं के असर से यहाँ की गरीबी दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग द्वारा निर्गत बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, चित्रकूट में गरीबी की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह जिला काफी पिछड़ा रहा है। वर्ष 2015–16 (एनएफएचएस–4) में चित्रकूट की लगभग 52.86 प्रतिशत आबादी बहुआयामी रूप से गरीब थी। वर्ष 2019–21 (एनएफएचएस–5) के आंकड़ों के आधार पर जारी रिपोर्ट में इसमें 21.40 प्रतिशत अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इस सुधार के बावजूद, चित्रकूटधाम मंडल और बुंदेलखंड क्षेत्र के अन्य जिलों की तुलना में चित्रकूट में गरीबी अनुपात अब भी काफी संवेदनशील श्रेणी में आता है। चित्रकूट में जिले की कुल आबादी का पांचवां हिस्सा अभी भी गरीबी के दलदल में जी रहा है।

चित्रकूट की गरीबी केवल मौद्रिक (आय की कमी) नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई भौगोलिक और सामाजिक कारण जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, चित्रकूट का बड़ा हिस्सा पठारी और पथरीला है। यहाँ कृषि योग्य भूमि सीमित है और मिट्टी की जलधारण क्षमता बहुत कम है। बुंदेलखंड का यह हिस्सा लंबे समय से सूखा प्रवण रहा है। सिंचाई के साधनों की कमी के कारण किसान साल में केवल एक ही मुख्य फसल ले पाते हैं, जिससे कृषि से होने वाली आय बेहद कम है। जिले में बड़े उद्योगों या निजी नौकरियों के अवसरों का अभाव है। जिले के लोग आजीविका के लिए पूरी तरह से खेती, वनोपज (जैसे तेंदूपत्ता, महुआ संग्रह) या मजदूरी आय पर निर्भर हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार न मिलने के कारण हर साल पुरुषों और युवाओं का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली, मुंबई और सूरत जैसे महानगरों में मजदूरी के लिए पलायन करता है। चित्रकूट के मानिकपुर और पाठा जैसे सुदूर वन क्षेत्रों में कोल जैसी जनजातियां निवास करती हैं। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों की पहुंच कठिन रही है।

1.1. गरीबी का आशयः गरीबी की अन्तर्राष्ट्रीय परिभाषा में समय के साथ परिवर्तन होते रहे हैं। अब यह आर्थिक अस्तित्व पर केंद्रित दृष्टिकोण से विवर्तित होकर बहुआयामी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हो चुकी है। विश्व बैंक प्रतिदिन 3.00 डॉलर (2021 की अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर समायोजित) की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (आईपीएल) का उपयोग करके अत्यधिक गरीबी को मापता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र आय से परे जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक बहिष्कार को भी शामिल करता है। भारत में भी गरीबी की परिभाषा अब केवल भोजन तक सीमित नहीं है। पहले गरीबी में केवल 'कैलोरी (भोजन)' को आधार माना गया था (जैसे दांडेकर–रथ समिति, अलघ समिति, लकड़ावाला समिति)। अब गरीबी बहुआयामी (जैसे लकड़ावाला समिति, रंगराजन समिति) हो गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल और जीवन स्तर को भी शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक का उपयोग करते हैं। निरपेक्ष गरीबी का अर्थ बुनियादी जरूरतों का अभाव है, जबकि सापेक्ष गरीबी समाज के औसत आय स्तर की तुलना में मापी जाती है।

ऐतिहासिक रूप से गरीबी की अवधारणा मुख्य रूप से एक स्थानीय या राष्ट्रीय चिंता का विषय थी। लेकिन 1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पहला मानकीकृत वैश्विक मानदंड बनाया, जिसे व्यापक रूप से 'डॉलर–प्रतिदिन' रेखा के रूप में स्थापित किया गया है। गरीबी का यह निरपेक्ष माप दुनिया के सबसे गरीब देशों की क्रय शक्ति के आधार पर भोजन, वस्त्र और आश्रय जैसी न्यूनतम जीवनयापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक औसत सीमा को दर्शाता है। हालांकि इस औसत सीमा में समय समय पर आवधिक मौद्रिक समायोजन भी किए गए हैं। जैसे–जैसे मुद्रास्फीति और वैश्विक जीवनयापन की लागत बढ़ी, इस आधारभूत रेखा को इसके वास्तविक मूल्य को बनाए रखने के लिए समय–समय पर संशोधित करने की आवश्यकता पड़ी है। उदाहरण के लिए वर्ष 2008 में अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा को 1 डॉलर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.25 डॉलर प्रतिदिन कर दिया गया। वर्ष 2015 में विकासशील देशों में अद्यतन मूल्य आंकड़ों को दर्शाने के लिए (2011 की क्रय शक्ति समता (पीपीपी) का उपयोग करते हुए) इसे बढ़ाकर 1.90 डॉलर प्रतिदिन कर दिया गया। वर्ष 2022 में इसको समायोजित करके 2.15 डॉलर प्रतिदिन (2017 पीपीपी) कर दिया गया। जून 2025 में विश्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर बुनियादी आवश्यकताओं की लागत को अधिक सटीक रूप से दर्शाने के लिए चरम गरीबी की सीमा को बढ़ाकर 3.00 डॉलर प्रतिदिन कर दिया। यह बदलाव 2021 के पीपीपी का इस्तेमाल करता है ताकि दुनिया भर में भोजन, आवास और अन्य बुनियादी जरूरतों की बढ़ती लागत को सही ढंग से दिखाया जा सके। भारतीय मुद्रा में यह लगभग 250 रुपए प्रतिदिन से कम कमाने वाले लोगों की स्थिति को दर्शाता है।

1.2. गरीबी निवारण हेतु सरकारी योजनाएंः भारत में गरीबी कम करने वाली सरकारी योजनाओं को मजदूरी उपलब्ध कराने, स्वरोजगार पैदा करने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी जरूरतों के आधार पर बांटा जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा गरीबी निवारण हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो रोजगार सृजन, आवास, खाद्य सुरक्षा और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित हैं, इनमें से प्रस्तुत शोध में शामिल योजनाएं निम्न प्रकार हैं:

1.2.1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार की सुविधा प्रदान करती है।

1.2.2. दीनदयाल अंत्योदय योजनाय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से स्थायी आजीविका और कौशल प्रदान किया जाता है।

1.2.3. प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) और शहरी (पीएमएवाई–यू) क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्के घर बनाए जाते हैं।

1.2.4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के माध्यम से सभी पात्र परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न (अनाज) प्रदान किया जाता है, ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा मिल सके।

1.2.5. **प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)** गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए वित्तीय समावेशन योजना है, जिसके तहत जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोल दिए जाते हैं। यह बैंकिंग, बीमा और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) तक पहुंच सुनिश्चित करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है।

1.2.6. **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई)** के तहत ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण द्वारा व्यवसाय और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

1.2.7. **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)** भारत सरकार की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है, जिसका लक्ष्य युवाओं को मुफ्त, उद्योग–प्रासंगिक प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके रोजगार योग्य बनाना है। यह रोजगार क्षमता में सुधार के लिए कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित करती है।

1.2.8. **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)** के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है।

1.2.9. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)** के तहत विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन प्रदान किया जाता है।

1.2.10. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम–किसान)** केंद्र सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपए की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में (प्रत्येक 2000 रुपए) सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी भूमि–धारक किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।

1.3. **शोध के उद्देश्यः** प्रस्तुत शोध के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या चित्रकूट के अंतिम छोर अथवा हाशिए के परिवारों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है? यदि मिल रहा है तो लाभार्थियों की आय और जीवन–स्तर में कितना सुधार हुआ है? इसलिए प्रस्तुत शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं रू

1. चित्रकूट जिले में संचालित गरीबी निवारण योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना।
2. गरीबी निवारण योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन करना।
3. गरीबी निवारण योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का आकलन करना।
4. लक्षित परिवारों पर योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना।

2. साहित्य की समीक्षाः साहित्य समीक्षा किसी विशेष शोध विषय पर पहले से प्रकाशित पुस्तकों, लेखों और शोध–पत्रों का आलोचनात्मक विश्लेषण है। इसका उद्देश्य स्रोतों का सारांश देना, उनके निष्कर्षों का मूल्यांकन करना और वर्तमान शोध में मौजूद अंतरालों की पहचान करके अपने वर्तमान शोध के लिए आधार तैयार करना है। यह प्रक्रिया प्रस्तावित शोध को प्रामाणिकता प्रदान कर यह सुनिश्चित करती है कि प्रस्तावित शोध कार्य पहले से किए गए अध्ययनों का दोहराव न हो।

बुंदेलखंड क्षेत्र में हालिया वर्षों में किए गए शोध अध्ययन बताते हैं कि 'हर घर नल योजना' के तहत चित्रकूट के ग्रामीण व पहाड़ी इलाकों में पीने का साफ पानी पहुंचने से महिलाओं के श्रम और समय की बचत हुई है, जिससे वे अन्य आजीविका गतिविधियों में जुड़ सकी हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को छोटे–मोटे गृह उद्योग (जैसे दोना–पत्तल बनाना, डेयरी, सिलाई) से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण और धार्मिक पर्यटन के विकास से चित्रकूट के शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों और स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन (शौचालय) और मुफ्त राशन वितरण ने परिवारों के जीवन स्तर के अभावों को सीधे तौर पर कम किया है।

शोध अध्ययन बताते हैं कि चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक हिस्सा है, जो लंबे समय से सूखे, पथरीली भूमि और ढांचागत पिछड़ेपन से जूझता रहा है। बुंदेलखंड में ग्रामीण आजीविका पर अपने अध्ययन में उन्होंने रेखांकित किया कि लगातार पड़ने वाले सूखे और कृषि की वर्षा पर निर्भरता ने यहाँ की ग्रामीण आबादी की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। यहाँ गरीबी उन्मूलन के लिए केवल वित्तीय सहायता नहीं, बल्कि स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन और कौशल विकास की दीर्घकालिक योजनाओं की आवश्यकता है (पुरूषोत्तम एवं सारंगा पाणि, 2016)।

नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, चित्रकूट उत्तर प्रदेश के उन जिलों में से एक है जहाँ बहुआयामी गरीबी (स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर) की दर ऐतिहासिक रूप से उच्च रही है, हालांकि हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं के सघन क्रियान्वयन से इस दर में काफी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण के लिए रोजगार गारंटी और कौशल विकास योजनाओं को सबसे प्रभावी माध्यम माना गया है।

शोधकर्ताओं (जैसे जेईटीआईआर, 2022) के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने चित्रकूट जैसे पिछड़े जिलों में संकटकालीन समय (विशेष रूप से कोरोना महामारी और सूखे के दौर) में ग्रामीण परिवारों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम किया। यह योजना सीधे तौर पर ग्रामीण परिवारों के उपभोग स्तर को बढ़ाने और पलायन को रोकने में आंशिक रूप से सफल रही है। हालांकि, कई अध्ययनों में प्रशासनिक शिथिलता और समय पर भुगतान न होने जैसी बाधाओं को भी रेखांकित किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर हुए कुछ शोध अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर वित्तीय साक्षरता और लघु उद्यमों के लिए सूक्ष्म वित्तीयन प्रदान करने से महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है। चित्रकूट के संदर्भ में, स्वयं सहायता समूहों ने महिला सशक्तिकरण और घरेलू गरीबी को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के शोध पत्रों (जैसे कौशल विकास व ग्रामीण कल्याण अध्ययन) में पाया गया कि उज्ज्वला योजना ने गरीब और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को धुएं से मुक्ति देकर उनके स्वास्थ्य में सुधार किया है। हालांकि, समीक्षा यह भी दर्शाती है कि गरीबी के कारण कई परिवार सिलेंडर को दोबारा भरवाने में असमर्थ रहते हैं, जिससे इसके पूर्ण लाभ में कमी आती है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और वित्तीय समावेशन के संबंध में शोधकर्ताओं (गुलिया, 2025 व अन्य) ने पाया कि डीबीटी (जैसे पीएम–किसान, छात्रवृत्ति और पेंशन) के कारण सरकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार और 'लीकेज' में भारी गिरावट आई है, जिससे वास्तविक गरीबों तक सीधे पैसा पहुँच रहा है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर बैंकिंग बुनियादी ढांचा और डिजिटल साक्षरता की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती है। कुछ शोध अध्ययनों से पता चलता है कि चित्रकूट में हो रहे हालिया बदलावों और पर्यटन आधारित विकास का गरीबी उन्मूलन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। चित्रकूट को 'डिफेंस कॉरिडोर' और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी से जोड़ने के साथ–साथ पर्यटन क्षेत्र में निवेश से स्थानीय रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। धार्मिक और पारिस्थितिक पर्यटन के विकास से यहाँ के हस्तशिल्पकारों, छोटे दुकानदारों और स्थानीय सेवा प्रदाताओं की आय में सुधार हुआ है।

2.1. शोध अंतरालः किसी विषय पर शोध करते समय अनुसंधान अंतराल को पहचानना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। यह वह क्षेत्र है जहाँ मौजूदा अध्ययनों में कमी रह गई है और प्रस्तावित शोध उन कमियों को पूरा करके एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। इस संदर्भ में ज्यादातर शोध केवल एकल योजनाओं (जैसे केवल मनरेगा, केवल उज्ज्वला, या केवल जनधन योजना) के व्यक्तिगत प्रभावों का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन योजनाओं के मिश्रित प्रभाव पर शोध की कमी है कि जब एक ही गरीब परिवार को एक साथ कई योजनाएं (जैसे पीएम आवास + शौचालय + उज्ज्वला + जल जीवन मिशन + राशन) मिलती हैं, तो उसका संचयी या संयुक्त प्रभाव गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कितना कारगर होता है।

अधिकांश अध्ययनों में प्राथमिक आंकड़े उन गांवों या ब्लॉक मुख्यालयों से एकत्र किया जाता है जो सड़क मार्ग से सुगम हैं। जबकि चित्रकूट के वन–क्षेत्रीय, दुर्गम और पथरीले इलाकों (विशेष रूप से पाठा क्षेत्र और सुदूर कोल/आदिवासी बहुल मजरे) में कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी पहुंच और प्रभाव का कोई विशिष्ट तुलनात्मक डेटा उपलब्ध नहीं है। मुख्यधारा के गांवों बनाम सुदूर गांवों के बीच योजनाओं के प्रभाव की विषमता पर भी शोध की आवश्यकता है।

अधिकांश अध्ययन गरीबी निवारण को केवल 'तात्कालिक उपभोग' या राहत के चश्मे से देखते हैं (जैसे मुफ्त राशन मिलने से भोजन की सुरक्षा)। लेकिन क्या ये सरकारी योजनाएं चित्रकूट के गरीबों को दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्रदान कर रही हैं, या वे केवल सरकारी सहायता पर ही निर्भर बने हुए हैं? मनरेगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाएं ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को ऐसा कौशल प्रदान करने में कितनी सफल रहीं कि वे योजना बंद होने के बाद भी स्वयं कमा सकें? इस प्रकार के 'कौशल–आजीविका संबंध' पर बहुत कम शोध हुआ है।

महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन और उनकी वित्तीय पहुंच पर सांख्यिकीय अध्ययन उपलब्ध हैं। चित्रकूट जैसे पारंपरिक और पितृसत्तात्मक समाज वाले जिले में, महिलाओं के नाम पर मिलने वाले वित्तीय लाभ (जैसे स्वयं सहायता समूह का ऋण, पीएम आवास का मालिकाना हक) पर वास्तव में किसका नियंत्रण है? क्या योजनाएं महिलाओं को निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति दे पा रही हैं या वे केवल कागजों पर लाभार्थी हैं? महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास की राह में आने वाले सामाजिक अवरोधों और योजनाओं के क्रियान्वयन के बीच की खाई पर गहरा गुणात्मक शोध उपलब्ध नहीं है।

3. अनुसंधान पद्धतिः उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित चित्रकूट जिला भौगोलिक रूप से पथरीला, सूखा प्रवण और सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। यहाँ गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं (जैसे मनरेगा,

पीएम आवास, एनआरएलएम आदि) के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक बहु–आयामी शोध पद्धति निम्नानुसार हैरू

3.1. शोध डिजाइनः चित्रकूट जिले में गरीबी निवारण योजनाओं के प्रभाव के अध्ययन के लिए 'मिश्रित शोध पद्धति' सबसे उपयुक्त है। इससे योजनाओं के मात्रात्मक और गुणात्मक बदलाव दोनों का सटीक मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

3.2. शोध की आवश्यकताः प्रस्तुत अध्ययन योजनाओं की जमीनी हकीकत समझने, वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने और नीति निर्माण में सुधार के लिए आवश्यक है ताकि बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र चित्रकूट से गरीबी को उन्मूलित और पलायन को रोका जा सके। यह क्षेत्र जल संकट और कृषि की उच्च संवेदनशीलता से जूझ रहा है। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि सरकारी योजनाओं (जैसे मनरेगा, पीएम आवास योजना) का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों, विशेषकर सीमांत समूहों तक पहुँच रहा है या नहीं। अकांक्षी जिला होने के कारण जिले के विकास के लिए भारी बजट आवंटित होता है। अध्ययन यह जानने में मदद करता है कि बजट का सही उपयोग अथवा सदुपयोग हो रहा है या नहीं। चूंकि हर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति अलग होती है, इसलिए यह अध्ययन स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नीतियां बनाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, चित्रकूट में केवल कृषि आधारित योजनाओं के बजाय जल प्रबंधन और सूक्ष्म उद्यमों (जैसे पशुपालन) को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिसका सही मार्गदर्शन ऐसे अध्ययनों से मिलता है।

3.3. लक्षित जनसंख्याः चित्रकूट जिले में गरीबी निवारण योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए लक्षित जनसंख्या का चयन शोध के उद्देश्यों और भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर है। अध्ययन में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले या फिर गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्तकर्ता दोंनों को शामिल किया गया है। अध्ययन में जिले के ग्रामीण और शहरी परिवार दोनों शामिल हैं।

3.4. नमूना आकारः जिले के 3 विकास खंडों को शोध में शामिल किया गया, जिनमें से कुल 70 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण में शामिल किया गया है। उत्तरदाताओं के नमूने में ऐसे गरीब परिवारों को शामिल किया गया है, जो कम से कम 3 अथवा 3 से अधिक योजनाओं के लाभार्थी हैं।

3.5. नमूना तकनीकः खुले प्रश्नों वाली एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई है, जिसमें जनसांख्यिकी, भूमि स्वामित्व, आय के स्रोत, प्राप्त योजनाओं के लाभ और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसके अलावा समूह केंद्रित चर्चा भी की गई है। शोध को सटीक बनाने के लिए जिले के विभिन्न विकास खंडों से स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि का उपयोग करके उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

3.6. अध्ययन का क्षेत्रः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र का चित्रकूट जिला धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जितना समृद्ध है, आर्थिक रूप से यह लंबे समय से उतनी ही गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। चित्रकूट की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, धार्मिक पर्यटन और हस्तशिल्प पर निर्भर है। जिले का मुख्य आधार कृषि है। जिले के करीब 70 प्रतिशत किसान सीमांत श्रेणी के हैं, और मुख्य फसलें चावल, गेहूं, चना और मसूर हैं। हालाँकि, अनियमित मानसून और सूखे के कारण कृषि आय सीमित है। इसके बावजूद, सरकारी योजनाओं के असर से यहाँ की गरीबी दर में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, चित्रकूट में गरीबी की स्थिति में सुधार तो हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह जिला काफी पिछड़ा रहा है। इसलिए प्रस्तुत अध्ययन में चित्रकूट जिले के 3 विकासखंडों को शोध में शामिल किया गया।

4. आंकड़ों का विश्लेषण एवं निर्वचनः प्राथमिक आँकड़ों का विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन आदि से प्राप्त जानकारी को व्यवस्थित करके उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्रस्तुत विश्लेषण का उद्देश्य यह बताना है कि एकत्रित आँकड़े शोध के उद्देश्यों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति एवं पर्यावरण से प्रभावित होता है। सभी समूहों की किसी योजना के प्रति राय समान नहीं हो सकती। लिंग, आयु, जाति, धार्मिक विश्वास, सस्कृति, शिक्षा आदि चिंतन एवं शोध के स्तर पर प्रभाव डालते हैं। उत्तरदाता जिस सामाजिक–आर्थिक संदर्भ समूह में रह रहे होते हैं, उसका प्रभाव उनकी प्रतिक्रया पर भी पड़ता है।

सारणी–1 में सरकारी योजनाओं के 70 लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण लिंग, जाति, समुदाय और शैक्षिक स्थिति के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। सारणी के अनुसार कुल 70 उत्तरदाताओं में 51.43 प्रतिशत महिलाएँ तथा 48.57 प्रतिशत पुरुष हैं। स्पष्ट है कि अध्ययन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक है। जाति के आधार पर अनुसूचित जाति के 42.86 प्रतिशत उत्तरदाता सर्वाधिक हैं। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के 34.29 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के 22.86 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अपेक्षाकृत अधिक अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों तक पहुँचा है।

धर्म के आधार पर 72.86 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू तथा 27.14 प्रतिशत उत्तरदाता मुस्लिम एवं अन्य धर्मों से संबंधित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में हिन्दू लाभार्थियों का अनुपात अधिक है। शैक्षिक स्तर के अनुसार 34.29 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित हैं, जो सर्वाधिक है। इसके बाद 30.00 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षित, 25.71 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षित तथा 10.00 प्रतिशत उच्च शिक्षित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश लाभार्थी निम्न शैक्षिक स्तर से संबंधित हैं तथा उच्च शिक्षित लाभार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

सारणी–1 के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अध्ययन में महिलाओं की भागीदारी थोड़ी अधिक है। लाभार्थियों में अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रभुत्व दिखाई देता है।

सारणी-1: सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सामाजिक पृष्ठभूमि का विवरण

सामाजिक पृष्ठभूमि	वर्गीकरण	आवृत्ति	प्रतिशत
लैंगिक संरचना	पुरुष	34	48.57
	महिला	36	51.43
जाति संरचना	सामान्य वर्ग	16	22.86
	अन्य पिछड़ा वर्ग	24	34.29
	अनुसूचित जाति	30	42.86
धार्मिक संरचना	हिन्दू	51	72.86
	मुस्लिम व अन्य	19	27.14
शैक्षिक स्थिति	अशिक्षित	24	34.29
	प्राथमिक शिक्षित	21	30.00
	माध्यमिक शिक्षित	18	25.71
	उच्च शिक्षित	07	10.00
	कुल उत्तरदाता	**70**	**100**

अधिकांश उत्तरदाता हिन्दू धर्म के हैं, जबकि शैक्षिक दृष्टि से अशिक्षित एवं प्राथमिक शिक्षित लाभार्थियों की संख्या अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि सरकारी योजनाओं का लाभ मुख्यतः सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से अपेक्षाकृत वंचित वर्गों तक पहुँच रहा है।

4.1. गरीबी निवारक योजनाओं का योजना आधारित प्रभाव : गरीबी निवारण में विभिन्न सरकारी योजनाओं के योजना आधारित प्रभाव का आकलन सारणी–2 से 9 तक प्रस्तुत किया गया है, जिनके तहत सरकारी योजनाओं के प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण किया गया है।

सारणी–2 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्राप्त निःशुल्क खाद्यान्न से परिवार में खाद्य सुरक्षा की समस्या कम होने के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल 70 उत्तरदाताओं में से 48.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि योजना से मिलने वाले मुफ्त अनाज के कारण उनके परिवार में खाद्य सुरक्षा की समस्या कम हुई है। इसके विपरीत 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने खाद्य सुरक्षा की समस्या कम होना स्वीकार नहीं किया, जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे उत्तरदाताओं ने योजना को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में लाभकारी माना है। हालांकि, एक उल्लेखनीय हिस्सा इसके प्रभाव को स्वीकार नहीं किया तथा कुछ उत्तरदाता निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके। इससे निष्कर्ष निकलता है कि योजना का प्रभाव सकारात्मक रहा है, लेकिन इसका लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया।

सारणी-2: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से मिले मुफ्त अनाज से परिवार में भुखमरी की समस्या दूर हुई है?	हां	34	48.57
	नहीं	25	35.71
	अनिश्चित	11	15.71
	कुल योग	70	100

सारणी-3: प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलने से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा में बदलाव आया है?	हां	30	42.86
	नहीं	28	40.00
	अनिश्चित	12	17.14
	कुल योग	70	100

सारणी–3 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान प्राप्त होने से परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा में आए परिवर्तन के संबंध में उत्तरदाताओं की राय दर्शायी गई है। कुल उत्तरदाताओं में से 42.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि पक्का मकान मिलने से उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। वहीं 40.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इसके अतिरिक्त 17.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सामाजिक प्रतिष्ठा पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। हालांकि, लगभग समान अनुपात में उत्तरदाताओं ने इसका प्रभाव अनुभव नहीं किया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि योजना ने अनेक परिवारों के सामाजिक सम्मान में वृद्धि की है, किन्तु इसका प्रभाव सभी लाभार्थियों में समान रूप से परिलक्षित नहीं हुआ।

सारणी–4 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस (एलपीजी) उपलब्ध होने से महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर पड़े प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल उत्तरदाताओं में से

42.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उज्ज्वला योजना से उन्हें सकारात्मक लाभ प्राप्त हुआ तथा महिलाओं के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ। इसके विपरीत 37.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना का कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (42.86 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने उज्ज्वला योजना के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि स्वच्छ ईंधन के उपयोग से धुएँ के संपर्क में कमी आई, जिससे महिलाओं के स्वास्थ्य तथा घरेलू जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। हालांकि, पर्याप्त संख्या में उत्तरदाताओं ने इसके प्रभाव को अनुभव नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना का लाभ सभी लाभार्थियों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है।

सारणी-4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना योजना का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या उज्ज्वला योजना में रसोई गैस मिलने से महिलाओं के स्वास्थ्य और समय की बचत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है?	हां	30	42.86
	नहीं	26	37.14
	अनिश्चित	14	20.00
	कुल योग	70	100

सारणी-5: राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या एनएसएपी (वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग) के माध्यम से लाभार्थियों को बुढ़ापे में संबल मिला है?	हां	33	47.14
	नहीं	27	38.57
	अनिश्चित	10	14.29
	कुल योग	70	100

सारणी–5 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन) के माध्यम से लाभार्थियों को सामाजिक एवं आर्थिक संबल मिलने के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल उत्तरदाताओं में से 47.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि कार्यक्रम से उन्हें वृद्धावस्था, विधवा अथवा दिव्यांगता की स्थिति में आवश्यक सहायता प्राप्त हुई। इसके विपरीत 38.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें अपेक्षित सहायता नहीं मिली, जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का प्रभाव अधिकांश उत्तरदाताओं के लिए सकारात्मक रहा है। लगभग आधे उत्तरदाताओं ने माना कि योजना ने आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी, एक उल्लेखनीय प्रतिशत ने योजना के प्रभाव को नकारा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना के क्रियान्वयन, लाभ वितरण अथवा पहुँच में कुछ व्यावहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दोनों का लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यद्यपि अधिकांश उत्तरदाताओं ने इन योजनाओं के लाभों को स्वीकार किया है, फिर भी कुछ उत्तरदाताओं ने अपेक्षित लाभ न मिलने अथवा प्रभाव स्पष्ट न होने की बात कही है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उनके क्रियान्वयन, जागरूकता तथा लाभ वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

सारणी-6: महात्मा गांधी नरेगा का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या मनरेगा के तहत रोजगार मिलने से लाभार्थियों परिवारों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो पाती हैं?	हां	31	44.29
	नहीं	26	37.14
	अनिश्चित	13	18.57
	कुल योग	70	100

सारणी-7: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता में सुधार हुआ है?	हां	31	44.29
	नहीं	30	42.86
	अनिश्चित	09	12.86
	कुल योग	70	100

सारणी–6 में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध होने से लाभार्थी परिवारों की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति पर पड़े प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल उत्तरदाताओं में से 44.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिलने से उनके परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिली। इसके विपरीत 37.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वहीं 18.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि मनरेगा का लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने रोजगार उपलब्ध होने से परिवार की आर्थिक स्थिति एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सुधार होने की पुष्टि की है। हालांकि, एक उल्लेखनीय संख्या ने योजना के अपेक्षित लाभ से असहमति व्यक्त की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना का प्रभाव सभी लाभार्थियों पर समान रूप से नहीं पड़ा है।

सारणी–7 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) से जुड़ने के बाद महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता में सुधार के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल उत्तरदाताओं में से 44.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि मिशन से जुड़ने के बाद महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता में सुधार हुआ है।

इसके विपरीत 42.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें इस प्रकार का कोई विशेष सुधार अनुभव नहीं हुआ। जबकि 12.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि, 'हाँ' और 'नहीं' के उत्तरों में बहुत कम अंतर है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना का प्रभाव मिश्रित रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि जहाँ कुछ महिलाओं को स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों एवं वित्तीय गतिविधियों से लाभ मिला, वहीं कुछ लाभार्थियों तक इसका अपेक्षित प्रभाव पूरी तरह नहीं पहुँच पाया है।

इस तरह यह कहा जा सकता है कि मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोनों का लाभार्थियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मनरेगा ने रोजगार उपलब्ध कराकर परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान दिया, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी, पर्याप्त संख्या में उत्तरदाताओं द्वारा नकारात्मक अथवा अनिश्चित राय व्यक्त किए जाने से यह स्पष्ट होता है कि इन योजनाओं के प्रभाव को व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन, जागरूकता तथा लाभों की पहुँच में सुधार की आवश्यकता है।

सारणी-8: पीएम किसान सम्मान निधि का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली राशि के उपयोग से आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है?	हां	30	42.86
	नहीं	27	38.57
	अनिश्चित	13	18.57
	कुल योग	70	100

सारणी-9: सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभाव

योजना के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने चित्रकूट के गरीब परिवारों में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया है?	हां	40	57.14
	नहीं	19	27.14
	अनिश्चित	11	15.71
	कुल योग	70	100

सारणी–8 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता का लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति पर पड़े प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल उत्तरदाताओं में से 42.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि पीएम–किसान योजना से प्राप्त राशि के उपयोग से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 38.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना से उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। वहीं 18.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं ने योजना को आर्थिक सहायता प्रदान करने में उपयोगी माना है। योजना से प्राप्त राशि ने किसानों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं तथा दैनिक खर्चों की पूर्ति में कुछ हद तक सहायता की है। हालांकि, 'हाँ' और 'नहीं' के उत्तरों के बीच कम अंतर यह दर्शाता है कि योजना का प्रभाव सभी लाभार्थियों के लिए समान रूप से संतोषजनक नहीं रहा। अतः योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सहायता राशि एवं उसके समयबद्ध वितरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सारणी–9 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होने के संबंध में उत्तरदाताओं की राय प्रस्तुत की गई है। कुल उत्तरदाताओं में से 57.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने उनके परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके विपरीत 27.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजना से उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिला, जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अनिश्चित प्रतिक्रिया दी है। इससे स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभाव अन्य योजनाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक रहा है, क्योंकि आधे से अधिक उत्तरदाताओं ने इसके पक्ष में राय व्यक्त की है। इससे यह संकेत मिलता है कि रियायती दरों पर खाद्यान्न की उपलब्धता ने गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा उनकी आर्थिक कठिनाइयों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर भी, कुछ उत्तरदाताओं द्वारा असंतोष व्यक्त किया जाना यह दर्शाता है कि योजना के क्रियान्वयन एवं वितरण व्यवस्था में अभी भी सुधार की आवश्यकता है।

इस तरह यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों ने लाभार्थियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। पीएम–किसान योजना ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभाई। विशेष रूप से पीडीएस के पक्ष में 57.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं की सहमति यह दर्शाती है कि गरीबी निवारण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। हालांकि, दोनों योजनाओं के संदर्भ में कुछ उत्तरदाताओं ने असंतोष अथवा अनिश्चितता व्यक्त की है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के प्रभाव को व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन, पारदर्शिता और लाभों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

4.2. गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं का आर्थिक प्रभाव : गरीबी निवारण में विभिन्न सरकारी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का आकलन सारणी–10 से 19 तक प्रस्तुत किया गया है, जिनके तहत सरकारी योजनाओं के आर्थिक प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण किया गया है।

सारणी–10 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं से जुड़ने के बाद लाभार्थियों के परिवारों की मासिक आय में वृद्धि हुई है और कुल उत्तरदाताओं में से 48.57 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं से जुड़ने के बाद उनके परिवार की मासिक आय में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 38.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें आय में कोई विशेष वृद्धि अनुभव नहीं हुई। जबकि 12.86 प्रतिशत अनिश्चित रहे और स्पष्ट राय नहीं दे सके। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे (48.57 प्रतिशत) लाभार्थियों का मानना है कि सरकारी योजनाओं का उनकी मासिक आय बढ़ाने में सकारात्मक योगदान रहा है। हालांकि, 38.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आय में वृद्धि से इनकार किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया। वहीं 12.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं की अनिश्चितता यह दर्शाती है कि कुछ लाभार्थियों को योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का स्पष्ट अनुभव नहीं हुआ। कुल मिलाकर, सरकारी योजनाओं का परिवारों की मासिक आय पर सकारात्मक लेकिन सीमित प्रभाव दिखाई देता है।

सारणी-10: परिवारों की मासिक आय में वृद्धि पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से जुड़ने के बाद लाभार्थियों परिवारों की मासिक आय में वृद्धि हुई है?	हां	34	48.57
	नहीं	27	38.57
	अनिश्चित	09	12.86
	कुल योग	70	100

सारणी-11: चित्रकूट जिले में गरीबी निवारण पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं का चित्रकूट जिले में गरीबी निवारण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है?	हां	42	60.00
	नहीं	18	25.71
	अनिश्चित	10	14.29
	कुल योग	70	100

सारणी–11 में कुल उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं का चित्रकूट जिले में गरीबी निवारण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और कुल उत्तरदाताओं में से 60.00 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं ने गरीबी निवारण में सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसके विपरीत 25.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 14.29 प्रतिशत अनिश्चित रहे और स्पष्ट राय नहीं दे सके। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (60.00 प्रतिशत) यह मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने चित्रकूट जिले में गरीबी कम करने में सकारात्मक योगदान दिया है। इसके विपरीत 25.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता निश्चित राय नहीं दे सके। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी योजनाओं का गरीबी निवारण पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, किंतु योजनाओं के प्रभाव को व्यापक एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक परिवार इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

सारणी-12: परिवारों के आय स्तर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के आय स्तर को बढ़ाया है?	हां	33	47.14
	नहीं	27	38.57
	अनिश्चित	10	14.29
	कुल योग	70	100

सारणी-13: परिवारों के वित्तीय समावेशन पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से गरीब परिवारों का वित्तीय समावेशन हुआ है?	हां	41	58.57
	नहीं	20	28.57
	अनिश्चित	09	12.86
	कुल योग	70	100

सारणी–12 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या गरीबी निवारण सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के आय स्तर को बढ़ाया है और कुल उत्तरदाताओं में से 47.14 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के कारण परिवारों के आय स्तर में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 38.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का आय स्तर पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे और उन्होंने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 47.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि गरीबी निवारण सरकारी योजनाओं ने परिवारों के आय स्तर में वृद्धि करने में सकारात्मक योगदान दिया है। हालांकि 38.57 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत नहीं हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। वहीं 14.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं की अनिश्चितता यह दर्शाती है कि कुछ लोगों को योजनाओं के प्रभाव का स्पष्ट अनुभव नहीं हुआ। अतः यह कहा जा सकता है कि गरीबी निवारण योजनाओं का परिवारों के आय स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, किंतु इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने की आवश्यकता है।

सारणी–13 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से गरीब परिवारों का वित्तीय समावेशन हुआ है और कुल उत्तरदाताओं में से 58.57 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवार वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया से जुड़े हैं। इसके विपरीत 28.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का वित्तीय समावेशन पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 12.86 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि 58.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के माध्यम से अधिक लोगों के बैंक खाते खुले, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), बचत, ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ी है। दूसरी ओर 28.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, जबकि 12.86 प्रतिशत उत्तरदाता कोई निश्चित राय नहीं दे सके। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने में सकारात्मक एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यद्यपि इसकी पहुँच और प्रभावशीलता को बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है।

सारणी-14: लाभार्थियों के उपभोग स्तर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों के उपभोग स्तर में सुधार हुआ है?	हां	34	48.57
	नहीं	25	35.71
	अनिश्चित	11	15.71
	कुल योग	70	100

सारणी-15: बचत और बीमा में वृद्धि पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों परिवारों के बचत और बीमा में वृद्धि हुई है?	हां	38	54.29
	नहीं	22	31.43
	अनिश्चित	10	14.29
	कुल योग	70	100

सारणी–14 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों के उपभोग स्तर में सुधार हुआ है और कुल उत्तरदाताओं में से 48.57 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं से उनके परिवार के उपभोग स्तर में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का उपभोग स्तर पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे और उन्होंने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे (48.57 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं के कारण लाभार्थियों के उपभोग स्तर में सुधार हुआ है। इससे संकेत मिलता है कि योजनाओं से प्राप्त आय एवं अन्य सुविधाओं के कारण परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं, खाद्य सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य उपभोग संबंधी खर्चों को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता निश्चित राय नहीं दे सके। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों के उपभोग स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, किन्तु इस प्रभाव को अधिक व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

सारणी–15 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थी परिवारों की बचत और बीमा में वृद्धि हुई है और कुल उत्तरदाताओं में से 54.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के कारण परिवारों की बचत तथा बीमा सुरक्षा में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 31.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का बचत एवं बीमा पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 54.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों में बचत की प्रवृत्ति तथा बीमा सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया है। इसका अर्थ है कि योजनाओं के माध्यम से परिवारों की आर्थिक सुरक्षा में सुधार हुआ और वे भविष्य के जोखिमों से बचाव के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। हालांकि 31.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया और 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों की बचत एवं बीमा कवरेज में सकारात्मक योगदान दिया है, किन्तु सभी पात्र परिवारों तक इन लाभों की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

सारणी-16: वित्तीय सहायता के अवसर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभांवित परिवारों को वित्तीय सहायता के अवसर बढे हैं?	हां	41	58.57
	नहीं	23	32.86
	अनिश्चित	06	8.57
	कुल योग	70	100

सारणी-17: वित्तीय समझ और बाजार पहुंच पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों परिवारों के वित्तीय समझ और बाजार पहुंच में वृद्धि हुई है?	हां	45	64.29
	नहीं	18	25.71
	अनिश्चित	07	10.00
	कुल योग	70	100

सारणी–16 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभार्थी परिवारों को वित्तीय सहायता के अवसर बढ़े हैं और कुल उत्तरदाताओं में से 58.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अवसरों में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 32.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं से वित्तीय सहायता के अवसरों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। जबकि 8.57 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे और उन्होंने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। इससे स्पष्ट होता है कि 58.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अवसरों का विस्तार किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के माध्यम से ऋण, अनुदान, सब्सिडी और अन्य आर्थिक सहायता तक पहुँच पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है। दूसरी ओर 32.86 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत नहीं हैं, जबकि 8.57 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का वित्तीय सहायता के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, यद्यपि इसकी पहुँच और प्रभावशीलता को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

सारणी–17 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों की वित्तीय समझ और बाजार तक पहुँच में वृद्धि हुई है और कुल उत्तरदाताओं में से 64.29 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं ने उनकी वित्तीय जागरूकता तथा बाजार तक पहुँच को बढ़ाया है। इसके विपरीत 25.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि 64.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सरकारी योजनाओं के कारण लाभार्थियों की वित्तीय समझ में वृद्धि हुई है तथा उन्हें बाजार, बैंकिंग सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक बेहतर पहुँच प्राप्त हुई है। यह प्रतिशत सभी उत्तरों में सर्वाधिक है, जो दर्शाता है कि योजनाओं ने लाभार्थियों की आर्थिक जागरूकता और बाजार से जुड़ाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरी ओर 25.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस प्रभाव को स्वीकार नहीं किया, जबकि 10.00 प्रतिशत उत्तरदाता निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का वित्तीय साक्षरता, आर्थिक जागरूकता एवं बाजार पहुँच पर उल्लेखनीय सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे लाभार्थियों की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है।

सारणी-18: अनौपचारिक ऋण की कमी पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या वित्तीय समर्थन देने वाली योजनाओं के लाभ से परिवार की अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम हुई है?	हां	38	54.29
	नहीं	21	30.00
	अनिश्चित	11	15.71
	कुल योग	70	100

सारणी-19: उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभांवित परिवारों के उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है?	हां	42	60.00
	नहीं	20	28.57
	अनिश्चित	08	11.43
	कुल योग	70	100

सारणी–18 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या वित्तीय समर्थन देने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ से परिवारों की अनौपचारिक ऋण (साहूकार, महाजन आदि) पर निर्भरता कम हुई है और कुल उत्तरदाताओं में से 54.29 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के कारण अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी आई है। इसके विपरीत 30.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे और उन्होंने कोई स्पष्ट राय व्यक्त नहीं की है। इससे स्पष्ट होता है कि 54.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाली वित्तीय सहायता, बैंकिंग सुविधाओं और अन्य संस्थागत सहायता के कारण परिवारों की साहूकारों एवं अन्य अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की आवश्यकता में कमी आई है। दूसरी ओर 30.00 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत नहीं हैं, जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता निश्चित राय नहीं दे सके। इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं ने अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करने में सकारात्मक योगदान दिया है, यद्यपि इस लाभ को अधिक व्यापक बनाने के लिए योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता में सुधार की आवश्यकता है।

सारणी–19 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभार्थी परिवारों के उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है और कुल उत्तरदाताओं में से 60.00 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि सरकारी योजनाओं के कारण उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत 28.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि 11.43 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों को कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएँ, पशुपालन, स्वरोजगार हेतु उपकरण, ऋण एवं अन्य उत्पादक संसाधनों तक बेहतर पहुँच प्रदान की है। इससे उनकी आय सृजन क्षमता तथा आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर 28.57 प्रतिशत उत्तरदाता इस मत से सहमत नहीं हैं, जबकि 11.43 प्रतिशत उत्तरदाता कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं

कर सके। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं का उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे लाभार्थी परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है।

4.3. गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं का सामाजिक प्रभाव : गरीबी निवारण में विभिन्न सरकारी योजनाओं के सामाजिक प्रभाव का आकलन सारणी–20 से 31 तक प्रस्तुत किया गया है, जिनके तहत सरकारी योजनाओं के सामजिक प्रभाव के संबंध में उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण किया गया है।

सारणी–20 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 50.00 प्रतिशत का मानना है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से गरीब परिवारों का सशक्तिकरण हुआ है। इसके विपरीत 31.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि योजनाओं से गरीब परिवारों का सशक्तिकरण नहीं हुआ। जबकि 18.57 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट है कि आधे (50 प्रतिशत) उत्तरदाता सरकारी योजनाओं को गरीब परिवारों के सशक्तिकरण में प्रभावी मानते हैं। यद्यपि लगभग एक–तिहाई उत्तरदाता (31.43 प्रतिशत) इससे सहमत नहीं हैं, फिर भी सकारात्मक मत रखने वालों की संख्या अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि सरकारी योजनाओं का गरीब परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, हालांकि इसकी प्रभावशीलता सभी लाभार्थियों तक समान रूप से नहीं पहुँच सकी है।

सारणी-20: गरीब परिवारों के सशक्तिकरण पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से गरीब परिवारों का सशक्तिकरण हुआ है?	हां	35	50.00
	नहीं	22	31.43
	अनिश्चित	13	18.57
	कुल योग	70	100

सारणी-21: महिलाओं के सशक्तिकरण पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है?	हां	37	52.86
	नहीं	23	32.86
	अनिश्चित	10	14.29
	कुल योग	70	100

सारणी–21 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 52.86 प्रतिशत का मानना है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। इसके विपरीत 32.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हुआ। जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (52.86 प्रतिशत) सरकारी योजनाओं को महिलाओं के सशक्तिकरण में सहायक मानते हैं। जबकि 32.86 प्रतिशत उत्तरदाता इससे असहमत हैं और 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता कोई स्पष्ट राय नहीं दे सके। इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं निर्णयात्मक भागीदारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस तरह दोनों सारणियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव महिलाओं के सशक्तिकरण (52.86 प्रतिशत) पर गरीब परिवारों के सशक्तिकरण (50.00 प्रतिशत) की अपेक्षा थोड़ा अधिक सकारात्मक पाया गया। अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने गरीबी निवारण के साथ–साथ समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर गरीब परिवारों एवं महिलाओं, के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि कुछ उत्तरदाता असहमत या अनिश्चित भी हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के प्रभाव को व्यापक एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

सारणी-22: ग्रामीण परिवारों के पलायन पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या गाँव में ही रोजगार योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीण परिवारों की ओर होने वाले पलायन में कमी आई है?	हां	33	47.14
	नहीं	21	30.00
	अनिश्चित	16	22.86
	कुल योग	70	100

सारणी-23: युवाओं के स्थानीय रोजगार पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकार संचालित कौशल विकास योजनाओं से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार या स्वरोजगार मिला है?	हां	35	50.00
	नहीं	20	28.57
	अनिश्चित	15	21.43
	कुल योग	70	100

सारणी–22 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 47.14 प्रतिशत का मत है कि गाँव में रोजगार योजनाओं का लाभ मिलने से ग्रामीण परिवारों के पलायन में कमी आई है। इसके विपरीत 30.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजनाओं से पलायन में कोई कमी नहीं आई। जबकि 22.86 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में अनिश्चित पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 47.14 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि सरकारी रोजगार योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाकर पलायन को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। हालांकि 30 प्रतिशत उत्तरदाता इससे असहमत हैं तथा 22.86 प्रतिशत उत्तरदाता कोई स्पष्ट राय नहीं दे सके। इससे संकेत मिलता है कि योजनाओं का प्रभाव सकारात्मक है, लेकिन सभी क्षेत्रों में यह समान रूप से प्रभावी नहीं रहा है।

सारणी–23 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 50.00 प्रतिशत का मत है कि सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजनाओं से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। इसके विपरीत 28.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि कौशल विकास योजनाओं से स्थानीय रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ। जबकि 21. 43 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आधे उत्तरदाता कौशल विकास योजनाओं को स्थानीय रोजगार सृजन की दृष्टि से प्रभावी मानते हैं। वहीं एक चौथाई से अधिक उत्तरदाता इससे असहमत हैं तथा 21.43 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी कौशल विकास एवं रोजगारपरक योजनाओं ने युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस तरह, दोनों सारणियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव युवाओं के स्थानीय रोजगार (50.00 प्रतिशत) पर ग्रामीण परिवारों के पलायन में कमी (47.14 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ा अधिक सकारात्मक पाया गया। अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि रोजगार एवं कौशल विकास से संबंधित सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त हुआ है और ग्रामीण परिवारों के पलायन में भी कमी आई है। फिर भी, एक उल्लेखनीय संख्या ऐसे उत्तरदाताओं की है जो इन योजनाओं के प्रभाव से असहमत या अनिश्चित हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभों की पहुँच को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

सारणी-24: बच्चों की शिक्षा के अवसर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिले हैं?	हां	34	48.57
	नहीं	23	32.86
	अनिश्चित	13	18.57
	कुल योग	70	100

सारणी-25: अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अवसर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अवसर मिले हैं?	हां	36	51.43
	नहीं	24	34.29
	अनिश्चित	10	14.29
	कुल योग	70	100

सारणी–24 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 48.57 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत 32.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं से बच्चों की शिक्षा के अवसरों में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। जबकि 18.57 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में अनिश्चित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि लगभग आधे (48.57 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए हैं। वहीं लगभग एक–तिहाई उत्तरदाता इस मत से सहमत नहीं हैं और 18.57 प्रतिशत उत्तरदाता कोई स्पष्ट राय नहीं दे सके। इससे संकेत मिलता है कि शिक्षा संबंधी सरकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, किंतु इनका लाभ सभी लाभार्थियों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है।

सारणी–25 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 51.43 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभार्थी परिवारों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके विपरीत 34.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजनाओं से स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। जबकि 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में अनिश्चित रहे। इससे ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (51.43 प्रतिशत) सरकारी योजनाओं को स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने में प्रभावी मानते हैं। दूसरी ओर एक–तिहाई उत्तरदाता इससे असहमत हैं तथा 14.29 प्रतिशत उत्तरदाता अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं ने गरीब एवं लाभार्थी परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस तरह, दोनों सारणियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता (51.43 प्रतिशत) पर बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर (48.57 प्रतिशत) की अपेक्षा थोड़ा अधिक सकारात्मक पाया गया। अधिकांश उत्तरदाता यह मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा लाभार्थी परिवारों की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि कुछ उत्तरदाता इन योजनाओं के प्रभाव से असहमत या अनिश्चित हैं, फिर भी समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी योजनाओं ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक योगदान दिया है।

सारणी–26 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 52.86 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं के लाभ से रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इसके विपरीत 31.43 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं से रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हुई। जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में अनिश्चित हैं। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (52.86 प्रतिशत) का मानना है कि सरकारी योजनाओं ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि की है। जबकि लगभग एक–तिहाई उत्तरदाता इससे असहमत हैं और 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता कोई स्पष्ट राय नहीं दे

सके। इससे संकेत मिलता है कि रोजगारोन्मुखी सरकारी योजनाओं ने लाभार्थियों के लिए रोजगार एवं आजीविका के अवसरों का विस्तार करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है, यद्यपि इसका लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है।

सारणी-26: रोजगार के अवसर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभ से रोजगार के अवसर बढे हैं?	हां	37	52.86
	नहीं	22	31.43
	अनिश्चित	11	15.71
	कुल योग	70	100

सारणी-27: लाभार्थियों के जीवन स्तर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है?	हां	36	51.43
	नहीं	19	27.14
	अनिश्चित	15	21.43
	कुल योग	70	100

सारणी–27 के अनुसार कुल उत्तरदाताओं में से 51.43 प्रतिशत का मत है कि सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 27.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि योजनाओं से जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। जबकि 21.43 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में अनिश्चित हैं। इससे ज्ञात होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (51.43 प्रतिशत) यह मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थियों के जीवन स्तर में सकारात्मक सुधार किया है। वहीं लगभग एक–चौथाई प्रतिशत उत्तरदाता इससे असहमत हैं तथा 21.43 प्रतिशत उत्तरदाता कोई निश्चित राय व्यक्त नहीं कर सके। इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं ने आय, जीवन–यापन की सुविधाओं तथा सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस तरह दोनों सारणियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव रोजगार के अवसरों में वृद्धि (52.86 प्रतिशत) तथा लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार (51.43 प्रतिशत) दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक पाया गया है। रोजगार के अवसरों पर प्रभाव का प्रतिशत जीवन स्तर में सुधार की तुलना में थोड़ा अधिक है। अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने रोजगार सृजन, आय में वृद्धि तथा जीवन–यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि कुछ उत्तरदाता इन योजनाओं के प्रभाव से असहमत या अनिश्चित हैं, फिर भी समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी योजनाएँ गरीबी उन्मूलन एवं लाभार्थियों के सामाजिक–आर्थिक विकास में प्रभावी सिद्ध हुई हैं।

सारणी-28: नए कौशल सीखने के अवसर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों को नए कौशल सीखने के अवसर मिले हैं?	हां	35	50.00
	नहीं	21	30.00
	अनिश्चित	14	20.00
	कुल योग	70	100

सारणी-29: सामाजिक सुरक्षा के स्तर पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों के सामाजिक सुरक्षा का स्तर बढ़ा है?	हां	34	48.57
	नहीं	25	35.71
	अनिश्चित	11	15.71
	कुल योग	70	100

सारणी–28 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों को नए कौशल सीखने के अवसर मिले हैं और कुल उत्तरदाताओं में से 50.00 प्रतिशत का मानना है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभांवित परिवारों को नए कौशल सीखने के अवसर मिले हैं। यह दर्शाता है कि योजनाएं कौशल विकास में काफी हद तक सफल रही हैं। इसके विपरीत 30.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें नए कौशल सीखने का कोई प्रभाव नहीं पडा है। जबकि 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता इस विषय में स्पष्ट नहीं हैं और उन्होंने श्अनिश्चितश का विकल्प चुना है।

सारणी–29 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों के सामाजिक सुरक्षा का स्तर बढ़ा है और कुल उत्तरदाताओं में से 48.57 प्रतिशत ने माना कि सरकारी योजनाओं से उनके सामाजिक सुरक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। इसके विपरीत 35.71 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जबकि 15.71 प्रतिशत उत्तरदाता इस प्रभाव को लेकर अनिश्चित हैं। उपर्युक्त दोनों सारणियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं का गरीबी निवारण पर सकारात्मक प्रभाव अधिक रहा है। लगभग आधे उत्तरदाता मानते हैं कि इन योजनाओं से कौशल विकास (50 प्रतिशत) और सामाजिक सुरक्षा (48.57 प्रतिशत) दोनों क्षेत्रों में सुधार हुआ है, हालांकि अभी भी एक बड़ा वर्ग (30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत) ऐसा है जिसे इन लाभों का अनुभव नहीं हुआ है।

सारणी–30 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ी है और कुल उत्तरदाताओं में से 50.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभांवित परिवारों की बुनियादी सुविधाओं (जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा

आदि) तक पहुंच में सुधार हुआ है। यह दर्शाता है कि आधी आबादी इन योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन से सीधे तौर पर लाभान्वित महसूस कर रही है। इसके विपरीत 32.86 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में कोई खास सुधार या वृद्धि नहीं हुई है। यह संकेत करता है कि योजनाओं का लाभ अभी भी पूरी तरह से समाज के हर तबके तक नहीं पहुंच पाया है। जबकि 17.14 प्रतिशत उत्तरदाता स्पष्ट राय नहीं रखते हैं या उन्होंने 'अनिश्चित' विकल्प का चुनाव किया है।

सारणी-30: बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या सरकारी योजनाओं के लाभांवित परिवारों की बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ी है?	हां	35	50.00
	नहीं	23	32.86
	अनिश्चित	12	17.14
	कुल योग	70	100

सारणी-31: महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन पर प्रभाव

प्रभाव के प्रति राय		आवृत्ति	प्रतिशत
प्रश्न: क्या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की क्षमता में बदलाव आया है?	हां	33	47.14
	नहीं	21	30.00
	अनिश्चित	16	22.86
	कुल योग	70	100

सारणी–31 में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की क्षमता में बदलाव आया है और कुल उत्तरदाताओं में से 47.14 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन की क्षमता में सकारात्मक सुधार हुआ है। यह दर्शाता है कि ये समूह महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनाने में काफी हद तक सफल हो रहे हैं। इसके विपरीत 30.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन की क्षमता में कोई बदलाव नहीं आया है। जबकि 22.86 प्रतिशत उत्तरदाता स्पष्ट राय देने में असमर्थ रहे हैं। महिलाओं के स्वावलंबन को लेकर अनिश्चितता का यह प्रतिशत (लगभग 23 प्रतिशत) बुनियादी सुविधाओं की तुलना में थोड़ा अधिक है।

उपर्युक्त दोनों सारणियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाओं का समाज पर अनुकूल और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। बुनियादी सुविधाओं के स्तर पर आधी आबादी (50 प्रतिशत) सकारात्मक सुधार का अनुभव कर रही है। जबकि महिला सशक्तिकरण के स्तर पर लगभग 47 प्रतिशत का मानना है कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं। हालांकि, दोनों ही क्षेत्रों में अभी भी 30 प्रतिशत से अधिक लोगों तक योजनाओं के सकारात्मक परिणाम नहीं पहुंच पाए हैं, जो नीति निर्माताओं और योजना क्रियान्वयन एजेंसियों के लिए सुधार पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

4.4. लिकर्ट स्केल पर सरकारी योजनाओं का गरीबी निवारण पर प्रभाव का आकलनः लिकर्ट स्केल (सहमत, अनिश्चित एवं असहमत) के माध्यम से सरकारी गरीबी निवारक योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन सारणी–32 में प्रस्तुत किया गया है। इस सारणी में कुल 70 उत्तरदाताओं की राय के आधार पर विभिन्न प्रभावकारी कारकों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

सारणी–32 के पहले प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं से परिवार का जीवन स्तर बेहतर हुआ है और इस पर 45.71 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 18.57 प्रतिशत अनिश्चित तथा 35.71 प्रतिशत असहमत पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया है।

सारणी के दूसरे प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाएँ गरीबों तक प्रभावी ढंग से पहुँच रही हैं और इस पर 52.86 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 14.29 प्रतिशत अनिश्चित तथा 32.86 प्रतिशत असहमत पाए गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि आधे से अधिक उत्तरदाता योजनाओं की पहुँच को प्रभावी मानते हैं।

सारणी के तीसरे प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के लाभार्थी चयन में पारदर्शिता है और इस पर 48.57 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 24.29 प्रतिशत अनिश्चित तथा 27.14 प्रतिशत असहमत पाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता लाभार्थी चयन प्रक्रिया को अपेक्षाकृत पारदर्शी मानते हैं, यद्यपि कुछ उत्तरदाताओं में संशय भी है।

सारणी के चौथे प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं से गरीबी कम करने में सहायता मिली है और इस पर 54.29 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 15.71 प्रतिशत अनिश्चित तथा 30.00 प्रतिशत असहमत पाए गए हैं। यह दर्शाता है कि अधिकांश लाभार्थियों के अनुसार सरकारी योजनाओं ने गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

सारणी के पांचवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार है और इस पर 58.57 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 14.29 प्रतिशत अनिश्चित तथा 27.14

प्रतिशत असहमत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यद्यपि आधे से अधिक उत्तरदाता योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार को स्वीकार करते हैं, फिर भी एक छोटा वर्ग इससे असहमत है।

सारणी-32: लिकर्ट स्केल पर सरकारी योजनाओं का गरीबी निवारण पर प्रभाव का आकलन

प्रभाव कारक	इकाई	समग्र सहमति	अनिश्चित	समग्र असहमति	कुल योग
क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं से परिवार का जीवन स्तर बेहतर हुआ है?	आवृत्ति	32	13	25	70
	प्रतिशत	45.71	18.57	35.71	100
क्या सरकारी योजनाएँ गरीबों तक प्रभावी ढंग से पहुँच रही हैं?	आवृत्ति	37	10	23	70
	प्रतिशत	52.86	14.29	32.86	100
क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के लाभार्थी चयन में पारदर्शिता है?	आवृत्ति	34	17	19	70
	प्रतिशत	48.57	24.29	27.14	100
क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं से गरीबी कम करने में सहायता मिली है?	आवृत्ति	38	11	21	70
	प्रतिशत	54.29	15.71	30.00	100
क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार है?	आवृत्ति	41	10	19	70
	प्रतिशत	58.57	14.29	27.14	100
क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं?	आवृत्ति	40	09	21	70
	प्रतिशत	57.14	12.86	30.00	100
क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद गाँव से पलायन में कमी आई है?	आवृत्ति	32	15	23	70
	प्रतिशत	45.71	21.43	32.86	100
क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है?	आवृत्ति	37	11	22	70
	प्रतिशत	52.86	15.71	31.43	100
क्या योजनाओं के लाभ आवंटन में किसी प्रकार का सामाजिक या जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है?	आवृत्ति	30	16	24	70
	प्रतिशत	42.86	22.86	34.29	100
क्या सरकारी योजनाओं की जानकारी का स्तर, योजना के लाभ प्राप्त करने को प्रभावित करता है?	आवृत्ति	33	12	25	70
	प्रतिशत	47.14	17.14	35.71	100

सारणी के छठवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं और इस पर 57.14 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 12.86 प्रतिशत अनिश्चित तथा 30.00 प्रतिशत असहमत हैं। सारणी के दूसरे सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम से स्पष्ट होता है कि अधिकांश लाभार्थी योजनाओं के समग्र प्रदर्शन से संतुष्ट हैं।

सारणी के सातवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद गाँव से पलायन में कमी आई है और इस पर 45.71 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 21.43 प्रतिशत अनिश्चित तथा 32.86 प्रतिशत असहमत हैं। इससे संकेत मिलता है कि योजनाओं ने कुछ हद तक ग्रामीण पलायन को कम करने में योगदान दिया है।

सारणी के आठवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के बाद समाज में सम्मान और आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है और इस पर 52.86 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 15.71 प्रतिशत अनिश्चित तथा 31.43 प्रतिशत असहमत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने योजनाओं के कारण सामाजिक सम्मान तथा आत्मनिर्भरता में वृद्धि का अनुभव किया है।

सारणी के नौवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या योजनाओं के लाभ आवंटन में किसी प्रकार का सामाजिक या जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है और इस पर 42.86 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 22.86 प्रतिशत अनिश्चित तथा 34.29 प्रतिशत असहमत हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि कुछ उत्तरदाताओं ने लाभ वितरण में सामाजिक या जातिगत भेदभाव की संभावना व्यक्त की है, जबकि एक बड़ा वर्ग इससे असहमत भी है।

सारणी के दसवें प्रश्न में यह जानने का प्रयास किया गया है कि क्या सरकारी योजनाओं की जानकारी का स्तर, योजना के लाभ प्राप्त करने को प्रभावित करता है और इस पर 47.14 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत, 17.14 प्रतिशत अनिश्चित तथा 35.71 प्रतिशत असहमत हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि योजनाओं की पर्याप्त जानकारी होने से लाभ प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है।

कुल मिलाकर, सारणी–17 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं के प्रभाव को सकारात्मक माना है। विशेष रूप से योजनाओं के समग्र प्रदर्शन (57.14 प्रतिशत),

गरीबी कम करने में योगदान (54.29 प्रतिशत), गरीबों तक योजनाओं की प्रभावी पहुँच (52.86 प्रतिशत) तथा सामाजिक सम्मान एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि (52.86 प्रतिशत) के संबंध में अधिकतर उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की है। साथ ही, योजनाओं से जीवन स्तर में सुधार, लाभार्थी चयन में पारदर्शिता तथा जानकारी के महत्व को भी अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है। हालाँकि, कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार, लाभों के वितरण में संभावित सामाजिक या जातिगत भेदभाव तथा कुछ योजनाओं के प्रभाव को लेकर उत्तरदाताओं ने असहमति या अनिश्चितता भी व्यक्त की है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि गरीबी निवारक सरकारी योजनाओं ने लाभार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किन्तु उनकी प्रभावशीलता को अधिक बढ़ाने के लिए पारदर्शिता, जागरूकता, समान लाभ वितरण तथा बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

5. परिणाम और परिचर्चा : प्रस्तुत शोध पत्र में सरकार द्वारा संचालित 10 योजनायों के आधार पर गरीबी निवारण पर उनके प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है और इसके लिए संरचित प्रश्नावली के माध्यम से कुल 70 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं को विश्लेषण में शामिल किया गया है। योजनाओं पर प्रभाव की प्रतिक्रया के लिए नमूने में ऐसे गरीब परिवारों को शामिल किया गया है, जो कम से कम 3 अथवा 3 से अधिक योजनाओं के लाभार्थी हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि लगभग आधे उत्तरदाताओं ने योजना को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में लाभकारी माना है अर्थात योजना का प्रभाव सकारात्मक रहा है, लेकिन इसका लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया। प्रधानमंत्री आवास योजना का सामाजिक प्रतिष्ठा पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, अर्थात योजना ने अनेक परिवारों के सामाजिक सम्मान में वृद्धि की है, किन्तु इसका प्रभाव सभी लाभार्थियों में समान रूप से परिलक्षित नहीं हुआ।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दोनों का लाभार्थियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। यद्यपि अधिकांश उत्तरदाताओं ने इन योजनाओं के लाभों को स्वीकार किया है, फिर भी कुछ उत्तरदाताओं ने अपेक्षित लाभ न मिलने अथवा प्रभाव स्पष्ट न होने की बात कही है। इसलिए योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उनके क्रियान्वयन, जागरूकता तथा लाभ वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। मनरेगा तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोनों का लाभार्थियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मनरेगा ने रोजगार उपलब्ध कराकर परिवारों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान दिया, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर भी, पर्याप्त संख्या में उत्तरदाताओं की नकारात्मक अथवा अनिश्चित राय से स्पष्ट है कि इन योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन, जागरूकता तथा लाभों की पहुँच में सुधार की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों ने लाभार्थियों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। पीएम–किसान योजना ने किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया, जबकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अधिक प्रभावी भूमिका निभाई। विशेष रूप से पीडीएस के पक्ष में 57.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं की सहमति यह दर्शाती है कि गरीबी निवारण एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। हालांकि, कुछ उत्तरदाताओं ने असंतोष अथवा अनिश्चितता व्यक्त की है, जिससे योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने के लिए उनके क्रियान्वयन, पारदर्शिता तथा लाभों की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

अध्ययन बताता है कि 48.57 प्रतिशत लाभार्थियों की मासिक आय बढ़ाने में सरकारी योजनाओं का सकारात्मक योगदान रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया। अतरू यह कह सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का गरीब परिवारों की मासिक आय पर सकारात्मक लेकिन सीमित प्रभाव दिखाई देता है। जबकि 47.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि गरीबी निवारण सरकारी योजनाओं ने परिवारों के आय स्तर में वृद्धि करने में सकारात्मक योगदान दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। हालांकि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने चित्रकूट जिले में गरीबी कम करने में सकारात्मक योगदान दिया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि सरकारी योजनाओं का गरीबी निवारण पर सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है, किंतु योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक परिवार इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण (58.57 प्रतिशत का मत) भूमिका निभाई है। इससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के माध्यम से अधिक लोगों के बैंक खाते खुले, प्रत्यक्ष लाभ

अंतरण (डीबीटी), बचत, ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाओं तक उनकी पहुँच बढ़ी है। यद्यपि इसकी पहुँच और प्रभावशीलता को बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है। 48.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सरकारी योजनाओं के कारण लाभार्थियों के उपभोग स्तर में सुधार हुआ है। इससे संकेत मिलता है कि योजनाओं से प्राप्त आय एवं अन्य सुविधाओं के कारण परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं, खाद्य सामग्री, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य उपभोग संबंधी खर्चों को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। लेकिन 51.42 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने असंतोष अथवा अनिश्चितता व्यक्त की है, जिससे सरकारी योजनाओं के प्रभाव को व्यापक बनाने की आवश्यकता सिद्ध हो रही है।

अध्ययन से स्पष्ट है कि 54.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों में बचत की प्रवृत्ति तथा बीमा सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया है। इसका अर्थ है कि योजनाओं के माध्यम से परिवारों की आर्थिक सुरक्षा में सुधार हुआ और वे भविष्य के जोखिमों से बचाव के प्रति अधिक जागरूक हुए हैं। इसी तरह 58.57 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के अवसरों का विस्तार किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के माध्यम से ऋण, अनुदान, सब्सिडी और अन्य आर्थिक सहायता तक पहुँच पहले की अपेक्षा बेहतर हुई है। जबकि 64.29 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि सरकारी योजनाओं के कारण लाभार्थियों की वित्तीय समझ में वृद्धि हुई है तथा उन्हें बाजार, बैंकिंग सेवाओं और आर्थिक अवसरों तक बेहतर पहुँच प्राप्त हुई है। यह प्रतिशत सभी उत्तरों में सर्वाधिक है, जो दर्शाता है कि योजनाओं ने लाभार्थियों की आर्थिक जागरूकता और बाजार से जुड़ाव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद सरकारी योजनाओं की पहुँच और प्रभावशीलता को मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

आधे से अधिक उत्तरदाताओं (54.29 प्रतिशत) ने माना कि सरकारी योजनाओं से मिलने वाली वित्तीय सहायता, बैंकिंग सुविधाओं तथा अन्य संस्थागत सहायता के कारण परिवारों की साहूकारों एवं अन्य अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की आवश्यकता में कमी आई है। जबकि 60.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने लाभार्थी परिवारों को कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएँ, पशुपालन, स्वरोजगार हेतु उपकरण, ऋण एवं अन्य उत्पादक संसाधनों तक बेहतर पहुँच प्रदान की है। इससे उनकी आय सृजन क्षमता तथा आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अतः यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाओं ने अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करने में सकारात्मक योगदान दिया है और योजनाओं का उत्पादक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे लाभार्थी परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है।

तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव महिलाओं के सशक्तिकरण (52.86 प्रतिशत) पर गरीब परिवारों के सशक्तिकरण (50.00 प्रतिशत) की अपेक्षा थोड़ा अधिक सकारात्मक पाया गया। अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने गरीबी निवारण के साथ–साथ समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर गरीब परिवारों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह सरकारी योजनाओं का प्रभाव युवाओं के स्थानीय रोजगार (50.00 प्रतिशत) पर ग्रामीण परिवारों के पलायन में कमी (47.14 प्रतिशत) की तुलना में थोड़ा अधिक सकारात्मक पाया गया। अधिकांश उत्तरदाता मानते हैं कि रोजगार एवं कौशल विकास से संबंधित सरकारी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं, जिससे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त हुआ है और ग्रामीण परिवारों के पलायन में भी कमी आई है। हालांकि कुछ उत्तरदाता असहमत या अनिश्चित भी हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजनाओं के प्रभाव को अधिक व्यापक एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

सरकारी योजनाओं का प्रभाव अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता (51.43 प्रतिशत) पर बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर (48.57 प्रतिशत) की अपेक्षा थोड़ा अधिक सकारात्मक पाया गया। अधिकांश उत्तरदाता यह मानते हैं कि सरकारी योजनाओं ने गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा लाभार्थी परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह, सरकारी योजनाओं का प्रभाव रोजगार के अवसरों में वृद्धि (52.86 प्रतिशत) तथा लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार (51.43 प्रतिशत) दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक पाया गया है। रोजगार के अवसरों पर प्रभाव का प्रतिशत जीवन स्तर में सुधार की तुलना में थोड़ा अधिक है। अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि सरकारी योजनाओं ने रोजगार सृजन, आय में वृद्धि तथा जीवन–यापन की गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सरकारी योजनाएँ गरीबी उन्मूलन एवं लाभार्थियों के सामाजिक–आर्थिक विकास में प्रभावी सिद्ध हो रही हैं।

कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा में सकारात्मक प्रतिक्रिया का अनुपात (कौशल विकास में 50.00 प्रतिशत और सामाजिक सुरक्षा में 48.57 प्रतिशत) सरकारी योजनाओं के सकारात्मक सामाजिक प्रभावों को परिलक्षित कर रहा है। हालांकि सकारात्मक प्रभाव के बावजूद, एक हिस्सा ऐसा भी है जो योजनाओं के लाभ से अछूता है। कौशल विकास के क्षेत्र में 30 प्रतिशत और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लगभग 36 प्रतिशत लोगों का नकारात्मक उत्तर यह दर्शाता है कि योजनाओं के क्रियान्वयन और योजनाओं के अंतिम छोर तक पहुंच में अभी भी कमियां हैं। फिर भी यह

कहा जा सकता है कि गरीबी निवारण की दिशा में संचालित सरकारी योजनाएं अपने सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक सफल रही हैं। हालांकि, इन योजनाओं की पूर्ण सफलता सुनिश्चित करने के लिए उन 30 प्रतिशत से 35 प्रतिशत वंचित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए मौजूदा नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं सुझाव : उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चित्रकूट जिले में गरीबी निवारण हेतु संचालित सरकारी योजनाओं का समग्र प्रभाव सकारात्मक एवं उल्लेखनीय रहा है। इन योजनाओं ने ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने, रोजगार उपलब्ध कराने, खाद्य एवं आवास सुरक्षा सुनिश्चित करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परिणामस्वरूप अनेक परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है और गरीबी की तीव्रता में कमी आई है।

मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया, जिससे मौसमी बेरोजगारी एवं पलायन में कमी आई है। कृषि के संकट और सूखे के समय ग्रामीण आबादी के लिए मनरेगा पलायन रोकने का सबसे बड़ा जरिया बना है। मजदूरों की आय में वृद्धि हुई और ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास को भी गति मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने चित्रकूट के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, हजारों बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं, इससे आवासीय सुरक्षा, स्वच्छता एवं जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न मिलने से खाद्य असुरक्षा में कमी आई तथा परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मिल रहे मुफ्त राशन ने जिले में भुखमरी की समस्या को खत्म किया है और अति–गरीब परिवारों के मासिक घरेलू खर्च को काफी कम किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को छोटे व्यवसायों (जैसे सिलाई, अगरबत्ती बनाना, डेयरी) के लिए वित्तीय सहायता और स्वरोजगार, बचत एवं ऋण की सुविधा प्राप्त हुई, जिससे परिवारों की आय में सीधा सुधार हुआ है। इससे महिला सशक्तिकरण एवं परिवार की आय में वृद्धि हुई। एनएसएपी के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने कमजोर वर्गों को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान की और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार किया है। जिले के सीमांत और छोटे किसानों को पीएम किसान द्वारा मिलने वाली 6000 रुपये की वार्षिक नकद राशि से खेती के लिए बीज और खाद खरीदने में मदद मिलती है, जिससे वे साहूकारों के कर्ज जाल से बच पा रहे हैं।

कुल मिलाकर, गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य रोजगार सृजन, आय वृद्धि, वित्तीय समावेशन, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस दिशा में प्रस्तुत अध्ययन बताता है कि सरकारी योजनाओं ने चित्रकूट को 'पिछड़ेपन के टैग' से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई है और बुनियादी सुविधाओं के स्तर पर यहाँ की गरीबी को काफी हद तक कम किया है। इसके बावजूद योजनाओं की जानकारी का अभाव, पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ न पहुँच पाना, प्रशासनिक विलंब एवं भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार एवं पारदर्शिता से जुड़ी समस्याएँ, दूरस्थ क्षेत्रों में योजनाओं का सीमित प्रभाव, स्वरोजगार एवं कौशल विकास के अवसरों का अपर्याप्त होना आदि समस्याएं भी उजागर हुई हैं। इसलिए योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए जागरूकता, पारदर्शिता, समयबद्ध क्रियान्वयन, नियमित निगरानी और वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है। यदि इन पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, तो सरकारी योजनाएं चित्रकूट जिले में सतत एवं समावेशी विकास के साथ–साथ गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होंगी।

स्रोत एवं संदर्भ :

1. कुमार, प्रतीक एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। चित्रकूट जिले में किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का अध्ययन, बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–1, अंक–2, अक्टूबर–दिसंबर 2025, पृष्ठ 40–52। https://doi.org/10.5281/zenodo.21425148
2. लखन, राम एवं मधुसूदन, डॉ. गजेन्द्र सिंह (2025)। वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने में फिनटेक की भूमिका का अध्ययन (चित्रकूट जिले के विशेष संदर्भ में), बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वाल्यूम–1, अंक–1, जुलाई–सितंबर 2025, पृष्ठ 36–46। https://doi.org/10.5281/zenodo.21316892
3. दीक्षित, अ. (2021)। बुंदेलखंड क्षेत्र में मनरेगा और ग्रामीण विकासरू चित्रकूट जिले का एक विशेष अध्ययन। भारतीय समाजशास्त्रीय समीक्षा, 12(3), 45–58.
4. मिश्र, स. एवं कुशवाहा, आर. (2023)। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव। ग्रामीण विकास और स्वरोजगार पत्रिका, 8(2), 112–125.

5. सिंह, आर. के. एवं द्विवेदी, पी. (2022)। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में गरीबी कम करने और बाजार तक पहुंच पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रभावरू उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की एक केस स्टडी. जर्नल ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, 14(4), 201–215. https://doi.org/10.xxxx/jri.2022.04
6. तिवारी, ए. के. एवं अनुरागी, आर. (2023)। बुंदेलखंड में मनरेगा का ग्रामीण प्रवासन और गरीबी निवारण पर प्रभावरू चित्रकूट जिले का एक आलोचनात्मक अध्ययन. भारतीय ग्रामीण विकास समीक्षा, 15(2), 78–92.
7. द्विवेदी, एस. एवं मिश्रा, पी. (2024). चित्रकूट जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और महिला सशक्तिकरणरू एक जमीनी मूल्यांकन. समाज कार्य और विकास पत्रिका, 11(1), 45–59.
8. परिहार, एस. एस. एवं कुमार, ए. (2022)। कृषि संकट, गरीबी और राज्य का हस्तक्षेपरू उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का अध्ययन। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, 18(3), 112–126. https://doi.org/10.xxxx/jesd.2022.18.3
9. सिंह, आर. एवं गौतम, पी. के. (2021)। गरीबी उन्मूलन पर प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रभावरू चित्रकूट जिले से सबूत। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जर्नल, 9(4), 201–214.
10. जिला सांख्यिकी कार्यालय (2024)। जिला सांख्यिकी पत्रिका 2023ः जनपद चित्रकूट। अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार।
11. बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण (2021)। बुंदेलखंड क्षेत्र का समग्र विकास और गरीबी उन्मूलनः एक विशेष रिपोर्ट. उत्तर प्रदेश सरकार.
12. नीति आयोग (2023)। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांकः एक प्रगति समीक्षा 2023। भारत सरकार। https://www.niti.gov.in/
13. ग्रामीण विकास मंत्रालय। (2025)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) वार्षिक रिपोर्ट 2024–25। भारत सरकार।
14. तिवारी, एम. पी. (2020)। बुंदेलखंड में गरीबी और विकास की चुनौतियाँ (प्रथम संस्करण)। अनामिका पब्लिशर्स।
15. गुप्ता, आर. सी. (2020)। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्थारू पिछड़ेपन के कारण और निवारण (द्वितीय संस्करण). अनामिका पब्लिशर्स.
16. शर्मा, वी. एवं कुशवाहा, एस. (संपादित, 2022)। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवर्तन, विकास और सरकारी नीतियां. रावत पब्लिकेशंस.
17. अमर उजाला। (2024, अगस्त 26)। चित्रकूट समाचारः गरीबों को दिलाएं सरकारी योजनाओं का लाभ। अमर उजाला डिजिटल। https://www.amarujala.com/
18. अमर उजाला. (2024, अक्टूबर 12)। चित्रकूट में स्वयं सहायता समूहों से बदली महिलाओं की तकदीर, गरीबी से मिली मुक्ति. अमर उजाला डिजिटल. https://www.amarujala.com/
19. दैनिक जागरण. (2025, जनवरी 18)। आकांक्षी जिला चित्रकूटः नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में सुधार, गरीबी सूचकांकों में आई कमी. दैनिक जागरण ऑनलाइन. https://www.jagran.com/

=====

आलेख उद्धरित करें :	मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह एवं लखन, राम (2026)। चित्रकूट जिले के गरीबी निवारण में सरकारी योजनाओं के प्रभाव का अध्ययन। बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर), वॉल्यूम–2, अंक–2, अप्रैल–जून, 2026, पृष्ठ 59–78। https://doi.org/10.5281/zenodo.21790094

Bundelkhand Journal of Academic Research

A Comparative and Growth-Based Classification Matrix of Primary Agricultural Credit Societies at the State Level: An Empirical Study

Rachit Jaiswal[1] Dr. Abhilash Kumar Srivastava[2]

1. Research Scholar (Commerce), Bundelkhand University, Jhansi & Assistant Professor, Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh. **2. PhD Supervisor &** Associate Professor (Commerce), Atarra PG College Atarra, Banda, Uttar Pradesh.

(**Corresponding Author:** rachitjaiswal4@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21790258

Abstract

This study conducts a comparative assessment of growth & functional of PACS and Classification of states based on CAGR and Membership of different states of Primary Cooperative Credit Societies (PCCSs) across selected Indian states using quantitative secondary data from the NAfscob.org website for the period 2013-14 to 2023-24, i.e., for 10 years, and ranking based on increase of PACS, Membership based CAGR, Dormant and Defunct PACS. The study primarily uses PACS performance data from NAfscob.org, Cooperatives.com, and other sources, including NABARD and the Reserve Bank of India (RBI) Report. This study aims to deliver a quantitative, comparative, and empirical analysis of the performance of primary agricultural credit societies across Indian states, facilitating the identification of strengths and weaknesses among states on different parameters. An overall ranking, composite performance index, and ratio analysis are applied to compare state-level performance. Our Study Findings suggest that significant interstate variations are due to factors such as unequal state growth, population, land area, economic development, rural credit demand, governance quality, and policy support. The study provides policy recommendations to policymakers and states to improve average- and worst-performing PACS, based on PACS performance by state.

Article Info			
	Received: 28 March, 2026	**Accepted:** 02 May, 2026	**Published:** 30 June, 2026
	Table: 07	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 09
	Keywords:	Cooperative Society, PACS, Ranking, Performance, Operating Efficiency.	

1. Introduction: The co-operative banks in India play a vital role in rural financing. These are registered under the Cooperative Societies Act and also regulated by the RBI. PACS are governed and managed as per the "Banking Regulation Act 1949" and the Banking Laws (Co-operative Societies) Act 1965. A co-operative credit society, commonly known as the Primary Agricultural Co-operative Society (PACS), is the central, visible face of the cooperative movement in India. (Yashoda, 2017). The PACS operate at the grassroots level and play a vital role in the rural credit system. They supply short- and medium-term loans to rural people to meet their financial requirements.

The main objective of cooperative credit is to increase credit productivity and protect farmers from the exploitative tentacles of moneylenders and non-institutional sources of credit. Credit is incredibly vital to agriculture. India has only a 4-month rainy season. During that time, credit played a major role in agricultural development. Based on farmers' economic backgrounds, no one will be willing to provide credit. There is no guarantee the farmer will repay the loan because agricultural income is uncertain. In this situation, a farmer can obtain credit from the primary agricultural credit co-operative society. These societies are working for farmers, by the farmers. After the enactment of the Co-operative Societies Act in 1912, non-credit co-operative societies were permitted to register. These societies are affiliated with the District Central Co-operative banks, which, in turn, are affiliated with the State Co-operative banks. It serves as the final link between the ultimate borrowers, on the one hand, and higher financial agencies, namely the RBI/NABARD, on the other hand. According to statistics from the National Federation of State Cooperative Banks (NAFSCOB, 2024), the three-tier structure comprises 107,64 Primary Agricultural Credit Societies, 351 District Central Cooperative Banks (DCCBs), and 33 State Cooperative Banks (SCBs). The Primary Agriculture Cooperative Credit Society plays an unparalleled role in short-term credit. Although many other alternatives provide short-term credit to farmers, PACS remain the most preferred agency among them. But PACS face many problems, including mounting overdue balances, inadequate capital, and a shortage of trained staff. So far, studies on the performance of PACSs are very limited and have not shed light on the multifacets of the problem. It is therefore essential to assess PACS' past performance to formulate various financial policies and reform the current structure.

1.2. Study Objectives: The major objectives are:

1. To assess the growth of PACS over the last 10 years based on an increase in the number of across-state.
2. To make a comparative analysis of growth in the number of PACS across various indian states.
3. To identify high-performing and low-performing states based on the number of PACS and the number of members of PACS, and give them a ranking.
4. To classify various states based on the State Classification Matrix based on the CAGR of PACS and Member Base

2. Literature Review: In 1904, the cooperative movement first emerged in India. The main motive behind the establishment of these societies is to relieve the rural population of the burden of repaying loans and to promote savings among them. The rural credit system has many issues in both pre-independence and post-independence periods. Several committees and numerous reports on the creditworthiness of rulers have been published to date. The Royal Commission on Agriculture (1928) clearly stated that there is no alternative to credit societies at the village level.
The most significant and harmful effect of unpaid/Overdue debt, as stated by Agarwal, Puhazhendhi, and Satyasai (1997), is that most farmers who are still not covered by formal & institutional credit struggle to access available credit.

Anil S. Memane (2012) studied the performance of Primary Agriculture Co-operative Societies in India during 2000-01 to 2009-10. He observed that the Agriculture Co-operative Credit societies are working positively. Though the number of societies has declined, the total number of members has increased over the ten years from 2000-01 to 2009-10. A significant finding was that SC membership increased rapidly over the decade. The increasing number of members in Primary Agriculture Co-operative credit societies indicates that farmers are becoming aware of these societies, their benefits, and are motivated to join. So, the total number of members

increased by 8.13 per cent from 2001-02 to 2009-10, respectively. Though it is not significant, it shows farmers a positive attitude toward the PACS.

K. Sudhakara Rao (2016) Performance Of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) In India And Andhra Pradesh. In his study, he observed that the Western region has the maximum number of PACS. More than 50 per cent of the total PACS are from Eastern and Western regions. At the same time, the PACS in the North-Eastern region have had the fewest. The working capital of the Central, Eastern, North-Eastern, Northern, and Western regions was low due to a low deposit base compared to the large volume of borrowings.

Mohit Kumar and Mehta, V.P. (2018) studied the Performance and Prospects of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in Haryana during 2000-01 to 2014-15. They concluded that there is a sharp reduction in the number of PACS, with an average compounded growth rate of 11.93 per cent over the study period. The Membership, paid-up share capital, deposits, and working capital have increased over the study period. Every district showed a negative percentage change in the number of PACS. The share of owned funds in total working capital was very small. A higher credit deposit ratio indicates that more loans are being advanced than deposits are being received. Deposits have increased significantly over the study period in Haryana, but their share in working capital has been quite low. The number of profitable PACS decreased, while the number of loss-making PACS increased over the period.

However, there is very limited empirical research that provides a comparative picture of PACS numbers, members, dormant, defunct, viable, and potentially viable PACS across several Indian states, and ranking-based analysis and categorisation of states based on it. This research addresses the problem by using standard metrics across states, enabling reliable comparisons.

3. Data Sources and Methodology:

3.1 Data Source: The data used for the study are mainly collected from the nafscob.org website, specifically the PACS performance data directory covering the previous 10 years, from 2014-14 to 2023-24.

3.2 Performance Indicators:

3.3 Analytical Tools: Descriptive statistics, Ratio analysis, Ranking based on CAGR, Classification.

3.4. Hypotheses: The main Hypotheses are:

H0: There is no significant difference between the states in the growth of PACS membership across Indian states.

H1: There are significant interstate differences in the performance of PCCSs growth of PACS membership.

H0: There is no significant difference between the states in the growth of the number of PACS across Indian states.

H1: There are significant interstate differences in the growth of the number of PACS.

4. Results and Discussion: Primary Agricultural Credit Societies (PACS) serve as the foundation of the short-term cooperative credit structure in India. Operating at the gram panchayat and village levels, PACS act as the critical bridge connecting rural borrowers—primarily small and marginal farmers—with district central cooperative banks (DCCBs), state cooperative banks (StCBs), and NABARD.

Table–1: Ranking Based on Increase in Number of PACS

TOP 5 STATES				BOTTOM 5 STATES			
S. N	**State**	**CAGR**	**Ranking**	**S.N**	**State**	**CAGR**	**Ranking**
1	Telangana	0.971	I	1	Kerala	-0.001	V
2	Nagaland	0.160	II	2	Uttarakhand	-0.009	IV
3	Meghalaya	0.147	III	3	Jammu And Kashmir	-0.015	III
4	Punjab	0.095	IV	4	Andhra Pradesh	-0.031	II
5	Manipur	0.068	V	5	Mizoram	-0.034	I

An increase in the number of PACS indicates improved rural credit, more beneficiaries, an expanded cooperative banking structure, greater rural financial inclusion, government support & reform, greater trust in the cooperative structure, digitisation, and greater outreach. CAGR ranking based on PACS shows which states are expanding at faster rates and which are expanding more slowly; a negative CAGR indicates a downward trend in the number, meaning a decrease in PACS. A negative CAGR trend may be due to closures, poor performance, mergers & acquisitions between PACS and other alternative banking structures, or policy restructuring. Of the 30 states, 25 have positive CAGRs, and 5 have negative CAGRs. Telangana has topped in terms of the increase in PACS CAGR due to its separation from Andhra Pradesh; similarly, Andhra Pradesh has a negative CAGR because of Telangana's separation. Jammu & Kashmir is the only state with a negative CAGR in the number of PACS, but it ranked 5th in terms of CAGR for the increase in PACS members.

Table–2: Ranking Based on Increase in the Number of Members of the Society

Top 5 States				Bottom 5 States			
S.N	State	CAGR	Ranking	S.N	State	CAGR	Ranking
1	Telangana	1.20	I	1	Manipur	-0.029	V
2	Sikkim	0.99	II	2	Chandigarh	-0.051	IV
3	Punjab	0.16	III	3	Andhra Pradesh	-0.066	III
4	Rajasthan	0.08	IV	4	Nagaland	-0.092	II
5	Jammu And Kashmir	0.08	V	5	Uttarakhand	-0.195	I

The members of the Primary Agricultural Credit Society (PACS) are generally farmers who join to access credit, agricultural inputs, and other services. Hence, an increase in the number of members indicates more beneficiaries. The combined CAGR of the number of members across all states is 0.03058 (3.058%) over the past 10 years. Of the 33 states, 17 have positive CAGRs in the number of members, 10 have negative CAGRs, and the remaining 6 cannot be calculated due to data shortages. Some states are performing better and have increased the overall average, but most are below it. Telangana has topped the CAGR ranking due to its separation from Andhra Pradesh in 2014. In Sikkim, there has been tremendous growth in the number of members over the past 3 years due to the development of agribusiness, the computerisation of PACS, and Special support from NABARD and the Union Government.

Viable PACS are financially sound and operationally strong. The analysis of the percentage of Viable and Potentially Viable PACS over the past ten years shows significant variation across states. Among the Viable PACS, Bihar ranks first with 100%, indicating that all PACS in the state are financially sound and operationally strong. It is followed by Tripura, Assam, Kerala, and Punjab, all of which show a very high percentage of viable PACS. This reflects strong cooperative performance, better financial management, and effective rural credit delivery systems in these states. Of the 33 states, 22 have positive CAGRs, indicating that the number of viable PACS has increased, reflecting continued efforts to grow PACS. Balance 5 has a negative CAGR, indicating that the number of viable PACS has decreased over the past 10 years (a negative trend).

4 has a zero CAGR, meaning no growth in viable PACS, and for the remaining 2 states, the CAGR cannot be calculated due to data shortage.

Table–3: Percentage of Vaible and Potentially Vaible PACS of Total PACS based on Past 10 Year Data

Vaible PACS				Potentially viable PACS			
S.N	State	Percentage	Ranking	S.N	State	Percentage	Ranking
1	Bihar	100.000	I	1	Pondicherry	31.887	I
2	Tripura	94.851	II	2	Gujarat	31.258	II
3	Assam	92.559	III	3	West Bengal	30.371	III
4	Kerala	91.809	IV	4	Himachal Pradesh	27.050	IV
5	Punjab	88.170	V	5	Tamil Nadu	26.635	V

In case of potentially viable PACS, Puducherry has the highest CAGR, followed by Gujarat, West Bengal, Himachal Pradesh, and Tamil Nadu, which ranks 5th. A higher percentage of potentially viable PACS suggests that, while these states are not currently fully strong, they have the capacity to become viable through financial restructuring, improved recovery performance, and better management practices.

Overall, the data indicate that some states have achieved strong financial sustainability in their PACS network. In contrast, others require policy support, reforms, and institutional strengthening to convert potentially viable PACS into fully viable ones. The long-term stability of the cooperative credit structure depends not only on the number of PACS but also on their financial health, recovery performance, and operational efficiency.

Table–4: Ranking Based on Dormant and Defunct PACS

TOP 5 STATES (Dormant PACS)				TOP 5 STATES (Defunct PACS)			
S.N	State	Average	Ranking	S.N	State	Average	Ranking
1	West Bengal	574.0	I	1	West Bengal	409.8	I
2	Gujarat	472.5	II	2	Nagaland	227.4	II
3	Nagaland	393.0	III	3	Gujarat	210.2	III
4	Uttar Pradesh	382.0	IV	4	Uttar Pradesh	163.0	IV
5	Maharashtra	189.8	V	5	Maharashtra	154.1	V

Dormant PACS exist and are legally registered but are currently non-operative, which may be due to not operating as usual because they aren't making enough money, insufficient member participation, governance problems, or other issues. Restructuring, financial support, improved administration, or greater member involvement can bring them back to life. Dormancy simply means not doing anything, but also not closing. According to Table 4 in the Dormant PACS category, West Bengal ranks first, with the highest average of 574 PACS, indicating a substantial number of inactive societies that require revival measures. Gujarat and Nagaland follow in second and third positions, respectively, reflecting moderate levels of dormancy. Uttar Pradesh and Maharashtra complete the top five, though with comparatively lower averages. Assam, Bihar, Chhattisgarh, and Tripura have had zero dormant PACS over the last 10 years, demonstrating their efforts to operate PACS successfully. 18 states have less than 50 dormant PACS.

Defunct societies are non-operational in the long term; they are either closed, in the process of liquidation, undergoing cancellation of registration, or formally closed, often because they have lost substantial membership, funds, or the capacity to operate their business.

Table–5: Percentage of Dormant & Defunct PACS of Total PACS based on Past 10 Year Data

S.N	State	Percent	Ranking
1	GOA	23.85	I
2	CHANDIGARH	23.53	II
3	WEST BENGAL	13.28	III
4	PONDICHERRY	13.21	IV
5	MEGHALAYA	8.91	V

Considering Table 4, if you look closely, both the TOP 5 states in dormant and defunct are the same, except for their rankings. Only 5 top 5 states have defunct PACS; more than 100 of the rest have fewer than 100; again, Assam, Bihar, Chhattisgarh, and Tripura have had zero defunct PACS over the last 10 years, demonstrating their efforts to operate PACS successfully. 18 states have less than 50 dormant PACS.

If we look both dormant and defunct pacs togather as per table 6, for FY 23-24, Goa has ranked as number 1 with approximately 24% of Total PACS in the state has been on the verge of closing, followed by Chandigarh, West Bengal, Pondcherry and Meghalaya this indicates a very bad operation in this states however Andaman And Nicobar, Assam, Bihar, Chattisgarh, Haryana, Mizoram, Nagaland and Tripura has nil dormant and defunct PACS as per FY23-24.

In contrast, the ranking for Defunct PACS shows a slightly different pattern in Table 4; the top states remain the same, but the ranking order changes. But if we look at Table 5, the pattern has completely changed, and, except for West Bengal, the top 5 states ranked for FY23-24 remain the same. This means that table 4 scenarios are changing very fast, and table 4 states are becoming successful in the effective operation of PACS over the last 9 years.

Now, we will categorise and evaluate states based on PACS growth, measured by member base and CAGR. so that an appropriate decision can be taken. State Classification Matrix Based on CAGR of PACS and Member Base

- CAGR (PACS) Mean = 0.03058930658
- Mean (Membership) = 470,254
- Leaders = High CAGR & Large Membership
- Emerging = High CAGR & Low Membership
- Saturated = Low CAGR & Large Membership
- Lagging = Low CAGR & Low Membership

The annual growth of PACS members is capitalising on 10 years of data from 30 states, and, based on PACS CAGR and membership, a state classification matrix is constructed, which shows clear comparative growth dynamics and scale across the states. The Mean CAGR and Membership for all the states is 3.06% and 470,254, respectively.

Table–7: Primary Agricultural Credit Societies at the State Level

Leader	Emerging	Saturated	Lagging
Sikkim Rajasthan Kerala	Telangana Punjab Jammu and Kashmir Tripura Goa	Orissa Tamil Nadu Karnataka Bihar Madhya Pradesh West Bengal Maharashtra Andhra Pradesh	Meghalaya Andaman and Nicobar Chhattisgarh Pondicherry Assam Uttar Pradesh Himachal Pradesh Gujarat Arunachal Pradesh Haryana Manipur Chandigarh Nagaland Uttarakhand

On comparing Mean CAGR and Membership with the states' CAGRs and Means, the States are categorised into four strategic categories: Leaders, Emerging, Saturated, and Lagging, highlighting their performance and outreach levels.

Leading states such as Sikkim, Rajasthan, and Kerala show strong growth alongside large membership bases. These states reflect an optimal balance of expansion and penetration, indicating effective cooperative management, outreach, and sustainability. They are examples of benchmarks for best practices and scalable cooperative models.

Emerging states, including Telangana, Punjab, Jammu and Kashmir, Tripura, and Goa, show high growth but relatively smaller membership bases. These states have ample room for development. They can move up to the Leader category soon if they improve their infrastructure and strategically attract new members.

Saturated states such as Odisha, Tamil Nadu, Karnataka, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, Maharashtra, and Andhra Pradesh possess large membership bases but relatively lower growth rates. Slow CAGR and high membership suggest that the market has reached maturity or is facing structural problems. Policies that emphasise innovation, digitisation, and operational efficiency could boost growth.

Lagging states, including Meghalaya, Assam, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Haryana, Uttarakhand, and Nagaland, are among those falling behind, with smaller membership bases and low growth rates. To improve the cooperative ecosystems in these areas, it may be necessary to implement governance reforms, financial inclusion policies, awareness campaigns, and targeted institutional support.

In a nutshell, the matrix shows PACS development across states at varying rates. Some states are performing very well and growing at higher rates, while others are not, and they need to focus on strategic policies to boost growth and membership outreach. Achieving balanced, inclusive growth in the cooperative sector at the national level would require a range of development strategies tailored to each state.

Conclusion: Based on the analysis conducted and the results shown in Tables 1 to 5, we conclude that there are significant differences among the states in PACS growth, including the number of Primary Cooperative Credit Societies, Dormant PACS, Defunct PACS, Membership, Viable PACS, and potentially viable PACS. If we have to choose the best state based on all the above criteria, then Bihar is the best choice because it has 100% viable PACS, 0 Dormant PACS, 0 Defunct PACS, a large membership, and a balanced CAGR. Future research could explore micro-level determinants using performance, credit facility, computerisation, etc., as bases, based on primary data.

References:

1. Mazumder, Rabin; Chakravarty, Chandrasekhar; Bhandari, Amit Kumar (2014): Recovery Performance of Primary Agriculture Credit Societies in India: An Assessment, IZA Discussion Papers, No. 8294, Institute for the Study of Labour (IZA), Bonn.
2. Chaure, M. G. & Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management. (2019). COMPARATIVE STUDY ON PERFORMANCE AND PROSPECTS OF PRIMARY AGRICULTURAL CREDIT SOCIETIES (PACS) IN INDIA AND MAHARASHTRA. In Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (Vol. 6, Issue 6, pp. 315–316) [Journal-article]. https://www.jetir.org

3. Anil S. Memane, 2012. Performance of Primary Agriculture Co-operative Societies during 2000-01 to 2009-10 in India. Online International Interdisciplinary Research Journal. Volume-II, Issue-II, Mar-Apr. [2]
4. K. Sudhakara Rao, 2016. Performance of Primary Agricultural Credit Societies (PACS) In India and Andhra Pradesh. International Journal of Social Sciences & Humanities (IJSSH), Volume 2 (3) 37-50.
5. Shinde Popat Krishna, 2013. Growth & performance of Primary agricultural cooperative Credit societies in India. Investment Management and Financial Innovations.
6. https://nafscob.org/Primary-Agricultural-Credit-societies.php
7. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2223294&reg=3&lang=2#:~:text=An%20MoU%20has%20been%20signed,FPOs%20in%20the%20cooperative%20sector.
8. https://www.cooperation.gov.in/en/rs-parliament-questions
9. https://cooperatives.gov.in/en/home/cooperative-sector-wise-list-reports/sector/1

=====

Cite the article:	Jaiswal, Rachit and Srivastava, Dr Abhilash Kumar (2026). A Comparative and Growth-Based Classification Matrix of Primary Agricultural Credit Societies at the State Level: An Empirical Study. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-2, April-June 2026, Page 79-86. https://doi.org/10.5281/zenodo.21790258

Bundelkhand Journal of Academic Research

Effect of Integrated Nutrient Management on Productivity and Profitability of Maize (Zea mays L.) Under Irrigated Conditions of Punjab

Malvi Katoch[1], Sanju Kumawat[2]

1. **MSc. Scholar**, USAS, Rayat Bahra University Mohali, Punjab.
2. **Assistant Professor**, USAS, Rayat Bahra University Mohali, Punjab.

(**Corresponding Author:** kumawatsanju5@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21790349

Abstract

A field experiment was conducted during the Rabi season of 2025-26 at the research farm of Department of Agronomy, Rayat Bahra University Mohali to evaluate the effect of integrated nutrient management on growth, yield, quality, nutrient uptake, soil fertility status, and economics of maize (Zea mays L.). The experiment comprised ten treatments with different combinations of inorganic fertilizers (RDF), organic manures (vermicompost and poultry manure), and biofertilizers (Azotobacter and PSB). The results revealed that the application of 50% RDF + Poultry manure (1.5 t/ha) + Azotobacter + PSB (T_8) recorded significantly higher plant height (207 cm), leaf area index (3.42), chlorophyll content (1.52 mg g^{-1} fresh wt.), grain yield (3693 kg ha^{-1}), and stover yield (5789 kg ha^{-1}). This treatment also demonstrated superior nutrient uptake and crude protein content and maximum economic returns with a B:C ratio of 2.2. The integrated application of organic and inorganic sources with biofertilizers proved more effective than sole inorganic fertilization, highlighting the importance of integrated nutrient management for sustainable maize production.

Article Info			
	Received: 08 April, 2026	**Accepted:** 12 May, 2026	**Published:** 30 June, 2026
	Table: 03	**Figures & Graphs:** 02	**Sources & Ref.:** 11
	Keywords:	Azotobacter, Integrated Nutrient Management, Maize, Poultry Manure.	

1. Introduction: Maize (Zea mays L.) is one of the most important cereal crops globally, serving as a staple food, feed, and industrial raw material. In India, maize ranks third among cereal crops after rice and wheat, with significant potential for enhancing productivity through improved nutrient management practices (Kumar and Thomas, 2017). Maize is grown on over 10.7 million hectares in 2024–2025, with an average productivity of about 3.5 tonnes per hectare and a production of about 43.4 million tons. Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, and Andhra Pradesh are important states that cultivate maize (Annapure et al., 2026). The productivity of maize is largely dependent on the efficient management of nutrients, as the crop has a high nutrient requirement due to its rapid growth and high biomass production.

The excessive and imbalanced use of chemical fertilizers has led to soil degradation, environmental pollution, and reduced nutrient use efficiency. This has necessitated the adoption of integrated nutrient management (INM) approaches that combine inorganic fertilizers with organic manures and biofertilizers to sustain soil health and crop productivity (Singh et al., 2018). INM not

only supplies essential nutrients but also improves soil physical, chemical, and biological properties, thereby enhancing nutrient availability and uptake by crops (Sharma and Prasad, 2019).

Organic manures such as poultry manure and vermicompost are rich sources of plant nutrients and organic matter. Poultry manure has a narrow C:N ratio, leading to faster mineralization and nutrient release, while vermicompost improves soil structure and water-holding capacity (Patel et al., 2020). Biofertilizers like Azotobacter and phosphate-solubilizing bacteria (PSB) enhance nitrogen fixation and phosphorus solubilization, respectively, making nutrients more available to plants (Rao et al., 2016). The present study was undertaken to evaluate the effect of integrated nutrient management on productivity and profitability of maize under irrigated conditions of Punjab, with the objective of identifying the most efficient nutrient combination for sustainable maize production.

2. Materials and Methods:

2.1 Experimental Site: The field experiment was conducted during the rabi season of 2025-26 at the research farm of the Department of Agronomy, Rayat Bahra University, Mohali, Punjab. The experimental site is located at 30°47'N latitude and 76°43'E longitude at an altitude of 310 m above mean sea level. The soil of the experimental field was sandy loam in texture, with pH 7.2, organic carbon 0.48%, available N 218 kg ha^{-1}, available P_2O_5 21.6 kg ha^{-1}, and available K_2O 202.5 kg ha^{-1}. The agro-meteorological data is presented in Fig. 1.

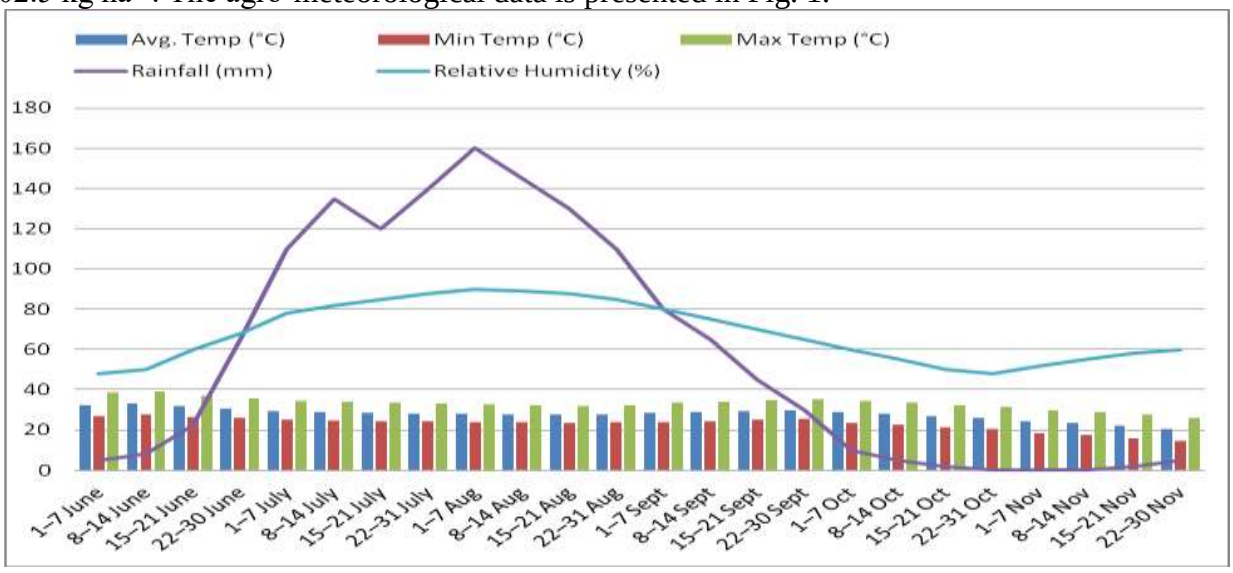


Fig. 1: Meteorological weather prameters recorded during crop growing season kharif, 2025-26

2.2 Experimental Design and Treatments: The experiment was laid out in a randomized block design (RBD) with ten treatments replicated thrice. The treatments comprised different combinations of recommended dose of fertilizer (RDF), organic manures (vermicompost and poultry manure), and biofertilizers (*Azotobacter* and PSB) as follows: T_1: 100% RDF, T_2: 75% RDF, T_3: 50% RDF, T_4: 75% RDF + Vermicompost (1 t/ha) + *Azotobacter* + PSB, T_5: 50% RDF + Vermicompost (1.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB, T_6: 50% RDF + Vermicompost (2.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB, T_7: 75% RDF + Poultry manure (1 t/ha) + *Azotobacter* + PSB, T_8: 50% RDF + Poultry manure (1.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB, T_9: 50% RDF + Poultry manure (2.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB, T_{10}: Control (No fertilizer/organic manure). The RDF for maize was 120:60:40 kg $N:P_2O_5:K_2O$ ha^{-1}. Nitrogen was applied through urea in three splits, while phosphorus and potassium were applied through single super phosphate and muriate of potash, respectively, as a basal dose. Organic manures were applied 15 days before sowing. Biofertilizers (*Azotobacter* and PSB) were applied as seed treatment at the rate of 10 g kg^{-1} of seed.

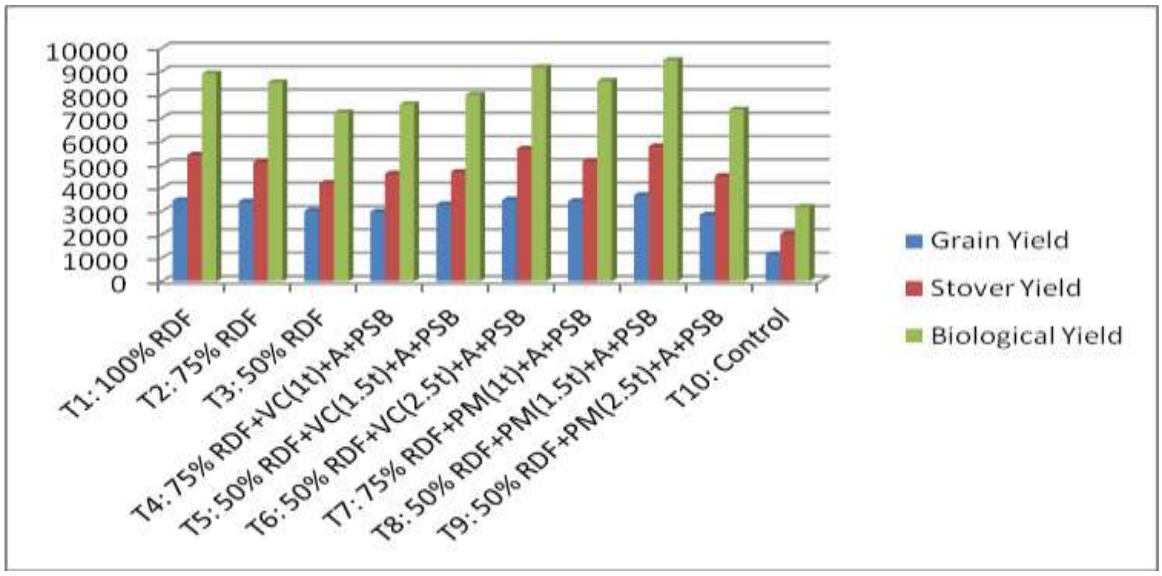


Fig. 2: Effect of integrated nutrient management on grain, straw and biological yield of maize

2.3 Crop Management and observations: Maize variety "PMH-9" was sown with a seed rate of 25 kg ha^{-1} at a spacing of 60 cm × 20 cm. Standard agronomic practices were followed throughout the crop growth period. Irrigation was provided as per the requirement of the crop. Plant height, leaf area index, chlorophyll content, number of cobs per plant, cob length and yield were measured by standard methods. Crude protein content and N, P, and K uptake by grain and stover were analysed in lab by standard methods. The data collected were statistically analyzed using analysis of variance (ANOVA) for randomized block design. The significance of differences between treatment means was tested using the critical difference (CD) at P=0.05.

3. Results and Discussion:

3.1. Effect on Growth Attributes: The data on plant height, LAI and Chlorophyll Content at different growth stages are presented in Table 1. Plant height increased progressively with crop age, with rapid increase between 25 to 75 DAS and marginal increase thereafter. The treatment T_8 (50% RDF + Poultry manure 1.5 t/ha + *Azotobacter* + PSB) recorded the highest plant height at all stages (70, 194, and 207 cm at knee-high, tasseling, and harvest, respectively), which was statistically at par with T_6 (50% RDF + Vermicompost 2.5 t/ha + *Azotobacter* + PSB). The control treatment (T_{10}) recorded the lowest plant height (39, 110, and 121 cm at the respective stages). The magnitude of increase in leaf area index at 45 DAS was 29.95 to 80.00 per cent over control by applying different nutrient treatments. The maximum plant height in integrated treatment T_8 might be due to continuous supply of essential nutrients throughout the growing period, which improved plant metabolic activity, especially in the early growth stage. The synergistic effect of inorganic, organic, and biofertilizers played a very important role, resulting in taller plants. These findings are in conformity with the research outcome of Kumar and Thomas (2017), who reported the highest plant height at harvest with 100% RDF + *Azotobacter* + PSB. The lowest plant height in the control treatment was due to undernutrition and no nitrogen supplementation, which indicated the importance of fertilization in plant metabolism and growth (Singh et al., 2018; Sharma and Prasad, 2019). Maize responds very well to fertilizer application due to its well-developed root system, which absorbs required nutrients for effective growth and yield.

Table-1: Effect of Integrated Nutrient Management on plant height (cm), LAI and Chlorophyll content of maize crop at different growth stages

Treatments	Knee high	Tasseling	Harvest	Leaf area index at 45 DAS	Chlorophyll (mg g^{-1} f. w.) at 45 DAS
T_1:100% RDF	65	172	184	3.13	1.42
T_2:75% RDF	61	169	182	3.35	1.47
T_3:50% RDF	62	165	180	3.34	1.49
T_4:75% RDF + Vermicompost (1 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	46	156	168	3.14	1.44
T_5:50% RDF + Vermicompost (1.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	51	160	173	2.75	1.13
T_6:50% RDF + Vermicompost (2.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	66	182	196	3.40	1.50
T_7:75% RDF + Poultry manure (1 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	63	175	184	3.19	1.42
T_8:50% RDF + Poultry manure (1.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	70	194	207	3.42	1.52
T_9:50% RDF + Poultry manure (2.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	63	172	186	3.12	1.32
T_{10}: Control	39	110	121	2.46	1.29
SEm (±)	2.27	5.70	4.70	0.11	0.03
CD (P=0.05)	6.80	17.40	13.80	0.32	0.10
CV (%)	9.46	8.23	7.54	5.21	6.12

These findings are in conformity with the research outcome of Prabhavathi et al., 2021 and Jadav et al., 2018.

3.2 Effect on Yield Attributes and Yield: The yield attributes of maize were significantly influenced by the treatments (Table 2). T_8 recorded the highest values for number of cobs per plant (2.25), cob length (17.45 cm). Among the treatments, significantly higher seed, straw and biological yield was recorded in T_8, which received 50% RDF + Poultry manure (1.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB. This might be due to nitrogen being the major constituent of chlorophyll, amino acids, and proteins, as well as phosphorus being the component of energy compounds viz., ATP, NADP.

Table-2: Effect of Integrated Nutrient Management on yield attributes, yield and economics of maize crop at different growth stages

Treatments	No. of cobs / Plant	Cob length (cm)	Grain yield (kg ha^{-1})	Stover yield (kg ha^{-1})	Biological yield (kg ha^{-1})	Gross return (Rs ha^{-1})	Net return (Rs ha^{-1})	B : C ratio
T_1: 100% RDF	2.05	16.19	3475	5425	8900	81086	47493	1.4
T_2: 75% RDF	2.10	16.64	3423	5107	8530	78526	49367	1.6
T_3: 50% RDF	2.05	17.11	3021	4215	7236	71976	40783	1.3
T_4: 75% RDF + Vermicompost (1 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	2.00	16.51	2976	4617	7593	76220	46801	1.6
T_5: 50% RDF + Vermicompost (1.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	2.00	15.93	3297	4689	7986	86056	56013	1.9
T_6: 50% RDF + Vermicompost (2.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	2.05	17.37	3494	5682	9176	92371	58411	1.7
T_7: 75% RDF + Poultry manure (1 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	2.10	15.10	3435	5156	8591	85275	53716	1.7
T_8: 50% RDF + Poultry manure (1.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	2.25	17.45	3693	5789	9482	97851	67442	2.2
T_9: 50% RDF + Poultry manure (2.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	2.00	16.07	2852	4513	7365	88548	58764	2.0
T_{10}: Control	1.05	14.40	1154	2031	3185	64714	35920	1.2
SEm (±)	0.04	2.06	83.12	210.00	0.97			
CD (P=0.05)	0.03	5.95	246.28	627.21	NS			
CV (%)	5.2	6.1	11.51	7.25	7.37			

Also, potassium which serves as an activator or cofactor for various enzymes involved in photosynthesis and carbon dioxide fixation, could have promoted satisfactory plant growth, photosynthetic surface, yield structure, and finally improved cob yield under adequate and balanced supply of nutrients. This is in accordance with the results reported by Adnan et al., 2018; Makwana et al., 2016; Zafar et al., 2020.

3.3 Effect on Quality Parameters: The crude protein content of maize (Table 3) was significantly influenced by application of organic and inorganic sources of nutrients. The highest protein content (12.0%) was observed in T_8 (50% RDF + Poultry manure 1.5 t/ha + *Azotobacter* + PSB). This might be due to combined application of inorganic, organic, and biofertilizers, which was associated with higher N availability in soil and thereby greater N uptake by crop. Nitrogen, being the principal constituent of protein, might have substantially increased the protein content of the kernel due to increased uptake of nitrogen under higher availability. The effective translocation of photosynthates from source to sink might have further improved the protein in kernels. Similar trend was also reported by Patel et al. (2020).

Table-3: Effect of Integrated Nutrient Management on nutrient uptake, crude protein content and economics of maize crop at different growth stages

Treatments	N uptake (kg ha^{-1})		P uptake (kg ha^{-1})		K uptake (kg ha^{-1})		Crude protein content (%)
	Grain	Stover	Grain	Stover	Grain	Stover	
T_1: 100% RDF	57.69	45.03	12.16	11.39	14.60	72.15	10.38
T_2: 75% RDF	59.22	44.94	12.67	13.28	17.12	72.52	10.81
T_3: 50% RDF	54.08	39.20	12.08	12.22	16.62	62.80	11.19
T_4: 75% RDF + Vermicompost (1 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	52.68	41.55	11.61	12.47	15.77	67.87	11.06
T_5: 50% RDF + Vermicompost (1.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	59.35	45.95	14.18	15.00	18.79	72.68	11.25
T_6: 50% RDF + Vermicompost (2.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	62.19	53.98	12.58	12.50	16.42	79.55	11.13
T_7: 75% RDF + Poultry manure (1 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	64.23	51.56	13.05	12.89	18.21	79.92	11.69
T_8: 50% RDF + Poultry manure (1.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	70.91	60.78	15.88	16.79	22.16	94.36	12.00
T_9: 50% RDF + Poultry manure (2.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB	53.62	46.48	11.69	12.19	16.54	72.21	11.75
T_{10}: Control	22.27	21.73	5.08	6.50	7.15	33.11	12.06
SEm (±)	2.7	2.5	2.2	2.4	1.2	2.8	0.09
CD (P=0.05)	7.3	5.2	3.5	2.4	5.3	7.5	0.07
CV (%)	5.2	8.3	9.6	8.9	7.1	8.5	4.2

The N, P, and K uptake by grain and stover were significantly influenced by the treatments (Table 3). T_8 recorded the highest N uptake in grain (70.91 kg ha^{-1}) and stover (60.78 kg ha^{-1}), P uptake in grain (15.88 kg ha^{-1}) and stover (16.79 kg ha^{-1}), and K uptake in grain (22.16 kg ha^{-1}) and stover (94.36 kg ha^{-1}). The control treatment recorded the lowest nutrient uptake. Higher biomass production might be the most pertinent reason for the higher uptake of nutrients in the treatments which received higher levels of recommended nitrogen. This was evident from the highly significant relation between soil available nitrogen with dry matter production, grain and stover yields at harvest. Similar results were also reported by Singh et al. (2018).

3.4 Effect on Economics: The economics of different nutrient management treatments are presented in Table 2. The highest gross return (Rs. 97,851 ha^{-1}), net return (Rs. 67,442 ha^{-1}), and B:C ratio (2.2) were obtained with T_8 (50% RDF + Poultry manure 1.5 t/ha + *Azotobacter* + PSB). This was followed by T_6 (Rs. 92,371 ha^{-1} gross return, Rs. 58,411 ha^{-1} net return, B:C 1.7) and T_9 (Rs. 88,548 ha^{-1} gross return, Rs. 58,764 ha^{-1} net return, B:C 2.0). The control treatment recorded

the lowest economic returns (Rs. 64,714 ha^{-1} gross return, Rs. 35,920 ha^{-1} net return, B:C 1.2). This can be attributed to higher cost of cultivation of vermicompost. This was prominent in B:C ratio. The highest B:C ratio (2.2) was observed in T_8, while the lowest (1.2) was observed in T_{10} (control). Similar reports of higher B:C ratio and net returns in maize by application of poultry manure compared to FYM were recorded by Kumar and Thomas (2017) and Patel et al. (2020).

Conclusion: The treatment receiving 50% RDF + Poultry manure (1.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB (T_8) proved to be the most effective, recording the highest growth attributes, yield parameters, nutrient uptake, and economic returns. This treatment was statistically at par with 50% RDF + Vermicompost (2.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB (T_6) for most parameters. The integration of organic sources with reduced inorganic fertilizer doses (50% RDF) and biofertilizers not only maintained higher productivity but also improved soil fertility status, indicating the sustainability of this approach. The highest B:C ratio of 2.2 in T_8 highlights its economic viability and potential for adoption by farmers. Therefore, integrated nutrient management with 50% RDF + Poultry manure (1.5 t/ha) + *Azotobacter* + PSB is recommended for sustainable and profitable maize production in the irrigated conditions of Punjab.

References:

1. Adnan, M., Fahad, S., Iqbal, S., Arshad, M., Muhammad, D., Wahid, F and Noor, M. N. 2018. Integrated application of phosphorus (P) and phosphate solubilizing bacteria (PSB) improve maize yield. Pure and Applied Biology. 7(2): 494-499.
2. Annapure, U. S., Kaur, P., Irom, B. S., & Das, T. (2026). Introduction to Major and Minor Millets. In Millets: A Sustainable And Nutritious Crop (pp. 3-46). Cham: Springer Nature Switzerland.
3. Jadav, V.M., Patel, P.M., Chaudhari, J.B., Patel, J.M and Chaudhari, P.P. 2018. Effect of integrated nutrient management on growth and yield of rabi forage maize (Zea mays L.). International Journal of Chemical Studies. 6(1): 2160-2163.
4. Kumar, R. and Thomas, A. (2017). Integrated nutrient management in maize-wheat cropping system. Journal of Agricultural Research, 45(3): 234-241.
5. Makwana, N.D, Thanki, J.D., Der, P.B and Nandaniya J.K. 2016. Grain yield, nutrient uptake and economics of rabi maize under different fertilizer levels and organic sources in south Gujarat condition. Advances in Life Sciences. 5(5): 1661-1664.
6. Patel, R.K., Singh, D.K., and Kumar, S. (2020). Effect of organic manures and biofertilizers on growth, yield and quality of maize. Indian Journal of Agronomy, 65(2): 189-195.
7. Prabhavathi, N., Nagaraju, K., Madhuri, K.N and Prasad, P.R. 2021. Effect of INM on growth and physiological parameters of maize in maize-groundnut cropping system. The pharma Innovation Journal. sp.10(5): 250-253.
8. Rao, A.S., Reddy, G.S., and Sharma, K.L. (2016). Biofertilizers in sustainable agriculture. Journal of Soil Biology, 12(1): 45-58.
9. Sharma, P.K. and Prasad, R. (2019). Integrated nutrient management for sustainable crop production. Current Agriculture, 28(4): 301-315.
10. Singh, V.P., Kumar, A., and Meena, R.S. (2018). Integrated nutrient management in cereals. Indian Journal of Agricultural Sciences, 88(2): 187-194.
11. Zafar, N., Munir, M.K., Ahmed, S and Zafar, M. 2020. Phosphorus solubilizing bacteria (PSB) in combination with different fertilizer sources to enhance yield performance of chickpea. Life Science Journal. 17 (8): 84-88.

Cite the article:	Katoch, Malvi and Kumawat, Sanju (2026). Effect of Integrated Nutrient Management on Productivity and Profitability of Maize (Zea mays L.) Under Irrigated Conditions of Punjab. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-2, April-June 2026, Page 87-92. https://doi.org/10.5281/zenodo.21790349

Bundelkhand Journal of Academic Research

Constraint Faced by Sorghum Grower in Ajmer district of Rajasthan

Narendra Yadav[1], Sonu Jain[2]

1. M.Sc. Scholar, Department of Agricultural Economics, Sri Karan Narendra Agricultural University Jobner-Jaipur; Rajasthan. **2. Assistant Professor,** Department of Agricultural Economics, Sri Karan Narendra Agricultural University Jobner-Jaipur; Rajasthan.

(**Corresponding Author:** sonujain.ageco@sknau.ac.in)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21790450

Abstract

Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) is an important cereal crop belonging to the family Poaceae and is recognized as the fifth most important cereal crop globally after maize, rice, wheat, and barley. The present study was conducted to identify and prioritize the major constraints faced by sorghum growers in Ajmer district of Rajasthan. Primary data were collected from 80 randomly selected sorghum farmers through a pre-tested interview schedule. The Garrett Ranking Technique was employed to analyse and rank the constraints under four categories, namely technical, input, marketing, and miscellaneous constraints. The findings revealed that among the technical constraints, lack of availability of high-yielding variety (HYV) seed emerged as the most severe constraint (Garrett score: 71.45), followed by lack of knowledge about chemical weed control (67.10) and poor knowledge of recommended fertilizer dose (61.14). Regarding input constraints, high cost of labour ranked first (71.65), followed by unavailability of HYV seed at sowing time (63.20) and small landholding size (54.54). Among marketing constraints, lack of knowledge of market information/intelligence was identified as the most important constraint (71.26), followed by high transportation cost (64.13) and lack of storage facilities (54.33). In the miscellaneous category, attack of wild animals (Nilgai) was the most serious constraint (64.66), followed by insect-pest and disease incidence (60.50). The study concludes that inadequate availability of quality seed, high labour costs, poor access to market information, and crop damage by wild animals are the major factors limiting sorghum production and profitability in the study area. The findings suggest the need for timely supply of quality seed, strengthening of extension services, dissemination of improved production technologies, improved market intelligence systems, development of storage and transportation infrastructure, and effective measures for controlling wild animal damage to enhance sorghum productivity and farmers' income.

Article Info			
	Received: 18 April, 2026	**Accepted:** 12 May, 2026	**Published:** 30 June, 2026
	Table: 04	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 14
	Keywords:	Sorghum, Constraints, HYV, Market, Wild animal, Rajasthan, Ajmer.	

1. Introduction: Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) is an important cereal crop belonging to the family Poaceae and is recognized as the fifth most important cereal crop globally after maize, rice, wheat, and barley (Baloch et al., 2023). Originating in northeastern Africa, sorghum is now cultivated in more than 110 countries, particularly in the semi-arid and tropical regions of

Africa, Asia, the Americas, and Australia (Charyulu et al., 2024). Its exceptional tolerance to drought, high temperature, and low soil fertility makes it one of the most climate-resilient cereal crops and an important component of sustainable agriculture under changing climatic conditions (FAO, 2024, Baloch et al., 2023).

Sorghum is a multipurpose crop grown for grain, fodder, forage, silage, biofuel, and industrial applications. The grain is an excellent source of carbohydrates, proteins, dietary fibre, vitamins, and essential minerals such as iron, zinc, and phosphorus. It is naturally gluten-free and contains high levels of phenolic compounds and antioxidants, making it an important functional food with potential health benefits (Awika, 2022, Baloch et al., 2023). In addition to human consumption, sorghum stalks and leaves serve as valuable livestock feed, while the crop residues are used for bioethanol production, paper manufacturing, and other industrial purposes.

In India, sorghum (jowar) occupies an important place among coarse cereals and is cultivated during both the kharif and Rabi seasons. Major sorghum-growing states include Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, Rajasthan, and Gujarat. During the year 2023-24, Rajasthan have 509.389-thousand-hectare area under sorghum cultivation, which was 1.84 percent of total gross cultivated area. During this year production of sorghum was 451.408 thousand MT. (Rajasthan Agriculture statistics at a glance-2023-24)

With increasing concerns over climate change, water scarcity, and food insecurity, sorghum has gained renewed attention as a climate-smart crop. Its deep root system, high water-use efficiency, and ability to withstand prolonged dry spells enable it to maintain productivity under adverse environmental conditions. Recent advances in genomics, molecular breeding, and precision agriculture have accelerated the development of high-yielding, nutrient-rich, and stress-tolerant sorghum varieties, thereby strengthening its role in sustainable agricultural production systems (Baloch et al., 2023, Charyulu et al., 2024).

2. Methodology: In order to examine the issues farmers were having with the production and sale of the sorghum crop, Garret's ranking technique was utilized. The producers and marketers of the sorghum crop were asked to rate the elements that affect them. Using the following formula, these rankings of merit were converted into units of score:

$$\text{Percent Position} = [100(R_{ij}-0.5)] \div N_j$$

Where,

R_{ij} =Rank given for the i^{th} variable by j^{th} respondents

N_j = Number of variables ranked by j^{th} respondents

By using the Garrett and Woodworth table (1969), the percent position of each rank was translated to scores. The scores of each respondent were then added up for each element and divided by the total number of respondents whose scores were added up. The average scores for each component were ranked from least to most important, and the most impacting elements were those with the highest ranks.

3. Result and Discussion: This Result and discussion, section addresses the issue that sorghum growers are facing. The difficulties farmers encountered in growing and marketing the sorghum were examined using Garret's ranking technique. The farmers were asked to rate the variables that affect sorghum crop marketing and productivity. These merit orders had one more conversion to become a unit of score.

In this section constraints were divided into four major sections like technical constraints, Input constraints, marketing constraints and other miscellaneous constraints. This major section also divided into sub groups that are discussed below.

Table-1: Technical constraint faced by sorghum growing farmers in Ajmer district of Rajasthan				
S. N.	**Constraints reported by the farmers**	**Total Score**	**Garret score**	**Rank**
1.	Lack of knowledge about seed treatment	3581	44.7625	IV
2.	Lack of availability of High yielding variety seed	5716	71.45	I
3.	Lack of Knowledge about recommended seed rate	2730	34.125	VI
4.	Poor knowledge about irrigation management	2497	31.2125	VII
5.	Poor knowledge about dose of chemical fertilizer	4891	61.1375	III
6.	Lack of knowledge about chemical weed control	5368	67.1	II
7.	Technical guidance unavailable at the time of sowing	3493	43.6625	V

The technical constraints faced by 80 sample sorghum growing farmer in the study area, have been depicted in table-1. The table reveals that out of 7 technical constraints lack of availability high yielding variety was a major constraint for sorghum grower with Garrett Score 71.45, therefore this constraint assigned first rank in technical constraints this is followed by lack of knowledge about weed control with garret score 67.1 (only manual labour were applied for weed control that leads to high cost of production), poor knowledge about dose of chemical fertilizer with garret score61.13, lack of knowledge about seed treatment with garret score 44.76, Technical guidance unavailable at the time of sowing with garret score 43.66, Lack of Knowledge about recommended seed rate with garret score 34.12, Poor knowledge about irrigation management with garret score 31.21 which were assigned rank was II, III, IV,V,VI,VII respectively.

Similar findings have been reported by Kumar et al. (2018), who observed that non-availability of quality seed and inadequate technical knowledge were the major constraints affecting adoption of improved sorghum production technologies. Likewise, Rathod et al. (2017) reported that lack of technical guidance, poor awareness of seed treatment, and inadequate knowledge of weed and nutrient management significantly limited sorghum productivity.

Table-2: Input constraint faced by Sorghum Cultivating Farmers in Ajmer District of Rajasthan				
S. No.	Constraints reported by the farmers	Total Score	Garret score	Rank
1.	Unavailability of HYV seed at sowing time	5056	63.2	II
2.	lack of irrigation facility	2347	29.3375	VI
3.	Small land holding	4363	54.5375	III
4.	Unavailability of short duration varieties	3873	48.4125	IV
5.	High cost of labour	5732	71.65	I
6.	Seed fertilizer and chemicals are costly	2629	32.8625	V

The input constraints faced by 80 sample sorghum cultivating farmers in the study area have been presented in the Table 2. It's clear from the table that high cost of labour was major input constraint in front of sorghum grower therefore this constraint assigned first rank with garret score 71.65, this is followed by Unavailability of HYV seed at sowing time with garret score 63.2, Small land holding with garret rank 54.53, Unavailability of short duration varieties with garret score 48.41, Seed fertilizer and chemicals are costly with garret score 32.86 and lack of irrigation facility with garret score 29.33, which were assigned rank II,III,IV,V and VI respectively. Similar observations were made by Patil et al. (2019), who reported that rising labour wages, shortage of quality seed, and fragmented landholdings were among the most serious constraints in sorghum

cultivation. Kumar and Singh (2020) also identified high input costs and limited access to quality seed as major barriers to improving sorghum production.

Table-3: Marketing constraints faced by sorghum growing farmers in Ajmer district of Rajasthan

S. N.	Constraints reported by the farmers	Total Score	Garret score	Rank
1.	Lack of storage facility	4346	54.325	III
2.	Transportation facilities are very costly	5130	64.125	II
3.	Lack of knowledge of market information	5701	71.2625	I
4.	Low price of quality produce in the market	3778	47.225	IV
5.	Unnecessary deductions in market at the time of selling	2324	29.05	VI
6.	Very high fluctuation on price	2721	34.0125	V

Marketing constraints faced by 80 sample sorghum cultivating farmers in the study area have been presented in the table 3. It is clear from the table that out of 6 marketing constraints lack of knowledge of market intelligence was major marketing constraint faced by farmers, garret score 71.26 therefore it received first place. Followed by costly transportation facility with garret score 64.12, Lack of storage facility with garret score 54.32, Low price of good quality produce in the market with garret score 47.22, Very high fluctuation on price with garret score 34.01 and Unnecessary deductions in market at the time of selling with garret score 29.05 obtained. This is given II, III, IV, V, and VI respectively. These findings are in agreement with Meena et al. (2019), who reported that poor market intelligence, inadequate storage facilities, and high transportation expenses reduced farmers' bargaining power and profitability. Similarly, Birthal et al. (2015) highlighted that lack of timely market information and weak market infrastructure adversely affected marketing efficiency in rainfed agriculture.

Table-4: Miscellaneous Constraints faced by sorghum growing farmers in Ajmer district of Rajasthan

S. N.	Constraints reported by the farmers	Total Score	Garret score	Rank
1.	The early showing sorghum crop affected by the low temp.	2894	36.175	IV
2.	Late showing reduces the yield	3173	39.6625	III
3.	Attack of wild animals (Nilgai)	5173	64.6625	I
4.	More insect pest disease attack	4840	60.5	II

Miscellaneous constraints faced by 80 sample sorghum cultivating farmers in the study area have been presented in the table-4. Four miscellaneous constraints were selected other than three major group of constraints. Out of the four attacks of wild animals was on first position with 64.66 garret score. This was followed by more insect pest and disease attack with garret score 60.50, yield reduction due to late sowing with garret score 39.66 and early sowing sorghum crop affected by the low temperature with garret score 36.17 were obtained. This was given II, III and IV rank of constraints respectively. Similar findings were reported by Jat et al. (2021), who observed that crop damage by wild animals had become a serious concern in Rajasthan, causing significant yield losses in rainfed crops.

Conclusion: The study revealed that sorghum farmers in Ajmer district face several production and marketing constraints that adversely affect productivity and profitability. The major constraints identified were the lack of availability of high-yielding variety seeds, high labour costs, inadequate market information, and damage caused by wild animals. Addressing these constraints through timely input supply, effective extension services, improved market infrastructure, and

suitable crop protection measures will enhance sorghum production, profitability, and the livelihood of farmers in the region.

Policy Implication: Timely availability of quality HYV seed, strengthened extension services, improved market information, and effective measures to reduce labour costs and wild animal damage are essential to enhance sorghum

References:

1. Awika, J. M. (2017). Sorghum: Its unique nutritional and health-promoting attributes. In Gluten-free ancient grains (pp. 21-54). Woodhead publishing.
2. Baloch, F. S., Altaf, M. T., Liaqat, W., Bedir, M., Nadeem, M. A., Cömertpay, G., ... & Sun, H. J. (2023). Recent advancements in the breeding of sorghum crop: current status and future strategies for marker-assisted breeding. Frontiers in Genetics, 14, 1150616.
3. Birthal, P. S., Negi, D. S., Kumar, S., Aggarwal, S., Suresh, A., & Khan, M. T. (2015). How sensitive is Indian agriculture to climate change? Indian Journal of Agricultural Economics, 70(4), 474–487.
4. Charyulu, D. K., Afari-Sefa, V., & Gumma, M. K. (2024). Trends in Global Sorghum Production: Perspectives and Limitations. In Omics and Biotechnological Approaches for Product Profile-Driven Sorghum Improvement (pp. 1-19). Singapore: Springer Nature Singapore.
5. FAO. (2024). FAOSTAT Statistical Database. Food and Agriculture Organization of the United Nations. https://www.fao.org/faostat
6. ICAR–Indian Institute of Millets Research (ICAR-IIMR). (2024). Vision and Annual Report 2023–24. Hyderabad, India.
7. ICRISAT. (2024). Sorghum Research Program. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, Hyderabad, India.
8. Jat, M. L., Sharma, P. C., & Singh, R. (2021). Constraints in rainfed agriculture and strategies for sustainable crop production. Indian Journal of Agricultural Sciences, 91(8), 1123–1130.
9. Kumar, R., Singh, A. K., & Sharma, V. (2018). Adoption constraints of improved sorghum production technology among farmers. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 7(6), 2483–2490.
10. Kumar, S., & Singh, R. (2020). Production constraints in sorghum cultivation: Farmers' perspective. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 9(4), 1845–1849.
11. Meena, G. L., Singh, I. P., & Sharma, R. (2019). Marketing constraints faced by farmers in Rajasthan. Indian Journal of Extension Education, 55(3), 86–91.
12. Patil, S. L., Desai, B. K., & Kulkarni, G. N. (2019). Constraints faced by sorghum growers in adoption of improved production technology. Agricultural Update, 14(2), 148–153.
13. Rathod, M. K., Patel, M. M., & Chauhan, N. B. (2017). Constraints faced by farmers in adoption of improved sorghum cultivation practices. Gujarat Journal of Extension Education, 28(1), 132–136.
14. Rajasthan Agriculture statistics at a glance-2023-24.

=====

Cite the article:	Yadav, Narendra and Jain, Sonu (2026). Constraint Faced by Sorghum Grower in Ajmer district of Rajasthan. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-2, April-June 2026, Page 93-97. https://doi.org/10.5281/zenodo.21790450

Bundelkhand Journal of Academic Research

A Review on Preservatives Present in Packaged Food Items

Dr. Atul Kumar Kushwaha
Assistant Professor (Chemistry), Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh.
(**Corresponding Author:** atulkk2008@gmail.com)
https://doi.org/10.5281/zenodo.21790539

Abstract

Packaged food products have become an essential part of modern lifestyles due to their convenience, extended shelf life and easy availability. To maintain food quality, safety, and freshness, manufacturers use various preservatives that inhibit microbial growth, prevent oxidation, and preserve texture, flavor, and color. While food preservatives play a crucial role in reducing food spoilage and ensuring food security, concerns have been raised regarding their excessive consumption and potential health effects. This review examines the types, functions, applications, benefits, and possible health risks associated with preservatives commonly used in packaged food items.

Food spoilage has been a universal problem all the way through past time, and to a great extent of the spoilage is caused by the action of microorganisms or enzymatic reactions during the storage of food. Thus, using chemical compounds could check or delay food spoilage and this has lead to the great success of these compounds in the treatment of human diseases. Salt, sugar, honey, vinegar, edible oil and spices are natural preservatives considered safe for consumption. Benzoate, sorbates, nitrates, sulphur dioxide, propionates, antioxidants and nisin are synthetic preservatives that are extensively used in the food industry.

Article Info			
	Received: 23 April, 2026	**Accepted:** 23 May, 2026	**Published:** 30 June, 2026
	Table: 00	**Figures & Graphs:** 03	**Sources & Ref.:** 13
	Keywords: Preservative, Food, Spoilage, Oxidation, Microbes, Food Safety.		

1. Introduction: Preservative is a substance used to prevent spoilage of packaged food items from microbes and prevent their oxidation. Preservative are food additives that reduce the risk of food borne infections, decrease microbial spoilage, and preserve fresh attributes and nutritional quality. Antimicrobials work by either killing microorganisms or creating an environment (e.g., by increasing acidity) where they cannot survive and reproduce. Antioxidants work by preventing oxygen from reacting with food components, particularly fats, thus halting the oxidation process that leads to spoilage. Preservatives play a crucial role in the food industry for several reasons. It help to extend the shelf life of food products, reducing waste and ensuring that food remains safe and edible for longer periods by inhibiting the growth of harmful microorganisms. Preservatives help to prevent food borne illnesses and ensure that food is safe for consumption. Preservatives help to maintain the taste, texture, and appearance of food products, ensuring that they remain appealing to consumers. Extended shelf life and reduced spoilage translate to cost savings for both

consumers and producers, making food more affordable and accessible. Food preservatives are of two types, Class I and Class II.

This review explains the various types of food preservatives, natural (Class I) {Salt, sugar, honey, vinegar, edible oil and spices} and synthetic preservatives (Class II), {Benzoate, sorbates, nitrates, sulphur dioxide, propionates, antioxidants and nisin} including antioxidants and antibacterial agents. Today, synthetic preservatives are more commonly used than natural ones.

2. Class I preservatives: Class 1 preservatives are natural in origin derived from plants and minerals like salt, sugar, vinegar, honey, spices, and edible oils, which are used traditionally to prevent food spoilage by inhibiting microbial growth. These have no strict usage limits as they are generally considered as safe in normal food quantities and often found in everyday kitchens. These traditional methods work by reducing water activity, creating unfavorable conditions for microbial growth, or by their natural antimicrobial properties, and extending shelf life of food without using synthetic chemicals.



Figure 1. Class I Preservatives

2.1. Salt (Sodium Chloride): From ancient time Salt has been used as a preservative. Pickling of fruits and vegetables and salting of fish and meat are extensively practiced. The anti- microbial activity of sodium chloride is basically related to its ability to reduce water activity and generate adverse conditions for microbial growth. As the salinity of the external medium is increased, microbial cells are subjected to osmotic shock and rapidly lose water that causes shrinking of microbial cells. That result in ceasing the growth of the cells which makes cells either die or remain inactive.

2.2. Sugar: Sugar acts as a natural preservative by creating a high osmotic pressure environment that dehydrates and kills microorganisms, such as bacteria and mold, by drawing out their moisture. It commonly used in jams, jellies, and candied fruits, high concentrations of sugar (above 68%) reduce water activity, preventing food spoilage.

2.3. Vinegar (Acetic Acid): Vinegar adds acidity, and creating an inhospitable environment for growth of microorganisms. Synthetic vinegar (dilute acetic acid) and brewed vinegar are widely used as acidulants and antimicrobials. Vinegar pickles are common in our country. Acetic acid is more effective against yeasts and bacteria than moulds. Generally, 1-2 % acetic acid is sufficient to inhibit the growth of most of the organisms.

2.4. Honey: Honey contains natural antimicrobials and low water activity. Honey has been recognized worldwide as a highly nutritive food used widely in the food industry as a natural food preservative. Several studies have reported that honey is associated with anti-browning, antioxidant, anti-inflammatory, antiviral and antibacterial properties, which offer scope for its applications in food industries. Honey has the potential to restrict the growth of various food spoiling bacteria such as *Escherichia coli*, *Clostridium perfringens*, *Staphylococcus aureus* and *Salmonella species*, so it prevent food contamination. This antibacterial property of honey is attributed to its high sugar content, hydrogen peroxide formation and proteinaceous compounds. Number of evidences has reported that commercial milk samples stored at 4 °C in the presence of honey restrict opportunistic bacterial growth compared to those stored in the absence of honey. This antibacterial property and preservative nature of honey improve the quality and shelf life of various food products. Furthermore, the preservative potential of honey is demonstrated by its prevention of lipid oxidation and other deteriorative oxidative reactions, such as enzymatic browning of fruits and vegetables [1].

2.5. Edible Oils: When fruits or vegetables are submerged in oil, it builds a protective layer that minimizes its exposure to oxygen and moisture which are responsible for food spoilage. Certain oils, like mustard oil, have natural antimicrobial properties that further inhibit the growth of bacteria and fungi. Different types of oils can be used for preservation, such as Mustard oil, Sesame oil, Olive oil, each bringing its own unique flavor and benefits. Preserving fruits and vegetables in oil extend its shelf life, enhance flavor and have health benefits. These oils are rich in healthy fats, antioxidants, and other beneficial compounds that promote overall health. Oil-preserved pickles are very common in Indian cuisine.

2.6 Spices: Spices contain compounds that have natural antimicrobial properties (e.g., cinnamon, cloves). Many chemical substances in spices (alkaloids, terpenes) have been shown to have antimicrobial properties. Spices act as natural preservatives by containing antimicrobial, antifungal, and antioxidant compounds that inhibit growth of microorganism and delay lipid oxidation. Common preservative spices include clove, cinnamon, oregano, rosemary, thyme, garlic, and mustard seeds, which help in extending the shelf life of food, particularly meat.

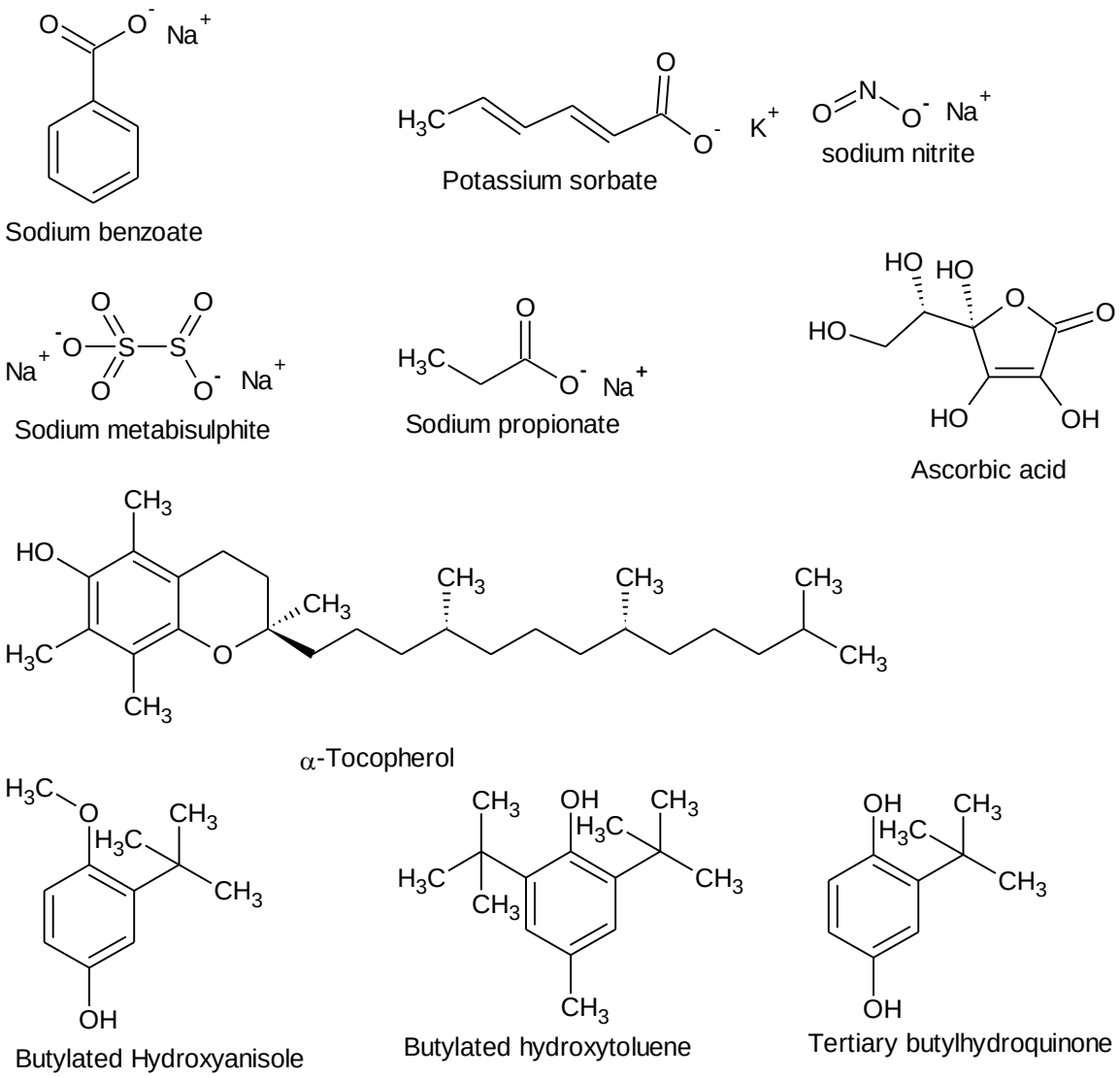
Addition of Class I preservative in any food is not restricted.

3. Class II preservatives are synthetic preservatives: Class II preservatives are synthetic, lab-created antimicrobial compounds used in food to extend their shelf life. Their usages are strictly regulated by authorities like FSSAI due to its potential health risks at high doses. Common examples of Class II preservatives include sodium benzoate, sorbates, sulfites, nitrites, and parabens, often used in processed foods [2].

3.1. Benzoates: Benzoates, primarily sodium benzoate (211), are highly effective, water-soluble, and cost-efficient antimicrobial preservatives and are frequently used to extend the shelf life of acidic foods like salad dressings, fruit juices, jams, carbonated drinks, sauces, condiments, pickles and frozen yogurt. It inhibits mold, yeast and bacterial growth. Sodium benzoate converts to benzoic acid in acidic environments (pH < 4.5), which penetrates microbial cells and inhibit their growth. It generally recognized as safe by the FDA, with permitted usage levels often fixed around 0.1% by weight. The FDA allows up to a 0.1% concentration of sodium benzoate by

weight in foods and beverages. The WHO has set the acceptable daily intake (ADI) level for sodium benzoate to 0–2.27 mg per pound (0–5 mg per kg) of body weight. People generally don't exceed the ADI through a normal diet. When sodium benzoate combined with ascorbic acid (Vitamin C) in beverages, it can form benzene, a carcinogen. Some studies suggest its potential for allergic reactions and it can cause metabolic side effects, when consumed at very high, non-compliant levels [3].

Figure 2. Class II Preservatives: Synthetic preservatives-



3.2. Sorbates: Sorbates includes sorbic acid (200) and its salts (potassium sorbate 202, calcium sorbate 203), that are widely used as safe food preservatives for extending its shelf life. It acts as strong antifungal (against molds and yeasts) and antibacterial agents and used in preservation of dairy products (Soft cheeses, yogurt.), baked goods (Cakes, pastries, bread, tortillas.), and fruit products (maaza cold drink, frooti, kissan mixed fruit jam, sauces, dressings, dried fruits, fruit juices). It is more effective in acidic conditions and preserves food without altering its flavor. They are considered GRAS (Generally Recognized As Safe) by the FDA and are metabolized into harmless compounds like carbon dioxide and water in the body, making them a popular alternative to other preservatives like benzoates. Rare mild skin or digestive issues may occur in sensitive

individuals. In pure form, potassium sorbate is a skin, eye, and respiratory irritant. Concentrations up to 0.5% are not significant skin irritants. As a food additive, potassium sorbate is used as a preservative in concentrations of 0.025%–0.1%, which in a 100 g serving yields an intake of 25–100 mg. In the United States, no more than 0.1% is allowed in fruit, butters, jellies, preserves, and related products. Up to 0.4% has been studied in low-salt, naturally-fermented pickles, and when combined with calcium chloride, 0.2% made good quality pickles. Potassium sorbate has about 74% of sorbic acid's anti-microbial activity. When calculated as sorbic acid, 0.3% is allowed in cold pack cheese food. The upper pH limit for effectiveness is 6.5. The maximum acceptable daily intake for human consumption is 25 mg/kg, or 1.75 g daily for an average adult (70 kg). Under some conditions, particularly at high concentrations or when combined with nitrites, potassium sorbate has shown genotoxic activity in vitro [4]

3.3. Nitrites: Nitrites are essential curing agents used mainly in processed meats (bacon, sausage, hot dogs) and pickled products to prevent the growth of the deadly bacteria *Clostridium botulinum*, that causes botulism. They act as preservatives by inhibiting bacterial spoilage, controlling lipid oxidation (preventing rancidity), and giving their characteristic pink color and savory flavor to the cured meats. Nitrites react with meat proteins and produce the desirable, stable pink color and unique "cured" flavor. They inhibit fat oxidation, which extends the shelf life of products. While often added synthetically, nitrites are also found naturally in vegetables and leafy greens (like spinach). Under high heat (e.g., frying bacon), nitrites can form compounds called nitrosamines, which are linked to cancer risks. Because of this, their usage is strictly regulated. Due to health concerns regarding nitrosamines, the food industry is actively investigating healthier, natural alternatives to nitrites, such as celery powder or other plant-based extracts [5].

3.4. Sulfites: Sulfites are chemical preservatives and antioxidants. It includes sulfur dioxide, sodium sulfite, and metabisulfites. It widely used to extend shelf life of foods like dried fruits, vegetables, wine, beer, cider, processed potato products (French fries, instant mash), fruit juices, cordials, jams, condiments, vinegar, and pickled foods. Sulfites inhibit the growth of bacteria, yeasts, and molds in foods and beverages. It prevent enzymatic and non-enzymatic browning (fermentation) in dried fruits (apricots), vegetables, fruit juices, wine, beer, and processed potatoes.

Sulfites are normally introduced to seize fermentation at a desired time, and may also be added to wine as preservatives to prevent spoilage and oxidation at several stages of the winemaking. Sulfur dioxide (SO_2) protects wine from not only oxidation, but also from bacteria. In fruit canning, sodium bisulfite is used to prevent browning (caused by oxidation) and to kill microbes. The sulfur dioxide released by these salts kills yeasts, fungi, and bacteria in the grape juice before fermentation. Once the levels of sulfur dioxide have subsided (about 24 hours), fresh yeast is added for fermentation. It is later added to bottled wine to prevent the formation of vinegar if bacteria are present, and to protect the color, aroma and flavor of the wine from oxidation, which causes browning and other chemical changes. Sodium metabisulfite and potassium metabisulfite are the primary ingredients in Campden tablets, used for wine and beer making. It used as dough conditioners, color stabilizers, and to inhibit discoloration in seafood and, previously, raw salad bar items.

They are generally recognized as safe for the general population but can cause adverse reactions, particularly asthma-like symptoms, in sensitive individuals. While safe for most of the population, roughly 1% particularly those with asthma, may experience sulfite sensitivity. Adverse reactions can include wheezing, chest tightness, coughing, hives, abdominal pain, and in rare, severe cases, anaphylactic shock. Due to these risks, regulatory bodies (e.g., FDA, EFSA) mandate labeling if sulfite concentrations exceed 10 ppm in food or beverages. Sulfites can occur naturally

during fermentation, meaning "sulfite-free" wine is rarely truly free of them. It may cause adverse reactions in those who are sensitive to sulfites, including respiratory reactions in asthmatics, anaphylaxis, and other allergic reactions in sensitive individuals. Sodium bisulfite has low toxicity, 130 mg/kg (mice, intravenous). According to another source, the acceptable daily intake is up to 0.7 milligrams per kilogram of body weight. Sodium metabisulfite oxidizes in the liver to harmless sulfate which is excreted in the urine [6].

3.5. Propionates: Propionates (calcium 282, sodium 281, and potassium 283 salts of propionic acid) are widely used as safe antimicrobial food preservatives, particularly in bakery items. It is extensively used in bread, baked foods, cakes, cheese, dairy products, processed meats, puddings, and jams to add freshness and extend their shelf life. Propionates act by inhibiting the growth of mold and some bacteria. They obstruct the ability of these microbes to produce energy, thus preventing them from growing and multiplying. They work best in slightly acidic conditions (pH below 5.5), by disrupting microbe cellular functions. Propionates generally recognized as safe (GRAS) by the FDA and approved for use in limited amounts. It normally added in concentrations ranging from 0.1% to 0.3% by weight. While generally safe, some studies have linked high, long-term consumption to potential metabolic effects (like insulin deregulation) and behavioral issues in sensitive individuals, such as irritability or migraines [7].

3.6. Antioxidants: The oxidation process spoils most food, especially those with a high fat content. Antioxidants prevent the oxidation of fats and lipids in food, which can lead to rancidity and spoilage. Antioxidants preserve food by preventing or delaying oxidation, a process where air damages fats, colors, and nutrients, causing rancidity, off-flavors, and spoilage, thereby extending shelf life in products like oils, snacks, meats, Cakes, biscuits, candies, Cereals, cheese, chips, baked goods, margarine, vegetable oils, processed meats, seafood**,** beverages and dried fruits**.** They work by scavenging free radicals, protecting sensitive vitamins, and maintaining food quality, using both natural sources (Tocopherols: (Vitamin E), Ascorbic Acid: (Vitamin C), Rosemary Extract, Carotenoids: (like lycopene), Citric Acid) and synthetic ones {like Butylated Hydroxyanisole (BHA)**,** Butylated Hydroxytoluene (BHT)**,** Propyl Gallate and Tertiary butylhydroquinone (TBHQ)}. Citric and ascorbic acids target enzymes that degrade fruits and vegetables, e.g., mono/polyphenol oxidase which turns surfaces of cut apples and potatoes brown. Ascorbic acid and tocopherol, which are vitamins, are common preservatives. Antioxidants donate electrons to unstable free radicals, neutralizing them and stopping the chain reaction of oxidation. In fats and oils, they slow down lipid oxidation, preventing the development of unpleasant tastes and smells. They shield vitamins (like Vitamin A, E) and amino acids from degradation by air. They help preserve natural colors in meats, fruits, and vegetables [8].

3.7. Microbial Preservatives: Natural antimicrobial agents like nisin (a bacteriocin) that inhibit food spoiling bacteria. Nisin is a polycyclic antibacterial peptide produced by the bacterium *Lactococcus lactis* that is used as a food preservative for cheese, bake food, meat, dairy products and coconut waters. Nisin (234) is a naturally occurring antimicrobial peptide used as a food preservative, generally restricted to levels below 250 mg/kg depending on the product, with an Acceptable Daily Intake (ADI) of 0–2.0 mg/kg body weight. Common permitted limits include 12.5 mg/kg for cheese and dairy products, and up to 250 mg/kg (ppm) for processed cheese in the US. Dairy Products (Processed/Ripened Cheese): Generally, 12.5 mg/kg (12.5 ppm) to 250 mg/kg (ppm). Heat-Treated Meat Products: Maximum of 25 mg/kg. Clotted Cream: Maximum of 10 ppm. Pasteurized Liquid Eggs: Permitted (no specific low limit mentioned, but generally allowed). Cereal/Starch Desserts: Maximum of 3 ppm. Alcoholic Beverages: Effective at 0.25–2.5 mg/l.

In summary, for most people using foods with nisin as a preservative, side effects are rare and mild, but significant gut microbiome changes might occur with very high intake, though they are often temporary [9].

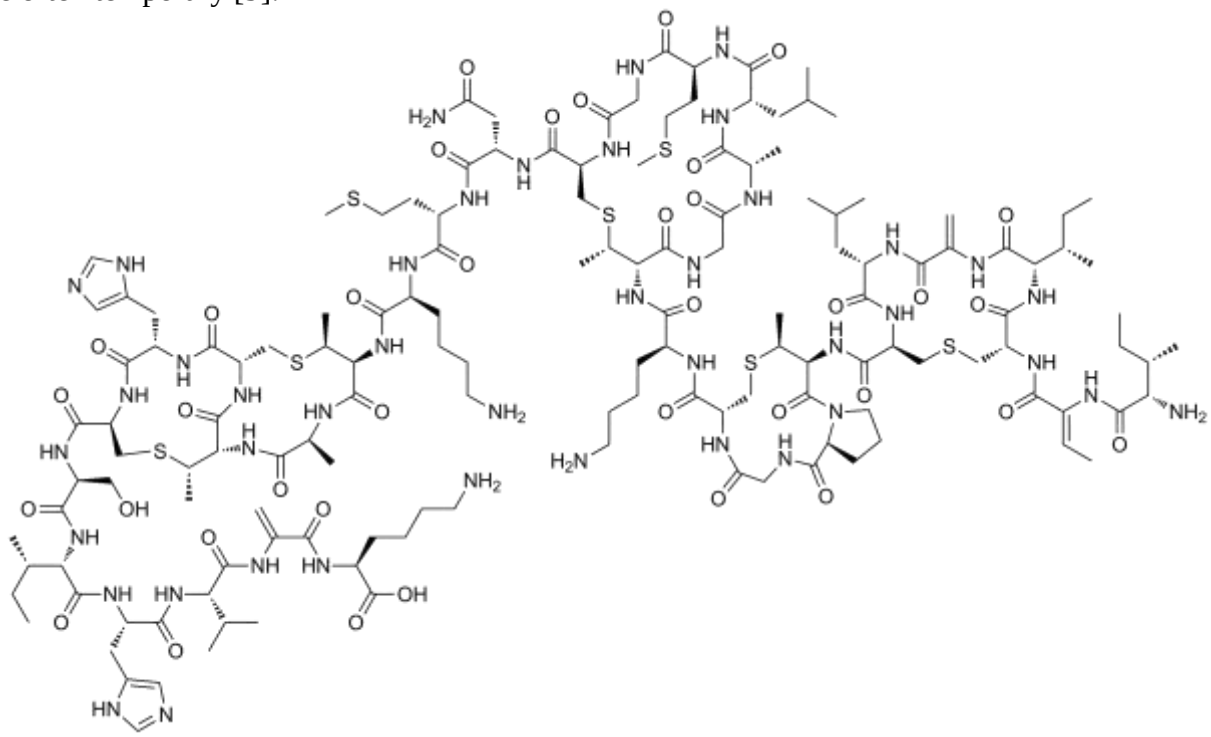


Figure 3. Nisin

Regulation: The Food Safety and standards authority of India (FSSAI) regulate the types and quantities of chemical preservatives allowed in food products.

Conclusion: Preservatives, both natural and synthetic, play a crucial role in ensuring the safety, quality, and durability of our food items. By understanding the differences between Class I and Class II preservatives, we can make informed choices about the food that we consume. As class I preservative considered as safe for consumption, while class II preservatives are more effective but may have potential health risks if not used properly. So always, it's essential to rely on regulatory guidelines and scientific evidence to find the way in complex world of food preservatives. In recent years much work has done on preservatives but there is still a need to understand the chemistry of synthetic preservatives in food, and their metabolism of in humans. So, we can find the adverse effects of this preservative on their long-term use.

References:

1. Himanshu, Khangwal, I. (2024). Honey as a Potential Preservative in the Food Industry. In: Kumar, R., Hajam, Y.A., Bala Dhull, S., Giri, A. (eds) Honey in Food Science and Physiology. *Springer, Singapore*.
2. https://doi.org/10.1007/978-981-97-3565-5-8.
3. H. Sharma and R. Rajput, (2023). The science of food preservation: A comprehensive review of synthetic preservatives, *Journal of Current Research in Food Science*, 4(2): 25-29.
4. M. Shahmihammadi, M. Javadi, and M. Nassiri-Asl, (2016). An Overview on the Effects of Sodium Benzoate as a Preservative in Food Products, *Biotech Health Sci*. (In press): e35084, doi: 10.17795/bhs-35084.
5. Juliano De Dea Lindner, (2024). Critical analysis of the use of preservatives sorbic acid and potassium sorbate in yogurts in light of Brazilian legislation, *Biotechnology Research and Innovation*, 8(2): e2024018.
6. https://doi.org/10.4322/biori.00182024.

7. R. Cammack, C.L. Joannou, Xiao-Yuan Cui, C. Torres Martinez, Shaun R. Maraj, Martin N. Hughes, (1999). Nitrite and nitrosyl compounds in food preservation, *Biochimica et Biophysica Acta*, 1411: 475-488.
8. Alvaro R. Garcia-Fuentes, S. Wirtz, E. Vos and H. Verhagen, (2015). Short Review of Sulphites as Food Additives, *European Journal of Nutrition & Food Safety*, 5(2): 113-120.
9. Yi-xin Xu, Shu-hui Zhang, Jia-Lu Luan, Zhen-Hua Fu, Ming-Zhu Sun, Xin Zhao, Xi-Zeng Feng (2022). The food preservative sodium propionate induces hyperglycaemic state and neurological disorder in zebrafish, *Neurotoxicology and Teratology*, 93: 107123.
10. https://doi.org/10.1016/j.ntt.2022.107123.
11. N. F. Santos Sánchez, R. Salas Coronado, R. Valadez Blanco, B. Hernández Carlos, P. C. Guadarrama Mendoza, (2017). Natural antioxidant extracts as food preservatives. *Acta Sci. Pol. Technol. Aliment*, 16(4), 1–10.
12. http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2017.0530.
13. Maged Younes et al. (2017). Safety of nisin (E 234) as a food additive in the light of new toxicological data and the proposed extension of use, *EFSA Journal*, 15(12): 5063.

=====

Cite the article:	Kushwaha, Atul Kumar (2026). A Review on Preservatives Present in Packaged Food Items. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-2, April-June 2026, Page 98-105. https://doi.org/10.5281/zenodo.21790539

Bundelkhand Journal of Academic Research

The Prospects for the Development of IPRs in Indian Knowledge Systems

Mr. Saurabh Sunil Mali

Khandesh College Education Society's (KCES), Institute of Management and Research (IMR), Jalgaon, Maharashtra. (**Corresponding Author:** Saurabhmali1218@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21790626

Abstract

The evolution of Intellectual Property Rights (IPR) in the context of Indian Knowledge Systems (IKS) represents a significant shift from merely preserving traditional knowledge to actively recognizing and protecting it as a valuable intellectual asset. Historically, India's vast repository of indigenous knowledge, including Ayurveda, Siddha, Unani, and traditional ecological practices, was considered part of the public domain, making it vulnerable to biopiracy and unauthorized patent claims. The establishment of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) has played a crucial role in documenting and digitizing this knowledge, enabling patent offices worldwide to identify prior art and prevent wrongful patents based on existing traditional remedies.

Looking ahead, the IPR framework is expected to move beyond defensive protection by introducing Sui Generis legal systems that acknowledge the collective, community-based, and intergenerational nature of traditional knowledge, which conventional patent laws often fail to accommodate. In addition, the integration of Geographical Indications (GI) and Access and Benefit Sharing (ABS) mechanisms offers economic opportunities for indigenous communities. GI protection enhances the authenticity and market value of region-specific products, while ABS ensures that communities receive fair compensation when their biological resources or traditional knowledge are commercially utilized.

The future of IKS under the IPR regime lies in combining traditional wisdom with modern scientific research and standardization. Scientific validation of ancient formulations can lead to innovations in healthcare, sustainable agriculture, and green technologies. This balanced approach not only safeguards India's cultural heritage and intellectual sovereignty but also promotes ethical innovation, ensuring that the custodians of traditional knowledge benefit from its commercial applications while preserving its authenticity and cultural significance for future generations.

Article Info			
	Received: 30 March, 2026	**Accepted:** 27 May, 2026	**Published:** 30 June, 2026
	Table: 00	**Figures & Graphs:** 00	**Sources & Ref.:** 10
	Keywords: IKS, IPR, Biopiracy Prevention, Ethical Innovation, Rights.		

1. Introduction: The introduction to the prospects of Intellectual Property Rights (IPR) within Indian Knowledge Systems (IKS) begins with the recognition of India’s profound intellectual heritage, which spans millennia and encompasses diverse fields such as medicine, mathematics, metallurgy, and sustainable ecology. For centuries, this knowledge was preserved through oral traditions, specialized apprenticeship models, and classical texts, often viewed as a communal

resource rather than private property. However, in the modern era of globalization, this "open-access" nature of traditional wisdom has made it highly vulnerable to misappropriation by external commercial entities—a phenomenon commonly referred to as biopiracy. Famous legal battles over the patenting of Neem, Turmeric, and Basmati rice by foreign corporations served as a wake-up call for India, highlighting the urgent need to reconcile ancient holistic systems with the rigid, individualistic requirements of contemporary international law.

The current developmental prospect for IPR in IKS is rooted in the strategic shift from a purely defensive posture to a proactive and innovative one. Historically, India's primary goal was to prevent "wrongful" patents through the creation of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL), which translated ancient Sanskrit and regional texts into modern technical formats for patent examiners worldwide. Such a system would move beyond standard patent law—which requires a single inventor and a 20-year expiration—to recognize the collective, trans-generational, and perpetual ownership held by indigenous communities.

Furthermore, the introduction of IPR into IKS provides a vital mechanism for economic and cultural sovereignty. By utilizing tools like Geographical Indications (GI) and the Biological Diversity Act, India is now positioning its traditional crafts, agricultural varieties, and medicinal practices as high-value intellectual assets. This process does not merely involve protection; it involves the scientific validation of traditional claims, turning "folklore" into "formulations" that can compete in the global pharmaceutical and wellness markets. Ultimately, the integration of IPR and IKS represents a search for a middle path—one that ensures that the original custodians of knowledge receive fair "Access and Benefit Sharing" while allowing the world to benefit from India's sustainable and holistic innovations under a regulated, ethical, and legally sound environment.

1.1. Concept of Intellectual Property Rights: Intellectual Property Rights (IPR) refer to the legal protections granted to individuals or entities for the creations of their minds, encompassing inventions, literary and artistic works, designs, symbols, names, and images used in commerce. The fundamental concept of IPR is to strike a balance between the interests of innovators and the wider public interest, providing a temporary monopoly to creators to encourage further innovation and investment in research and development. By granting exclusive rights, the legal system allows creators to benefit from their own work or investment, which serves as a catalyst for economic growth and technological advancement.

There are several distinct categories of IPR, including patents for industrial inventions, copyrights for creative expressions, trademarks for brand identity, and trade secrets for confidential business information. In the modern global economy, the concept has expanded to include Geographical Indications and the protection of traditional knowledge, particularly relevant in the context of indigenous systems. The overarching goal of an IPR regime is to foster an environment where creativity and innovation can flourish while ensuring that the resulting knowledge eventually enters the public domain, thereby enriching the global collective wisdom and driving the progress of humanity.

1.2. Concept of Indian Knowledge Systems: The Indian Knowledge Systems (IKS) represent a comprehensive and multidisciplinary ecosystem of knowledge that has evolved over millennia on the Indian subcontinent. Unlike fragmented modern disciplines, IKS is characterized by a holistic and interconnected approach, where science, philosophy, art, and ethics are deeply integrated. It encompasses a vast array of subjects, including Ayurveda (medicine), Arthaśāstra (governance and economics), Vāstu Śāstra (architecture), Gaṇita (mathematics), and various linguistic and spiritual traditions. At its core, IKS is rooted in the "Jñana-Vijnana" tradition, which balances theoretical

wisdom with practical, experiential application, aiming for the well-being of the individual, society, and the environment simultaneously.

A defining feature of IKS is its emphasis on sustainability and the symbiotic relationship between humans and nature. This is evident in traditional agricultural practices, water management systems, and metallurgical techniques that were remarkably advanced for their time. Knowledge in this system was traditionally transmitted through the Guru-Shishya Parampara and documented in extensive Sanskrit and regional manuscripts. In the contemporary world, IKS is being rediscovered not as a relic of the past, but as a source of "timeless relevance" that offers indigenous solutions to global challenges like climate change, mental health, and ethical governance, provided it is validated through modern scientific inquiry.

2. Research Methodology: The research methodology for exploring the prospects of Intellectual Property Rights (IPR) in Indian Knowledge Systems (IKS) is primarily rooted in a qualitative and descriptive approach, utilizing a wide array of secondary data sources. Since the subject involves ancient traditions and contemporary legal frameworks, the methodology focuses on the systematic analysis of existing records, legislative texts, and documented heritage rather than primary field experiments.

2.1. Objective of study:

1) To assess the current legal status of traditional Indian knowledge within the existing national and international IPR frameworks.
2) To identify the vulnerabilities of IKS to misappropriation and biopiracy by external commercial entities and foreign patent offices.
3) To evaluate the effectiveness of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) as a defensive tool in preventing the grant of wrongful patents.
4) To explore the potential for Sui Generis (unique) legislation that recognizes collective and communal ownership instead of individual-centric patent laws.
5) To analyze the role of Geographical Indications (GI) in protecting and promoting traditional Indian crafts, textiles, and agricultural products.
6) To examine the "Access and Benefit Sharing" (ABS) mechanisms to ensure that indigenous communities receive fair compensation for their heritage.

2.2. Significance of Study: Studying Intellectual Property Rights (IPR) in India is critical for driving the nation's transition into a global knowledge economy. It equips innovators, startups, and businesses with the legal knowledge to protect creations, commercialize ideas, and attract Foreign Direct Investment (FDI), ultimately fueling economic growth and fostering a robust domestic culture of research and development.

- Prevention of Biopiracy: It creates a robust legal shield against the unauthorized patenting of indigenous resources, such as medicinal plants or traditional recipes, by foreign entities.
- Economic Empowerment: By utilizing Geographical Indications (GI) and trademarks, local artisans and farmers can command higher prices for authentic traditional products in international markets.
- Access and Benefit Sharing (ABS): It ensures that a fair share of the profits generated from commercializing traditional knowledge is returned to the original tribal or local communities who preserved that wisdom.
- Global Recognition and Validation: Modern IPR frameworks encourage the scientific validation of ancient practices, elevating "traditional lore" to "globally recognized science."

- Incentive for Innovation: Protecting IKS-based inventions encourages modern Indian scientists to look toward their own heritage for sustainable solutions in pharmaceuticals, agriculture, and environmental management.
- Cultural Sovereignty: It asserts India's ownership over its intellectual heritage, ensuring that the nation's "soft power" is legally protected and strategically managed.
- Development of Sui Generis Models: Studying this relationship helps in drafting unique laws that recognize "collective ownership," which is often ignored by standard individual-centric patent laws.
- Sustainability Solutions: Many IKS practices are inherently eco-friendly; protecting these through IPR promotes a global shift toward sustainable and ethical consumption patterns.

3. Analysis of the Development of IPRs in IKSs: Indian Knowledge Systems (IKS) encompass the traditional knowledge, practices, innovations, and cultural heritage developed over thousands of years in fields such as Ayurveda, Yoga, agriculture, metallurgy, mathematics, astronomy, architecture, handicrafts, and biodiversity conservation. As globalization and technological advancements increase the commercial value of traditional knowledge, the protection of Intellectual Property Rights (IPR) has become essential to prevent misuse, ensure equitable benefit-sharing, and promote innovation. The development of IPR in Indian Knowledge Systems presents significant opportunities for preserving cultural heritage while fostering sustainable economic growth.

3.1. Analysis of Legal and Statutory Frameworks: The core of the secondary research involves a detailed examination of national and international legal instruments. This includes the study of the Indian Patents Act (1970), specifically the provisions that exclude traditional knowledge from patentability to prevent misappropriation. Internationally, the methodology incorporates a review of WIPO (World Intellectual Property Organization) guidelines and the TRIPS Agreement to identify how Indian systems align with or diverge from global intellectual property standards.

3.2. Utilization of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL): A significant portion of the methodology is dedicated to the study of the TKDL as a unique secondary data repository. By reviewing documented cases where the TKDL was used to thwart wrongful patent claims in the United States and Europe, the study establishes a factual basis for the defensive capabilities of modern IPR tools in protecting IKS.

3.3. Review of Policy and Academic Literature: The methodology further extends to the analysis of official policy documents and scholarly publications. This includes Annual Reports from the Ministry of AYUSH and the Controller General of Patents, Designs, and Trade Marks, which provide statistical data on Geographical Indications (GI) and traditional medicine registrations. This literature review helps in synthesizing theoretical perspectives on "Sui Generis" (unique) systems and the ethical implications of documenting oral traditions that have been passed down through generations.

3.4. Integration of Historical and Digital Archives: Finally, the research explores historical manuscripts and modern digital archives to trace the evolution of specific knowledge sets. By comparing ancient texts like the Charaka Samhita with contemporary scientific journals, the methodology seeks to validate the continuity and "inventive step" potential of traditional systems. This holistic reliance on secondary data ensures a multi-dimensional understanding of how India can legally and strategically safeguard its intellectual heritage in a rapidly evolving global economy.

3.5 Analysis of the Role of Geographical Indications: Geographical Indications (GIs) are a form of Intellectual Property Rights (IPR) that identify products originating from a specific

geographical region, where their quality, reputation, or other characteristics are essentially linked to that place of origin. In India, GIs are protected under the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999. GI registration plays a crucial role in preserving traditional knowledge, cultural heritage, and the economic interests of local producers by preventing unauthorized use of regional product names.

GI protection safeguards traditional crafts, textiles, and agricultural products from imitation and misuse. It legally recognizes the unique skills, techniques, and cultural practices that have been passed down through generations, thereby preserving India's rich heritage. GI registration prevents unauthorized producers from using the names of well-known regional products. This reduces counterfeiting and protects the authenticity and reputation of genuine products in domestic and international markets. Many Indian handicrafts have gained national and international recognition through GI protection. Examples include: Madhubani Paintings (Bihar), Channapatna Toys (Karnataka), Blue Pottery of Jaipur (Rajasthan), Bidriware (Karnataka). GI recognition enhances market visibility and preserves traditional craftsmanship.

India's handloom and textile sector greatly benefits from GI protection. Products such as: Banarasi Brocades and Sarees (Uttar Pradesh), Kanchipuram Silk Sarees (Tamil Nadu), Pochampally Ikat (Telangana), Muga Silk (Assam) receive legal protection, ensuring authenticity and improving consumer confidence. GI registration strengthens the market value of region-specific agricultural products by highlighting their unique quality and origin. Examples include: Darjeeling Tea (West Bengal), Basmati Rice (specific regions of North India), Alphonso Mango (Maharashtra), Nagpur Orange (Maharashtra). These products enjoy premium pricing due to their recognized geographical identity.

3.6. To Examine the "Access and Benefit Sharing" (ABS) Mechanisms: Access and Benefit Sharing (ABS) is a legal and policy framework that regulates access to biological resources and associated traditional knowledge while ensuring that the benefits arising from their utilization are shared fairly and equitably with the indigenous and local communities that have conserved and developed them. In India, ABS is primarily governed by the Biological Diversity Act, 2002 (replaced by the Biological Diversity (Amendment) Act, 2023) and is aligned with the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Nagoya Protocol. ABS serves as an important mechanism for protecting traditional knowledge, preventing biopiracy, and promoting sustainable development.

4. Results and Discussion: Indian Knowledge Systems (IKS) encompass the traditional knowledge, practices, innovations, and cultural heritage developed over thousands of years in fields such as Ayurveda, Yoga, agriculture, metallurgy, mathematics, astronomy, architecture, handicrafts, and biodiversity conservation. As globalization and technological advancements increase the commercial value of traditional knowledge, the protection of Intellectual Property Rights (IPR) has become essential to prevent misuse, ensure equitable benefit-sharing, and promote innovation. The development of IPR in Indian Knowledge Systems presents significant opportunities for preserving cultural heritage while fostering sustainable economic growth.

1. Effectiveness of Defensive Protection: The study confirms that the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) has been highly effective as a defensive IPR tool. By providing "prior art" evidence to international patent offices, India has successfully thwarted hundreds of patent applications globally that sought to claim exclusive rights over well-known traditional medicinal uses of plants like Neem, Turmeric, and Ashwagandha.
2. Growth of Geographical Indications (GI): A major result is the successful shift toward using Geographical Indications as a primary tool for IKS protection. There has been a steady

increase in the registration of GI tags for indigenous products (e.g., Kangra Tea, Muga Silk, and various Ayurvedic formulations), which has legally linked the quality of these products to their Indian geographical origin, preventing international "passing off" and branding fraud.

3. Validation of the "Lab-to-Land" Model: The research indicates that scientific validation is the bridge between tradition and modern patents. This has opened new avenues in the pharmaceutical and nutraceutical sectors, allowing Indian entities to secure high-value patents for standardized herbal drugs.
4. Implementation of Benefit Sharing: The study highlights the functional success of the National Biodiversity Authority (NBA) in implementing Access and Benefit Sharing (ABS). Legal frameworks now ensure that commercial entities utilizing India's bio-resources contribute a percentage of their revenue toward the conservation of biodiversity and the socio-economic development of the local communities who provided the knowledge.
5. Need for Sui Generis Systems: A critical result is the identified gap in standard patent law regarding "collective ownership." Since IKS is often the result of centuries of community refinement, standard 20-year individual patents are often ill-suited. The study finds a strong push toward a sui generis (unique) legal model that recognizes perpetual, communal rights over traditional heritage.
6. Global Leadership in Ethical IP: The results suggest that India is emerging as a global leader in defining "Ethical Intellectual Property." By advocating for the disclosure of the country of origin in international patent applications (the "Disclosure Requirement"), India is successfully influencing global IP norms to protect the rights of the Global South against biopiracy.
7. Economic Potential of the Knowledge Economy: Finally, the study concludes that integrating IPR with IKS is a vital driver for India's Knowledge Economy. Properly protected IKS assets have the potential to contribute significantly to the GDP through exports of authentic traditional wellness products, eco-tourism, and sustainable agricultural technologies.

5. Recommendation and Suggestions: The expansion of IPR frameworks can safeguard India's traditional knowledge from unauthorized commercialization and biopiracy. Mechanisms such as the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) have already helped prevent the wrongful patenting of Indian medicinal knowledge. Integrating traditional knowledge with modern scientific research can generate innovative products and technologies. Intellectual property protection encourages researchers and entrepreneurs to invest in developing herbal medicines, organic farming techniques, and eco-friendly technologies. Proper IPR protection enables local communities, artisans, and innovators to commercialize traditional products through patents, geographical indications (GIs), trademarks, and copyrights. This enhances rural livelihoods and contributes to India's economy.

IPR helps preserve India's diverse cultural traditions by legally recognizing indigenous knowledge and ensuring that communities retain ownership over their cultural expressions and practices. International recognition of Indian traditional products through Geographical Indications (GIs) enhances their market value and strengthens India's position in global trade. Products such as Darjeeling Tea, Banarasi Saree, and Kanchipuram Silk demonstrate the benefits of GI protection. A well-developed IPR system ensures that indigenous communities receive fair compensation and benefit-sharing from the commercial use of their knowledge. This promotes social justice and sustainable development.

Digital databases and documentation initiatives facilitate the preservation and authentication of traditional knowledge, reducing the risk of knowledge loss and strengthening legal protection

against misappropriation. Government initiatives such as the National IPR Policy, Startup India, Make in India, and the National Education Policy (NEP) 2020 encourage research, innovation, and the integration of Indian Knowledge Systems into higher education and industry.

1. Development of Sui Generis Legislation: India should enact a unique (sui generis) legal framework that recognizes "Collective Ownership." Unlike standard patents that reward individual inventors for a limited time (20 years), this system should protect communal knowledge that has been passed down through generations, ensuring it remains the perpetual property of the originating community.
2. Expansion of the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL): The scope of the TKDL should be broadened beyond codified texts (like Ayurveda or Unani) to include "Oral Traditions" and tribal medicinal practices. Digital documentation of these undocumented practices acts as an essential "prior art" shield, preventing foreign entities from claiming "novelty" on existing Indian wisdom.
3. Mandatory Disclosure of Origin: India must continue to advocate at the World Intellectual Property Organization (WIPO) for a global mandate requiring all patent applicants to disclose the source of any biological resources or traditional knowledge used. This "Disclosure Requirement" is the most effective way to track and stop international biopiracy.
4. Scientific Validation and Standardization: To move from "traditional lore" to "global patents," there must be increased funding for the clinical validation of IKS. By proving the efficacy of traditional treatments through modern scientific protocols, India can secure high-value "Product Patents" in the global pharmaceutical and nutraceutical markets.
5. Strengthening Access and Benefit Sharing (ABS): The process for commercial entities to share profits with local biodiversity providers must be simplified and strictly enforced. Utilizing blockchain technology to track the commercial journey of a bio-resource—from the forest to the pharmacy—can ensure that tribal and rural communities receive their fair share of royalties automatically.
6. Promotion of Geographical Indications (GI) for Rural Economy: A systematic effort should be made to identify and register more GI tags for indigenous agricultural products and traditional crafts. This not only protects the "brand" of the region but also prevents low-quality counterfeits from devaluing authentic Indian heritage in global markets.
7. Establishment of IKS-IPR Incubation Centers: Dedicated hubs should be created to help traditional practitioners, Vaidyas, and rural innovators navigate the complex patent filing process. These centers would bridge the gap between "traditional expertise" and "legal expertise," helping local innovators monetize their ancestral knowledge ethically.
8. Education and Curriculum Integration: IPR literacy should be integrated into the study of traditional sciences (like BAMS or BHMS). Training a new generation of "Interdisciplinary Professionals" who understand both the sanctity of IKS and the rigor of IPR law is vital for long-term sovereignty.

Conclusion: The conclusion of the study on the prospects of Intellectual Property Rights (IPR) within the Indian Knowledge Systems (IKS) underscores a pivotal moment in India's journey toward becoming a global knowledge superpower. The integration of these two seemingly disparate domains—one rooted in ancient, holistic, and communal traditions and the other in modern, individualistic, and commercial legalities—is no longer a choice but a strategic necessity. The findings clearly indicate that while India has made significant strides in defensive protection through the Traditional Knowledge Digital Library (TKDL), the true potential of IKS lies in its

proactive transformation into a source of global innovation. By successfully defending its bio-resources against international biopiracy, India has laid the groundwork for a more sophisticated regime that balances the preservation of cultural heritage with the demands of a competitive global economy.

Ultimately, the future of IPR in the context of IKS depends on the ability of policymakers to move beyond the constraints of standard Western legal frameworks. The study emphasizes that the "one-size-fits-all" approach of traditional patent law is insufficient for the unique nature of Indian wisdom. The path forward requires the robust implementation of sui generis systems that recognize collective ownership and ensure that the fruits of commercialization are shared equitably with the original custodians of the knowledge. This "Access and Benefit Sharing" model serves as a blueprint for ethical development, ensuring that the modernization of traditional knowledge does not lead to the exploitation of the communities that have preserved it for centuries.

In conclusion, the synergy between IKS and IPR offers a unique opportunity to present a sustainable and holistic alternative to the world. Whether through the scientific validation of Ayurvedic medicine, the protection of indigenous agricultural practices, or the promotion of traditional crafts via Geographical Indications, India is redefining the boundaries of "Intellectual Property." By bridging the gap between ancient manuscripts and modern laboratories, India can ensure that its vast intellectual capital is legally protected, scientifically validated, and economically productive. This transition from being a "custodian of the past" to a "creator of the future" will not only secure India's cultural sovereignty but also provide the global community with ethical, time-tested solutions for health, environment, and social well-being.

References:

1. Ministry of AYUSH. (2023). National Ayush Mission: Strategy for the Promotion and Protection of Traditional Knowledge. Government of India. https://www.ayush.gov.in
2. Gupta, V. K. (2011). Protecting India's Traditional Knowledge. Journal of Intellectual Property Rights (JIPR), 16(1), 5-15.
3. Sahai, S. (2003). The Importance of Ethnobotany in the Context of Intellectual Property Rights. New Delhi: Gene Campaign Research Series.
4. CSIR-TKDL Unit. (2024). Traditional Knowledge Digital Library (TKDL): A Database of Indian Medical Heritage. Council of Scientific and Industrial Research. https://www.tkdl.res.in
5. Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT). (2016). National Intellectual Property Rights Policy: Creative India; Innovative India. Ministry of Commerce and Industry, Government of India.
6. Dutfield, G. (2001). TRIPS-related Aspects of Traditional Knowledge. Case Western Reserve Journal of International Law, 33(2), 233-275.
7. National Biodiversity Authority (NBA). (2020). Guidelines for Access and Benefit Sharing (ABS) for Biological Resources in India. NBA India Technical Report.
8. World Intellectual Property Organization (WIPO). (2025). Traditional Knowledge and Intellectual Property: Background Brief. https://www.wipo.int/tk/en/Journal
9. Kala, C. P. (2006). Preserving Ayurvedic Heritage and Intellectual Property Rights in India. Current Science, 90(8), 1060-1065.
10. Saha, R. (2022). Geographical Indications and Local Communities: A Study of Indian Handlooms and Handicrafts. Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER).

=====

Cite the article:	Mali, Saurabh Sunil (2026). The Prospects for the Development of IPRs in Indian Knowledge Systems. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-2, April-June 2026, Page-106-113. https://doi.org/10.5281/zenodo.21790626

Bundelkhand Journal of Academic Research

Combined Effect of Nano Urea and Sulphur on Growth, Development and Yield of Mustard

Randhir[1], Sanju Kumawat[2]

1. MSc. Scholar, USAS, Rayat Bahra University Mohali, Punjab.

2. Assistant Professor, USAS, Rayat Bahra University Mohali, Punjab.

(**Corresponding Author:** kumawatsanju5@gmail.com)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21790708

Abstract

A field experiment was conducted during the Rabi season to evaluate the effect of nano urea and sulphur levels on growth, yield attributes, nutrient content, and quality parameters of Indian mustard (Brassica juncea L.). The experiment comprised four levels of nano urea (N_0: Control, N_1: 25 ppm, N_2: 50 ppm, N_3: 75 ppm) and four levels of sulphur (S_0: 0 kg/ha, S_1: 10 kg/ha, S_2: 20 kg/ha, S_3: 30 kg/ha) laid out in Factorial Randomized Block Design with three replications. Results revealed that application of nano urea at 50 ppm (N_2) significantly improved growth parameters, yield attributes, seed yield (2459 kg/ha), stover yield (4820 kg/ha) and oil content (41.05%). Similarly, sulphur application at 20 kg/ha (S_2) recorded the highest seed yield (2492 kg/ha), stover yield (4800 kg/ha), oil content (41.19%), and protein content (20.02%). The study concludes that combined application of nano urea at 50 ppm and sulphur at 20 kg/ha can be recommended for optimizing productivity and quality of Indian mustard.

Article Info			
	Received: 06 May, 2026	**Accepted:** 28 May, 2026	**Published:** 30 June, 2026
	Table: 03	**Figures & Graphs:** 02	**Sources & Ref.:** 13
	Keywords:	Growth Attributes, Indian Mustard, Nano Urea, Sulphur, Yield, oilseed.	

1. Introduction: Indian mustard (Brassica juncea L.) is one of the most important oilseed crops cultivated in India, occupying a prominent position among Rabi oilseed crops. It is grown extensively in Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana, Punjab, and Madhya Pradesh, contributing significantly to the country's edible oil economy. The crop is valued for its high-quality oil (40-45%) and protein-rich seed meal (30-35%), making it an important commodity for both domestic consumption and export (Singh and Kumar, 2022).

Nitrogen is a primary nutrient that plays a crucial role in plant growth and development, significantly influencing yield and quality parameters of oilseed crops (Fageria and Baligar, 2020). However, conventional nitrogen fertilizers suffer from low nutrient use efficiency (30-40%) due to losses through volatilization, denitrification, and leaching, leading to environmental pollution and economic losses (Bijay-Singh and Craswell, 2021). Nano fertilizers have emerged as a promising alternative to conventional fertilizers, offering enhanced nutrient use efficiency through controlled release mechanisms (Liu and Lal, 2021). Nano urea, with its sub-micron particle size and high surface area-to-volume ratio, facilitates better penetration and absorption of nutrients, potentially reducing fertilizer application rates while maintaining or improving crop productivity (Khan and Ahmad, 2023; Zhang and Zhang, 2020).

Sulphur is an essential secondary nutrient for oilseed crops, playing a vital role in oil synthesis, protein formation, chlorophyll synthesis, and various metabolic processes (Meena and Das, 2020). Oilseed crops have a high sulphur requirement, and its deficiency has become widespread due to the use of sulphur-free fertilizers and reduced atmospheric sulphur deposition (Sharma and Gupta, 2023). Adequate sulphur nutrition is crucial for enhancing oil content, improving seed quality, and optimizing overall crop productivity (Verma and Singh, 2023).

Given the importance of integrated nutrient management for sustainable oilseed production, this study was undertaken to evaluate the individual and interactive effects of nano urea and sulphur on growth, yield, and quality parameters of Indian mustard.

2. Materials and Methods:

2.1. Experimental Site: The field experiment was conducted during the Rabi season of 2025-26 at the research farm of the Department of Agronomy, Rayat Bahra University Mohali, Punjab. The experimental site is located at 30°47'N latitude and 76°43'E longitude at an altitude of 310 m above mean sea level. The soil of the experimental field was sandy loam in texture, with pH 7.2, organic carbon 0.48%, available N 218 kg ha^{-1}, available P_2O_5 21.6 kg ha^{-1}, and available K_2O 202.5 kg ha^{-1}. The agro-meteorological data is presented in Fig. 1.

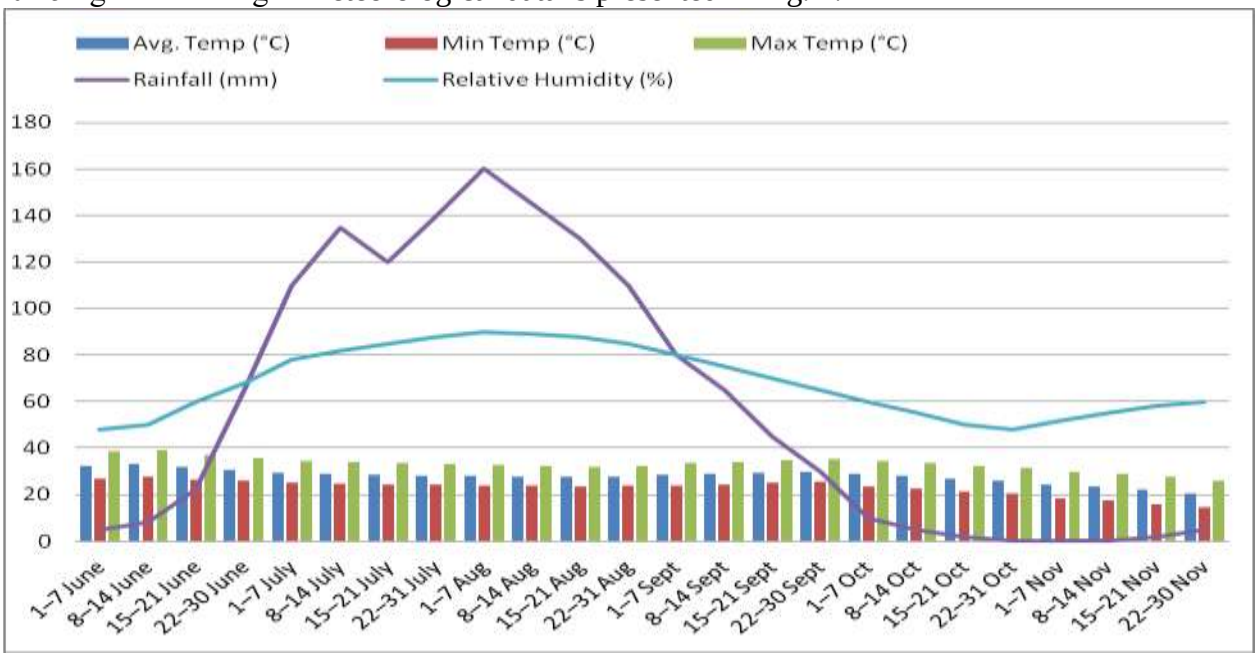


Fig. 1: Meteorological weather prameters recorded during crop growing season kharif, 2025-26

2.2. Experimental Design and Treatments: The experiment was laid out in a factorial randomized block design (RBD) with sixteen treatments replicated thrice. The treatments comprised (A) levels of nano urea as N_0: Control (No nano urea), N_1: 25 ppm nano urea, N_2: 50 ppm nano urea, N_3: 75 ppm nano urea and (B) sulphur levels S_0: 0 kg S/ha, S_1: 10 kg S/ha, S_2: 20 kg S/ha, S_3: 30 kg S/ha. The RDF for maize was 120:60:40 kg N:P_2O_5:K_2O ha^{-1}. The common fertilizer dose of 50-50 P2O5 – K2O kg/ha was applied as basal in all plots through DAP fand MOP fertilizers, respectively. Nano urea was applied as spray at 25, 35 and 45 DAS while, sulphur was applied as basal as per treatments through Cosavet.

2.3 Crop Management and observations: Mustard variety "GSC-7" was sown with a seed rate of 23 kg ha^{-1} at a spacing of 30 cm × 10 cm. Standard agronomic practices were followed throughout the crop growth period. Irrigation was provided as per the requirement of the crop. Plant height, number of primary and secondary branches, number of siliqua per plant, length of

siliqua, test weight and yield were measured by standard methods. Oil content content and N, P, K and S content in grain and stover were analysed in lab by standard methods. The data collected were statistically analyzed using analysis of variance (ANOVA) for randomized block design. The significance of differences between treatment means was tested using the critical difference (CD) at P=0.05.

3. Results and Discussion:

3.1. Effect on Growth Attributes: Nano urea and sulphur application significantly influenced plant height at all growth stages (Table-1). At 60 DAS, N_2 (50 ppm) recorded the tallest plants (116 cm), followed by N_3 (112 cm), N_1 (105 cm), and N_0 (102 cm). Similar trends were observed at 90 DAS and at harvest, with N_2 consistently recording the highest values (144 cm and 160 cm, respectively). Sulphur application also significantly increased plant height, with S_2 (20 kg/ha) producing the tallest plants at all growth stages. These results are in agreement with the findings of Singh et al. (2022) who reported enhanced plant height in mustard with balanced nutrient application.

Table-1: Effect of Nano urea and sulphur on growth attributes of Indian mustard

Treatments	Plant height (cm)			Number of branches per plant	
	At 60 DAS	At 90 DAS	At Harvest	Primary	Secondary
Levels of Nano urea (N)					
N_0 : Control	102	127	141	5.27	13.94
N_1 : 25 ppm	105	133	148	6.52	15.05
N_2 : 50 ppm	116	144	160	7.11	16.31
N_3 : 75 ppm	112	139	155	6.66	15.37
S.Em.±	2.86	3.90	4.23	0.19	0.42
C.D. at 5 %	8.25	11.26	12.21	0.55	1.21
Levels of Sulphur (S)					
S_0 : 0 Kg/ha	103	129	142	5.98	14.37
S_1 : 10 Kg/ha	105	132	147	6.27	14.77
S_2 : 20 Kg/ha	114	143	159	6.83	16.07
S_3 : 30 Kg/ha	113	140	155	6.47	15.45
S.Em±	2.86	3.90	4.23	0.19	0.42
C.D. at 5 %	8.25	11.26	12.21	0.55	1.21
Interaction (N x S)					
S.Em.±	5.71	7.80	8.46	0.38	0.84
C.D. at 5 %	NS	NS	NS	NS	NS
C.V. %	9.11	9.93	9.70	10.34	9.59

The number of primary and secondary branches per plant showed significant improvement with nano urea and sulphur application (Table 1). N_2 (50 ppm) recorded the highest number of primary branches (7.11) and secondary branches (16.31), followed by N_3 (6.66 and 15.37), N_1 (6.52 and 15.05), and N_0 (5.27 and 13.94). Similarly, S_2 (20 kg/ha) produced the maximum number of primary branches (6.83) and secondary branches (16.07). The enhanced branching under adequate nutrition can be attributed to increased meristematic activity and better assimilate availability, which promotes the development of lateral shoots (Sharma and Gupta, 2023). These findings corroborate with the observations of Yash and Kumar (2022) who reported positive effects of nitrogen and sulphur on branching pattern in mustard.

3.2 Effect on Yield Attributes and Yield: Nano urea application significantly increased the number of siliquae per plant, siliquae length and test weight (Table-2). The highest number of siliquae, length and test weight were recorded under N_2 (271, 4.87 cm and 5.04 g), followed by N_3 and N_1. Similarly, sulphur application at S_2 produced the maximum values of these parameters

(268, 4.90 cm and 4.97 g), followed by S_3 and S_1. This could be due to the synergistic effect of nitrogen (from nano urea) and sulphur in promoting flower development and pod set (Kumar and Singh, 2022; Verma and Singh, 2023). The significant interaction (CD at 5% = 37.77) confirms that the response of siliquae number to one nutrient depended on the level of the other.

Table-2: Effect of nano urea and sulphur on yield attributes, oil content and Crude protein content of Indian mustard

Treatments	Number of siliquae per plant	Length of siliqua (cm)	1000-seed weight (g)	Oil content (%)	Protein content (%)
Levels of Nano urea (N)					
N_0 : Control	212	3.84	3.85	38.10	16.86
N_1 : 25 ppm	244	4.44	4.66	38.75	18.23
N_2 : 50 ppm	271	4.87	5.04	41.05	20.44
N_3 : 75 ppm	258	4.64	4.72	39.48	19.88
S.Em.±	6.54	0.15	0.13	0.74	0.51
C.D. at 5 %	18.88	0.43	0.37	2.15	1.48
Levels of Sulphur (S)					
S_0 : 0 Kg/ha	224	3.88	4.05	37.50	17.31
S_1 : 10 Kg/ha	237	4.47	4.57	39.20	18.48
S_2 : 20 Kg/ha	268	4.90	4.97	41.19	20.02
S_3 : 30 Kg/ha	255	4.55	4.68	39.49	19.61
S.Em.±	6.54	0.15	0.13	0.74	0.51
C.D. at 5 %	18.88	0.43	0.37	2.15	1.48
Interaction (N x S)					
S.Em.±	13.08	0.29	0.26	1.49	1.03
C.D. at 5 %	37.77	NS	0.75	NS	NS
C.V. %	9.20	11.48	9.78	6.54	9.44

The application of nano urea significantly influenced seed yield and stover yield of Indian mustard (Fig. 2). Among the nano urea levels, N_2 (50 ppm) recorded the highest seed yield (2459 kg/ha) and stover yield (4820 kg/ha) followed by N_3 and N_1 (2220 kg/ha). The significant increase in seed yield with nano urea application can be attributed to enhanced nutrient uptake, improved photosynthetic activity, and better partitioning of assimilates towards reproductive structures (Kumar and Singh, 2022). The optimum response at 50 ppm suggests that this concentration provides adequate nitrogen nutrition without causing toxicity or metabolic disturbances. These findings are consistent with Tiwari and Sharma (2021) who reported increased yield in oilseed crops with nano fertilizer application.

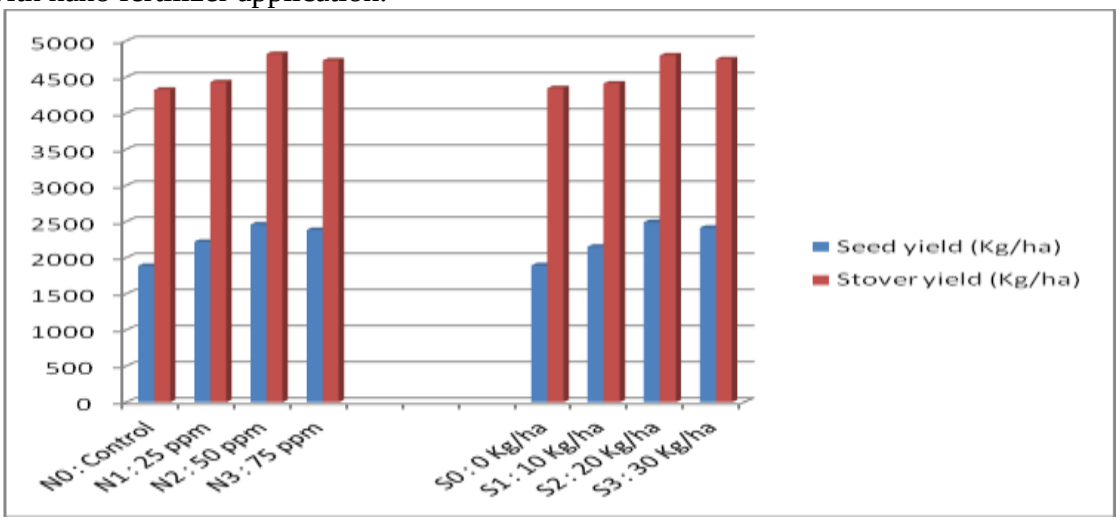


Fig.2: Effect of integrated nutrient management on seed and straw yield of mustard.

Sulphur application also significantly enhanced seed and stover yields. The treatment S_2 (20 kg S/ha) produced the highest seed yield (2492 kg/ha) and stover yield (4800 kg/ha). The positive response to sulphur application can be attributed to its role in chlorophyll synthesis, enzyme activation, and oil formation (Meena and Das, 2020). Sulphur is a constituent of essential amino acids (cysteine, methionine) and is crucial for the synthesis of glucosinolates and oil (Verma and Singh, 2023).

3.3 Effect on Quality Parameters: Oil content is a crucial quality parameter determining the economic value of mustard seed (Table-3). Nano urea application significantly influenced oil content, with N_2 (50 ppm) recording the highest oil content (41.05%) and the highest N content in seed (3.27%) and stover (0.61%). Phosphorus content in seed was not significantly affected by nano urea or sulphur application, though slight variations were observed. The enhanced N content with nano urea application can be attributed to improved nitrogen uptake efficiency and better translocation of nitrogen to reproductive organs (Liu and Lal, 2021; Zhang and Zhang, 2020).

Table-3: Effect of nano urea and sulphur on nutrient content in seed and stover of Indian mustard

Treatments	Nutrient content in seed (%)				Nutrient content in stover (%)			
	N	**P**	**K**	**S**	**N**	**P**	**K**	**S**
Levels of Nano urea (N)								
N_0 : Control	2.70	0.56	0.73	0.79	0.55	0.13	1.06	0.22
N_1 : 25 ppm	2.92	0.57	0.74	0.82	0.56	0.15	1.09	0.24
N_2 : 50 ppm	3.27	0.62	0.82	0.88	0.61	0.15	1.18	0.26
N_3 : 75 ppm	3.18	0.60	0.79	0.83	0.60	0.14	1.16	0.24
S.Em.±	0.08	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01
C.D. at 5 %	0.24	NS	0.07	NS	0.05	NS	0.09	NS
Levels of Sulphur (S)								
S_0 : 0 Kg/ha	2.77	0.57	0.73	0.78	0.54	0.13	1.07	0.22
S_1 : 10 Kg/ha	2.96	0.59	0.75	0.81	0.58	0.14	1.09	0.23
S_2 : 20 Kg/ha	3.20	0.60	0.81	0.88	0.60	0.15	1.17	0.27
S_3 : 30 Kg/ha	3.14	0.59	0.79	0.84	0.59	0.15	1.16	0.24
S.Em.±	0.08	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01
C.D. at 5 %	2.77	0.57	0.73	0.78	NS	NS	NS	0.03
Interaction (N x S)								
S.Em.±	0.16	0.04	0.05	0.05	0.04	0.01	0.07	0.02
C.D. at 5 %	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS
C.V. %	9.44	11.71	11.44	10.50	10.57	13.25	10.03	15.54

Similarly, sulphur application at S_2 (20 kg/ha) resulted in maximum oil content (41.19%) and sulphur content in seed (0.88%). The increase in oil content with sulphur application is particularly noteworthy, as sulphur is essential for the synthesis of glucosinolates and oil (Verma and Singh, 2023). Sulphur-containing amino acids (cysteine and methionine) are precursors to various oil-related compounds (Meena and Das, 2020). The increase in S content with sulphur application indicates enhanced sulphur uptake, which is desirable for improving oil quality and protein synthesis (Meena and Das, 2020).

Conclusion: The study concludes that foliar application of nano urea at 50 ppm (N_2) and soil application of sulphur at 20 kg/ha (S_2) significantly improved growth, yield, and quality of Indian mustard. N_2 recorded maximum seed yield (2459 kg/ha), stover yield (4820 kg/ha), oil content (41.05%), and protein content (20.44%), while S_2 produced the highest seed yield (2492 kg/ha), oil content (41.19%), and protein content (20.02%). The significant interaction between nano urea and sulphur for seed yield indicates synergistic effects when applied together. Nano urea proved to be

an efficient alternative to conventional nitrogen fertilizers with enhanced nutrient use efficiency. Therefore, combined application of nano urea at 50 ppm and sulphur at 20 kg/ha is recommended for optimizing productivity and profitability in Indian mustard. However, long-term studies on soil health and economic feasibility under diverse agro-climatic conditions are needed for wider adoption.

References:

1. Bijay-Singh and Craswell, E. (2021). Fertilizers and nitrate pollution of surface and ground water: An increasingly pervasive global problem. Soil Research, 59(2), 105-118.
2. Fageria, N. K. and Baligar, V. C. (2020). Enhancing nitrogen use efficiency in crop plants. Advances in Agronomy, 105, 97-185.
3. Gomez, K. A. and Gomez, A. A. (1984). Statistical Procedures for Agricultural Research (2nd ed.). John Wiley and Sons, New York.
4. Khan, I. and Ahmad, R. (2023). Nano urea: A novel approach to enhance nitrogen use efficiency in wheat. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 60(1), 78-89.
5. Kumar, V. and Singh, S. (2022). Response of Indian mustard to nano fertilizers and sulphur under rainfed conditions. Annals of Agricultural Research, 43(1), 56-67.
6. Liu, R. and Lal, R. (2021). Nano fertilizers: A review on their synthesis, characterization, and applications. Soil Science Society of America Journal, 85(4), 956-978.
7. Meena, R. S. and Das, A. (2020). Sulphur nutrition in oilseed crops. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 116, 187-201.
8. Sharma, A. and Gupta, R. (2023). Effect of foliar application of nano urea on growth and yield of mustard. International Journal of Plant Sciences, 18(2), 112-125.
9. Singh, V. and Kumar, A. (2022). Integrated nutrient management in Indian mustard. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 22(1), 45-58.
10. Tiwari, R. and Sharma, P. (2021). Nano fertilizers in agriculture: Opportunities and challenges. Asian Journal of Agriculture, 5(2), 89-101.
11. Verma, R. and Singh, P. (2023). Role of sulphur in oilseed production: A review. Agricultural Reviews, 44(1), 34-47.
12. Yash, S. and Kumar, R. (2022). Growth and yield response of mustard to different levels of nitrogen and sulphur. Indian Journal of Agricultural Sciences, 92(3), 456-463.
13. Zhang, W. and Zhang, X. (2020). Application of nanotechnology in fertilizer delivery for sustainable agriculture. Journal of Controlled Release, 325, 145-158.

=====

Cite the article:	Randhir and Kumawat, Sanju (2026). Combined Effect of Nano urea and Sulphur on Growth, Development and Yield of Mustard. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-2, April-June 2026, Page114-119. https://doi.org/10.5281/zenodo.21790708

Bundelkhand Journal of Academic Research

Constraints faced by Soyabean cultivators in Jhalwar district of Rajasthan

Amit Kumar Kasotiya[1], Sonu Jain[2], Shivraj Kumawat[1]

1. Research Scholar, Department of Agricultural Economics, Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner-Jaipur, Rajasthan. 2**. Assistant Professor,** Department of Agricultural Economics, Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner-Jaipur, Rajasthan.

(**Corresponding Author:** sonujain.ageco@sknau.ac.in)

https://doi.org/10.5281/zenodo.21790804

Abstract

The present study was carried out the constraints faced by soyabean cultivators in Jhalwar district of Rajasthan. Two tehsils namely Khanpur and Pachphar of Jhalawar district were selected purposively for the study. A sample of 100 soyabean growers was selected. Primary data were collected for agriculture year 2022-23 for analysis the constraints related to soyabean cultivation in study area. Garrett's ranking technique was used to analyse the constraints faced by soyabean cultivators. The major findings revealed that lack of knowledge about IPM training, lack of knowledge about recommended seed rate and lack of knowledge about chemical weed control were major technical constraints faced by soyabean farmers. Miscellaneous constraints like availability of inferior quality seed by the agencies, high cost of improved seed and unavailability of short duration varieties were faced by soyabean farmers. To sound the production of soyabean, there should be timely availability of good quality seed and HYV varieties seed in study area. Government agencies should provide superior quality seeds to the farmers and, to enhance the production, farmer should adopt scientific package of practices of soyabean cultivation.

Article Info			
	Received: 18 May, 2026	**Accepted:** 30 May, 2026	**Published:** 30 June, 2026
	Table: 02	**Figures & Graphs:** 02	**Sources & Ref.:** 09
	Keywords: Soyabean, Technical Constraints, Garrett's Ranking Technique, Rajasthan.		

1. Introduction: Agriculture is one of the most important sectors of the Indian economy. The agriculture and allied sectors have significantly contributed to the country's overall growth and development by ensuring food security. The Indian agriculture sector has been growing at an average annual growth rate of 4.6 per cent during the last five years. The share of the agriculture sector in India's Gross Value Added (GVA) was 18.4 per cent during the year 2024–25 (Economic Survey, 2025–26). The share of the agriculture sector in Rajasthan's Gross Value Added (GVA) at current prices was 27.13 per cent during the year 2024–25 (Rajasthan Aarthik Samiksha, 2025–26).

Soyabean (Glycine max) plays an important role in edible oil economy and is the fastest growing oilseed crop globally. Soyabean has been emerged as golden bean of 21st century and it is largely used as oilseed. It is the single largest oilseed grown in the different agro-climatic conditions. Soyabean is looked upon not merely as a means to supply food for humans and

animals, but it also improves the soil fertility by fixing atmospheric nitrogen (Jaiswal and Hugar, 2011).

In India, area under the crop was 129.52 lakh hectares with production of 152.68 lakh tonnes and productivity of 1179 kg/hectares and production was mainly confined to Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Karnataka, Telangana etc. during 2024-25 (Directorate of Economics & Statistics, DAC & FW 2024-25). Rajasthan has 10.79 lakh tonnes of production from 11.75 lakh hectares area with productivity of 1089 kg/ha in the year 2024-25. The major growing districts in the state are Jhalawar, Baran, Kota, Pratapgarh etc. under soyabean. Jhalawar district has an area of 2.86 lakh hectare with production of 3.26 lakh tonnes with productivity of 1140 kg per hectare during 2024-25 (Rajasthan Statistics at a Glance, 2024-25, Jaipur). Soyabean has largely been responsible in uplifting farmer's economic status in many pockets of the country. It usually fetches higher income to the farmers owing to the huge export market for soyabean de-oiled cake. During the study period, it was observed that there were certain major problems responsible for low returns to farmers. If these are eliminated, the yield and returns of soyabean can be accelerated many folds.

2. Materials and Methods: The primary data was collected from the selected soyabean growers through personal interview method with the help of pre-structured schedules during 2022-23. At first stage Jhalawar district in Rajasthan was selected purposively as it occupies first rank in terms of area of soyabean crop in Rajasthan. Two tehsils namely Khanpur and Pachpahar was selected purposively on the basis of highest area of soyabean crop. Two villages were selected purposively from Khanpur thesil namely Jarga and Golana and two villages were selected from Pachphar thesil namely Sooliya and Misroly. From selected villages, 100 soyabean growers were selected randomly in proportion for detailed study. Constraint faced by Soyabean farmers encountered in growing the soyabean were examined using Garrett's ranking technique. Garrett's ranking technique as follows:

$$\text{Per cent Position} = [100(R_{ij}-0.5)] \div N_j$$

Where,

R_{ij} =Rank given for the i^{th} variable by j^{th} respondents

N_j = Number of variables ranked by j^{th} respondents

By using the Garrett and Woodworth table (1969), the percent position of each rank was translated to scores.

3. Results and Discussion: The farmers were asked to rank the variables that affect soyabean crop productivity. These merit orders had one more conversion to become a unit of score. In this section, constraints were divided into two major sections like technical constraints and miscellaneous constraints. This major section also divided into sub groups that are discussed below.

The technical constraints faced by soyabean farmers in the study area have been depicted in table 1. The table reveals that out of 9 technical constraints, lack of knowledge about IPM (Integrated Pest Management) training was a major constraint for soyabean grower with Garrett Score 69.92 and ranked first followed by lack of knowledge about recommended seed rate with garret score 66.93 and ranked Second, lack of knowledge about chemical weed control (Garrett score 62.56) which ranked third, lack of knowledge about cultivation of HYVs (Garrett score 57.04) ranked fourth, less knowledge about dose of chemical fertilizer (Garrett score 52.77) which

ranked fifth, technical guidance unavailable at the time of sowing (Garrett score 48.40) and ranked sixth, lack of knowledge about seed treatment (Garrett score 45.18) ranked seventh, less knowledge about irrigation management (Garrett score 38.02) which ranked eight, and lack of knowledge about crop insurance (Garrett score 32.57) with least problem faced by soyabean farmers among technical constraints. Similar results were also found by Bhupendra and Kumar (2020), Singh et al. (2022), Barman et al (2026) and Lavale et al., (2026).

Table 1: Technical constraints faced by soyabean farmers in Jhalawar district of Rajasthan

S. N.	Constraints reported by the farmers	Total Score	Garrett score	Rank
1.	Lack of knowledge about IPM (Integrated Pest Management) training	6992	69.92	I
2.	Lack of knowledge about recommended seed rate	6693	66.93	II
3.	Lack of knowledge about chemical weed control	62.56	62.56	III
4.	Lack of knowledge about cultivation of HYVs	5704	57.04	IV
5.	Less knowledge about dose of chemical fertilizer	5277	52.77	V
6.	Technical guidance unavailable at the time of sowing	4840	48.40	VI
7.	Lack of Knowledge about seed treatment	4518	45.18	VII
8.	Less knowledge about irrigation management	3802	38.02	VIII
9.	Lack of knowledge about crop insurance	3257	32.57	IX

As presented in Figure 1, a radar plot for the perceived constraints to soyabean cultivation was executed. The radar plot was found to be asymmetrical, with heavy skewness toward the top right quadrants. The strongest concerns— lack of knowledge about IPM (Integrated Pest Management) training (69.92) and lack of knowledge about recommended seed rate (66.93)—stand out clearly, showing that seed quality are key inputs in soyabean production. In contrast, benefits like less knowledge about irrigation management (38.02) and lack of knowledge about crop insurance (32.57) scored low, suggesting limited constraints in these aspects.

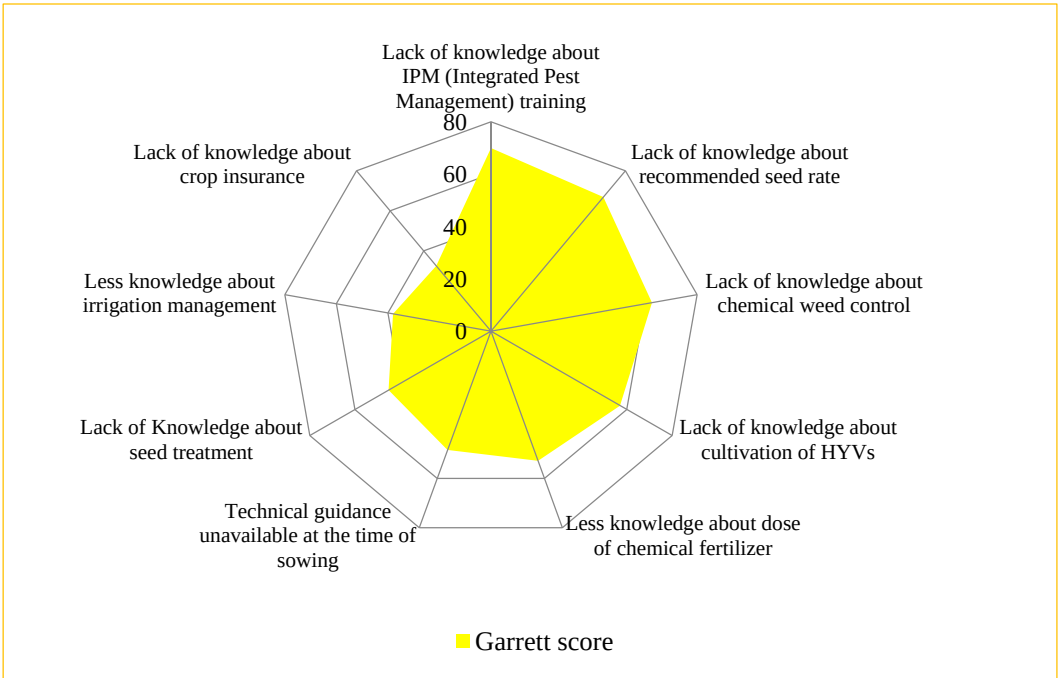


Fig 1: Relative strength of technical constraints faced by soyabean farmers

The miscellaneous constraints faced by soyabean farmers in the study area have been depicted in table 2. The table reveals that out of 10 miscellaneous constraints, availability of inferior quality seed by the agencies was a major constraint for soyabean grower with Garrett Score of 74.94 and ranked first followed by high cost of improved seed (Garrett score 66.52)

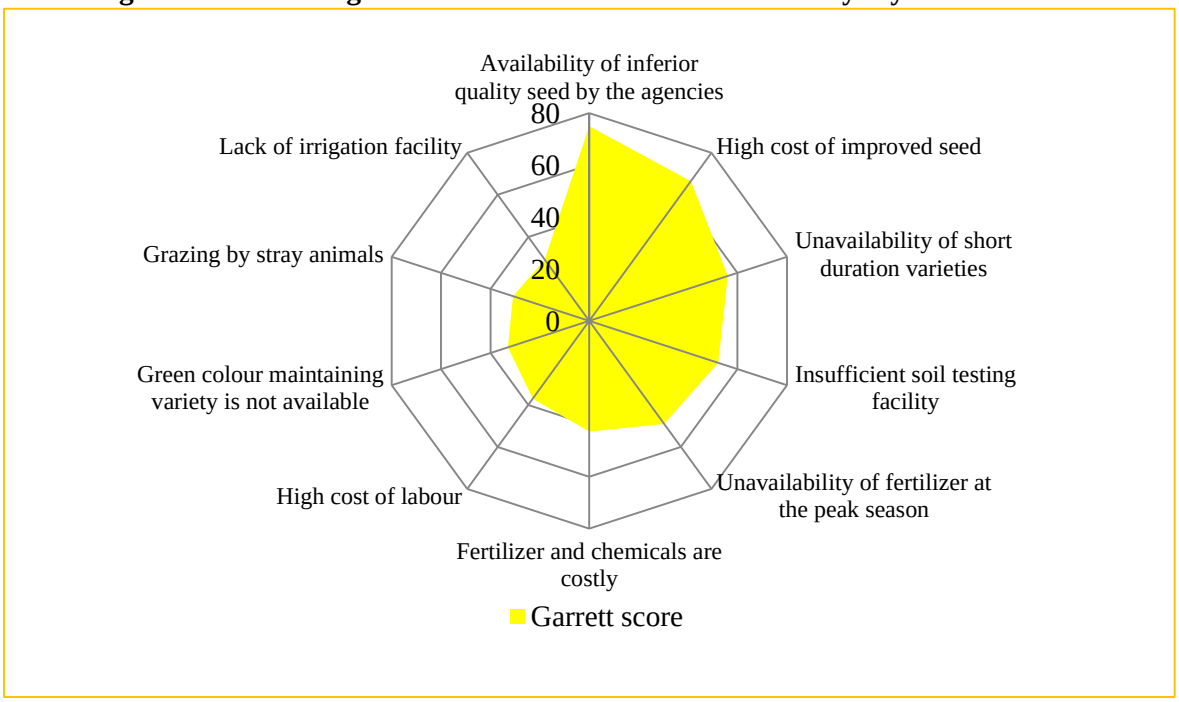
which ranked second, unavailability of short duration varieties (Garrett score 56.08) ranked third, insufficient soil testing facility (Garrett score 52.22) which ranked fourth, unavailability of fertilizer at the peak season (Garrett score 48.94) and ranked fifth, fertilizer and chemicals are costly (Garrett score 42.59) ranked sixth, high cost of labour (Garrett score 36.98) which ranked seventh, green colour maintaining variety is not available (Garrett score 33.00) which ranked eight, grazing by stray animals (Garrett score 30.91) which ranked ninth and lack of irrigation facility (Garrett score 29.13) with least problem faced by soyabean farmers among miscellaneous constraints. Similar findings are found by Sovanee and Pathak (2016) and Ashoka et al. (2021).

Table-2: Miscellaneous constraint faced by soyabean cultivating farmers in Jhalawar district of Rajasthan

S. No.	Constraints reported by the farmers	Total Score	Garrett score	Rank
1.	Availability of inferior quality seed by the agencies	7494	74.94	I
2.	High cost of improved seed	6652	66.52	II
3.	Unavailability of short duration varieties	5608	56.08	III
4.	Insufficient soil testing facility	5222	52.22	IV
5.	Unavailability of fertilizer at the peak season	4894	48.94	V
6.	Fertilizer and chemicals are costly	4259	42.59	VI
7.	High cost of labour	3698	36.98	VII
8.	Green colour maintaining variety is not available	3300	33.00	VIII
9.	Grazing by stray animals	3091	30.91	IX
10.	Lack of irrigation facility	2913	29.13	X

As presented in Figure 2, a radar plot for the perceived constraints to soyabean cultivation was executed. The radar plot was found to be asymmetrical, with heavy skewness toward the top right quadrants. The strongest concerns—availability of inferior quality seed by the agencies (74.94) and high cost of improved seed (66.52)—stand out clearly, showing that seed quality are key inputs in soyabean production. In contrast, benefits like grazing by stray animals (30.91) and lack of irrigation facility (29.13) scored low, suggesting limited constraints in these aspects.

Fig 2: Relative strength of miscellaneous constraints faced by soyabean farmers



Conclusion: Studies on soybean cultivation in Jhalawar reveal that despite high yield potential, farmers face significant constraints across multiple operational domains. Addressing these

bottlenecks is critical to bridging the yield gap between potential field capacity and actual farm realization.

The study highlights that soybean farmers in the Jhalawar district of Rajasthan face both technical and input-related hurdles that hinder optimal production. The primary technical challenges faced by cultivators include a lack of knowledge regarding Integrated Pest Management (IPM) training (Garrett score 69.92), recommended seed rates (66.93), and chemical weed control methods (62.56). The main operational and resource constraints include the supply of inferior quality seeds by agencies (Garrett score 74.94), the high cost of improved seeds (66.52), and the unavailability of short-duration crop varieties (56.08). Given the aforementioned constraints, in order to increase soybean production in this region and maximize profits from cultivation, it is essential for the government to agencies must ensure the timely availability of high-yielding, superior-quality seeds at accessible costs. Extension services should focus on training farmers to adopt scientific packages of practices—particularly regarding IPM, chemical weed control, and precise seed rates.

References:

1. Ashoka, N., R. Raju, Y. Ravi, M. Harshavardhan, S. Hongal and P. Pushpa 2021. Economic analysis of cluster bean [Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub] entrepreneurs in Karnataka. Legume Research-An International Journal, 44(12): 1465-1469.
2. Bhupender and A. Kumar 2020. An economic analysis of production and marketing of cluster bean in Rajasthan. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 9(06): 4044-4055.
3. Economic Survey, Ministry of Finance, Govrnment of India, 2025-26. https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/.
4. Garrett, E.H. and Woodworth, R.S. 1969. Statistics in psychology and education. Vakils, Feffer and Simons Pvt. Ltd., Bombay, pp 329.
5. Lavale, S., Patil, A.and Jadhav, V. 2026. Infrastructure gaps and their impact on agricultural efficiency in India.Proceedings of the International Conference on Agricultural Innovation and Development.
6. Rajasthan Aarthik Samiksha, 2025-26. Directorate of Economics and Statistics, Department of Statistics, Governemtn of Rajasthan (https://finance.rajasthan.gov.in. 2024-2025 /Economic Review).
7. Rajasthan Statistics at a Glance 2024-25, Commissionerate of Agriculture, Rajasthan, Jaipur.
8. Sonvanee, O.P. and Pathak, H. 2016. An economic analysis of production and marketing in rapeseed-mustard crop in bastar plateau of Chhattisgarh, India. Plant Archives, 16(1): 37-44.
9. Singh, A., Singh, K.K., Srivastava, A., Srivastava, A.B. and Mishra, H. 2022. Constraints on sesame and mustard of production and marketing by using Garrett ranking. The Pharma Innovation Journal, 11(7): 585-588.

=====

Cite the article:	Kasotiya, Amit Kumar; Jain, Sonu; Kumawat, Shivraj (2026). Constraints faced by Soyabean cultivators in Jhalwar district of Rajasthan. Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR), Volume-2, Issue-2, April-June 2026, Page 120-124. https://doi.org/10.5281/zenodo.21790804

Bundelkhand Journal of Academic Research

Scope and Research Areas of the Journal

Agricultural Sciences

Agricultural Biotechnology, Agricultural Chemistry, Agricultural Diversification, Agricultural Education, Agricultural Economics, Agricultural Geography, Agricultural Philosophy, Agricultural Marketing, Dairy and Animal Science, Agricultural Engineering, Agricultural Policy, Multidisciplinary Agriculture, Agronomy & Horticulture, Agroecology, Agrophysics, Biological Engineering, Entomology, Plant Sciences, Environmental Sciences, Fisheries Science, Food Science & Technology, Forestry, Soil Science, Veterinary Sciences, Water Resources and any other allied Subjects of Agricultural Sciences.

Arts and Humanities

Archaeology, Architecture, Art, Asian Studies, Classics studies, Cultural studies, Dance, Film, Radio, Television, Folklore, History, History of Science, Humanities, Multidisciplinary, Language and Linguistics, Literary Reviews, Literary Theory and Criticism, Literature, Medieval and Renaissance Studies, Music, Philosophy, Poetry, Religion studies, Theatre, Physical Education and Sports Science, Textiles and Apparel Designing and any other allied Subjects of Arts and Humanities.

Biological Sciences

Biodiversity Conservation, Biology, Miscellaneous Biology, Ecology, Evolutionary Biology, Botany, Developmental Biology, Entomology, Limnology, Marine & Freshwater Biology, Mycology, Ornithology, Reproductive Biology, Zoology and any Other Allied Subjects of Biological Sciences.

Chemical Sciences

Applied Chemistry, Multidisciplinary Chemistry, Analytical Chemistry, Inorganic & Nuclear Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, Crystallography, Electrochemistry, Polymer Science, Spectroscopy, Biochemistry & Microbiology and any other allied Subjects of Chemical Sciences.

Commerce and Management

Management Accounting, Business Planning, Advertising, Banking & Insurance, Accounting System, Financial Markets, Institutions & Financial Services, Industrial Laws, Organizational Behaviour, Human Resource Management, Cost Accounting, Business Mathematics, Management Applications, Computer Applications, Auditing & Corporate Governance, Financial Management, Entrepreneurship, Collective Bargaining, Negotiation Skills, E-Filing of Returns, Cyber Crimes & Laws, E-Commerce, Training & Development, Marketing & E-Marketing, Personal Tax Planning, Environmental Studies, Business Communication, Financial Accounting, Corporate Accounting, Business Laws, Corporate Laws, E-Filing of Returns, Cyber Crimes & Laws, Taxation, Tax Law & Practice, Management like Strategic, Sales, Marketing, Public Relations, Operations, Supply Chain, Procurement, Financial & Accounting, Human Resources, Information Technology, Research & Development, Engineering, Programme, Project, Risk, Quality, Innovation, Design, Facility, Knowledge and any other allied Subjects of Commerce and Management.

Engineering and Technology

Automation & Control Systems, Aerospace Engineering, Computer Science, Artificial Intelligence, Cybernetics, Hardware & Architecture, Information Systems, Interdisciplinary SCI, Software Engineering, Construction & Building Technology, Energy & Fuels, Multidisciplinary Engineering, Biomedical

Engineering, Environmental Engineering, Chemical Engineering, Industrial Engineering, Manufacturing Engineering, Marine Engineering, Civil Engineering, Ocean Engineering, Petroleum Engineering, Electrical & Electronic Engineering, Mechanical Engineering, Geological Engineering, Ergonomics, Nanoscience & Nanotechnology, Instruments & Instrumentation, Operations Research & Management Science, Materials Science, Paper & Wood, Ceramics, Biomaterials, Characterization, Testing, Coatings & Films, Composites, Textiles, Multidisciplinary Materials Science, Metallurgy & Mining, Robotics, Remote Sensing, Imaging Science & Photographic Technology, Telecommunications, Transportation, Transportation Science & Technology, Mining & Mineral Processing, Architecture, Industrial Design and any other allied Subjects of Engineering and Technology.

Medical and Health Sciences

Anatomy &Morphology, Biochemical Research Methods, Biochemistry & Molecular Biology, Cell & Tissue Engineering, Biophysics, Biotechnology & Applied Microbiology, Cell Biology, Medicinal Chemistry, Cytology & Histology, Genetics & Heredity, Mathematical & Computational Biology, Immunology, Microbiology, Microscopy, Neurosciences, Parasitology, Pharmacology & Pharmacy, Physiology, Allergy, Andrology, Anesthesiology, Biological Psychology, Oncology, Cardiac & Cardiovascular System, Critical Care Medicine, Clinical Psychology, Emergency Medicine, Dentistry Oral, Surgery & Medicine, Dermatology, Substance Abuse, Psychology Educational, Health Care Sciences & Services, Endocrinology & Metabolism, Gastroenterology & Hepatology, Geriatrics & Gerontology, Gerontology, Haematology, Psychology Developmental, Infectious Diseases, Psychology Applied, Integrative & Complementary Medicine, Medical Ethics, Medicine Legal, Medical Informatics, Medical Laboratory Technology, Medicine General & Internal, Medicine Research & Experimental, Clinical Neurology, Neuroimaging, Nursing, Obstetrics & Gynaecology, Ophthalmology, Orthopedics, Otorhinolaryngology, Pathology, Paediatrics, Rehabilitation, Psychiatry, Respiratory System, Rheumatology, Radiology Nuclear Medicine & Medical Imaging, Sport Sciences, Surgery, Toxicology, Transplantation, Tropical Medicine, Urology & Nephrology, Peripheral Vascular Disease, Virology, Ayurveda, Home Science, Homoeopathy, Physiotherapy, Audiology & Speech-Language Pathology, SIDDHA, Unani, Public Health, Hospital Administrations, Forensic Science, Yoga, Optometry.

Physical Sciences

Geochemistry & Geophysics, Physical Geography, Geology, Multidisciplinary Geosciences, Meteorology & Atmospheric Sciences, Mineralogy, Oceanography, Paleontology, Acoustics, Astronomy & Astrophysics, Thermodynamics, Applied Mathematics, Mathematics, Nuclear Science & Technology, Optics, Applied Physics, Fluids & Plasmas Physics, Atomic, Molecular & Chemical, Atomic, Molecular & Chemical, Multidisciplinary Physics, Condensed Matter Physics, Nuclear Physics, Particles & Fields Physics, Mathematical Physics, Statistics & Probability, Theoretical High Energy Physics, Interdisciplinary Applications Mathematics and any other allied Subjects of Physical Sciences.

Social Sciences

Anthropology, Business, Cultural Studies, Communication, Criminology and Penology, Demography, Economics, Education and Research, Environmental Studies, Ergonomics, Ethics, Ethnic Studies, Family Studies, Finance, Geography, Gerontology, Health Policy and Services, History, Hospitality, Sport & Tourism, Industrial Relations and Labour, Library and Information Science, International Relations, Law, Linguistics, Management, Nursing, Planning and Development, Political Science, Psychiatry, Psychology & Applied Psychology, Public Administration, Public, Environmental and Occupational Health Rehabilitation, Social Issues, Biomedical Social Sciences, Interdisciplinary Social Sciences, Mathematical Social Sciences, Social Work, Sociology, Transportation, Urban Studies, Feminist Studies, and any other allied Subjects of Social Sciences.

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research

लेखकों द्वारा आलेख प्रेषण हेतु दिशानिर्देश

प्रस्तुतीकरण दिशानिर्देश (Submission Guidelines)

बीजेएआर उन मौलिक योगदानों का स्वागत करता है जो कहीं अन्यत्र प्रस्तुत, प्रकाशित या प्रकाशन के लिए स्वीकृत नहीं हुए हैं। योगदानकर्ताओं को लेख प्रस्तुत करने वाले ईमेल में इसकी जानकारी देनी होगी। योगदानकर्ताओं से अनुरोध है कि वे बीजेएआर की स्टाइल शीट का पालन करें। सभी योगदानों के साथ निम्नलिखित अनुपालन होने चाहिए:

आलेख सारांश 150-200 शब्द

मुख्य शब्द 5 से 6

लेखक का नाम, ईमेल पता और पत्राचार के लिए संपर्क नंबर, प्रत्येक लेखक के लिए वर्तमान पदनाम और संबद्धता का विवरण देते हुए एक-पंक्ति का लेखक नोट। हम लेखक नोट में प्रदत्त ईमेल पता शामिल करते हैं। योगदानकर्ताओं को साहित्यिक चोरी और अत्यधिक आत्म-संदर्भों से सावधान किया जाता है। सामग्री की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आंकड़े, ग्राफ़ और तालिकाओं का कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। सभी पूरक फ़ाइलें जैसे आंकड़े, तालिकाएँ, मानचित्र आदि, जहाँ तक संभव हो, MS Office (Word/Excel) या अन्य संपादन योग्य प्रारूपों में प्रदान की जानी चाहिए।

बीजेएआर संपादकीय टीम किसी आलेख को किसी विशिष्ट अनुभाग में, जैसा उचित समझे, स्थान देने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

लेखों की प्राप्ति की सूचना ईमेल द्वारा एक संदर्भ संख्या के साथ दी जाती है जिसका उपयोग वेबसाइट पर आपके योगदान को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। यदि योगदानकर्ताओं को योगदान के एक सप्ताह के भीतर पावती प्राप्त नहीं होती है, तो उनसे अनुरोध है कि वे हमें gayatripublication2025@gmail.com पर लिखें।

हमें प्राप्त होने वाले लेखों की शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। मासिक रूप से प्राप्त होने वाले लेखों की संख्या को देखते हुए, किसी लेख को प्रकाशन के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय लेने में दो महीने तक का समय लग सकता है। प्रकाशन के लिए स्वीकृत लेखों को स्वीकृति की तिथि से मुद्रित रूप में प्रकाशित होने में एक महीने तक का समय लग सकता है।

शोध समीक्षाएँ (शब्द: 2000-2500): बीजेएआर द्वारा पुस्तक और समीक्षाओं को भी प्रकाशन के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 2500 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अंतर्दृष्टि आलेख (शब्द: 4000-5000): इस खंड में शैक्षणिक परिघटनाओं के नवीन और केंद्रित विश्लेषण पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परिप्रेक्ष्य आलेख (शब्द: 4000-5000): इस खंड में मौजूदा विद्वत्ता और समकालीन घटनाओं पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले आलेखों को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 5000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विशेष आलेख (शब्द: 7000 तक): इस खंड के लिए शैक्षणिक, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में मूल, अप्रकाशित शोध पत्र स्वीकार किए जाएँगे, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 7000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी विशेष आलेखों की पीयर समीक्षा की जाती है।

शोध आलेख (शब्द: 6000-7000): इस खंड के लिए शैक्षणिक, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में प्रारंभिक शोध को कवर करने वाले मौलिक लेखों पर विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसे आलेखों की शब्द सीमा 7000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी विशेष आलेखों की पीयर समीक्षा की जाती है।

कॉपीराइट

1. बीजेएआर में प्रकाशित सभी आलेखों का कॉपीराइट बीजेएआर या उस संगठन का होगा जहाँ लेखक कार्यरत है, जैसा कि लेखक की रोजगार शर्तों द्वारा निर्धारित किया जाता है।
2. बीजेएआर को लेखकों द्वारा अपने आलेखों को अन्य प्रकाशनों के लिए पुनः प्रकाशित या संशोधित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालाँकि, पुनः प्रकाशित आलेखों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि लेख का एक संस्करण सबसे पहले बीजेएआर में प्रकाशित हुआ था। इसमें मूल बीजेएआर आलेखों के URL के साथ प्रकाशन विवरण भी शामिल होना चाहिए।
3. लेखक/लेखकों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकाशित आलेखों या उसके किसी भाग का किसी भी रूप में पुनरुत्पादन नहीं किया जाना चाहिए। लेखक/लेखकों की स्वीकृति की एक सॉफ्ट कॉपी बीजेएआर को भेजी जानी चाहिए।

सामान्य निर्देश (General Instructions)

1. बीजेएआर में प्रकाशनार्थ प्रेषित किये जाने वाला शोध पत्र मौलिक एवं अप्रकाशित होना चाहिए। शोध पत्र ई-मेल द्वारा द्वारा प्रेषित करना चाहिए।
2. लेखक को शोध पत्र के साथ इस आशय का घोषणा पत्र अवश्य संलग्न करना होगा कि यूजीसी/एमएचआरडी के मानकानुरूप यह शोध पत्र उसका मौलिक, अप्रकाशित शोध पत्र है, एवं इसमें किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं है।
3. यदि शोध पत्र में मुख्य शोधकर्ता के साथ अन्य नाम भी हैं, तो उन्हें भी मौलिकता और साहित्यक चोरी का प्रमाण पत्र देना होगा। शोध पत्र के साथ प्लैगरिज्म रिपोर्ट भी संलग्न की जानी चाहिए।
4. शोध पत्र प्राप्त होने के उपरांत संबंधित शोधार्थी के पास ई-मेल द्वारा शोध पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाएगी।
5. शोध पत्र प्राप्त होने के उपरांत संपादक मण्डल द्वारा उसे संबंधित विषय के विशेषज्ञ (रीव्यूवर) के पास ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा, जिसका विषय विशेषज्ञ द्वारा विधिवत् मूल्यांकन, परीक्षण और संशोधन किया जाएगा, तदुपरांत संपादक मण्डल के पास प्रकाशनार्थ प्रेषित किया जाएगा।
6. विषय विशेषज्ञ / संपादक मण्डल के पास शोध पत्र के प्रकाशन और संशोधन का पूर्ण अधिकार होगा। कोई भी शोध पत्र संपादक मण्डल / रीव्यू पैनल द्वारा पूर्णतः मूल्यांकन के उपरांत ही प्रकाशनार्थ स्वीकृति किया जायेगा।
7. पूर्णतः स्वीकृति के उपरांत ही शोधार्थी को संबंधित शोध आलेख का स्वीकृति संदेश निर्दिष्ट ई-मेल पर प्रेषित किया जायेगा। हालांकि, शोध पत्र के प्रकाशन, कापी राइट एवं अन्य सभी प्रकार के मामलों में प्रधान संपादक एवं संपादक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
8. शोध पत्र में व्यक्त विचार, शोध बिंदु, संदर्भ हेतु पूर्णतः शोधार्थी की जिम्मेदारी होगी। किसी भी प्रकार से संपादक मण्डल का उसमें कोई सरोकार नहीं होगा। शोध-पत्र भेजने के बाद उसे प्रकाशित करने हेतु किसी भी तरह का दबाव स्वीकार्य नहीं होगा।

9. शोध पत्र को निम्नलिखित रूप में ई-मेल द्वारा प्रेषित करें:

i. टंकण विधि A4 साईज में 1 इंच चारो तरफ छोड़कर ऑटो लीडिंग, पेज नंबरिंग सहित माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी वर्जन में टाइप करके भेजें एवं आवास का पता, संस्था का पता, दूरभाष एवं ईमेल आईडी अवश्य लिखें।

ii. हिंदी माध्यम के शोध पत्र का सामान्य लेखन Kruti Dev 010 के फांट साइज 14 और मुख्य हेडिंग 16 जबकि शोध शीर्षक 24 में होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के शोध पत्र का सामान्य लेखन Times New Roman के फांट साइज 12 और मुख्य हेडिंग 14 जबकि शोध शीर्षक 24 में होना चाहिए।

iii. कीवर्डस, स्रोत एवं संदर्भ, शोध सारांश आदि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

iv. स्रोत एवं संदर्भ विधिवत निर्दिष्ट उद्धरण स्टाईल में रख कर उनका स्पष्ट उल्लेख करें। शोध पत्र में स्रोत एवं संदर्भ का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। स्रोत एवं संदर्भों की स्पष्टता के अभाव में शोध पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

10. आप शोध पत्र प्रेषित करें : gayatripublication2025@gmail.com

शोध पत्रों के प्रकाशन एवं प्रेषण की आवृत्ति

बुंदेलखंड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च (बीजेएआर) त्रैमासिक शोध जर्नल है, जिसका प्रकाशन वर्ष में चार बार होता है। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के अंक प्रकाशन एवं आलेख संग्रहण का विवरण निम्न प्रकार है:

बीजेएआर के अंक	प्रेषण की तिथि	प्रकाशन
जनवरी-मार्च	10 मार्च तक	अप्रैल के अंत में
अप्रैल-जून	10 जून तक	जुलाई के अंत में
जुलाई-सितंबर	10 सितंबर तक	अक्टूबर के अंत में
अक्टूबर-दिसंबर	10 दिसंबर तक	जनवरी के अंत में

*****

Bundelkhand Journal of Academic Research

एक सामान्य शोध पत्र का मॉडल प्रारूप
(A Model Format for a normal Research Paper)

शोध पत्र का शीर्षक
(Title of the Research Paper)

प्रथम लेखक^1, द्वितीय लेखक^2, और तृतीय लेखक^3

^1 पहले संस्थान का नाम (Name of First Institution) Email Id

^2 दूसरे संस्थान का नाम (Name of Second Institution) Email Id

^3 तीसरे संस्थान का नाम (Name of Third Institution) Email Id

सारांश (Abstract)

यहां 150-200 शब्दों में अपने शोध का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

मुख्य शब्द (Keywords): 5 से 6 मुख्य शब्द दिए जाने चाहिए जो शोध विषय की केंद्रीय अवधारणाओं को दर्शाते हों। ये पहचान, खोज और सूचकांकन योग्य होने चाहिए ताकि पाठक और शोधार्थी प्रासंगिक शोध को खोजने और अनुक्रमित (index) करने के लिए इनका उपयोग कर सकें। मुख्य शब्द के रूप में संज्ञा शब्द होने चाहिए, उपपद और क्रिया शब्द प्रयोग नहीं होने चाहिए।

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि (Introduction and Background)

1.1. उप-शीर्षक (Subheading)

1.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

1.1.2.

- यहां शीर्षक एवं विषय से संबंधित आवश्यक आधारभूत ज्ञान का परिचय दें।
- विषय का परिचय और इसका महत्व बताएं।
- समीक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख करें।
- पृष्ठभूमि जानकारी और संदर्भ प्रदान करें।

- साहित्य समीक्षा में वर्तमान शोध और उपलब्ध शोध अंतराल को भी रेखांकित किया जा सकता है।

2. सामग्री एवं विधि (Materials and Methods)

यहां आंकड़ों का विश्लेषण और निर्वचन करना है।

(Here is to analyse and interpret the data)

2.1. उप-शीर्षक (Subheading)

2.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- यहां सामग्री और विधि का विवरण दें।
- शोध की सम्पूर्ण क्रियाविधि का वर्णन करें ।
- ध्यान रहे यह लेखन इस प्रकार किया जाए कि कोई भी शोधकर्ता इस विधि को पढ़ कर सरलता पूर्वक इस शोध-क्रियाविधि को स्वयं भी दोहरा सके।

सारणी-1: सारणी का शीर्षक या नाम
(Table 1: Title or Name of Table)

उपशीर्षक **(Subtitle)**	उपशीर्षक **(Subtitle)**	उपशीर्षक **(Subtitle)**
तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)	तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)	तथ्य या आंकड़े (Data or Figures)

3. परिणाम एवं प्राप्तियां (Results and Findings)

3.1. उप-शीर्षक (Subheading)

3.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- शोध-पत्र के इस भाग को प्रयास पूर्वक एक तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- तथ्यों, अभिकथनों एवं कारणों का एक सरल प्रवाह होना चाहिए और इन सभी के लिए उचित संदर्भ भी प्रदान किए जाने चाहिए।
- शोध के उद्देश्य के अनुसार आंकड़ों के विश्लेषण और निर्वचन से क्या प्राप्त हुआ है, इसका संक्षेप में प्रस्तुतीकरण किया जाना चाहिए।

4. चर्चा एवं बहस (Discussion and Debate)

4.1. उप-शीर्षक (Subheading)

4.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- इस भाग में पिछले भाग में वर्णित परिणामों के बारे में गूढ विश्लेषण और विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की जानी चाहिए।
- परिणाम एवं प्राप्तियों के प्रभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- शोध के उद्देश्य के अनुसार परिणाम एवं प्राप्तियों में निहित समस्याओं और चुनौतियों की चर्चा की जानी चाहिए।

- इस भाग में भी तथ्यों, अभिकथनों एवं कारणों का एक सरल प्रवाह होना चाहिए और इन सभी के लिए उचित संदर्भ भी प्रदान किए जाने चाहिए ।
- मुख्यतः साहित्य की समीक्षा में चिन्हित खोजों और वर्तमान लिखित साहित्य में छोड़े गए विषयों/रिक्तियों की पहचान को भी रेखांकित किया जा सकता है।

5. सुझाव एवं अनुशंसाएं (Suggestions and Recommendations)

5.1. उप-शीर्षक (Subheading)

5.1.1. तृतीय स्तर उपशीर्षक (यदि हो तो)

- इस भाग में पिछले भाग 4 और 5 में वर्णित परिणाम, प्राप्तियों एवं चर्चा के सापेक्ष आगे बढ़ने का उचित रास्ता (The way forward) क्या है, पर विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की जानी चाहिए।
- परिणाम एवं प्राप्तियों में निहित समस्याओं और चुनौतियों के औचित्यपूर्ण समाधान की चर्चा की जानी चाहिए।
- भावी शोध के विषयों और उप-विषयों का सुझाव दिया जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

- आपके द्वारा प्रस्तुत शोधपत्र में किए गए प्रमुख खोजों और उनकी प्रासंगिकता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- विषय के महत्व एवं औचित्य को पुनः प्रस्तुत कीजिए।
- 4 से 6 वाक्यों में अपने प्रस्तुत शोध के परिणाम एवं निष्कर्षों की महत्ता को विषय के संदर्भ में बताइए।

स्रोत एवं संदर्भ (Sources and References)

- स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप दिए गए प्रारूप में होना चाहिए।
- प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयुक्त सभी मुख्य कार्यों की स्रोत एवं संदर्भ सूची प्रदान कीजिए।
- यह संदर्भ शोध-आलेख में उचित स्थानों पर पाठ्य के रूप (इन-टेक्स्ट) में भी लिखे जाने चाहिए।
- स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप ग्रंथसूची, उद्धरण एवं संदर्भ शैली के उदाहरण में देखा जा सकता है:

परिशिष्ट (Appendices)

- परिशिष्ट A (Appendix A)
- परिशिष्ट B (Appendix B)

=====

Bundelkhand Journal of Academic Research

ग्रंथसूची, उद्धरण एवं संदर्भ शैली के उदाहरण

(Bibliographic, Citation and Referencing Styles Examples)

स्रोत एवं संदर्भ के उद्धरण का स्वरूप निम्नलिखित होना चाहिए:

लेखक का नाम एवं उपनाम

(Name and Surname of the Author)

लेखक	नाम एवं उपनाम
एकल लेखक (डॉ. गजेन्द्र सिंह मधुसूदन)	<उपनाम>, <नाम का आरंभिक अक्षर>. <मध्य नाम का अक्षर>. **उदाहरण: मधुसूदन, जी. एस.**
दो लेखक (डॉ. राजेश कुमार पाल एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1>, <प्रथम का आरंभिक नाम1>. <प्रथम का मध्य नाम1>. एवं <उपनाम2>, <द्वितीय का आरंभिक नाम2>. <द्वितीय का मध्य नाम2>. **उदाहरण: पाल, आर. के. एवं सिंह, ए. के.**
दो से अधिक लेखक (डॉ. अतुल कुमार कुशवाहा, डॉ. क्रांति भूषण मौर्य,....., एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1>, <प्रथम का आरंभिक नाम1>. <प्रथम का मध्य नाम1>., <उपनाम 2>, <द्वितीय का आरंभिक नाम2>. <द्वितीय का मध्य नाम2>., . . . , एवं <उपनाम n>, <n का आरंभिक नाम n>. < n का मध्य नाम n>. **उदाहरण: कुशवाहा, ए. के., मौर्य, के. बी.,..., एवं सिंह, ए. के.**

खंड, अंक एवं पृष्ठ संख्या

(Volume, Issue and Page Numbers)

दस्तावेज़	वॉल्यूम, अंक एवं पृष्ठ संख्या
एकल पृष्ठ	वॉल्यूम <खंड संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-02, पृष्ठ -15।**
कई पृष्ठ	वॉल्यूम <खंड संख्या>, पृष्ठ <प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> - <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-04, पृष्ठ 75-81।**
जर्नल / पत्रिका या इसी तरह के पीरियडिकल्स	<वॉल्यूम संख्या> (<इश्यू संख्या >): < प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> – <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: 12(6): 103–120।** **अथवा** वॉल्यूम <खंड संख्या> अंक (<अंक संख्या>), <प्रारंभिक पृष्ठ संख्या> - <अंतिम पृष्ठ संख्या>। **उदाहरण: वॉल्यूम-12, अंक-6, पृष्ठ 103–120।**

कुछ दस्तावेजों की ग्रंथसूची एवं उद्धरण शैलियाँ
(Bibliographic and citation styles of some documents)

Document		लेखक-वर्ष आधारित उद्धरण शैलियाँ
Book	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <पुस्तक का शीर्षक>। <प्रकाशक>, <पता>, <संस्करण संख्या> संस्करण, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, आईएसबीएन : <आईएसबीएन संख्या>।**
	Example	1. झिंगन, एम. एल. (2008)। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। वृंदा पब्लिकेशन्स, मयूर विहार नई दिल्ली, पांचवां पुनर्मुद्रित संस्करण, 2008, पृष्ठ 1-670, आईएसबीएन: 8187125640। 2. पुरी, वी. के., मिश्र, एस. के. एवं गर्ग, भारत (2022)। भारतीय अर्थव्यवस्था। हिमालया पब्लिशिंग हाउस, गिरगांव मुम्बई, चौंतीसवाँ संस्करण, 2022, पृष्ठ 1-700, आईएसबीएन: 9789355964274।
Book chapter	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <अध्याय का शीर्षक> । <संपादक> में, संपादक (संपादकों), <पुस्तक का शीर्षक>, <प्रकाशन श्रृंखला> का खंड <खंड संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, <आईएसबीएन> । <प्रकाशक>, <पता> ।**
	Example	1. मधुसूदन, जी. एस एवं बघेल, एच. के. (2022)। डिजिटल अर्थव्यवस्था के फायदे और चुनौतियां: एक अवलोकन। गुप्ता, दिनेश कुमार (संपादक), ट्रांसफार्मिंग इंडिया: विजन एवं चैलेंजेज़, मार्च, 2022, पृष्ठ 69-90, आईएसबीएन: 9789391550592। एन. बी. पब्लिकेशन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। 2. मधुसूदन, जी.एस. एवं सिंह, एस. नाथ (2024)। भारत में फसल बीमा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अनुभवों का एक अध्ययन। सिंह, सी.बी., सिंह, एस.एन., लाल, अंकिता जे., फुरकान, मो., सोनी, शिखा (संपादक), सामाजिक विज्ञान एवं सतत भविष्य: 2023 और उसके बाद के लिए अंतर्दृष्टि एवं परिप्रेक्ष्य, पहला प्रकाशन, पृष्ठ 69-90, आईएसबीएन:9789363895065, कुणाल बुक्स पब्लिकेशन, दरियागंज, नई दिल्ली।
Seminar/Conference proceedings	Format	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक> । <सम्मेलन का शीर्षक> में, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>, <सम्मेलन का स्थान> । <प्रकाशक>, <पता>।**
	Example	1. मधुसूदन, जी. एस (2023)। भारत में डिजिटल तकनीक से शिक्षा के बढ़ते अवसर और चुनौतियां। ऑनलाइन शिक्षण और उच्च शिक्षा में, वॉल्यूम-2, पृष्ठ 07–15, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिंदकी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। आइडियलिस्टिक जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड रिसर्च इन प्रोग्रेसिव स्पेक्ट्रम्स (आईजेएआरपीएस)। आईजेएआरएमएस पब्लिकेशन, 221 एमआईजी फेज-2, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। 2. मधुसूदन, जी. एस एवं सिंह, अमित के. (2025)। आत्मनिर्भर भारत के सपने के रूप में ग्रामीण पर्यटन की राष्ट्रीय रणनीति का मूल्यांकन। ग्रामीण पर्यटन: विकास, रोजगार और संभावनाएं में, विशेषांक वॉल्यूम: जनवरी–मार्च 2025, पृष्ठ 247-254, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। त्रैमासिक पत्रिका शोध धारा। शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थान प्रकाशक, उरई (जालौन) उत्तर प्रदेश।
Dictionary and Thesaurus	Format	**<लेखक> (<दिनांक>)। <दस्तावेज का शीर्षक>। <प्रकाशक>, <पता>, <संस्करण संख्या> संस्करण, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>।**
	Example	1. सीएएलडी (2009)। कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी (सीएएलडी)। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया प्रा. लि., तीसरा संस्करण, पृष्ठ 101–102।

		2. सहाय, आर. एन. एवं कुमार, एस. (2018)। ऑक्सफ़ोर्ड इंग्लिश-इंग्लिश-हिंदी डिक्शनरी। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दूसरा संस्करण, वॉल्यूम-1, पृष्ठ-73।
Encyclopaedia	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक >) । <टॉपिक का शीर्षक >। <संपादक> संपादक (कों) में, <एनसाइक्लोपीडिया का शीर्षक>, <संस्करण संख्या> संस्करण, वॉल्यूम <वॉल्यूम संख्या>, पृष्ठ <पृष्ठ संख्या>। <प्रकाशक>, <पता>।**
	Example	1. लिंडग्रेन, एच. सी. (2001)। स्टीरियोटाइपिंग। द कोर्सिनी इनसाइक्लोपीडिया ऑफ़ साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंस, वॉल्यूम-4 में पृष्ठ 617–618 । विली, न्यूयॉर्क। 2. पेटिंगिल, जूनियर, ओ. एस. (1980)। फाल्कन और फाल्कनरी। वर्ल्ड बुक इनसाइक्लोपीडिया में पृष्ठ 150–155। वर्ल्ड बुक, शिकागो।
Journal/ Magazine/ Newspaper	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक> । <पत्रिका का शीर्षक>, <वॉल्यूम संख्या> (<इश्यू नंबर>), <पृष्ठ संख्या>, आईएसएसएन: <आईएसएसएन नंबर>। डीओआई:< डीओआई >**
	Example	1. मधुसूदन, गजेन्द्र सिंह (2023)। संक्रमणशील समाज की पीड़ा: सहजीवन। शोध धारा, अक्तूबर–दिसंबर, 2023, पृष्ठ 173-184, आईएसएसएन: 09753664। DOI:10.5281/zenodo.16640430 2. मधुसूदन, जी. एस. एवं सिंह, एस. एन. (2024)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति और प्रदर्शन का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड रिसर्च (आईजेएसडीआर), वॉल्यूम-9, अंक-11, नवंबर-2024, पृष्ठ 487- 497, आईएसएसएन: 24552631। DOI:10.5281/zenodo.16642460
Technical report	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <लेख का शीर्षक>। तकनीकी रिपोर्ट <रिपोर्ट संख्या>, <विभाग>, <संस्थान>, <पता>।**
	Example	1. नाबार्ड (2022)। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर और चेंगलपट्टू जिलों में सतत खारे पानी की एक्वाकल्चर के लिए कोस्टल वाटरशेड बेस्ड सरफेस और सबसरफेस सैलिनिटी मैपिंग और मॉडलिंग। टेक्निकल रिपोर्ट एनआरएस-27, डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड रिसर्च, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मुंबई। 2. घोष, डी. एवं कोठारी, आर. (2012)। पॉपुलेशन ह्यूरिस्टिक्स फॉर द कॉरिडोर एलोकेशन प्रॉब्लम। टेक्निकल रिपोर्ट W.P. नंबर 2012-09-02, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद, भारत।
Thesis (Master)	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>) । <थीसिस का शीर्षक> । मास्टर थीसिस, <विभाग>, <संस्थान>, <पता> ।**
	Example	1. कुमार, प्रतीक (2024) । किसानों के वित्तीय समावेशन में किसान क्रेडिट कार्ड के प्रभाव का एक अध्ययन: चित्रकूट जिले के विशेष सन्दर्भ में। मास्टर थीसिस, अर्थशास्त्र विभाग, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट। 2. कुमार, रवि (2020)। इम्पैक्ट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। एम.एससी. (एजी) थीसिस, एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर कॉलेज, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर (छत्तीसगढ़)।
Thesis (PhD)	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>)। <थीसिस का शीर्षक>। पीएचडी थीसिस, <विभाग>, <संस्थान>, <पता> ।**
	Example	सिंह, गजेन्द्र (2025)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों पर प्रभाव बांदा जनपद के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन। पीएचडी थीसिस, बैंकिंग, अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग, बुन्देलखण्ड

		विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश।
Website/ webpage	**Format**	**<लेखक> (<दिनांक>)। <डॉक्यूमेंट का शीर्षक>। <यूआरएल> से <दिनांक> को लिया गया** *अगर पब्लिकेशन की तारीख मौजूद नहीं है, तब 'कोई तारीख नहीं' लिखा जा सकता है।
	Example	1. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (30 सितंबर 2025)। भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएँ, 2023। 20 अक्टूबर 2025 को https://www.ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-adsi.html से लिया गया 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (30 जून, 2025)। फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। 23 अक्टूबर, 2025 को https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/FSReports.aspx से लिया गया

पाठ में संदर्भ

(In-text reference)

लेखक	पाठ में संदर्भ
एकल लेखक (डॉ. गजेन्द्र सिंह मधुसूदन)	<उपनाम>, < वर्ष > **उदाहरण: (मधुसूदन, 2024)**
दो लेखक (डॉ. राजेश कुमार पाल एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1> और <उपनाम2>, < वर्ष > **उदाहरण: (पाल एवं सिंह, 2023)**
दो से अधिक लेखक (डॉ. अतुल कुमार कुशवाहा, डॉ. क्रांति भूषण मौर्य,....., एवं डॉ. अमित कुमार सिंह)	<उपनाम1> आदि, < वर्ष > **उदाहरण: (कुशवाहा एवं अन्य, 2025)**

Bundelkhand Journal of Academic Research

Aims of the BJAR

The primary aim of the BJAR journal is to facilitate the dissemination of high-quality, peer-reviewed research findings, fostering the advancement of knowledge across various academic disciplines. BJAR journal provide a trusted platform for scholars to publish original research, review articles, and scholarly insights. BJAR journal serve as a platform for disseminating research, encouraging interdisciplinary dialogue, and validating scholarly work through rigorous, transparent review processes. Key aims and objectives typically include:

Dissemination of Knowledge: Sharing empirical, theoretical, and applied research findings with a global community.

Quality Assurance: Maintaining credibility through strict peer-review processes, often double-blind, to ensure academic merit.

Promoting Innovation: Encouraging novel ideas, methodologies, and critical perspectives in academic research.

Creating Research Forums: Building a dedicated space for scholars to engage with specific topics, facilitating expert discussion and debate.

Archiving Advancements: Documenting the progress of a specific field over time to support future research.

Platform for Scholarly Discussion: provide a venue for scholarly debate, enabling researchers to build upon, critique, and validate previous studies.

Peer Review and Quality Control: By employing a rigorous peer-review process, journals ensure the credibility, accuracy, and validity of the published research, preventing the spread of false information.

Bundelkhand Journal of Academic Research

About BJAR

BJAR a Quarterly Peer Reviewed, Open Access, Referred, Bi-lingual (Hindi & English) International Journal of Academic Research. BJAR follows the UGC's Suggestive Parameters for selecting peer-reviewed journals. Key Parameters for the BJAR are as under:

Suggestive Parameters	Policy and Guidelines
Frequency of publication	The Bundelkhand Journal of Academic Research (BJAR) is a quarterly research journal published four times a year. The March, June, September, and December issues are published. BJAR Issues: **January-March, April-June, July-September, October-December**
Language	Bilingual (Hindi and English)
Starting year	2025 **(First Issue: July-September, 2025)**
Subject	Multidisciplinary Subjects
Format of publication	Print Version
Publisher details (Name and Complete address)	Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan (GSPS), 226, Krishna Nagar, Atarra, District-Banda, Uttar Pradesh: 210201 E-mail: gayatripublication2025@gmail.com Mobile: 8750184716
Transparent Review Policy	Transparent review policy and publication process.
Website Certified Domain	https://bjar.in/index.php/BJAR/en
Open Access or Subscription-Based Policy	It is an open-access, peer- reviewed journal. All articles are freely accessible online.
Archival Policy	All the previous issues are maintained/made available.
Editorial Board Composition	Provided Subject expertise, with eminent academician's /scientists/ researchers.
Efficient Editorial/ Review Process	Efficient Editorial board members available and mentioned Rigorous peer review, compliance with reviewers' recommendations, and clear timelines.
Aims, Objectives, and Scope	BJAR's aims is to publish and synthesize, communicate and interpret the results of recent research study in the academic field, in order to advance the dissemination of valid knowledge and to foster innovation and development. The focus area and Scope of the journal is to publish scholarly articles in all Academic Disciplines.
Subject Areas	The focus area of the journal is to publish scholarly articles in all Academic Disciplines (such Agricultural Sciences, Arts and Humanities, Biological Sciences, Chemical Sciences, Commerce and Management, Engineering and Technology, Medical and Health Sciences, Physical Sciences, Social Sciences and other academic fields). The journal that encourages Interdisciplinary and

	Transdisciplinary dialogue on emerging knowledge.
Article Processing Charges (APC)	Transparent fee structure such as: The Journal is a free, open-access journal dedicated to global knowledge sharing. All articles are freely accessible worldwide. To maintain high-quality publishing, a modest Article Processing Charge (APC) of Rs.1000 applies only to accepted articles. There are no submission fees. In line with open-access principles, APCs are usually covered by research grants or supporting institutions. This fee supports essential services such as manuscript processing, online hosting, archiving and DOI charge. The APC includes expert peer review, professional formatting, publication, plagiarism screening and an official publication, ensuring high-quality and credible research dissemination.
Publishing Timeline	Two Months average Time from Submission to Publication such as: Submission to First Decision: 7 Days Submission to Acceptance: 45 Days Acceptance to Publication: 15 Days
Acceptance Rate	Estimation of the acceptance rate will be published in the future.
Academic Contribution	Published Articles are demonstrate motivation, advancement of existing knowledge, and applicability for policymaking.
Conformity to Journal Scope	Published Articles are align with the journal's stated aims and objectives.
Bibliographic Data & Literature Citation	Accurate and standardized referencing
Font & Design	Professional layout and readability
Infographics & Exhibits	High-quality visuals and supplementary materials
Citation Record	Journal articles cited in reputable databases
Print Continuum (if applicable)	The Journal is published in both print and online versions. Its continuity is maintained through regular quarterly online issues.
Online Availability	Full-text articles available online
Quality of Website	Well-maintained, regularly updated, and user-friendly.
Multilingual Availability	Multilingual Availability: Relevant for the Indian context, with content available in Indian languages. Most of the published articles are available in multiple languages.
Ethical Guidelines for Authors	Clear guide lines for ethical publishing practices
Plagiarism Prevention	The journal not accept more than standard limits 10% similarity score except for literature review.
Conflict of Interest Disclosure	No conflicts between governance, editorial board members, reviewers, and authors; any potential conflicts must be disclosed.

ISSN: 3139-5260
BJAR (https://bjar.in) | April-June | 2026 | Volume-2 | Issue-2

BUNDELKHAND JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH

Published by:
Gayatri Shodh Evam Prashikshan Sansthan,
Krishna Nagar, Atarra (Banda), UP: 210201
In collaboration with:
Goswami Tulsidas Government Post Graduate College Karwi,
Chitrakoot, Uttar Pradesh: 210205

बुन्देलखण्ड जर्नल ऑफ अकादमिक रिसर्च